खण्ड-375, अंक-3
सोमवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(24 फरवरी, 1986 ई0)

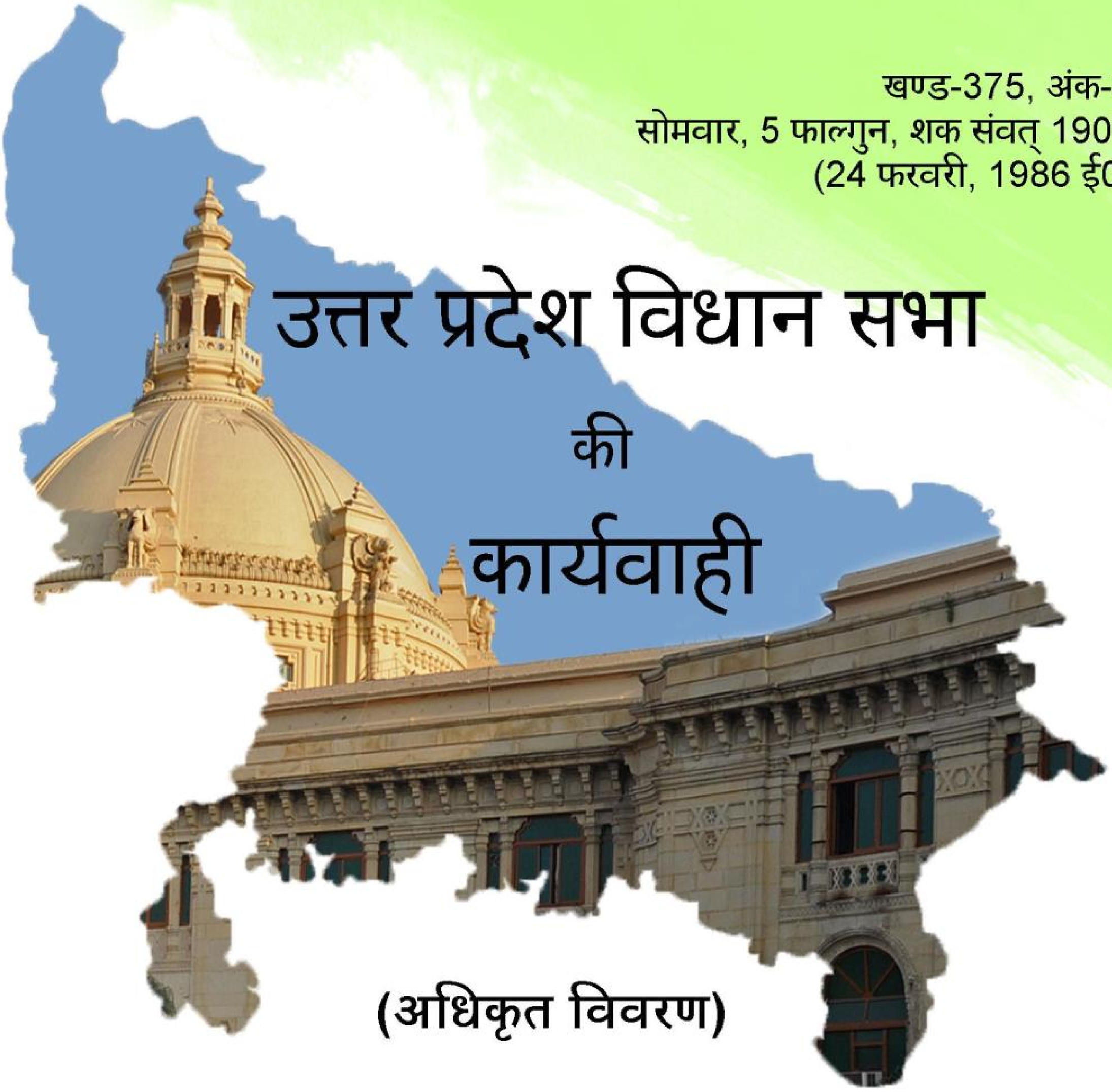

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 375 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अचल सिंह, श्री — फतेहपुर
अजीजुर्रहमान, श्री — बिजनौर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अमिताभ लवानियां, श्री — आगरा
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अरविन्द तिवारी, श्री — जालौन
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री — देवरिया
अशोक सेहरा, श्री — आगरा
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री — बुलन्दशहर
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
काजी कलीमुर्रहमान, श्री — आजमगढ़
काशी सिंह एरी, श्री — पिथौरागढ़
गेन्दा देवी, श्रीमती — बस्ती
चन्द्र भान मौर्य, श्री — आगरा
जयदीप सिंह बरार, श्री — बरेली
जय नारायण शर्मा, श्री — मेरठ
देवेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
निरोत्तम सिंह, श्री — बदायूं
निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री — कानपुर
बलजीत सिंह, श्री — मथुरा
बैजनाथ, श्री — देवरिया
भगवान दास, श्री — मुरादाबाद
मंगलदेव, श्री — गोण्डा
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री — बस्ती
महावीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महावीर सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
मैनेजर सिंह, श्री — बलिया
मोती राम सांगुडी, श्री — नैनीताल
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री — रायबरेली
राजेन्द्र सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
रामनाथ मुन्शी, श्री — गाजीपुर
रामबदन एडवोकेट, श्री — आजमगढ़
राम सजीवन, श्री — बांदा

विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर	सुक्खन सिंह, श्री	बिजनौर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सोन,	आगरा	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरीगढ़वाल	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद	हीरा सिंह बिष्ट, श्री	देहरादून

नोट :—श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, श्री निसार अहमद अन्सारी, लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री ।

सोमवार, 24 फरवरी 1986

विधान सभा सदस्य डा0 रजनीकान्त दत्त को पुलिस द्वारा पिटाई से सदन में गतिरोध होने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री तथा अन्य नेताओं में चल रही वार्ता की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो गतिरोध पिछले दिनों रहा उस पर नेता सदन और अन्य नेताओं में वार्ता चल रही है और उसके सुलझने की पूरी उम्मीद है । तो उस वार्ता के चलते मैं, जो प्रश्नों का कार्यक्रम है उसे शुरू करता हूं । आप लोग शांतिपूर्वक अपना कार्य करें ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, किस नियम के अंतर्गत आपको यह घोषणा करने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी तो किसी भी समय अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर नियम की कोई आवश्यकता नहीं थी माननीय राजेन्द्र सिंह जी को मालूम है कि उपाध्यक्ष कोई भी घोषणा कर सकते हैं मैंने उचित समझा इस लिए घोषणा कर दिया ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आपने बताया कि नेता सदन तथा अन्य नेताओं के बीच वार्ता चल रही है । तो नेता विरोधी दल तो यहां पर बैठे हुए हैं वार्ता कहां चल रही है ?

(नेता विरोधी दल उठ कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, सदन में कुछ लोगों को सद्बुद्धि आ गयी उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मैनपुरी-किशनी पक्का मार्ग पर निचली गंगा नहर का भांवत पुल का निर्माण

**1—श्री शिव बख्श सिंह राठौर—
(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी में मैनपुरी किशनी पक्का मार्ग पर निचली गंगा नहर का भांवत का पुल दो वर्ष से अधिक समय से टूटा पड़ा है जिससे बसों का चलना बन्द हो गया है और मैनपुरी मंडी में कृषि उत्पादन नहीं आ पाता और मैनपुरी आने वाली जनता, छात्र, व्यापारी तथा मरीज आदि सभी परेशान हैं ? क्या प्रश्नकर्ता ने इस संबंध में कई बार शासन से लिखित और मौखिक शिकायत भी की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल के महत्व को देखते हुये इसे अविलम्ब सेतु निगम से बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

पुल का निर्माण स्वीकृत हो गया है, और उसके निर्माण की कार्यवाही उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत बन रहे सम्पर्क मार्गों का अनुरक्षण एवं मरम्मत

**2—श्री मित्रसेन, श्री राज किशोर सिंह तथा श्री राम सजीवन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विकास कार्य के नाम पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत व्यय की जा रही करोड़ों रुपये से विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों का अनुरक्षण किस विभाग द्वारा कराया जायगा ?

ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के द्वारा कराये जा रहे कार्यों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण भी सम्मिलित है । सम्पर्क मार्गों का निर्माण मुख्यतः सार्वजनिक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जिला परिषद् तथा क्षेत्र समितियों व पंचायतों के द्वारा कराया जाता है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में सभी मार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु धनराशि का प्राविधान आयोजनेतर मद से किया जाता है । जिला परिषदों को अपने द्वारा निर्मित सड़कों के अनुरक्षण के लिए वर्तमान वर्ष में 5 करोड़ रुपये अवमुक्त किये जा चुके हैं । ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्मित सड़कों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए पहली बार इस वर्ष 5 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन पंचायती राज विभाग के बजट से किया गया है। बाढ़ से प्रभावित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा काम के बदले खाद्यान्न योजना की सड़कों के पुनरोद्धार एवं मरम्मत के लिए भी 126 लाख रुपये की धनराशि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को आवंटित की गयी है तथा अन्य 5 करोड़ रुपये बाढ़ ग्रस्त जिलों को आवंटित किये गये हैं जिनमें क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत की जा सकती है । ग्रामीण अभियंत्रण सेवा क्षेत्र समितियों तथा पंचायतों द्वारा बनायी गयी सड़कों के रख-रखाव हेतु धनराशि का हर वर्ष नियमित आवंटन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्री मित्र सेन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं इन्होंने अपने उत्तर के ऊपरी भाग में लिखा है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्मित सड़कों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए पहली बार इस वर्ष 5 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन पंचायती राज विभाग के बजट से किया गया है। और फिर नीचे इन्होंने कहा है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा क्षेत्र समितियों तथा पंचायतों द्वारा बनायी गयी सड़कों के रख-रखाव हेतु धनराशि का हर वर्ष नियमित आवंटन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। तो एक तरफ तो यह कहते हैं कि 5 करोड़ रुपये की धनराशि इस कार्य के लिए ले ली गयी है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हर वर्ष नियमित आवंटन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। तो प्रश्न के उत्तर में विरोधाभास है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर करोड़ों रुपया सम्पर्क मार्गों की मरम्मत के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को आवंटित किया जा रहा है यह अच्छी बात है। लेकिन जिन कार्यदायी संस्थाओं को कहा गया है उसमें वह 5 हैं–सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जिला परिषद्, क्षेत्र समितियां और पंचायतें हैं। जो सड़कें यह संस्थायें बनाती हैं और बना-कर छोड़ देती हैं तो उनका अनुरक्षण कौन करेगा? किये गये कार्यों में कितनी पुलिया और मिट्टी खराब निकल गयी तो इसकी कोई पकड़ नहीं है, इसलिये शासन की क्या कोई ऐसी नीति है जिससे कि जो संस्थायें यह निर्माण कार्य करती हैं वही अनुरक्षण उसका करेंगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय –

मान्यवर, जैसा मूल उत्तर में कहा है कई संस्थायें निर्माण कार्य सड़कों का करती हैं, तो उनमें सार्वजनिक निर्माण विभाग जिन सड़कों का निर्माण कार्य करते हैं, वहां प्राविधान है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने विभागीय बजट से उसका रख-रखाव करें। लेकिन अन्य विभाग जैसे ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, क्षेत्र समितियां भी सड़कों का निर्माण कार्य करा रही हैं, पंचायतें गांवों में निर्माण कार्य करा रही हैं तो उनके लिये अभी तक ऐसा प्राविधान नहीं है और जो सड़कें बन रही हैं उनकी परिसम्पत्तियां भी भिन्न-भिन्न जगह हैं। पंचायतों और क्षेत्र समितियों की सड़कें ग्राम सभाओं के अंतर्गत आती हैं। अब यह विचार करना है कि इन सड़कों का रख-रखाव कैसे हो, तो इसके लिये शासन स्तर पर विचार हो रहा है कि क्या प्रबंध किया जाये। इसके लिये श्री समशाद अहमद की अध्यक्षता में समिति बनी है, जो स्वायत्त सेवी संस्थायें हैं, क्षेत्र समितियों और पंचायतों की आय के क्या साधन हैं, किस तरह उनकी आय बढ़ाई जाये ताकि यह जो परिसम्पत्तियां सृजित हो रही हैं उनका रख-रखाव वह कर सकें। इसकी रिपोर्ट 31 मार्च, 1986 तक समिति का टर्म बढ़ा दिया गया है, अपेक्षित है और आयोग की जब रिपोर्ट आ जायेगी तो शासन विचार करेगा कि किस तरह इन संस्थाओं के वित्तीय संसाधन बढ़ा सकते हैं।

इस वर्ष पंचायत राज का बजट जो था उसमें से आर0 ई0 एस0 की कई सड़कें जो निर्मित थीं, उनका रख-रखाव नहीं होता था, उसमें से 5 करोड़ रुपये का प्राविधान सड़कों के रख-रखाव के लिये किया गया लेकिन

आर0 ई0 एस0 और अन्य संस्थाओं द्वारा निर्मित सड़कों का रख-रखाव, इस 5 करोड़ रुपये में से, काफी नहीं है। इसलिये शासन स्तर पर यह मामला विचाराधीन है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह हर साल मिट्टी का काम हो रहा है और एक बरसात और दो बरसात के बाद वह बह जाती है, इसको ध्यान में रखते हुए जिन मार्गों पर मिट्टी का कार्य हो जाये वहां प्राथमिकता के आधार पर खड़जा पहले लगवाने के लिये धन आबंटित करने का क्या सरकार प्राविधान करेगी ताकि मिट्टी पर खर्च पैसे की बर्बादी न हो सके ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, प्रयास यही किया जा रहा है कि जहां मिट्टी के काम हो रहे हैं उन परिसंपत्तियों का परमानेन्ट प्रबंध हो और वह नष्ट न हों, इसलिये सार्वजनिक निर्माण विभाग से कहा गया है कि जो एन0 आर0 इ0 पी0 में सड़कें बना रहे हैं, जिलास्तर पर जो निर्माण हो रहा है, जिले के विकास की योजनाओं पर जो धन आबंटित हो रहा है, उसको पक्का करने में उन्हीं सड़कों पर खर्च करें जहां मिट्टी का काम हुआ है और उनको किस तरह पक्का करायें इस पर शासन विचार कर रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चार एजेंसियों द्वारा आप निर्माण कार्य करा रहे हैं, मेरी जानकारी के अनुसार क्या यह सही है कि शासन की ओर से निर्देश हैं कि यह काम सीधे मजदूरों से मस्टर रोल पर कराया जाये। जिससे कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो और सही काम हो, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि अधिकांश स्थानों पर, अपवाद को छोड़कर, सब काम ठेकेदारों से कराया जा रहा है, क्या शासन को इसकी जानकारी है ? यदि है, तो क्या इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है अथवा कोई जांच कराई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

इन योजनाओं को चलाने के लिए मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण अंचलों में रोजगार उपलब्ध हो सकें और यह भी है कि ठेकेदारी प्रथा के द्वारा यह काम न कराया जाए। इसके विपरीत जहां से शिकायतें मिलती हैं, हम उसकी जांच कराते हैं। इसमें सीधे मजदूरों से काम लेने के स्पष्ट निर्देश हैं। जहां पर इसके खिलाफ शिकायतों की जानकारी गुप्त जी देंगे, उसकी हम जांच करा लेंगे।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, अभी आपने बताया है कि सदन के गतिरोध को दूर करने के लिए नेता सदन और नेता विरोधी दल परामर्श कर रहे हैं। किन्तु एक साथ तो दोनों बैठे ही नहीं हैं। जब नेता विरोधी दल सदन में थे तो मुख्य मंत्री यहां नहीं थे और जब अब नेता विरोधी दल यहां नहीं हैं तो नेता सदन, हाउस में आ गये हैं तो इनमें विचार विमर्श कैसे हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष–

इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

यह सदन को गुमराह किया गया है, इस तरह सदन को गुमराह क्यों किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये, इस तरह नहीं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैं यह जानना चाहता हूं कि आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 में 15 सौ से अधिक आबादी वाले गांवों को जोड़ने की जो कार्यवाही चल रही है, कच्ची सड़कें बनवाने और कच्ची सड़कों के बाद खंड़जा लगाने का काम तथा पी0डब्लू डी0 द्वारा कुछ सड़कों को पेन्टेड भी कराया गया है, बहुत से ऐसे गांव हैं जो इसके अंतर्गत नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि उनके बीच में नदी या नाले पड़ते हैं और उन पर पुल न बनने के कारण वह नहीं जुड़ पाए है । तो क्या ऐसे गांवों की सड़कों जिनके बीच में नदी या नाले पड़ते हैं, उन पर वह पुल बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर जो समिति बनी हुई है, वह प्राथमिकताओं का चयन करती है । जहां पर जिला समिति समझती है कि पुल बनाना आवश्यक है, वह बना सकती है । उन पर कोई रोक नहीं है कि वह न बनवायें । जो एन0 आर0 ई0 पी0 का धन है, उसका भी वहां से निर्णय होता है, वहां पर भी जिला स्तर पर वह उसकी प्राथमिकता को तय कर सकती है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जैसी मंत्री जी ने कहा, अनुरक्षण के संबंध में क्या यह उचित नहीं होगा कि जो धन है उसका 10/5 प्रतिशत धन प्रत्येक वर्ष रिजर्व कर दिया जाया करे और उसके आधार पर क्षेत्र समितियों में मस्टर-रोल पर 10/15 अस्थायी रूप से आदमी नियुक्त कर लिए जाएं, जो इस कार्य को किया करें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

एन0 आर0 ई0 पी0 का जो रुपया है, उसको हम नये काम पर ही खर्च कर सकते हैं भारत सरकार के निर्देश के अनुसार। उस धन से हम मरम्मत आदि के कार्य नहीं करा सकते हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आपने जो एन0 आर0 ई0 पी0 में नई सड़कों की व्यवस्था की है, जो पुरानी सड़के टूट गई हैं, उनके रख-रखाव और निर्माण के लिए आप कितनी धनराशि दे रहे हैं और जो पुलियां बननी हैं और नाले पर पुल बनने हैं उसके लिए आप जो धनराशि देते हैं वह बहुत कम पड़ती है, जैसा कि आपको आगरा की समिति द्वारा भी बताया गया है और आपसे कहा गया है कि आप उनके लिए ज्यादा धनराशि स्वीकार करें, तो क्या आप नालों पर पुल बनवाने के लिए ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को और अधिक धन भेजेगें, ताकि वहां पर इनके निर्माण का काम हो सकें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जो हमने मूल प्रश्न व उत्तर दिया है वर्मा जी उसमें देखेंगे कि इस वर्ष हमने जिला परिषदों को सड़कों के रख रखाव के लिए 5 करोड़ रुपया दिया है और ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के लिये 5 करोड रुपये का प्राविधान किया है, सड़कों के रख रखाव के लिए जहां तक पुल और पुलियों का संबंध है तो यह डिस्ट्रक्ट प्लान के अन्तर्गत आता है। जो समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी है वह इसको तय करती है कि कौन सा निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पहले रखा जाय। मान्यवर, यह तो जिला स्तर पर निर्णय करने का प्रश्न है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत जो भी सड़कें या सम्पर्क मार्ग बनाये जाते हैं उनकी मिट्टी के स्तर से पेंटिंग स्तर एक साथ स्वीकृत प्रदान करेंगे। क्योंकि यह देखा जाता है

कि जो मिट्टी डाली जाती है तो रख रखाव न होने के कारण वह बह जाती है और सुविधा के स्थान पर उससे असुविधा हो जाती है। तो क्या मिट्टी के स्तर से पेन्टिग स्तर तक एक साथ स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे ताकि दोबारा धन मांगने की आवश्यकता न रह जाय ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना के अंतर्गत जो परिसम्पत्तियां सृजित की जाती हैं तो इसमें मूल उद्देश्य रोजगार सृजित करने का होता है। भारत सरकार की जो गाइड लाइन्स हैं उसमें है कि 50 प्रतिशत मजदूरी पर, लेबर कांपोनेंट पर और 50 प्रतिशत मैटीरियल पर खर्च हो। तो 50 प्रतिशत जो मैटीरियल पर खर्च है उसमें कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा सोलिंग करें, तारकोल करें, । तो जहां पक्का काम हो सकता है, वह जिला स्तर पर किये जाने के निर्देश हैं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या मिट्टी स्तर से लेकर पेंटिंग स्तर पर एक साथ स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह डी0 आर0 डी0 ए0 तय करती है, जो तय कर ले ।

श्री मोहम्मद मसूद खां –

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सड़कों के रख रखाव के लिए विभिन्न विभागों को रुपया दिया गया है तो क्या वह कार्य विभाग के जरिए तय होगा या वह जिला योजना में तय होगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जैसे ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को सड़कों के लिए 5 करोड़ रुपये दिये गये हैं तो वह धनराशि जिलों को आवंटित होगी। जिलाधिकारी की अनुमति लेकर स्थानीय स्तर पर कहां सड़क की मरम्मत करनी है, तो जिलाधिकारी की अनुमति लेकर उसका रख रखाव कर सकेंगे।

डा0 अच्युतानन्द तिवारी–

मान्यवर, ऐसे निर्देश हैं कि जो सड़कें 6 मीटर से कम चौड़ी हैं तो उनको नहीं लिया जाता है और मिट्टी आदि के लिये जमीन का मुआवजा नहीं देते हैं जिससे तमाम जगहों पर सड़कें रोक दी जाती हैं। तो क्या ऐसे निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे कि जहां पतली सड़क हैं उनको भी लिया जाय और उसके हिसाब से पेमेंट किया जाय?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जो सड़कें ग्रामीण अंचलों में बनायी जाती हैं वह ग्राम वासियों के लाभ के लिये बनायी जाती हैं। तो बहुत अधिक पतली सड़कें बनाने से लाभ नहीं मिलता है। जो 6 मीटर चौड़ी सड़कें हैं उसके लिये ग्राम सभा स्तर पर समझाबुझाकर जमीन उपलब्ध कराई जाती है । जो अगर कहीं कम चौड़ी सड़क है तो जिलाधिकारी विशेष परिस्थिति में 6 मीटर से कम चौड़ी सड़क का निर्माण करा सकते हैं।

श्री औसान सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो सड़कें खड़ण्जे स्तर पर बनी पड़ी हुयी हैं और जिन पर मिट्टी का कार्य भी हो चुका है और पुलियों का कार्य भी हो चुका है, लेकिन इधर कई वर्षों से कार्य न होने के कारण आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है । तो क्या माननीय मंत्री जी वरीयता के आधार पर लैतन स्तर तक, उस पर कार्य कराने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

डी0 आर0 डी0 ए0 के अंतर्गत इनका निर्णय होता है, जिसमें माननीय सदस्य स्वयं सदस्य हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन-जिन योजनाओं के तहत धनराशि स्वीकृत हुई थी उन योजनाओं के लिए धन उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है या नहीं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, उन्हें रुपया उपलब्ध करा दिया गया है।

श्री हर देव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जहां पर सड़कें बनाई जा रही हैं, क्या वहां पर ईंट की चोरी भी हो रही है और दूसरा प्रश्न यह है कि जिन ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी टूट जाती हैं सड़कें, तो क्या मा0 मंत्री जी ईंटों की क्वालिटी की जांच करायेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जो भी शिकायत आपके पास हो, लिखकर भेज दीजिए जांच करा लेंगे और इससे पहले भी इसी प्रकार के शिकायत के प्रार्थना पत्र आये जिनकी जांच कराई गयी।

श्री राम नरेश–

क्या मा0 मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1975 और 1978-79 में प्रदेश में जो एक गांव से लेकर दूसरे गांवों को जोड़ने के लिए खाद्यान्न योजना के तहत सड़कें बनाने का काम हुआ था, उन सड़कों पर आज इस समय क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जो खाद्यान्न योजना के अंतर्गत सड़कें बनाई गयीं थी, उनके लिए पी0 डब्ल्यू डी0 और आर0 ई0 एस0 को यह निर्देश दे दिये गये हैं जिन सड़कों पर मिट्टी का कार्य हो गया है, उनको नई योजनाओं के अन्तर्गत चयन करके परमानेन्टली ढाई परसेंट पर वरीयता के आधार पर बनाने की कार्यवाही की जाए।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहा था जिसका उत्तर हमें नहीं मिल सका कि जो प्रमुख योजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपयों की लागत से सड़कें बन रही हैं, उनकी चेकिंग कौन करेगा और दूसरा प्रश्न यह कि अब तक पूरे प्रदेश में इन सड़कों के निर्माण में कितना धन आवंटित किया गया है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

शुरू से अब तक कितना धन आवंटित है, यह मान्यवर, सूचना इस समय हमारे पास नहीं है।

(तारांकित प्रश्न संख्या 1 के पुकारे जाने पर)

शिक्षा विभाग से सम्बंधित प्रश्नों के लिखित उत्तरों में मंत्री के हस्ताक्षर न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नों के समय में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं इतना जानता हूं कि प्रश्नों के समय में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, परन्तु मान्यवर, मैं एक नीति संबंधी मामला आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि अकारण सदन का समय नहीं नष्ट करना चाहिए, परन्तु यह नीति संबंधी मामला है, जिसे आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष–

इस वक्त नहीं, बाद में सुनूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, बाद में सुनेंगे और सब अनियमित काम होता रहेगा, तो बाद में सुनने से फायदा क्या होगा?

(व्यवधान)

मान्यवर, अनावश्यक समय नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, नहीं, इस वक्त नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अब तक शायद आप सुन भी चुके होते।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नों के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

(घोर व्यवधान)

प्रश्नों के समय व्यवस्था का प्रश्न लाना उचित नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक संवैधानिक आपत्ति का सवाल है, जिसे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आप मेरी बात सुन लें, सुनने के बाद सम्भवतः माननीय शिक्षा मंत्री को बोलने की आवश्यकता ही नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, नहीं, इस वक्त नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। मान्यवर, आप नियम 32 देखने की कृपा करें। मान्यवर, इसमें नियम 32 का पालन नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस वक्त उचित अवसर नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसी वक्त मान्यवर, सुनना उचित अवसर है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, गुप्ता जी की आपत्ति यह है कि माननीय शिक्षा मंत्री के उत्तर को कोई दूसरा मंत्री पढ़ नहीं सकता, क्योंकि हमको जो उत्तर मिला है, उस पर शिक्षा मंत्री का हस्ताक्षर नहीं है, इसमें हमको आपत्ति है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी, जहां तक सवाल इस बात का है, आपने लिखकर भी दिया है, लेकिन इस वक्त उचित अवसर नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसी वक्त मान्यवर, उचित अवसर है।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 32 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

जो बात आप उठाना चाहते हैं, उसे इस वक्त आप न उठाइये, बाद में उठाइयेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय शिक्षा मंत्री गलत काम करते रहें।

(घोर व्यवधान)

मैं पार्टी नहीं बनाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

इसलिए मुझे सदन से बाहर जाना होगा।

(व्यवधान)

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नों के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। हमारी यह नियम के संबन्ध में आपत्ति है। मान्यवर, जो हम लोगों को प्रश्नोत्तर मिला है, उस पर शिक्षा मंत्री का हस्ताक्षर नहीं है, इसलिए वह कार्यवाही का अंश नहीं बन सकता, क्योंकि वह नियमों के विपरीत है। मान्यवर, हम लोगों को जो कापी मिलती है, उस पर सम्बन्धित मंत्री का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर हस्ताक्षर शिक्षा मंत्री के होते, तो संयुक्त जिम्मेदारी के नाम पर कोई भी पढ़ सकता था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी बात सुन ली प्रश्न के उत्तर पर हस्ताक्षर नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपनी बात नियम–300 में दे सकते थे मैं सुन सकता था।

आपने कहा कि प्रश्न के उत्तर पर हस्ताक्षर नहीं है, इसलिए मैं इस प्रश्न को स्थगित कर देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, शिक्षा विभाग के सब सवाल स्थगित करिए।

श्री उपाध्यक्ष–

जिन प्रश्नों के उत्तरों पर हस्ताक्षर नहीं है, उन सबको मैं स्थगित कर देता हूं।

(व्यवधान)

कुछ बात समझ में नहीं आ रही है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आप प्रश्न को स्थगित भी कर देंगे और हमें सुनेंगे भी नहीं अगर संरक्षण उस पक्ष को प्राप्त है, तो इस पक्ष को भी संरक्षण प्राप्त है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं निर्णय दे चुका हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आप क्या निर्णय बिना संसदीय कार्य राज्य मंत्री को सुने दे देंगे।

[* * *]

(व्यवधान)

मान्यवर, आपने हमको बुला लिया था, निर्णय के बाद, अब आप हमको सुनिए।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने 5 मिनट का समय बर्बाद किया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं निर्णय दे चुका हूं।

(श्री प्रमोद कुमार द्वारा कुछ कहने पर)

श्री किरनपाल सिंह–

आप प्रमोद तिवारी जी को समझा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवधान के मध्य आपस में जो वार्तालाप हो जाता है उसका मुझे पता नहीं लगता है।

श्री हुकुम सिंह–

गुप्ता जी ने आपत्ति उठाई थी कि शिक्षा मंत्री के हस्ताक्षर नहीं हैं। कोई उत्तर आप निकाल कर देखें, हर में शिक्षा मंत्री लिखा है। किसी प्रश्न की पत्रावली जब अनुमोदन के लिये मंत्री के पास जाती है तो वहां पर हस्ताक्षर होता है। इस प्रश्न में सिब्ते रजी नहीं लिखा है लेकिन शिक्षा मंत्री लिखा है। मेरा

नोट–[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के दि0 26-2-86 के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आग्रह है कि शिक्षा मंत्री लिखा है तो यह नियमानुसार है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मुझे भी सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं निर्णय दे चुका हूं । मैं अपने विवेक से निर्णय देता हूं किसी का मुझे कोई भय नहीं है न इधर का और न उधर का । माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने तर्क रखा, संयुक्त जिम्मेदारी की। उसमें शिक्षा मंत्री लिखा हुआ है। लेकिन वास्तविक रूप में उसमें उन मंत्री का नाम अंकित होना चाहिये, जिन्होंने उस उत्तर को अनुमोदित किया है । चाहे कोई भी मंत्री हो, जिसने अनुमोदन किया है, उसका नाम लिखा होना चाहिये । जरूरी नहीं है कि शिक्षा मंत्री ही हो, किसी भी मंत्री का नाम होना चाहिये, जिसने अनुमोदन किया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इन्हीं के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी के प्रश्न पर आप व्यवस्था देख लें । उस समय अध्यक्ष जी ने यह व्यवस्था दी थी कि मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, नियम 32 पढ़ लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें बहुत क्लीयर रूलिंग है, इसलिये इस पर बहस नहीं होगी ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, इस नियम में लिखा हुआ है कि मिनिस्टर लिखित आन्सर देगा, लेकिन दस्तखत का उसमें कहीं जिक्र नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रसंग पहले भी आया था । मैं इसमें रूलिंग दे चुका हूं । आप लोग सुनें, मैं पहले की रूलिंग पढ़ रहा हूं । अगस्त 26, 1954 को नये राष्ट्रीय विकास केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार के संबंध में श्री नारायण दत्त तिवारी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए जब श्री फूल सिंह खड़े हुए और उत्तर पढ़ने लगे तब श्री तिवारी ने पूछा "श्रीमन्, इसके पहले कि मैं अनुपूरक प्रश्न पूछूं, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं। मुझे जो उत्तर आज दिये गये हैं, उसमें खाली मुख्य मंत्री छपा हुआ है, मुख्य मंत्री जी के दस्तखत नहीं हैं तो क्या यह प्रश्नों के उत्तर वैध माने जा सकते हैं"। श्री अध्यक्ष ने इस संबंध में निम्न निर्णय दिया "दस्तखत तो होना चाहिये . . . . जब वे (उपमंत्री) यहां उत्तर दे रहे हैं स्वयं तो उनका अस्तित्व तो इनकार नहीं कर सकते, जो उत्तर दे रहे हैं वह सही माने जायेंगे ।"

(मेजों की थपथपाहट)

तारांकित प्रश्न–1 को स्थगित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(डा0 संजय सिंह द्वारा प्रथम तारांकित प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

पहला प्रश्न मैंने स्थगित कर दिया है। आप दूसरे प्रश्न का जवाब पढ़ दें ।

परिवहन मंत्री (डा0 संजय सिंह)–

मान्यवर, किस बात पर स्थगित कर दिया । पहला प्रश्न स्थगित नहीं माना जायगा ।

(घोर व्यवधान)

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, अभी आपने अध्यक्ष पीठ से एक रूलिंग दी । आपने अध्यक्ष पीठ की किसी पूर्व की रूलिंग को पढ़कर सुनाया जिसमें उल्लेख था कि प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है । मान्यवर, आप स्वयं मंत्री भी रह चुके हैं, आपकी संज्ञान में है कि प्रश्नों के संबंध में संबंधित पत्रावली पर अनुमोदन संबंधी हस्ताक्षर होते हैं । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले प्रश्न के उत्तर को पढ़वा लें । नियमों का किसी प्रकार से कोई उल्लंघन न हो, आप प्रश्न के उत्तर को पढ़ने की अनुमति प्रदान करें । आप इस पर पुनर्विचार कर लें ।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी आप कृपया बैठें । इस तरह से समय व्यर्थ न करें जैसा कि रूलिंग से साफ हो गया कि मंत्री के जवाब देने में कोई रुकावट नहीं है . . . . .

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप पहले मेरी बात को सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 गुप्ता जी आप बैठें, मैं खड़ा हुआ हूं । अभी मुझे अपनी पूरी बात कह लेने दीजिये । इस तरह से शोर करने से क्या फायदा होगा ? आप सब लोग बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नियम 32 के मान्यवर, दो हिस्से हैं। स्वयं मैं कुछ सीखने के लिये बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने दोनों हिस्सों को सुन लिया है । आप बैठें । इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक उत्तर हमको मिलना चाहिये, उसको पढ़ा जाना चाहिये। जब प्रापर उत्तर हमको मिला नहीं, तो हम सुनेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये ।

इसके दोनों पोरशन सही है कि दस्तखत होना चाहिये । अगर नहीं होता तो यह जरूरी नहीं है–सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता । अब इतना जरूर है कि सरकार का ध्यान आकृष्ट हो जाय, इसलिए मैं यह सवाल . . . .

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, इससे पूर्व कि आप कोई निर्णय दें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं ।

मान्यवर, अभी आपने एक रूलिंग दी और सवाल नं0–दो से सारी चीज मान ली । मान्यवर, आप उस पीठ पर विराजमान हैं, हम आपका सम्मान करते हैं । मान्यवर, हम आपको यह एहसास कराना चाहते हैं कि [* * *] और अपनी जिद छोड़ दें कि पहला न लेकर दूसरे से लिया जाय ।

(शोर–व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं गवर्नमेंट को निर्देशित करता हूं कि आइन्दा ऐसी गलती न की जाय । प्रश्नों के जो उत्तर दिये जाते हैं, उन पर दस्तखत होने चाहिए । अगर मैंने पहले ऐसा कोई निर्देश दे दिया है तो मैं उसे पुनरीक्षित करता हूं और जो सवाल हैं, उनके उत्तर दिये जायं ।

नोट–[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है।

श्री उपाध्यक्ष–

हल्ला बिलकुल नहीं होना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी हाउस की व्यवस्था हल्ले-गुल्ले की नहीं होनी चाहिए, चाहे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के बैठने वाले हों। तर्क का जवाब तर्क से दिया जायेगा।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी ने जिन शब्दों का प्रयोग आपके प्रति किया वह सीधा आपके ऊपर आक्षेप है, अध्यक्ष पीठ के ऊपर आक्षेप है। आप कार्यवाही देखकर, उसे निकाल दें।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही होगी तो मैं कार्यवाही देखकर उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में नयी शिक्षा नीति का प्रारूप

*1–श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री मित्रसेन तथा श्री अवधेश प्रसाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1985 में शिक्षा विभाग की देखरेख में नयी शिक्षा नीति के निर्धारण हेतु सेमिनार आयोजित हुआ था? यदि हां, तो नयी शिक्षा नीति का क्या प्रारूप तैयार हुआ है? यदि हां, तो उसे कब तक लागू किया जायेगा?

परिवहन मंत्री (डा0 संजय सिंह)–

जी हां। भारत सरकार द्वारा प्रसारित दस्तावेज "शिक्षा की चुनौती" पर विचार विमर्श हेतु शासन स्तर पर दिनांक 1, 2 व 3 नवम्बर, 1985 को राज्य स्तरीय सेमीनार का आयोजन किया गया था। नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार नहीं हुआ है अतः इसे लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में अभी प्रदेश सरकार ने एक सेमिनार किया और उसमें कोई नीति निर्धारित नहीं की। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई कमेटी गठित की गई है? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन लोग हैं? और जो प्रारूप तैयार किया गया है, उसमें कौन-कौन से मुद्दे हैं, जिन पर कमेटी विचार कर रही है?

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, जो शिक्षा नीति बन रही है, वह केन्द्रीय सरकार की है। उसमें प्रत्येक सरकार से संस्तुतियां मांगी हैं। हमने सारी संस्तुतियां बनाकर केन्द्रीय सरकार को भेज दी है। माननीय सदस्य को भी उसकी प्रति भेज दी जायेगी, यदि वे इच्छुक हैं तो।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने अपने प्रश्न में सीधे-सीधे पूछा था कि नई

शिक्षा नीति का प्रारूप क्या है? उसके मुख्य-मुख्य मुद्दे क्या हैं? और यह शिक्षा नीति कब तक लागू हो जायगी? मैं जानना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति भारत सरकार के सुझाव के लिए मांगी गयी है तो प्रदेश सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति के सम्बन्ध में जो चर्चा 1, 2 और 3 की हुई है, इसके सम्बन्ध में पूरे दस्तावेज तैयार होकर केन्द्र सरकार के पास कब तक पहुंच जायेंगे?

डा0 संजय सिंह–

यह शिक्षा नीति कब तक बन जायगी, यह फैसला केन्द्र सरकार को लेना है, प्रारूप केन्द्रीय सरकार को भेजा जा चुका है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

बड़ी स्पष्ट बात है, केन्द्र सरकार को प्रदेश सरकार भेजेगी, वह बात सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का जो सेमीनार हुआ है, उसमें किन-किन मुद्दों पर विचार हुआ है? उन-उन मुद्दों को, चूंकि विधान सभा बैठी हुई है, तो क्या यह लाजिमी नहीं है कि सदन के पटल पर रखने के बाद, हम लोगों को बताने के बाद उसे भेजा जाय? क्या मा0 मंत्री जी आश्वासन देंगे कि सदन की संस्तुति के बाद ही भेजेंगे?

डा0 संजय सिंह–

अभी कैबिनेट स्तर पर इसका फैसला नहीं हो पाया है, इसलिये सदन में रखना उचित नहीं है, लेकिन प्रारूप के सम्बन्ध में जानकारी सबको करा दी जायगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

सबको कर दी जायगी या सदन को करा दी जायगी? मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है, इस पर आजादी के बाद से ही चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार, यहां के शिक्षाविदों ने जो शिक्षा का प्रारूप बनाया है, उसको क्या विधान सभा के समक्ष सदन के पटल पर रखकर केन्द्र को भेजने का कष्ट करेगी?

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने कहा कि शासन में विचाराधीन है, विचार हो जाने के बाद ही निर्णय हो सकेगा। आप बैठें।

श्री राम नरेश–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि सेमिनार हुआ था और उसमें विचार किया गया है तथा केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है। आज जो शिक्षा की स्थिति है, यह सरकार प्राइमरी स्कूल के बच्चों तक को शिक्षा नहीं दे पा रही है। हर जिला केन्द्र पर माडल स्कूल खोलना, प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में टेलीविजन लगाना, बड़े और व्यापक पैमाने पर कम्प्यूटराइजेशन करना और नौकरी को डिग्री से न जोड़ना, ये सारी बातें हैं, मैं जानना चाहता हूं कि यह जो सारा सेमीनार हुआ, उसमें सारे प्रश्नों पर विचार करने के बाद कोई प्रश्न ऐसा भी था जिस पर विमति थी? क्या उसको भी केन्द्र सरकार को भेजा गया?

डा0 संजय सिंह–

सेमीनार में जो भी विचार हुआ, सारी चीजें भेजी गयीं हैं।

श्री अशोक बाजपेयी–

क्या यह तथाकथित समाजवादी सरकार, जो नई शिक्षा नीति का प्रारूप बन रहा है, उसमें दोहरी शिक्षा नीति को खत्म करने का निर्णय लेगी?

श्री उपाध्यक्ष–

सवाल नई नीति का है, दोहरी शिक्षा नीति का नहीं है, आप फिर से सवाल पूछ लें।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, तथाकथित समाजवादी सरकार क्या शिक्षा की नीति बनाने जा रही है और उसमें क्या यह जो दोहरी शिक्षा की नीति है, इसे वह समाप्त करेगी? क्या एक ही प्रकार की सामान्य स्तर की शिक्षा नीति पर शासन विचार करेगा?

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, जहां तक शिक्षा नीति का प्रश्न है, उससे इसका कोई ताल-मेल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, शिक्षा के विषय के संबंध में माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि राज्य सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती, यह पहले से निर्धारित है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि जो जवाब मंत्री जी की ओर से प्राप्त हुआ है, उसे मैं पहले पढ़ रहा हूं और उसके बाद ही मैं अपना सवाल कर रहा हूं। प्रश्न के मूल उत्तर में कहा गया है कि "जी हां। भारत सरकार द्वारा प्रसारित दस्तावेज 'शिक्षा की चुनौती' पर विचार-विमर्श हेतु शासन स्तर पर 1, 2 व 3 नवम्बर, 1985 को राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया था" मेरी निश्चित जानकारी है कि उसका जो निष्कर्ष निकला उसमें उत्तर प्रदेश में दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को क्या संस्तुति भेजी है ?

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि सेमिनार आयोजित किया गया था और उसमें जितने लोग आये, उनके विचार इकट्ठे किये गये और उसको केन्द्रीय सरकार को भेजा गया और वहां वह निर्णय के लिए मामला विचाराधीन है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, नई शिक्षा नीति के संबंध में विचार करने के लिए माननीय मंत्री जी ने बताया कि केन्द्र सरकार ने सभी प्रदेशीय सरकारों के शिक्षा विभागों को यह काम सौंपा है। क्या सदन में शिक्षा मंत्री जी नई शिक्षा नीति पर चर्चा कराने का कष्ट करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

शिक्षा की नीति पर चर्चा तो होगी ही। अगर आप कुछ लिख कर देंगे तो उस पर भी विचार होगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नई शिक्षा नीति के विषय में सदन में भी चर्चा करायी जायेगी और हम लोगों की उसमें राय ली जायेगी?

(मंत्री को इंगित किये जाने पर)

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, सदन में चर्चा होगी या नहीं, यह तो आपके निर्णय लेने का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कह रहा था कि आपको इस पर कुछ कहना हो तो कह दें।

डा0 संजय सिंह–

नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 अनुग्रह नारायण सिंह, आप केवल एक ही प्रश्न कर सकते हैं, आपके दो प्रश्न हो गये हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मैं कह रहा था कि गांवों में जो टेलीविजन के द्वारा शिक्षा दी जा रही है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

टेलीविजन वाला सवाल इसमें सम्मिलित नहीं है, आप नियमानुसार ही प्रश्न करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी क्या कृपया बतायेंगे कि भारत सरकार से कोई नीति निर्देश या गाईड लाइन्स उन्हें मिली है क्या आधार होगा नई शिक्षा नीति का? यदि हां, तो वह गाईड लाईन्स क्या है और क्या हमारी प्रदेशीय सरकार की भी नई शिक्षा नीति के बारे में कोई अपनी दृष्टि है और किस आधार पर आप नई शिक्षा नीति को बनाने जा रहे हैं?

डा0 संजय सिंह–

जहां तक केन्द्रीय सरकार की गाईड लाईन्स का प्रश्न है, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, राज्य सरकार के सारे सुझाव केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

इसीलिये यह प्रश्न आपसे स्थगित कराने के लिए कहा गया था। यह तो शिक्षा मंत्री है ही नहीं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है तो फिर इन्होंने शिक्षा के संबंध में सेमिनार ही क्यों आयोजित किया था?

श्री उपाध्यक्ष–

दिक्कत क्या हो रही है कि जब मंत्री जी सवाल का जवाब देते हैं तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। शाही जी, आप तो अभी कृपा करें, मैं आपको भी सुनूंगा। तो जब मंत्री जी जवाब दे रहे थे उस समय राम गोविन्द चौधरी खड़े हो गये। आप पहले उन्हें जवाब दे लेने दीजिये। अभी आप सब लोग बैठिये।

(श्री यदुनाथ सिंह के खड़े होकर बोलने के कारण व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी मैंने रघुबर दयाल वर्मा को बुलाया है, आप बैठें अभी।

श्री यदुनाथ सिंह–

मैं चार बार से खड़ा हो रहा हूं और आप मुझे सुनते ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो खड़े होने की प्रक्रिया ही है किसी को तीन दफे, किसी को चार दफे और किसी को एक ही दफे में टाइम मिल जाता है, आप बैठें अभी मैं आपको भी पुछवाऊंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इसमें कुछ तो निष्पक्षता होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूं। सवाल पूछने के लिये निष्पक्ष होने की बात नहीं होती है। इसमें कहीं पक्ष और कहीं विपक्ष की कोई बात नहीं है।

(श्री यदुनाथ सिंह सदन की फ्लोर पर आ गये।

यदुनाथ सिंह जी, मैंने आपको सवाल पुछवाने के लिये मना नहीं किया है।

(श्री सरदार सिंह के प्रयास से श्री यदुनाथ सिंह अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी, नई शिक्षा नीति का प्रश्न, भारत सरकार द्वारा जो इस सम्बन्ध में सन्दर्भित बिन्दु भेजे गये हैं, जो गाईड लाईन्स वहां से आपको दी गयी हैं और सेमिनार जो आयोजित की गयी थी उससे जो विचार आपको मिले, जिनका संबंध प्रदेश की जनता के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है तो इस संबंध में वहां से क्या गाईड लाईन्स आयी हैं? दूसरी बात यह कि आपने किन-किन बिन्दुओं पर संस्तुति भारत सरकार को भेजी है? मान्यवर, यह तो चर्चा का सवाल है, प्रदेश की जनता नई शिक्षा नीति के बारे में जानना चाहती है। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि क्या इन सन्दर्भित बिन्दुओं में क्या आपने ऐसी भी व्यवस्था की है कि फर्जी पी0 एच0 डी0 की उपाधि न दी जाय जैसे कि श्री संजय सिंह को इसकी उपाधि प्रदान की गयी है?

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, इसमें प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, परीक्षा की पद्धति और शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था से संबंधित सारे प्रश्नों को, जैसा कि आयोजित सेमिनार में डिसकस किया गया था और इसके संबंध में जो संस्तुतियां आयी थीं और 11 समितियां बनी हैं और जो उनसे संस्तुतियां आयी हैं, उनको भेजा गया है। जो सदस्य इच्छुक हों वह भी अपनी संस्तुति भेज दें तो उनकी भी संस्तुतियों को भेज दिया जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की है या नहीं? दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना बजट प्रदेश सरकार शिक्षा पर खर्च कर रही है?

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, जहां तक दोहरी शिक्षा नीति का प्रश्न है, अगर माननीय सदस्य अपनी राय भेजना चाहते हैं, तो उसे भेज दें मैं उसको भी भेज दूंगा।

जनपद आजमगढ़ की वक्फ सम्पत्तियां तथा उन पर अनाधिकृत कब्जे

*2–श्री हरदेव–

क्या वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में सर्वे के उपरान्त पायी गयी लगभग साढ़े चार हजार वक्फ सम्पत्तियां, जिनमें अधिकांश पर अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं और उन्हें बेचा जा रहा है, को सुरक्षित रखने हेतु जिलाधिकारी, आजमगढ़ के अधीन स्थाई वक्फ कार्यालय खोलकर वक्फ सम्पत्तियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह–

जनपद आजमगढ़ में सर्वेक्षण का कार्य मई, 1979 में आरम्भ किया गया था। सर्वेक्षण एवं अवकाफ के निश्चितीकरण का कार्य मई, 1985 में समाप्त हुआ। सर्वेक्षणोपरान्त कुल 3997 शिया-सुन्नी अवकाफ प्रकाश में आये। कुल 151 अवकाफ पर अनधिकृत कब्जों की सूचना प्राप्त हुयी है। वक्फ सम्पत्तियों को बेचे जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 के वर्तमान प्राविधानों के अनुसार अनधिकृत कब्जों को हटाने की जिम्मेदारी स्वयं शिया/सुन्नी वक्फ बोर्ड की है।

श्री हरदेव–

मैं जो जानना चाहता था, उसकी सूचना मिल गयी है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 151 वक्फ ऐसे हैं जहां पर अनधिकृत कब्जे हैं और आपने कहा कि वक्फ सम्पत्तियों को बेचा नहीं गया है, तो कब्जा भी है और बेचा भी नहीं गया है, तो यह तो अनियमित है। जो नाजायज कब्जे हैं, तो उन्हें समाप्त करने का क्या तरीका है? आपने कहा कि वक्फ बोर्ड सक्षम है, परन्तु जो वर्तमान वक्फ बोर्ड है उसके पास कोई कब्जा हटाने का अधिकार ही नहीं है। इस समय दो मांगे चल रही हैं, बनारसीदास जी के समय में यह बात आयी थी कि कोई ऐसा कानून बनाया जायेगा जिससे कि ऐसे सारे वक्फ जहां पर नाजायज कब्जे कर लिये गये हैं, क्या कोई एक नया कानून बनाकर उन कब्जों को हटाने की व्यवस्था करेंगे और दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि वक्फ की जो सम्पत्तियां हैं, उनको रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट से आजाद करा दिया जायेगा। क्या सरकार इस पर विचार करेगी? जब तक कोई कानून नहीं होगा तब तक बोर्ड कब्जे हटाने में सक्षम नहीं हो सकेगा। जब कोई कानून बन जायेगा तो बोर्ड की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम रिजोलुशन करेंगे और उसको सरकार के पास भेज देंगे और जब रेन्ट कन्ट्रोल से आजाद कर दिया जायेगा तो अनधिकृत कब्जे हटाने में असानी होगी, तो मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है, कि अनधिकृत कब्जे हट जायें?

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो भी सम्पत्तियां हैं अगर वह रजिस्टर्ड हैं तो वह अपनी संस्तुतियां जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजती हैं और उन पर कार्यवाही की जाती है। इस समय 3 शिया 5 सुन्नी की संस्थायें रजिस्टर्ड हैं और उनके बारे में कार्यवाही चल रही है और जिलाधिकारी उनके अनधिकृत कब्जों को हटाने की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद मसूद खां–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ में सर्वे हुआ था और साढ़े चार हजार आपत्तियां आयीं थीं और सभी आपत्तियों का निबटारा नहीं हुआ और सर्वे डिपार्टमेन्ट को वहां से हटा लिया गया है, तो क्यों हटा लिया गया है ?

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है, सर्वे हो चुका है, अगर कोई इस तरह की शिकायत है तो माननीय सदस्य उसको लिखकर भेज दें, उसका सर्वे हो जायेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया कि जिलाधिकारी सक्षम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो यही खराबी है प्रोसीजर बहुत लम्बा है। 10 फिट की जगह खाली कराने में 10 साल से ज्यादा लग जाते हैं। तो मैं यह जानना चाह रहा हूं कि प्रोसीजर बहुत लम्बा है जो कब्जा करते हैं वह सिविल कोर्ट में चले जाते हैं और दीवानी का मामला उनको दीवाना कर देती है। मान्यवर, इससे डी0 एम0 सक्षम नहीं है, डी0 एम0 नहीं खाली करा पाते हैं, डी0एम0 के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है,

अगर है तो मंत्री जी बतावें और अगर नहीं है तो इसके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत है क्या इसे बनायेंगे?

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, जितनी भी प्रोसीजरल कार्यवाही करते हैं, जितनी भी अनियमितता जिला-स्तर पर होती है, वह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मिलकर करते हैं। अगर कहीं सुस्ती है तो इसको कहा जा सकता है कि सख्ती से उसका पालन किया जाय, कहां तक ऐसे कानून बनाये जा सकते हैं।

श्री काजी मोहिउद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इसे छोटी सी चीज बता दिया यह बहुत बड़ी चीज है। इसमें खुदा का नाम होता है यह खुदा की प्रापर्टी होती है जिसकी हम लोग हिफाजत करते हैं। अभी आजम साहब ने एक सवाल किया था उसके संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया। माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि डी0 एम0 को भेज दिया जाता है। हजारों शिकायतें आई हैं क्या माननीय मंत्री जी को कोई ऐसी कम्पलेन्ट मिली है जिसको डी0एम0 ने पूरा कर दिया हो और कब्जा हटा दिया गया हो, एक भी बता दें, एक भी कोई डी0 एम0 नहीं हटा पाया? मैं भी वक्फ मंत्री रह चुका हूं।

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, जहां तक शासन स्तर पर जानकारी का प्रश्न है, यहां पर यह जानकारी है कि कोई ऐसी कम्पलेन्ट नहीं है। 3-4 कम्पलेन्ट हैं और उस पर कार्यवाही हो रही है। अगर माननीय सदस्य कोई ऐसी जानकारी देना चाहें तो दे दें उस पर कार्यवाही हो जायेगी।

प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा कर लगाने अथवा शिक्षा शुल्क बढ़ाने पर विचार

*3–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार शिक्षा कर लगाने अथवा शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है तथा कब से लगाया जायेगा?

डा0 संजय सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार शिक्षा कर अथवा शिक्षा शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है?

डा0 संजय सिंह–

जी नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा शुल्क या शिक्षा कर बढ़ाने का विचार नहीं है तो क्या कोई अधिभार बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं?

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, अभी इसके बारे में क्या कहा जा सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया कि क्या सरकार शिक्षा शुल्क या शिक्षा कर पर कोई अधिभार, सरचार्ज बढ़ाने पर विचार कर रही है, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि अभी से क्या बताया जाय। तो क्या यह सरकार के स्तर से विचाराधीन है, इसका उत्तर दें, हां या नहीं? मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आप इसका स्पष्ट उत्तर दिला दें कि शुल्क या कर न सही, शिक्षा पर कोई अधिभार बढ़ाने का विचार है?

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, इस समय कोई विचार नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को आश्वस्त करेंगे कि निकट भविष्य में शिक्षा के शुल्क में या उसके कर में किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं की जायेगी अधिभार के रूप में या किसी भी रूप में ?

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, भविष्य के बारे में क्या कहा जा सकता है ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से राम नगर में हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क है ..... (व्यवधान के मध्य) कृपया मुझे पूछ लेने दें मुझे अनुमति मिली है।

(इस समय 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब राजाओं के प्रिवीपर्स समाप्त हुये तो उस समय से गवर्नमेन्ट इन्टर कालेज, राम नगर, तकिया और ज्ञानपुर आदि में हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क है। क्या उसी तरह से पूरे प्रदेश में हाई स्कूल तक आप शिक्षा निःशुल्क करेंगे या नहीं करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।... (व्यवधान)। आपका प्रश्न बहुत उम्दा है लेकिन वे जवाब नहीं दे रहे हैं।

नोटः– तारांकित प्रश्न सं0 3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1985 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी के सूखाग्रस्त होने के कारण लघु सिंचाई कार्य तथा अनुदान का समायोजन

*1–श्री विष्णु देव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1979-80 में भीषण सूखा के कारण तहसील घोसी जनपद आजमगढ़ में 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक के जोत वाले कृषकों को अलग सिंचाई कार्यों पर 20 प्रतिशत के दर से अनुदान देना शासन ने स्वीकृत किया था ? क्या उक्त योजना के अंतर्गत आने वाले समस्त कृषकों को जिन्होंने निर्धारित समय में अल्प सिंचाई कार्यों को सम्पन्न किया, उन्हें अनुदान दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

इस योजना के अंतर्गत 303 मामलों में कृषकों द्वारा लघु सिंचाई कार्य किये गये, इनमें से 242 मामलों में अनुदान का समायोजन योजना की समाप्ति के पूर्व कर दिया गया । योजना समाप्त हो जाने के कारण शेष मामलों में अनुदान का समायोजन नहीं हो सका ।

(सोमवार दिनांक 24 फरवरी, 1986 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)

*1–शारदा प्रताप–

[दिनांक 10-2-86 को अता0 प्र0 सं0 9 द्वारा उत्तरित]

*2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[दिनांक 10-2-86 को अता0 प्र0 सं0 112 द्वारा उत्तरित]

खण्ड विकास अधिकारी, परतावल, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं संबंधी शिकायती पत्र पर जांच

*3—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेश चन्द्र खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड परतावल, गोरखपुर के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के विरुद्ध ग्राम विकास अधिकारी संघ, मंडल शाखा गोरखपुर ने दिनांक 12-6-85 को तथा प्रान्तीय शाखा ने दिनांक 18-6-85 को कोई लिखित शिकायती पत्र शासन को भेजा है ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ? क्या उन शिकायतों की जांच करा ली गई है ? यदि नहीं, तो कब तक जांच की कार्यवाही पूरी करा ली जायेगी? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच (प्रक्रिया) निष्पक्ष हो सके, इसके लिये क्या खण्ड विकास अधिकारी को स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

शिकायतों के विवरण संलग्नक में दर्शाये गये हैं ।

जी हां ।

कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

जांच के दौरान शिकायतों के निराधार पाये जाने के कारण शिकायतों के आधार पर खंड विकास अधिकारी को मध्य सत्र में स्थानान्तरित किये जाने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता । नियमानुसार वार्षिक स्थानान्तरण पर मामले पर विचार किया जायगा।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 143 पर)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं का क्षेत्र समिति से अनुमोदन

*4—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला स्तरीय विकास कार्यों की डी0आर0डी0ए0 की बैठकों में किसी विकास कार्य को स्वीकृति देने से पूर्व क्षेत्र समिति (बी0डी0 सी0) से उस कार्य का अनुमोदन लेना अपरिहार्य है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या शासन विकास कार्यों में इस व्यवस्था के कारण हो रहे विलम्ब को रोकने के लिए पूर्ववत व्यवस्था लागू करने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं का अनुमोदन क्षेत्र समिति से प्राप्त करना अपरिहार्य नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अंतर्गत तद्‌र्थ नियुक्तियां

*5—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 जनवरी, 85 से 31 जुलाई, 85 तक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के मुख्य अभियंता द्वारा चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारियों की एडहाक नियुक्तियां की गई हैं ? क्या यह नियुक्तियां शासनादेशों के विपरीत की गई हैं ? यदि हां, तो मुख्य अभियंता के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अंतर्गत मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा

द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1985 से दिनांक 31 जुलाई, 1985 तक की अवधि में चतुर्थ श्रेणी में कोई तदर्थ नियुक्ति नही की गई । तृतीय श्रेणी के अंतर्गत 520 अवर अभियंताओं की तदर्थ नियुक्ति की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण वित्त आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम तथा नियुक्ति का आधार

*6—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायतीराज अनु0-2 की विज्ञप्ति संख्या 1420बी/33-2-99 जी/83 दि0 28 अप्रैल, 84 के अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं से जिला स्तर पर जनता की आकांक्षाओं का सम्यक प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से इन संस्थाओं के प्रभावी करने के उद्देश्य से वित्तीय संसाधनों की समीक्षा सुदृढ़ीकरण एवं संगठनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करके संस्तुतियां देने के लिए अवकाश प्राप्त आई0 ए0 एस0 श्री शमशाद अहमद की अध्यक्षता में ग्रामीण वित्त आयोग का गठन किया गया है ? यदि हां, तो इस आयोग में नामित किए गए सदस्यों तथा नियुक्त किए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्या नाम हैं और उनके नामांकन व नियुक्ति का क्या आधार रखा गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

आयोग में नामांकित सदस्य एवं नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची संलग्न है ।

पंचायतीराज की त्रिस्तरीय संस्थाओं (ग्राम सभा, क्षेत्र समिति, एवं जिला-परिषद्) के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए एवं संबंधित विभागों की उपयोगितानुसार उनके प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए आयोग के सदस्य नामित किये गये। आयोग का कार्य सुचारु रूप से संपादित करने के उद्देश्य से आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति अनुभव एवं उपयुक्तता के आधार पर की गयी है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 144 पर)

प्रदेश के नवीन स्कूलों को मान्यता तथा असहायिक जूनियर व माध्यमिक विद्यालय के सहायता न दिये जाने का कारण

*7—श्री मित्रसेन —

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 85-86 में प्रदेश के नवीन स्कूलों को मान्यता न देने तथा असहायिक जूनियर तथा माध्यमिक विद्यालयों को सहायता न प्रदान करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम के देवरिया डिपो में कुल आवंटित बसों तथा उससे से खराब बसों की संख्या

*8—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम के देवरिया डिपो में कुल आवंटित बसों की संख्या कितनी है और उनमें से कितनी बसें आवागमन का कार्य कर रही हैं ? सम्पूर्ण बसों के बेड़े में से खराब बसों की संख्या

कितनी है शेष बसों के न चलने का कारण क्या है ? क्या शासन सम्पूर्ण बसों के चलाने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 संजय सिंह–

राज्य सड़क परिवहन निगम के देवरिया डिपो में कुल आवंटित बसों की संख्या 107 है । इन में से 79 बसें आवागमन का कार्य कर रही हैं । मरम्मत तथा मेन्टीनेन्स हेतु कुल मिलाकर 28 बसें, डिपो कार्यशाला, क्षेत्रीय कार्यशाला तथा एलेन फारेस्ट कार्यशाला में हैं । निर्धारित संचालन के अनुसार बसों को चलाने का प्रयास किया जा रहा है । आफरोड बसों को और कम करने हेतु मरम्मत का कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है ।

*9–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

ग्राम सोनाहिता, ब्लाक सुजानगंज, जौनपुर के ग्राम सेवक के विरुद्ध फर्जी ऋण वितरण की शिकायत

*10–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सोनाहिता ब्लाक सुजानगंज जिला जौनपुर के ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के विरुद्ध फर्जी खाद वितरण के ऋण वसूली कराये जाने के विरुद्ध उक्त ग्राम के श्री राज बहादुर सिंह, हीरा सिंह आदि कृषकों का अभ्यावेदन शासन को माह दिसम्बर, 83 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उस फर्जी ऋण को समाप्त किया गया एवं ग्राम सेवक के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां । यह अभ्यावेदन जनवरी, 1984 में प्राप्त हुआ जिसकी जांच अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी मछलीशहर जौनपुर से कराने पर ऋण वितरण फर्जी नहीं पाया गया इसलिए ग्राम सेवक के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी, कटहरी एवं मया में अनुदान दुरुपयोग का मामला

*11–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में परियोजना निदेशक/मुख्य विकास अधिकारी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फैजाबाद के पत्रांक 1653/डी0 आर0 डी0 ए0/अनुदान दुरुपयोग दिनांक 21-8-84 के अनुपालन में विकास खण्ड भीटी, कटहेरी तथा मया में जांच में अनुदान दुरुपयोग के काफी मामले हैं ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और जांच में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर इन्हें दण्डित कराने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

विकास खण्ड भीटी, कटहरी एवं मया में अनुदान दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया है जिसकी जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी ।

आर0 बी0 इण्टर कालेज तिलहर शाहजहांपुर के प्रबन्धक द्वारा पैनल निरीक्षण को अभिलेखों को उपलब्ध न कराया जाना

*12–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर जनपद शाहजहांपुर के प्रबन्धक ने वर्ष 83 में हुए पैनल निरीक्षण में अनेक अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये हैं, बल्कि जिला विद्यालय निरीक्षक को दि0

29-11-83 को थाना अध्यक्ष, तिलहर को रिकार्ड मिसप्लेस होने का प्रेषित एक प्रार्थना पत्र दिखाया जिसको जिला विद्यालय निरीक्षक ने पेनल निरीक्षण आख्या में एफ0 आई0 आर0 दर्ज होना बताया है जबकि थाना तिलहर में दि0 29-11-83 को कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं है और न ही इस प्रार्थना पत्र पर मुकदमा कायम हुआ है इस प्रकार जिला विद्यालय निरीक्षक तथा प्रबन्धक ने शासन को गलत तथ्य प्रस्तुत कर गुमराह किया है? यदि हां, तो क्या शासन प्रबंधक के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । पेनल निरीक्षण के समय प्रबंधक द्वारा रिकार्ड मिसप्लेस होने की, थानाध्यक्ष तिलहर को प्रेषित, एक तहरीर दिनांक 29-11-83 दिखाया जिसके अनुसार पेनल निरीक्षण आख्या में निम्नवत् उल्लेख किया हुआ है:–

"प्रबन्धक ने दिनांक 29-11-83 को एक एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी जिसके अनुसार अभिलेख मिसप्लेस बताये गये ।" पुलिस विभाग ने दिनांक 29-11-83 को थाना तिलहर में तहरीर प्राप्त होने का तथ्य स्वीकार किया और बताया कि अपराध न बनने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के फलस्वरूप इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा–16 घ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है है ।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंक द्वारा ऋण न उपलब्ध कराया जाना तथा उसके विकल्प की व्यवस्था की मांग

*13– श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विकास की आई0आर0डी0 व स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनाओं में राष्ट्रीयकृत बैंकों का सहयोग शासन की मंशा के अनुरूप नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो गरीबों के उत्थान के लिए पूंजी उपलब्ध कराने की दिशा में बैंकों के विकल्प के रूप में सरकार कोई उपाय करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम तथा स्पेशल कम्पनेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों का पूर्ण सहयोग योजना कार्यान्वयन में सुलभ है। शासन द्वारा किसी अन्य विकल्प पर विचार नहीं किया जा रहा है।

फतेहगढ़ में उप-संभागीय परिवहन कार्यालय की स्थापना विषयक पत्र

*14–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में मोटर गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या एवं परिवहन सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए फतेहगढ़ में स्थापित अस्थायी कार्यालय को पूर्णकालिक स्थायी ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय बनायेंगे? क्या इस सम्बन्ध में जनपद फर्रुखाबाद के समस्त विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र अप्रैल, मई, 85 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

डा0 संजय सिंह–

फतेहगढ़ में उप संभागीय परिवहन कार्यालय की स्थापना विषयक जनपद फर्रुखाबाद के माननीय विधायकगण का पत्र दिनांक 17-5-85 प्राप्त हुआ है। वर्ष 1986-87 में फर्रुखाबाद में उप संभागीय परिवहन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

*15–श्री तिल्क सिंह–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जय किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय चमियानी उन्नाव की अचल सम्पत्ति पर चल रहे मुकदमें तथा उसकी मान्यता

*16–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जय किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय चमियानी, जनपद उन्नाव को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थना पत्र में दर्शायी गई आवश्यक अचल सम्पत्ति के मुकदमें माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेंच, दीवानी न्यायालय उन्नाव व माल के न्यायालयों में विचाराधीन चले आ रहे हैं और उक्त विद्यालय में कोई अचल सम्पत्ति निर्विवाद न होते हुए भी उक्त विद्यालय को स्थायी मान्यता दे दी गई है? यदि हां, तो क्या इन तथ्यों की जानकारी होने के पश्चात् व मान्यता प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य दिखाने के कारण उक्त विद्यालय की स्थायी मान्यता वापस ले ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां,

अतिरिक्त मुंसिफ (चतुर्थ) उन्नाव के न्यायालय में दायर मुकदमा नं0 229 आफ 77 जिसे विद्यालय द्वारा उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में चुनौती दी गयी है, विचाराधीन है। शेष दो मुकदमें पूर्व ही निर्णीत हो चुके हैं।

जी नहीं, निर्विवादित होने की जांच किये जाने के उपरान्त ही मान्यता दी गयी।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता। किन्तु उसके उपरान्त इस विद्यालय के भूमि एवं मान्यता सम्बन्धी विवाद का शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिस पर दिनांक 29-6-85 को शिक्षा निदेशक (बेसिक) को जांच कराने एवं नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निदेश दे दिये गये हैं।

जनपद बुलन्दशहर के कस्बा औरंगाबाद के जिला परिषद् के पैठ चबूतरा खसरा नं0 677 पर वाद

*17–श्री किरन पाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बुलन्दशहर के कस्बा, औरंगाबाद के जिला परिषद् के पैंठ चबूतरा खसरा नम्बर, 677 पर अदालत में कोई वाद चल रहा है? यदि हां, तो वह क्या है? क्या उक्त चबूतरे को जिला परिषद् के किरायेदारों को बिना बेदखल किये ही किसी व्यक्ति के नाम अनियमित ढंग से पट्टे पर दे दिया गया है? यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन है तथा उसके उसके पिता का क्या नाम है? अनियमित पट्टे को निरस्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

बुलन्दशहर के कस्बा औरंगाबाद में जिला परिषद् पैंठ चबूतरा खसरा नम्बर-677 (वर्तमान नम्बर, 499) के सम्बन्ध में दो वाद यथा, संख्या-361/79 श्री

रोशन इस्लाम तथा 362/79 श्री ललित कुमार बनाम मजहर अब्बास आदि लम्बित हैं।

इन दोनों वादों में वादी गणों द्वारा न्यायालय से प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये जाने की प्रार्थना की गई है ताकि विवादित भूमि पर वादी गणों के कब्जे/प्रयोग में कोई हस्तक्षेप न हो सके। नीलामी करने से पूर्व जिला परिषद् के कथित किरायेदारों को बेदखल करने की कानूनन आवश्यकता नहीं समझी गई। प्रश्न गत चबूतरे (रकबा 3 बिसे 12 बिस्वांसी) का पट्टा सार्वजनिक रूप से नीलाम द्वारा यथोचित विज्ञापन के पश्चात् नियमित ढंग से दिया गया है।

प्रश्नगत भूमि का पट्टा श्री सैय्यद हसन अकबर पुत्र श्री सइदुल हसन निवासी औरंगाबाद के नाम किया गया है।

पट्टा नियमित रूप से किया गया है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों को लागू किये जाने का प्रयास

*18—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में 14 वर्ष की उम्र तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान है? यदि हां, तो क्या उ0 प्र0 में शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु इसको लागू करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

लागू करने का सतत् प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद में बी0 टी0 सी0 अध्यापकों की नियुक्ति तथा सेवा समाप्ति

*19—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में बी0 टी0 सी0 उत्तीर्ण 191 अध्यापकों की नियुक्ति 31 जुलाई, 84 को की गई थी? यदि हां, तो उपरोक्त अध्यापकों को 20 मई, 85 को हटा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

191 पदों के लिये चयन किया गया था जिनमें से 85 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया।

विभाग द्वारा मान्य पदों से अधिक नियुक्तियां कर दिए जाने के कारण उपरोक्त अध्यापकों की सेवायें समाप्त कर दी गई।

बेसिक शिक्षकों के अनशन को समाप्त कराने हेतु शिक्षा मंत्री के कथित आश्वासन का कार्यान्वयन

*20—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने 15 सितम्बर, 84 को बेसिक शिक्षकों के चल रहे अनशन को समाप्त कराते हुए विसंगतियों को दूर करने का कोई आश्वासन दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

लिखित आश्वासन का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

बालिकाओं के 30 सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग की शिक्षिकाओं को दिनांक 1-12-85 से वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत वेतन भुगतान के

आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। बालक विद्यालयों के सम्बन्ध में वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत सम्प्रति विचार किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम सभा भीलमपुर जनपद आजमगढ़ के प्रधान के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा उस पर कृत कार्यवाही

1—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा भीलमपुर, ब्लाक महाराजगंज, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध अगस्त, 1985 से नवम्बर, 1985 तक कितने विधायकों व क्षेत्रीय जनता के पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उनकी जांच कराई गई? और जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्याम सुरत उपाध्याय—

उक्त ग्राम सभा के प्रधान के विरुद्ध क्षेत्रीय जनता से एक शिकायत पत्र व एक शिकायत पत्र मा0 सदस्य विधान सभा का उक्त अवधि में प्राप्त हुआ। क्षेत्रीय जनता के शिकायती पत्र संबंधी जांच के दौरान ग्राम प्रधान ने आवश्यक अभिलेख नहीं दिए फलतः अन्य स्रोतों से उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ग्राम प्रधान को शासकीय अनुदान, ग्राम समाज की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने एवं अभिलेखों में अनियमितता का दोषी पाया गया फलतः प्रधान को निलम्बित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का मामला परगनाधिकारी स्तर पर विचाराधीन है। मा0 सदस्य विधान सभा के शिकायत पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी, आजमगढ़ को निर्देश दे दिए गये हैं।

परिवहन निगम में मैनेजमेंट ट्रेनीज के पद पर चयन हेतु परीक्षा

2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मैनेजमेन्ट ट्रेनीज पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है? यदि हां, तो बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता क्या है?

डा0 संजय सिंह—

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में मैनेजमेंट ट्रेनीज के पद पर चयन हेतु प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर एम0 बी0 ए0, एम0 बी0 एम0, पोस्ट ग्रेज्युट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चार्टर्ड एकाउन्टेंट (इन्टर), आई0 सी0 डब्लू0 ए0 (इन्टर), एम0 काम (प्रथम श्रेणी) तथा इन्जीनियरिंग में स्नातक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों, जिनकी आयु दिनांक 1 जून, 1985 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं थी, के प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर एक लिखित परीक्षा आयोजित की गयी और लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया।

बेसिक शिक्षा परिषद् गोरखपुर में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति तथा उनका वेतनमान

3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बे0शि0प0 गोरखपुर में उर्दू अध्यापकों के चुनाव में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होते हुए भी अप्रशिक्षित लोगों की नियुक्ति की गयी है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि जूनियर हाई

स्कूल में जो प्रशिक्षित उर्दू अध्यापक कार्य कर रहे हैं उन्हें सी0 टी0 वेतन-मान नहीं दिया जा रहा है जैसा कि विभाग के निर्देश हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता।

परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों को रु0 450-720 का वेतनमान दिया जा रहा है।

4–श्री सत्यपाल सिंह–

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

उन्नाव जिले के पुरवा निर्वाचन क्षेत्र में स्कूलों, सड़कों तथा पुलों के निर्माण में ढिलाई

5–हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में उन्नाव जिले के पुरवा निर्वाचन क्षेत्र में कितने स्कूल, सड़क, पुल निर्माण हेतु स्वीकृत थे। उनमें कितने निर्धारित अवधि में निर्मित हो चुके हैं? निर्माण में ढिलाई के कारण कितने कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हुई है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मिलिट्री हीरोज मेमोरियल इण्टर कालेज, सैदपुर, बुलन्दशहर में अध्यापकों के नये पदों के सृजन हेतु कार्यवाही

6–श्री किरनपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह फरवरी, 1982 में मिलिट्री हीरोज मेमोरियल इण्टर कालेज, सैदपुर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा शासन से दस अध्यापकों के नये पद सृजित करने की अनुमति मांगी गयी थी तथा जिसके सम्बन्ध में उप-निदेशक शिक्षा, मेरठ ने भी उसी वर्ष संस्तुति भेजी थी? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक से पद सृजन के प्रस्ताव वर्ष 1983 एवं 1984 में प्राप्त हुए हैं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त पद सृजन सम्प्रति सम्भव नहीं हो पा रहा है।

राष्ट्रीय उद्योग आश्रम इण्टर कालेज मटियारी लखनऊ में छात्रों की अंकतालिका का वितरण

7–श्री काजी कलीमुर्रहमान–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय उद्योग आश्रम इण्टर कालेज, मटियारी, चिनहट लखनऊ से इण्टर (व्यक्तिगत) परीक्षा 1985 का फार्म भरने वाले कितने छात्रों के परीक्षाफल घोषित होने के बावजूद उनकी अंक तालिका अभी तक नहीं दी गयी है? यदि हां, तो क्यों? क्या ऐसे छात्रों की अंकतालिका अविलम्ब दिलाकर उनका अमूल्य समय बरबाद होने से बचाने की कृपा करेंगे?

श्री सिब्ते रजी–

सम्बन्धित विद्यालय से इण्टर व्यक्तिगत परीक्षा 1985 का फार्म भरने वाले 23 प्रतिबिन्धित छात्रों को छोड़कर शेष सभी छात्रों की अंकतालिका प्राप्त करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला स्तरीय योजनाओं के निरीक्षण हेतु विधायकों को आमंत्रित किये जाने संबंधी शासनादेश

8—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रांक 1122/38-2-1979 दिनांक 16 मार्च, 1979 के अनुसार जिला स्तरीय योजनाओं के निरीक्षण हेतु विधायकों को आमंत्रण देने सम्बन्धी जी0ओ0 का पालन किया चमोली और पौड़ी गढ़वाल में पिछले 3 वर्षों में कब-कब किया गया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

शासनादेश दिनांक 16-3-79 के अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है:

जिलाधिकारी, चमोली ने नवम्बर, 1982 में जनपद के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। वर्ष 1983 तथा 1984 में पुनः निर्देश जारी किए गये हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा 16-10-82, 8-2-83, 14-2-83, 15-2-83, 16-2-83, 18-2-83, 18-2-83, 19-2-83, 22-2-83, 22-2-83, 22-2-83, 8-3-83, 10-3-83, 10-3-83, 31-3-83 तथा 6-9-85 को विधायकों को आमंत्रित किया गया।

जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल ने शासनादेश के अनुपालन में स्पष्ट निर्देश केवल जनवरी, 86 में जारी किए हैं। विकास विभाग से सम्बन्धित क्षेत्र समिति की वर्ष 1985 की 37 बैठकों, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण समिति की 2 बैठकों, में तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की 2 बैठकों में माननीय विधायकों को आमंत्रित किया गया।

उक्त जनपदों के जिला अधिकारियों को पुनः निर्देश दे दिये गये हैं कि वे शासनादेश में निहित अनुदेशों का तत्परता के साथ पालन करायें।

बरेली से नैनीताल के लिए सीधी परिवहन बस सेवाएं

9—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि नैनीताल जाने के लिए बहुत से पर्यटक, देश के विभिन्न मार्गों से बरेली होकर जाते हैं? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बरेली से परिवहन निगम की कितनी बसें सीधी नैनीताल जाती हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह—

जी हां।

बरेली से नैनीताल के लिए चार सीधी बस सेवायें परिवहन निगम द्वारा चलाई जाती हैं।

आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज तिलहर, शाहजहांपुर में विभिन्न विधियों में जमा धनराशि तथा उसे व्यय किये जाने में अनियमितता

10—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 बी0 एम0 इंटर कालेज तिलहर, जनपद शाहजहांपुर को वर्ष 80-81, 81-82, 82-83, 83-84 तथा 84-85 में शिक्षण शुल्क 20%, रोशनाई निधि, विज्ञान निधि तथा आर्ट तथा क्राफ्ट निधि से कितनी आय हुई है? क्या इस धनराशि का अधिकांश भाग प्रत्येक माह की 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक प्रबंधक द्वारा इन खातों में से निकाल लिया जाता है और उसके व्यय के जाली वाउचर लगा दिए जाते हैं? यदि हां, तो क्या शासन व्यय के जाली वाउचरों की वास्त-

विकता की खुली जांच कराने पर विचार कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी–

वर्ष 80-81 से 84-85 तक शिक्षण शुल्क के 20 प्रतिशत की आय रु0 25, 695.17 विज्ञान निधि में, रु0 24, 597.50 कला निधि से रु0 1,260.93 तथा रोशनाई निधि से रु0 2,182.07 की आय हुई।

आडिट के अनुसार विद्यालय की उपरोक्त मदों में उल्लिखित धनराशि आय के रूप में दर्शायी गयी है। व्यय सम्बन्धी वाउचरों के विषय में आडिट के अनुसार व्यय में अनियमितता बरती गई है, तथा वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। बहुत से अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रबन्ध-तंत्र के विरुद्ध इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-16 घ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

फैजाबाद से इटावा डिपो को चतुर्थ श्रेणी पद पर प्रतीक्षा सूची के लिए स्थानान्तरण

11–श्री रमेश चन्द्र–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप प्रबंधक (कार्मिक) के आदेश सं0 264 बै0 सं0 355 (का0) 80 दि0 27-6-80 के द्वारा फैजाबाद से इटावा डिपो की चतुर्थ श्रेणी पद प्रतीक्षा सूची के लिए स्थानान्तरित अभ्यर्थियों सर्वश्री शेष नारायण मिश्रा एवं शिवकांत मिश्रा को अभी तक नियुक्त क्यों नहीं किया जबकि तमाम जूनियर लोगों को नियुक्त कर दिया गया है? क्या यह सच है कि इस संबंध में मा0 विधायकों ने क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, इटावा को कई पत्र भी लिखे थे? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई तथा इन लोगों को कब तक नियुक्त कर दिया जायेगा ?

डा0 संजय सिंह–

उप प्रबन्धक (कार्मिक) के आदेश संख्या 264 बै0 सं0/355 (का0) 80, दिनांक 27-6-80 के द्वारा फैजाबाद से चतुर्थ श्रेणी के तीन अभ्यर्थियों को इटावा क्षेत्र में स्थानान्तरित किया गया था। प्रतीक्षा सूची के स्थानान्तरण किये जाने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त सूची में दर्शाये गये नाम वर्ष 73 व 74 की प्रतीक्षा सूची के थे। प्रतीक्षा सूची नियमानुसार एक वर्ष के लिये वैध होती है, अतएव उक्त प्रतीक्षा सूची की वैधता समाप्त हो गयी थी। इस कारण सर्वश्री शेष नारायण मिश्रा एवं शिवकांत मिश्रा को नियुक्ति नहीं प्रदान की गयी। प्रतीक्षा सूची में दर्शाये गये तीसरे अभ्यर्थी श्री राम किशोर विश्वकर्मा को स्थानीय स्तर पर प्रतीक्षा सूची के स्थानान्तरित होने के पूर्व ही दैनिक वेतन पर नियुक्ति प्रदान कर दी गयी थी। इनकी नियुक्ति का प्रतीक्षा सूची से कोई सम्बन्ध नहीं था।

यह सत्य है कि इस सम्बन्ध में माननीय विधायकों ने पत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, इटावा को लिखे थे।

फैजाबाद से बांदा डिपो की चतुर्थ श्रेणी पद प्रतीक्षा सूची के लिए स्थानान्तरित अभ्यर्थियों की नियुक्ति

12–श्री रमेश चन्द्र–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप प्रधान प्रबंधक (कार्मिक) के आदेश सं0 262/बै0सं0/उ0प्र0प0 (का0) 80 दिनांक 26-6-80 के द्वारा फैजाबाद से बांदा डिपो की चतुर्थ श्रेणी पद प्रतीक्षा सूची के लिए स्थानान्तरित अभ्यर्थी, सर्वश्री महावीर प्रसाद एवं सतीश चन्द्र को अभी तक

नियुक्त नहीं किया गया जबकि तमाम जूनियर लोगों को फैजाबाद तथा झांसी क्षेत्र में नियमित नियुक्ति प्रदान की गई है? यदि हां, तो इन्हें अभी तक नियुक्त न करने के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा इन लोगों को कब तक नियमित नियुक्त कर दिया जायेगा?

डा0 संजय सिंह–

उप प्रधान प्रबन्धक (का0) के आदेश सं0 262/वै0 स0/उ0 प्र0 प0 (का0) 80 दिनांक 26-6-80 द्वारा सर्वश्री महाबीर प्रसाद एवं सतीश चन्द्र चतुर्थ श्रेणी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के नाम फैजाबाद से बांदा डिपो स्थानान्तरित किये गये थे। क्षेत्रीय प्रबन्धक, फैजाबाद ने सूचित किया है कि श्री सतीश चन्द्र नाम का कोई अभ्यर्थी उनकी चतुर्थ श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में नहीं था। अतः केवल श्री महाबीर प्रसाद से सम्बन्धित अभिलेख ही झांसी क्षेत्र के बांदा डिपो के लिये स्थानान्तरित किये गये थे। श्री महाबीर प्रसाद वर्ष 1977 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी थे। फैजाबाद में सूची स्थानान्तरित किये जाने की तिथि तक श्री महाबीर प्रसाद से कनिष्ठ कार्मिकों को नियुक्ति नहीं प्रदान की गयी थी। बांदा डिपों में श्री महाबीर प्रसाद का नाम स्थानान्तरित किये जाने के उपरान्त एक मृतक कर्मचारी के आश्रित को एवं एक अन्य कार्मिक को नियुक्ति प्रदान की गयी है। श्री महाबीर प्रसाद वर्ष 1977 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी थे, जिसकी वैधता समाप्त हो गयी, अतएव इनको नियुक्ति नहीं प्रदान की गयी।

निगम में वर्ष 1982 से नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। अतएव श्री महाबीर प्रसाद को नियुक्ति प्रदान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता तथा एक कर्मचारी को अनियमित नियुक्ति प्रदान किये जाने के आरोप में तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी थी, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गयी है।

मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपार रानी देवरिया के भौतिकी प्रवक्ता श्री बी0 एन0 तिवारी को दिया गया अनुदान

13–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपार रानी देवरिया के भौतिकी प्रवक्ता, श्री बी0 एन0 तिवारी को यू0 जी0 सी0 ने कालेज के माध्यम से वर्ष 1983 में 6000 रुपये का कोई अनुदान शोध कार्य हेतु दिया था? यदि हां, तो क्या उक्त अनुदान उक्त शिक्षक को प्राप्त हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, 6000/- रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था किन्तु केवल 3000/- रुपये की प्रथम किस्त ही अवमुक्त की गयी थी।

जी नहीं।

श्री बी0 एन0 तिवारी प्रवक्ता भौतिक विज्ञान को शोध कार्य हेतु उनका प्रार्थनापत्र कालेज द्वारा इस आश्वासन के साथ संस्तुत किया गया था कि उनका गिरता हुआ परीक्षा फल भविष्य में नही गिरेगा किन्तु वह गिरता रहा। अतः छात्र हित में उन्हें कोई अतिरिक्त कार्यवाहन की अनुमति देना उचित नहीं था। अतः उन्हें

3000/- रुपये की अवमुक्त किस्त का भुगतान भी नहीं किया गया और उक्त धनराशि आयोग को वापस कर दी गई।

श्री तिवारी के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत कोई भी धनराशि कालेज के पास भुगतान किये जाने हेतु शेष नहीं है।

मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपार रानी देवरिया में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से ली गई फारवर्डिंग फीस का वितरण

14—श्री कामेश्वर उपाध्याय

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि म0 मो0 मा0 स्ना0 महा0 भाटपार रानी देवरिया में प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से फारवर्डिंग फीस ली जाती है ? यदि हां, तो क्या उसे परीक्षा में कार्य करने वाले शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों में नियमानुसार विभाजित किया जाता है ? यदि नहीं, तो इतनी बड़ी धनराशि कहां जाती है ? यदि हां, तो क्या शासन बताने की कृपा करेगा कि किन-किन कर्मचारियों को यह राशि दी गई है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जी हां ।

15 रुपये प्रति छात्र की फारवर्डिंग फीस निम्नलिखित विवरण के अनुसार वितरित की गई है:—

1—प्राचार्य	1.25
2—तृतीय श्रेणी कर्मचारी	1.87
3—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	0.63
4—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्दी एवं फर्नीचर	1.25
5—अध्यापकों के परीक्षा यात्रा व्यय	6.25
6—बुक बैंक	3.75
कुल योग	15.00

15—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपार रानी देवरिया के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की भविष्य निधि

16—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि म0 मो0 मा0 स्ना0 महा0 भाटपार रानी देवरिया में शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान के पश्चात् उनकी भविष्य निधि की राशि उनके खाते में 1 से 3 माह तक विलम्ब से जमा की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय भाटपार रानी देवरिया के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान के पश्चात् उनकी भविष्य निधि की राशि उनके खाते में जमा की जाती है । कभी-कभी चेक कैश कराने में बिलम्ब के कारण दो माह या इससे अधिक समय लग जाता है ।

मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपार रानी देवरिया की आडिट रिपोर्ट में व्यक्त अनियमितताएं

17—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धक मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपार रानी देवरिया के विरुद्ध दि0 28 तथा 29-6-85 को सम्पन्न आडिट रिपोर्ट में व्यक्त अनियमितताओं का विवरण शासन को प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

इससे पूर्व ही कालेज में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनके आधार पर महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गई थी । प्रबन्धतंत्र का उत्तर प्राप्त हो गया है और प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

श्री बी0 डी0 सक्सेना सेवा निवृत जूनियर स्टेशन इंचार्ज पीलीभीत की पेंशन

18—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि श्री बी0 एन0 सक्सेना ने जूनियर स्टेशन इंचार्ज के पद से दिनांक 31-1-83 को पीलीभीत से अवकाश प्राप्त किया था ? कुशलता पूर्वक अवकाश प्राप्त करने के 4 वर्ष बाद भी श्री बी0 एन0 सक्सेना की पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?क्या मंत्री जी शीघ्र पेंशन का भुगतान कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह—

जी हां ।

श्री बी0 एन0 सक्सेना किसी पेन्शनेबुल पद पर स्थायी नहीं थे, अतः उन्हें वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन देय नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राम राज पाण्डेय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा शिक्षा विभाग को भेजे गये पत्रों पर कार्यवाही

19—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम राज पाण्डेय, प्रबंधक, राम राज पाण्डेय उ0 मा0 वि0 रोहदा बस्ती ने मार्च, 84 से जून, 85 तक कुल कितने प्रार्थना पत्र किन-किन तारीखों में किस-किस आशय का जिला वि0 नि0 बस्ती, उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मंडल, गोरखपुर, शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद एवं शिक्षा निदेशक, लखनऊ एवं शासन को भेजा है ? उन शिकायतों की जांच किस-किस अधिकारी ने किया है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रबंधक, राम राज पाण्डेय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोहदा, बस्ती द्वारा मार्च, 84 से जून, 85 तक की अवधि में कुल 27 आवेदन पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती को प्राप्त हुये।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती ने जांच की कृत कार्यवाही का विवरण † संलग्न है ।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आजमगढ़ के हरिजन छात्रों को वितरित की गयी छात्रवृत्ति

20—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान उ0 माध्यमिक विद्यालय जनपद आजमगढ़ को जिला हरिजन अधिकारी के यहां से वित्तीय वर्ष 79-80 से वर्ष 84-85 तक कितनी धनराशि की छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्षों में स्वीकृत की गयी तथा स्वीकृति धनराशि में से कितना छात्रवृत्ति धन संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को दिया गया तथा कितना नहीं दिया गया है? छात्रवृत्ति का जो धन छात्रों को वितरित नहीं किया गया उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

†छापी नहीं गई ।

श्री सिब्ते रजी–

छात्रवृत्ति की स्वीकृत धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नांकित है:–

1979-80	रु0 2,796-00
1980-81	रु0 4,308-00
1981-82	रु0 6,028-00
1982-83	रु0 9,732-00
1983-84	रु0 7,558-00
1984-85	रु0 10,248-00

वर्ष 1984-85 की धनराशि में से रु0 9,866 का छात्रों में वितरण किया गया और शेष रु0 382 कोषागार में जमा किया गया। अन्य वर्षों के अभिलेख विद्यालय में उपलब्ध न होने के कारण छात्रवृत्ति की धनराशि के वितरण का विवरण देना संभव नहीं है।

बस्ती जनपद में खाद्यान्न योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों तथा सम्बन्धित मस्टर रोल का भौतिक सत्यापन

21–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के जिलाधिकारी ने कोई आदेश मार्च तथा अप्रैल, 80 में किया था कि बस्ती जिले के प्रत्येक विकास में खाद्यान्न योजना मस्टर रोल अवशेष खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया जाय? यदि हां, तो किन-किन विकास खंडों में त्रुटि पाई गयी उन त्रुटियों पर कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

तत्कालीन जिलाधिकारी बस्ती ने अपने अर्द्धशासकीय पत्रांक-87/आशु0-खाद0, दिनांक 11-4-80 द्वारा जिला विकास अधिकारी बस्ती को खाद्यान्न योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों तथा उससे संबंधित अधिकृत मस्टर रोल के भौतिक सत्यापन एवं जांच के पश्चात भुगतान करने का आदेश दिया था।

तदनुसार जिला विकास अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई। इससे सम्बन्धित कोई त्रुटि प्रकाश में नहीं आई।

22–श्री सुखपाल पाण्डे–

[5वें सोमवार के लिए स्थगित।]

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में कुल बसों की संख्या तथा उसमें से खराब पड़ी बसे और निगम को घाटा

23–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 में 30-6-85 को कुल कितनी बसें हैं, कितनी चालू हालत में हैं और कितनी खराब हैं तथा कुल कितने कंडक्टर एवं ड्राइवर हैं? उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 में गत तीन वर्षों में कितने रुपयों का घाटा हुआ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह–

दिनांक 30-6-85 को उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के विभिन्न डिपोज में कुल 6021 बसें थीं, जिनमें से 4,501 बसें चालू हालत में थी तथा 1520 बसें मरम्मत एवं दैनिक रख रखाव हेतु कार्यशाला में थीं।

निगम में कुल 11,763 कण्डक्टर एवं 9,946 ड्राइवर तैनात हैं। विगत तीन वर्षों में हुए घाटे का विवरण निम्नवत है :–

वर्ष	घाटा लाख रुपयों में)
1982-83	—1161.31
1983-84	—808.55
1984-85	—565.89

मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय भाटपार-रानी देवरिया के अध्यापकों की भविष्य निधि के प्रबंधकीय अंशदान का भुगतान

24—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय, भाटपार रानी के अध्यापकों की भविष्य निधि का प्रबंधकीय अंशदान अब तक किन-किन अध्यापकों को दिया गया है तथा जिनका नहीं दिया गया है उनके न देने का कारण क्या है?

श्री सिब्ते रजी—

सर्वश्री के0 सी0 मिश्र सुदामा तिवारी, सुदामा पाण्डेय एवम् राम नयन मिश्र को प्रबन्धकीय अंशदान दिया गया है। शेष शिक्षकों के भविष्य निधि का प्रबन्धकीय अंशदान धनाभाव के कारण प्रबन्धतंत्र द्वारा अभी तक नहीं जमा किया जा सका है।

मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय भाटपार रानी देवरिया में प्राक्टर की नियुक्ति

25—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय, भाटपार रानी के प्राक्टर श्री रामनयन मिश्र, प्रबंधक के भाई थे और आपत्ति होने पर उन्हें हटा दिया गया था? यदि हां, तो क्या अब पुनः श्री रामनयन मिश्र के पुत्र माधवेन्द्र मिश्र जो प्रबंधक का भतीजा भी है और काफी जूनियर है को प्राक्टर पद पर नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो प्राक्टर का पद अपने ही परिवार में रखने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जी हां ।

महाविद्यालयों में प्राक्टर की नियुक्ति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम में कोई निर्देश नहीं है महाविद्यालय में कार्यरत किसी भी अध्यापक को प्राचार्य द्वारा प्राक्टर नियुक्त किया जा सकता है।

26—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित।]

जनपद गोरखपुर के इण्टर कालेजों एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या एवं अनुसूचित जाति का कोटा

27—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के अंतर्गत करीब 164 इंटर कालेजों एवं उ0 मा0 विद्यालयों में प्रवक्ता व एल0 टी0 व सी0 टी0 ग्रेड में कुल कितने अध्यापक अलग-अलग श्रेणी में कार्यरत है? उनकी संख्या क्या है? क्या उक्त श्रेणियों में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोटा पूर्ण करने का कोई उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

शिक्षा निदेशक से प्राप्त सूचना त्रुटिपूर्ण है। स्पष्ट सूचना एकत्र की जा रही है, जिसमें कुछ समय लगेगा।

मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय भाटपार रानी देवरिया में वित्तीय समिति का गठन

28—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय, भाटपार रानी में आर्थिक क्रिया कलापों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली की 13-35(क) के अनुसार कोई वित्तीय समिति गठित है? यदि हां, तो क्या इस समिति में किसी वरिष्ठतम अध्यापक को प्रतिनिधित्व दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या समिति को

गठित कर वरिष्ठतम अध्यापक को प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश जालन्धरी, आजमगढ़ को दिया गया अनुदान एवं उसके अनियमित खर्चे के संबंध में शिकायती पत्र

29–श्री इकबाल अहमद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश जालन्धरी स्थानान्तरित चक मोअज्जम उर्फ मजनूपुर पोस्ट कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को वर्ष 78-79 से अब तक सरकार द्वारा अनुदान के रूप में कुल कितना धन दिया गया है तथा उस धन को प्रबंधक ने शासनादेश के अनुसार खर्च किया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

रु0 2,58,456/- का अनुदान दिया गया। इसमें से रु0 1,58,301/- के अनुदान पर शिकायतें प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायतों पर यह धनराशि बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ के पी0 एल0 ए0 जमा कर दी गयी तथा विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी गयी। इसी बीच मदरसे की मान्यता समाप्ति के विरुद्ध प्रबन्धक द्वारा एवं सेवा समाप्ति के विरुद्ध मदरसे के अध्यापकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर की गयीं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

30–श्री इकबाल अहमद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि श्री मंसूर आलम, प्रधानाचार्य तथा तीन सहायक अध्यापकों ने मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश जालंधरी स्थानान्तरित चक मोअज्जम उर्फ मजनूपुर पो0 कंधरापुर जनपद आजमगढ़ के प्रबंधक श्री हफीज मुहम्मद हुसैन कुरेशी के भ्रष्टाचार तथा सरकारी धन के दुरुपयोग के संबंध में 1981 से अब तक समय-समय पर शिकायती प्रार्थना पत्र शिक्षा मंत्री, मुख्य मंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) इलाहाबाद निरीक्षक अरबी मदरसाज, इलाहाबाद, उप शिक्षा निदेशक सप्तम मण्डल गोरखपुर, बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़, जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार दोषी प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, प्राप्त शिकायतों पर मदरसों की मान्यता समाप्त कर दी गई और अनुदान रोक दिया गया । मान्यता समाप्त के विरुद्ध प्रबंधक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने मान्यता समाप्ति के आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय के आदेशानुसार रोके गए अनुदान से मदरसों के अध्यापकों के वेतन वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।

सोनी धाय खण्डेलवाल बालिका इण्टर कालेज निजामुद्दीन पुर आजमगढ़ के अध्यापिकाओं का बकाया वेतन

31—श्री इकबाल अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोनी धाय खंडेलवाल बालिका इण्टर कालेज निजामुद्दीन पुर मऊनाथ भंजन, जनपद आजमगढ़ में अध्यापिकाओं का वेतन माह मई, 85 से नहीं दिया गया है जबकि प्रबंधक द्वारा ग्रांट बिल जिला विद्यालय निरीक्षक को 13-6-85 को प्रस्तुत कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा वेतन कब तक दे दिया जायेगा.?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत अवधि (मई, 85) से दिसम्बर, 1985 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जनपद में प्राइमरी स्कूलों की संख्या तथा उनमें प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति

32—श्री इकबाल अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अंतर्गत कितने प्राइमरी विद्यालय हैं ? क्या उन सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक काम कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार कब तक उन विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

1511 प्राइमरी विद्यालय ।

जी नहीं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पदोन्नति कि कार्यवाही न होने के कारण पद भरे नहीं जा सके हैं । चयन सूची तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है ।

राजकीय बालिका जूनियर हाईस्कूल बिलग्राम, हरदोई की प्रधान अध्यापिका के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा उसकी जांच

33—श्री हरीशंकर तिवारी 'बिलग्रामी'—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल बिलग्राम, हरदोई की प्रधान अध्यापिका के विरुद्ध श्री प्रकाश चन्द्र दुबे का प्रार्थना पत्र व प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-8-85 उप शिक्षा निदेशक, षष्ठम् मण्डल को 11-9-85 को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

माननीय विधायक (प्रश्नकर्ता) का पत्र दिनांक 26-8-85 शासन स्तर से शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को भेजा गया था जो उन्हें 21-9-1985 को प्राप्त हुआ।

पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

श्रीमती माया देवी पत्नी श्री सूर्यपाल सिंह अध्यापक प्राइमरी पाठशाला सराय सुल्तान, हरदोई के पुत्र की नियुक्ति तथा पेंशन भुगतान के संबंध में पत्र

34—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जुलाई, 1985 के दूसरे सप्ताह में प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित कोई पत्र माया देवी पत्नी श्री सूर्यपाल सिंह, प्र0 अ0 प्रा0 पा0 सराय सुल्तान, मल्लावां, हरदोई के पुत्र शिव सिंह को सेवा में लिए जाने व पेंशन आदि के भुगतान के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । श्री शिव सिंह को उत्तर दे दिया गया है । पेंशन निस्तारण के प्रकरण पर कार्यवाही की जा रही है ।

35–श्री राम आसरे वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

परिवहन निगम गोरखपुर क्षेत्र में अल्पकालिक रिक्तियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

36–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम गोरखपुर क्षेत्र में वर्ष 78-79 व 79-80, 80-81 तथा 82-83 में किन-किन व्यक्तियों ने कार्यशालाओं में अवकाश व अल्पकालिक रिक्तियों में कार्य किया है? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 78-79 व 79-80 में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः नियुक्ति का अवसर न देकर बाद में नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त का अवसर दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या वरीयता क्रम के अनुसार नियमित किये जाने में कोई अड़चन है ?

डा0 संजय सिंह–

गोरखपुर क्षेत्र में वर्ष 78-79 में 6, 79-80 में 15, 80-81 में 19 व 82-83 में 20 अभ्यर्थियों ने कार्यशालाओं में अवकाश एवं अल्पकालिक रिक्तियों में कार्य किया, जिनकी सूची संलग्न है । †

वर्ष 78-79 व 79-80 में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों की पुनः अल्पकालिक एवं अवकाश रिक्ति में नियुक्ति आवश्यकता, अर्हतायें, श्रेष्ठता एवं अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर की गयी ।

वर्तमान में स्वीकृत पद गोरखपुर क्षेत्र में उपलब्ध न होने के कारण नियमित किया जाना सम्भव नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 145-146 पर)

प्राइमरी पाठशाला शाहपुर वाराणसी को बेसिक शिक्षा परिषद् को लिये जाने के सम्बन्ध में पत्र

37–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा शाहपुर, मीर धवलपुर ब्लाक पिंडरी जिला वाराणसी में कोई बेसिक प्राइमरी पाठशाला नहीं है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त गांवों के लोगों ने एक प्राइमरी पाठशाला अर्सा तीन वर्ष से खोल कर बेसिक शिक्षा परिषद् वाराणसी को प्रार्थना पत्र दिया है कि इस प्राइमरी पाठशाला को बेसिक शिक्षा विभाग ले ले ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त प्रा0पा0 शाहपुर ब्लाक पिंडरा वाराणसी को लेने का आदेश बेसिक शिक्षा परिषद् वाराणसी को देगी ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां,

जी हां, प्रार्थना पत्र दिया है ।

इसका परीक्षण किया जा रहा है ।

38–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

बरेली नगरीय बस सेवा की जीर्ण-शीर्ण बसों को बदलने की मांग

39–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या परिवहन मंत्री जी को जानकारी है कि बरेली नगरीय बस सेवा में कितनी बसें चल रही हैं, वह बहुत पुरानी हैं व जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उन्हें बदलवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

बरेली नगर में दो बसें चलायी जा रही हैं जो पुरानी अवश्य हैं, लेकिन यांत्रिक दृष्टि से संतोषजनक होने के कारण उन्हें फिलहाल बदलने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

सैदाबाद सिरसाघाट से बनपुकरा सम्पर्क मार्ग के निर्माण विषयक इलाहाबाद के विधायकों द्वारा दिये गये पत्रों पर कृत कार्यवाही

40–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सैदाबाद सिरसा घाट से बनपुकरा सम्पर्क मार्ग के निर्माण विषयक तत्कालीन विधायक श्री बैजनाथ कुशवाहा का पत्र दि0 15-2-85 व श्री रेवती रमण सिंह, श्री गोपाल दास यादव, विधायक के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 24-5-85 एवं श्री राकेशधर त्रिपाठी व अन्य आठ विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 3-9-85 जो क्रमशः सचिव/अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना)/जिलाधिकारी/अध्यक्ष, अपर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, इलाहाबाद को संबोधित हैं, प्राप्त हुआ है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

41–श्री राम आसरे वर्मा–

यदि हां, तो जिलाधिकारी/अध्यक्ष ग्राम्य विकास अभिकरण, इलाहाबाद ने दिनांक 17-1-85 की गवर्निंग बाडी द्वारा अधिकृत किसी भी योजना पर अपने विवेकानुसार व्यय स्वीकृत किये जाने हेतु 15 लाख धनराशि में से उक्त सम्पर्क को पिचरोड/पेन्टिंग स्तर तक एवं बैरगिया नाले पर रपटा निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि रु0 3.20 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त धनराशि उपलब्ध करा दी जायेगी तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग पर पिच रोड स्तर तक एवं बैरगिया नाले पर रपटा निर्माण हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के विवेक पर आरक्षित धनराशि के अंतर्गत प्रस्ताव दिनांक 31-10-85 को विचार हेतु रखा गया जिस पर जिलाधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित गवर्निंग बाडी की अगली बैठक में विचार हेतु रखा जाये। अतः प्रस्ताव गवर्निंग बाडी की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा तथा गवर्निंग बाडी के निर्णयानुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

42-43–श्री राम आसरे वर्मा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

सैदाबाद सिरसा घाट से बनपुकरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण तथा उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई

44–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 5वें सोमवार (2-4-84) के उत्तरित ता0प्र0 सं0 14 के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सैदाबाद सिरसा घाट से बनपुकरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कितनी-कितनी चौड़ाई एवं उसकी दस मीटर की दूरी कितनी-कितनी ऊंचाई में वहां के अधिशासी अभियंता द्वारा निर्माण कराया गया है ? क्या बाढ़ स्तर से ऊपर सड़क निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर जमीन से उसकी ऊंचाई क्या-क्या रखी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सैदाबाद से सिरसा घाट से बनपुकरा सम्पर्क मार्ग की ऊपरी सतह की चौड़ाई

सामान्यतः 6 मीटर से अधिक रक्खी गई है । दस-दस मीटर की दूरी पर मार्ग की चौड़ाई एवं ऊंचाई का विवरण संलग्न† रूप पत्र पर अंकित है ।

मार्ग का निर्माण बाढ़ स्तर से ऊपर कराया गया है । प्रत्येक स्थान पर पूर्ण बाढ़ स्तर से मार्ग की ऊंचाई कम से कम 50 से0मी0 ऊपर है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सहायक संख्याधिकारियों के पद पर प्रोन्नति में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी

45—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम में 29-10-85 को कुल कितने सहायक संख्याधिकारी नियुक्त हैं तथा इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण के अन्तर्गत कितनी नियुक्तियां एवं प्रोन्नतियां दी गयीं ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक?

डा0 संजय सिंह—

परिवहन निगम में दिनांक 29-10-85 को कुल 18 सहायक संख्या अधिकारी नियुक्त थे। इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी अभ्यर्थी को नियुक्त/प्रोन्नत नहीं किया गया है । उक्त 18 सहायक संख्या अधिकारी के नाम एवं नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि निम्नवत् है :—

क्रम सं0	नाम	प्रोन्नति की तिथि
1	श्री के0 सी0 सक्सेना	16-9-75
2	श्री जी0 पी0 गुप्ता	10-3-77
3	श्री ए0 के0 बोस	10-3-77
4	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव	10-3-77
5	श्री बी0 एन0 मिश्र	10-3-77
6	श्री विजय शंकर ग्रोवर	10-3-77
7	श्री विजय शंकर	10-3-77
8	श्री प्रशान्त कुमार	10-3-77
9	श्री एन0 सी0 जिन्दल	10-3-77
10	श्री यू0 एस0 बाजपेयी	10-3-77
11	श्री राम चन्द्र निगम	10-3-77
12	श्री बलराज सिंह गुप्ता	10-3-77
13	श्री चन्द्रिका प्रसाद यादव	10-3-77
14	श्री एम0 के0 जैन	12-4-79
15	श्री गुलशन जीत सिंह	9-2-84
16	श्री बी0 एल0 महेश्वरी	9-2-84
17	श्री राम दास पाल	8-3-84
18	श्री तेजपाल त्यागी	8-3-84

46—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम में सहायक संख्याधिकारी के पद पर संकलनकर्त्ता (कम्पाईलर) से प्रोन्नति गत वर्ष कितने अभ्यर्थियों की गयी ? उसमें अनुसूचित जाति/जन जाति के कोटे के अनुसार अनु0 जाति संकलन-कर्त्ता (कम्पाइलर) को प्रोन्नति क्यों नहीं दी गयी?

---

†छापी नहीं गई ।

डा0 संजय सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में फरवरी–मार्च 1984 में 4 कम्पाइलरों को सहायक स्प्ख्या अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया गया ।

सार्वजनिक निगमों/उद्यमों में प्रोन्नति में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अभ्यर्थियों को निर्धारित कोटे के अनुसार प्रोन्नति दिये जाने के संबंध में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा नवम्बर, 1984 में आदेश जारी किये गये। प्रश्नगत प्रोन्नतियां इससे पूर्व ही की जा चुकी थी जिसके कारण अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोन्नत नहीं किया गया ।

बेसिक शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु योजना

47–हृदय नरायन दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार कोई योजना बना रही है ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि उ0 प्र0 के सभी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कभी भी विद्यालयों में जाकर निरीक्षण नहीं करते ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण को प्रभावी बनाने के संबंध में शि0 नि0 (बे0) द्वारा आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उन्नाव के बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा उनके सहयोगियों द्वारा किये गये निरीक्षण

48–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि उन्नाव जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वर्ष 85-86 में कुल कितने विद्यालयों का निरीक्षण किया है और उनके सहयोगी उपनिरीक्षकों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों ने कितने विद्यालयों का निरीक्षण किया है ? क्या यह सही है कि उन्नाव के बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप विद्यालय निरीक्षक व प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों ने कोई दौरे नहीं किए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री सिब्ते रजी–

जनपद उन्नाव के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वर्ष 85–86 में 38, उप निरीक्षक ने 66 तथा प्रति उप निरीक्षकों ने 1272 विद्यालयों का निरीक्षण किया है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

परियर से सफीपुर होकर कानपुर तक बस सेवा उपलब्ध कराये जाने की मांग

49–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उन्होंने एक वर्ष पूर्व राज्य मंत्री की संस्तुति पर उन्नाव जनपद में परियर से सफीपुर होकर कानपुर तक एवं कानपुर से शफीपुर होकर परियर तक रोडवेज बस चलाये जाने का आदेश किया था? यदि हां, तो उक्त अति महत्वपूर्ण मार्ग पर कब तक रोडवेज बस चलायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह–

जी नहीं।

परियर से कानपुर मार्ग की दूरी 78 कि0 मी0 है। इस मार्ग में उन्नाव से परियर तथा उन्नाव से सफीपुर 50 कि0 मी0 भाग अराष्ट्रीयकृत है। इन स्थानों के लिए निजी बस स्वामियों के वाहन संचालित हैं। अतएव वर्तमान में उक्त मार्ग पर निगम बस चलाना सम्भव नहीं है।

उन्नाव जिले के कालू खेड़ा ग्राम में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने की कथित स्वीकृति

50–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के कालूखेड़ा ग्राम में राजकीय कन्या हाई स्कूल खुलने को स्वीकृति शासन से प्राप्त हो चुकी है? यदि हां, तो उक्त विद्यालय अभी तक न खोले जाने के क्या कारण हैं और उक्त विद्यालय कब तक खुल जायेगा?

श्री सिब्ते रजी–

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में विधायकों हेतु सुरक्षित सीट

51–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 प0 निगम की बसों में यात्रा करने हेतु माननीय विधायकों को बस में सीट उपलब्ध कराने संबंधी कोई आदेश परिचालकों को जारी किया गया है? यदि हां, तो वह आदेश क्या है?

डा0 संजय सिंह–

जी हां।

निर्गत आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिए नत्थी घ आगे पृष्ठ 147-148 पर)।

मध्य जोन की बसों का उन्नाव बाईपास के स्टेशन पर स्टापेज

52–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य जोन की उन्नाव जिले से निकलने वाली सभी बसों को उन्नाव बाई पास के नवनिर्मित बस स्टेशन पर रुकने के आदेश परिवहन विभाग से जारी किये गये हैं? यदि हां, तो मध्य जोन की कुल कितनी बसें, उन्नाव से होकर निकलती हैं और उनमें से बुकिंग बिन्डो पर कितनी बसों का रुकना औसतन प्रतिदिन दर्ज पाया जा रहा है? क्या यह सही है कि केवल 25 फीसदी बसें ही परिवहन विभाग के आदेशों का पालन करके उन्नाव बाई पास स्टेशन पर रुकती हैं? यदि हां, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह–

मध्य जोन की कुल 170 बसें उन्नाव बाई-पास होकर चलायी जाती हैं जिनमें से 160 बसों का स्टापेज वहां पर निर्धारित है। बाई-पास बुकिंग आफिस लखनऊ-कानपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है तथा वहां बसों को रुकवा कर यात्रियों को आवागमन की सुविधा सुलभ करा दी जाती है। बसों के रुकने के स्थान

सीमित होने के कारण केवल 25 प्रतिशत बसों के लिए ही टिकट बुकिंग काउन्टर से दिये जा रहे हैं। शेष टिकट बसों में परिचालकों द्वारा ही दिये जाते हैं।

53–54–श्री सत्यपाल सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

परिवहन निगम गोरखपुर क्षेत्र में कार्यशालाओं में तृतीय श्रेणी के पद पर नियमित नियुक्ति

55–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम गोरखपुर क्षेत्र में कार्यशालाओं में कौन-कौन से लोग दैनिक वेतन भोगी पद पर कार्यरत रहने के उपरान्त वर्ष 1984 में नियमित किये गये हैं और उनमें से कितने हाई स्कूल, इण्टर तथा कितने बी0 ए0 पास हैं तथा कितनों की लिपिक पद पर प्रोन्नति की गयी?

डा0 संजय सिंह–

गोरखपुर क्षेत्र में कार्यशालाओं में कार्यरत 4 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 1984 में नियमित नियुक्ति प्रदान की गयी है जिनके नाम निम्नलिखित हैं :–

1–श्री राधा राम
2–श्री कृष्णकान्त
3–श्री राम फेर
4–श्री अयोध्या प्रसाद

उनमें से मात्र एक कर्मचारी श्री राधा राम इन्टर पास है। इसके अतिरिक्त हाईस्कूल पास कोई नहीं है तथा बी0 ए0 पास भी कोई नहीं है। किसी भी कर्मचारी की प्रोन्नति लिपिक पद पर नहीं की गयी है।

श्री गोविन्द सिंह विद्यालय रोतापुर रायबरेली के प्रबन्धक द्वारा अध्यापकों के नये पद सृजन हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र

56–श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिलान्तर्गत श्री गोविन्द सिंह विद्यालय रोतापुर के प्रबन्धक श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह ने दि0 10-12-83 व 4 अक्तूबर, 85 को संबंधित विद्यालय में अध्यापकों के पद सृजन हेतु कोई प्रार्थना पत्र दिये हैं? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां,

प्रबन्धक श्री गोविन्द सिंह इण्टर कालेज, रोतापुर (रायबरेली) द्वारा पद सृजन हेतु पत्रजात जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली को भेजे गये थे। जिला विद्यालय निरीक्षक रायबरेली/मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ के माध्यम से पद सृजन सम्बन्धी पत्रजात अप्रैल, 85 में निदेशालय में प्राप्त हो गये हैं, जिसके सम्बन्ध में कतिपय पृच्छाएं की गई हैं जिसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में आयोजनेत्तर पक्ष से पद सृजन पर रोक होने और आयोजनागत पक्ष में इस हेतु प्राविधान न होने से पद सृजन स्थगित है।

बस्ती जनपद के भवन विहीन तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में प्राथमिक तथा जूनियर मिडिल स्कूल तथा उनकी मरम्मत की मांग

57–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में कुल कितने प्राथमिक तथा जू0 मिडिल स्कूल हैं इनमें कितने ऐसे हैं जिनके भवन अभी तक

बने नहीं अथवा जर्जर एवं ध्वस्त हो गए हैं? क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन विद्यालयों से संबंधित भवनों के निर्माण की कोई योजना है?

श्री सिब्ते रजी–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बस्ती में 2099 प्राथमिक एवं 222 जूनियर हाई स्कूल हैं। 738 विद्यालय भवन-हीन हैं और 922 विद्यालय भवन जर्जर एवं ध्वस्त हो गये हैं।

पंचवर्षीय योजना में भवनों के निर्माण की योजना रखी गई है।

58–श्री हरीशचन्द्र, हरीश जी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

प्रदेश के शत–प्रतिशत लोगों को साक्षर बनाये जाने की योजना

59–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सरकार ने उ0 प्र0 में 1990 तक शत प्रतिशत लोगों को साक्षर बनाने की कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री सिब्ते रजी–

राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के अनुरूप प्रदेश में अधिक से अधिक व्यक्तियों को साक्षर बनाने का प्रयास कर रही है। वर्ष 1990 तक शत प्रतिशत लोगों को साक्षर बना लिया जायेगा ऐसी कोई योजना अभी उनके द्वारा नहीं बनाई गयी है।

60–श्री सरदार सिंह–

[दिनांक 10-2-86 को ता0 प्र0 सं0 3 द्वारा उत्तरित।]

61–62–श्री राम जनम–

[5वें सोमवार के लिए स्थगित।]

जौनपुर की तहसील शाहगंज के खेतासराय व जंगहा में लगने वाली बाजारों से आय तथा पीने के पानी की व्यवस्था

63–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज खेतासरांय में लगने वाली बाजारों की आय से व जैगहा में लगने वाली बाजार की आय से जिला परिषद्, उक्त स्थानों पर जहां बाजार लगती है पक्की नाली, पीने के पानी की व्यवस्था पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कार्य कब तक शुरू कर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जैगहा में जिला परिषद् द्वारा तह-बाजारी वसूल किये जाने की उपविधि लागू नहीं है। अतः प्रश्नगत व्यवस्था पर विचार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

खेतासराय में लगने वाली बाजार में जिला परिषद् तहबाजारी वसूल करती है। जहां तक इस स्थान पर पीने के पानी की व्यवस्था किये जाने का प्रश्न है यह सुविधा जल निगम के माध्यम से पहले से ही उपलब्ध है।

जिला परिषद् जौनपुर में नाली निर्माण की कोई योजना नहीं है, अतः इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

नेशनल इण्टर कालेज पिंडरा, वाराणसी में समाजशास्त्र प्रवक्ता के पद को उच्चीकृत किये जाने की मांग

64—श्री राम सजीवन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज पिंडरा वाराणसी में समाज शास्त्र के प्रवक्ता नहीं हैं और गया सिंह सीनियर अध्यापक समाज शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार गया सिंह के मौजूदा पद को समाप्त कर उक्त पद को प्रवक्ता समाज शास्त्र के लिए उच्चीकरण करेगी ? क्या इस संबंध में निदेशक, शिक्षा वाराणसी ने अपने पत्र संख्या प्रशासन आयोग/15648-49 दिनांक 16-3-85 तथा पृष्ठांकन प्रशासन/2732 दिनांक 10-5-85 को भेजा है, उसमें क्या संस्तुति किया है?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत विद्यालय को इण्टर कक्षाओं में साहित्य वर्ग के अन्तर्गत समाज शास्त्र की अतिरिक्त मान्यता सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ दी गई थी कि उक्त मान्यता के फलस्वरूप प्रश्नगत संस्था में शासन के अग्रेतर आदेशों तक समाज शास्त्र विषय के लिये न तो कोई प्रवक्ता पद का सृजन होगा और न ही समाज शास्त्र प्रवक्ता की नियुक्ति की जायेगी। इस संदर्भ में प्रश्नगत विद्यालय में समाज शास्त्र का प्रवक्ता नहीं है और एल0 टी0 वेतनमान में कार्यरत अध्यापक श्री गया सिंह इण्टर कक्षाओं में समाज शास्त्र का अध्यापन कार्य सम्पन्न कर रहे हैं। एल0 टी0 वेतनक्रम के पद को उच्चीकृत करके प्रवक्ता, समाज शास्त्र का पद सृजित करने की संस्तुति शिक्षा निदेशालय को संदर्भित है।

उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी ने प्रश्नगत पत्रों द्वारा शुल्काय के आधार पर छात्र संख्या के सत्यापन का विवरण तथा विद्यालय को इण्टर स्तर को मान्यता एवं कक्षा खोलने की अनुमति से सम्बन्धित पत्रों की प्रतिलिपियां भेजी हैं।

65—श्री राम सजीवन—

[दि0 17-2-86 को अता0 प्र0 सं0 11 द्वारा उत्तरित।]

जूनियर हाई स्कूल श्रीनगर, बलिया के अनुदान सूची में शामिल किया जाना तथा अध्यापकों के बकाया वेतन का भुगतान

66—श्री राज किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल श्रीनगर 1 जुलाई, 84 से ग्रान्ट इन एड सूची में आ गया है? यदि हां, तो क्या अध्यापकों/कर्मचारियों के 13 महीने से बकाये वेतन धनराशि का भुगतान हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक होगा?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जाना तथा उसका प्रकाशन

67—श्री राज किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की जो वित्तीय वर्ष 1985-86 अनुदान सूची पर आने के क्रम में हैं,

अनुदान सूची बन गयी है? यदि हां, तो उनकी संख्या जिलेवार क्या है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है और कब तक सूची प्रकाशित हो जायेगी?

श्री सिब्ते रजी–

वित्तीय वर्ष 1985-86 में मैदानी क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने विषयक आयोजनागत पक्ष की योजना आय-व्ययक में प्राविधानित न होने के कारण अनुदान सूची बनाने अथवा प्रकाशित करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर मैदानी क्षेत्र के 7 बालिका विद्यालय अनुदान सूची पर लिये जा चुके हैं तथा एक छूटे हुए बालक विद्यालय की अनुदान सूची प्रकाशित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

परिवहन निगम गोरखपुर परिक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक पद पर नियुक्ति

68–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम गोरखपुर क्षेत्र में दैनिक वेतन भोगी या क्लीनर पद से सीधे लिपिक पद पर नियुक्ति करने का प्राविधान है? क्या गोरखपुर क्षेत्र मे वर्ष 1984 में इस प्रकार की कोई नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह–

परिवहन निगम में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से सीधे लिपिक पद पर नियुक्ति किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। क्लीनर चतुर्थ श्रेणी संवर्ग का पद है। निगम की सेवाओं में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से लिपिकीय संवर्ग के 15 प्रतिशत पद भरे जाने का प्राविधान है। गोरखपुर क्षेत्र में वर्ष 1984 में क्लीनर पद से एक कार्मिक को लिपिक पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है।

खण्ड विकास अधिकारी भाटपार रानी, देवरिया द्वारा चीनी वितरण में कथित अनियमितता

69–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खण्ड भाटपार रानी के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बिना किसी आदेश के साधन सहकारी समिति बहियारी बघेल की 12 (बारह) कुन्टल चीनी जो माह जुलाई में कार्ड धारकों को बटनी थी, उसे मनमाने ढंग से परमिट पर बांट कर दुरुपयोग किया है तथा सचिव व प्रशासक के आपत्ति करने पर नाराज होकर माह अगस्त की 12 कुन्टल चीनी भी नहीं मिलने दी तथा सचिव से कार्ड की चीनी अवैध रूप से 40 किलो ली? यदि हां, तो यह चीनी सम्बन्धित कार्ड धारकों को दिलाते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद देवरिया के विकास खण्ड भाटपार रानी के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा चीनी का वितरण शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही किया गया। मनमाने ढंग से परमिट काटने सचिव व प्रशासक के आपत्ति करने पर नाराज होकर माह अगस्त की 12 कुन्टल चीनी प्रश्नगत समिति को दिए जाने की बात निराधार है। माह अगस्त में इस समिति को केवल 3 कुन्टल चीनी का आवंटन किया गया

था, जिसे समिति ने उठा लिया था। प्रश्नगत समिति से 40 किलो चीनी शासन के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ली गयी थी जिसे लड़की की शादी में उपयोग किया गया था।

इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

70—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

[4थे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज, देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

71—श्री कामेश्वर उपाध्याय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज, भाटपार रानी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 14-6-85 को शिकायत की गयी थी, जिस पर उनके द्वारा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को निदेशालय स्तर की जांच समयबद्ध कराने का आदेश 14-6-85 को दिया गया था? यदि हां, तो शिक्षा निदेशालय स्तर की जांच की गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

शिक्षा निदेशालय स्तर पर अभी जांच की जा रही है।

गोपाल कृष्ण गोखले विद्यालय, भाटपार रानी, देवरिया के लिपिक श्री राम नरेश सिंह व श्री लाल बचन को जबरन स्कूल से निकाले जाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

72—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के गोपाल कृष्ण गोखले विद्यालय, भाटपार रानी में कार्यरत श्री रामनरेश सिंह लिपिक व श्री लालबचन के जबरन स्कूल से निकालने के संबंध में, प्रश्नकर्ता द्वारा आपको 8-4-85 को शिकायत की गयी थी? यदि हां, तो क्या जांच हुई और जांच रिपोर्ट क्या है तथा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां। अभी जांच हो रही है।

भाटपार रानी से प्रताप शुगर मिल्स तथा भटनी बाजार से भिंगारी तक बस चलाये जाने की मांग

73—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया भाटपार रानी से प्रतापपुर चीनी मिल्स तथा भटनी बाजार से भिंगारी तक बस परिवहन की सुविधा देने के लिये प्रश्नकर्ता द्वारा उन्हें पत्र दिनांक 13-8-85 को दिया गया था? यदि हां, तो अब तक बसों के न चलाने का क्या कारण है? क्या निकट भविष्य में बसें चलायी जायेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह—

जी हां।

भाटपार से प्रतापपुर चीनी मिल्स तथा भटनी बाजार से भिंगारी, दोनों मार्ग अराष्ट्रीयकृत हैं। इन मार्गों की भौतिक स्थिति सुरक्षित बस संचालन हेतु उपयुक्त नहीं पाई गयी है, तथा फिलहाल निगम द्वारा इन पर बस चलाया जाना संभव न होगा।

74—श्री अमीर आलम खां—

[दिनांक 21-2-86 को अता0 प्र0 सं0 142 द्वारा उत्तरित।]

जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय प्राइमरी पाठशालाओं के अपूर्ण भवन

75—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में ब्लाक बुढाना के ग्राम मदीनपुर तथा ब्लाक थाना भवन के ग्राम केल शिकारपुर में प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण किन विभागों द्वारा किया गया था ? क्या यह सही है कि भवन अपूर्ण है तथा इन भवनों के निर्माण में गलत निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया है? यदि हां, तो इन भवनों के निर्माण से संबंधित विभागों/अधिकारियों/कर्मचारियों या ठेकेदारों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि जनपद मुजफ्फरनगर के कुछ स्कूल बिना छत के हैं? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है? सरकार उन पर छत कब तक ढलवा रही है?

श्री सिब्ते रजी—

प्राइमरी पाठशाला मदीनपुर नं0 1 का भवन ग्रामवासियों द्वारा तथा प्राइमरी पाठशाला केल शिकारपुर के भवन का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराया गया था। प्रा0पा0 कोल शिकारपुर का भवन उपर्युक्त स्थान पर न बनाये जाने के कारण शिक्षा विभाग द्वारा अभी ग्रहित नही किया गया है।

विद्यालय भवन अपूर्ण है। गलत निर्माण सामग्री के प्रयोग के बारे में जानकारी की जायगी।

सम्पूर्ण प्रकरण की जांच के बाद ही निष्कर्ष निकाला जा सकेगा।

जनपद मुजफ्फरनगर की 55 प्राइमरी पाठशाला ऐसी हैं जिनकी पूरी छत नही है या उनके एक या दो कमरे की छत नही है छतों का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रदेश में हाई स्कूल में विज्ञान विषय को अनिवार्य किये जाने के फलस्वरूप विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति

76—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हाई स्कूल में विज्ञान विषय अनिवार्य कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों ? क्या विज्ञान पढ़ाने हेतु वर्ष 83-84, 84-85 तथा 85-86 में प्रदेश के स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां,

राज्य में विज्ञान की प्रगति हेतु।

विज्ञान शिक्षण हेतु अध्यापकों की नियुक्ति अपर्याप्त है। वर्ष 1983-84 में विज्ञान के पद धनाभाव के कारण सृजित नहीं किये गये। वर्ष 1984-85 में आयोजनेतर पक्ष में पद सृजन किये गये। वर्ष 1985-86 में आयोजनेतर पक्ष में इस हेतु प्राविधान न होने से पद सृजन स्थगित है।

77—श्री हरेन्द्र सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

विवेक विद्या निकेतन (माण्टेसरी स्कूल) नई मण्डी, मुजफ्फरनगर के अध्यापकों की कथित सेवा समाप्ति

78—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विवेक विद्या निकेतन (माण्टेसरी स्कूल) नई मण्डी, मुजफ्फरनगर में पुराने 9 शिक्षकों/शिक्षिकाओं को बिना कोई नोटिस दिये नौकरी से केवल इस कारण हटा दिया है कि उन्होंने न्यूनतम

वेतन अधिनियम के अनुसार वेतन की मांग की थी? क्या शासन यह भी बताने की कृपा करेगा कि शासन ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अवकाश प्राप्त प्रवक्ता श्री गोपाल नारायण मिश्र महात्मा गांधी इण्टर कालेज सफीपुर उन्नाव के अवशेषों का भुगतान

79–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शिक्षा निदेशक (अर्थ) इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या 31296/दो-3(40) 84-85 दिनांक 25-2-85 को जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव को अवकाश प्राप्त प्रवक्ता श्री गोपाल नारायण मिश्र, महात्मा गांधी इंटर कालेज, सफीपुर, उन्नाव के अवशेष वेतन। अप्रैल, 1961 से 30 जून, 1969 के दो बिलों को भुगतान हेतु भेजा था? यदि हां, तो इन बिलों का भुगतान हुआ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गोपाल नारायण मिश्र के 1 जून, 1968 से 31 मार्च, 1969 तक के अवशेष वेतन तथा भविष्य निधि अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में क्या कार्यवाही हुयी?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं,

शिक्षा निदेशक के प्रश्नगत पत्र द्वारा अप्रैल, 1971 से अक्टूबर, 1973 एवं नवम्बर 3, 1973 से जून 79 तक के दो अवशेष बिलों के भुगतान हेतु साख सीमा में उपलब्ध धनराशि से भुगतान करने की अनुमन्यता दी गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

1 जून, 1968 से 31 मार्च, 1969 तक की अवधि के अवशेष वेतन भुगतान के लिए प्रबन्ध तन्त्र उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव ने सूचित किया कि प्रबन्धक द्वारा उक्त अवधि के अवशेष भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है। जहां तक भविष्य निधि अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रश्न है, इस संबंध में, जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव द्वारा भुगतान के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी सहायक अध्यापक किशोरी रमण इण्टर कालेज मथुरा के सहायक अध्यापक श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी के अवशेष वेतन का भुगतान

80–श्री प्रदीप माथुर–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पंचानन राय विधायक एवं अन्य विधायकों की संस्तुति के साथ श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी, सहायक अध्यापक किशोरी रमण इण्टर कालेज, मथुरा के वेतन, नियुक्ति (कार्य-भार ग्रहण) आदि के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी का दिनांक 21-2-83 का लिखित पत्र 24-2-83 को उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो संबंधित मामलों में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

किशोरी रमण इंटर कालेज, मथुरा के प्रबन्धक मण्डल के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही

81–श्री प्रदीप माथुर–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 1 अगस्त, 83 को किशोरी रमण इंटर कालेज, मथुरा के प्राचार्य एवं प्रबंधक मण्डल की अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में एक शिकायती-पत्र श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी ने दिया था ? यदि हां, तो पत्र पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

82–श्री प्रदीप माथुर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी सहायक अध्यापक संगीत, किशोरी रमण इण्टर कालेज मथुरा का उनके वेतन दिनांक 16-4-82 से 30-4-82, 15 दिन का वेतन एवं 82-83 का बोनस और ज्वाइन (नियुक्ति) आदि के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय के व अपर शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 इलाहाबाद के आदेश के साथ दिनांक 9-12-83 और दिनांक 26-9-83 को एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

किशोरी रमण इंटर कालेज, मथुरा के सहायक अध्यापक श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी के अवशेष वेतन का भुगतान

83–श्री प्रदीप माथुर–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किशोरी रमण इण्टर कालेज की प्रबन्ध समिति ने सहायक अध्यापक श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी की अगस्त-सितम्बर, 85 का वेतन का भुगतान नहीं किया है ? क्या यह सही है कि उच्च न्यायालयों के आदेशों की भी अवहेलना करके वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रा0 इं0 कालेज, मथुरा की जांच रिपोर्ट

84–श्री प्रदीप माथुर–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रा0 इ0 कालेज, मथुरा की सिटी मजिस्ट्रेट श्री के0 के0 पन्त ने तत्कालीन जिलाधिकारी श्री वृहस्पति शर्मा के आदेश पर दिनांक 4-4-84 को जांच करके रिपोर्ट, शासन को भेजी ? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सरदार पटेल इण्टर कालेज कोलना, मिर्जापुर की सम्पत्ति के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

85–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून 85 में सरदार पटेल इण्टर कालेज कोलना, मिर्जापुर की सम्पत्ति के दुरुपयोग तथा गंभीर अनियमितताओं के संबंध में श्री छुन्नू राम सिंह, ग्राम प्रधान एवं आजीवन सदस्य कोलना का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और शासन ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री सिब्ते रजी –

जी हां ।

शिकायतें निम्नवत् हैं:-

(1) विद्यालय की भूमि के आय का ब्योरा कार्यालय में नहीं है और आज तक आडिटरों के समक्ष नहीं रखा गया है ।

(2) विद्यालय की प्राभूत की आय-व्यय का ब्योरा नहीं है और आडिटरों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(3) विद्यालय को कृषि कार्य हेतु 6000/-रु0 का अनुदान मिला था जो गबन कर लिया गया है ।

(4) विद्यालय में अब तक चपरासी, लिपिक तथा अध्यापक की प्रत्येक नियुक्ति पर क्रमशः 6000/-रु0 10,000/-रु0 एवं 15,000/-20,000/रु0 रिश्वत के रूप में लेते रहे हैं शिकायतों की जांच कराई गयी तथा आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

86—श्री यदुनाथ सिंह —

[5वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

87—श्री यदुनाथ सिंह —

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि तह0 चुनार, जनपद मिर्जापुर में राजकीय महाविद्यालय खोलने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-6-85 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो चुनार में राजकीय महाविद्यालय कब तक खोला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी —

जी हां ।

फीडर इण्टर कालेजों में उत्तीर्ण छात्र संख्या को देखते हुये चुनार में महाविद्यालय खोले जाने का औचित्य नहीं बनता है । साथ ही प्रस्तावित महाविद्यालय के लिए भूमि/भवन की कोई व्यवस्था न होने के कारण शिक्षा निदेशक ने इस महाविद्यालय की स्थापना की संस्तुति नहीं की है ।

88—श्री यदुनाथ सिंह —

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

मिर्जापुर जनपद के जूनियर हाई स्कूल (बालिका) के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य

89—श्री यदुनाथ सिंह —

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में ऐसे कितने जूनियर हाई स्कूल (बालिका) हैं जिसके प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य एक ही व्यक्ति हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री सिब्ते रजी —

मिर्जापुर जनपद में ऐसा कोई जूनियर हाई स्कूल (बालिका) नहीं है जिसके प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य एक ही व्यक्ति हों। प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जनपद का सबसे बड़ा विकास खण्ड

90—श्री अकबर हुसैन बावर —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जनपद का सबसे बड़ा विकास खण्ड कौन सा है ? उसकी जनसंख्या, क्षेत्रफल तथा उसमें कितनी ग्राम पंचायतें हैं ? क्या सरकार उसको दो विकास खंडों में विभाजन पर, विचार कर रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय —

अकबरपुर विकास खंड ।

विकास खंड अकबरपुर की जनसंख्या वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 2,00,082 है, क्षेत्रफल 415.01 वर्ग किलोमीटर है और संगठक गांव पंचायतों की संख्या 168 है ।

शासन द्वारा वर्तमान में अतिरिक्त विकास खण्डों के न सृजित करने का निर्णय लिया गया है ।

91—श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

बरेली में ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति

92—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 5 अगस्त, 1984 को बरेली में ग्राम पंचायत अधिकारी की लिखित परीक्षा हुई थी? 15 माह बीत जाने के बाद भी परीक्षाफल घोषित नहीं हुए हैं? क्या मंत्री जी परीक्षाफल घोषित कराने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का मामला शासन के विचाराधीन है।

क्षेत्र समिति सैदाबाद इलाहाबाद को निर्माण कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का प्रयोग

93—चौधरी महाराज सिंह—

क्या पंचायती राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 5283 ग/33-3-24 पी/1984 दिनांक 29 सितम्बर, 1984 के द्वारा क्षेत्र समिति सैदाबाद इलाहाबाद के किन-किन ग्राम सभाओं को किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी धनराशि कब-कब उपलब्ध करायी गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या-क्या निर्माण कार्य किन-किन ग्राम सभाओं के अवशेष हैं तथा कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

शासनादेश संख्या: 5283-ग/33-3-24-पी/84 दिनांक 29-9-84 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त विकास खण्डों को धनराशि आवंटित की गई क्षेत्र समिति सैदाबाद द्वारा ग्राम सभाओं को आवंटित की गई धनराशि तथा कार्यों का विवरण संलग्न है। †

गांव सभा अवरता में नाली निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। ग्राम सभा दुसौती में हैण्ड पाइप का कार्य निर्माणाधीन है। शेष गांव सभाओं के खाते में धनराशि हस्तान्तरित हो जाने पर निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है।

जी हां।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 149-151 पर)

94—चौधरी महाराज सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कुछ ग्राम सभाओं की धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गयी है? यदि हां, तो उन ग्राम सभाओं के क्या-क्या नाम हैं तथा धनराशि न दिये जाने का उत्तरदायित्व किन-किन अधिकारियों अथवा ब्लाक प्रमुख पर है? क्या शासन ऐसी ग्राम सभाओं को भी धनराशि उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ऐसी गांव सभायें बडेरा, अंजना, बिगहिया, रघुपुर, गनेशीपुर, संग्राम पट्टी हैं। इन ग्राम सभाओं को धनराशि न दिये जाने का निर्णय क्षेत्र समिति ने लिया है। अतः किसी अधिकारी, ब्लाक प्रमुख का उत्तरदायित्व नहीं है।

शासनादेश दिनांक 29-9-84 के अनुसार गांव सभाओं को धनराशि का आवंटन क्षेत्र समिति द्वारा ही आवश्यकतानुसार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद में सिरसाघाट से बनपुकरा सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में दिए गए पत्र पर जांच एवं कार्यवाही

95—चौधरी महाराज सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद के सैदाबाद सिरसा घाट से बनपुकरा सम्पर्क मार्ग के निर्माण के संबंध में उन्हें संबोधित श्री बैजनाथ कुशवाहा तत्कालीन विधायक का पत्र दिनांक 26 जून, 1984 एवं श्री हर मोहन सिंह, एम0 एल0 सी0 का पत्र दिनांक 24-1-85 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां,

तो उक्त सम्पर्क मार्ग के मिट्टी के कार्य, सोलिंग का कार्य, रपटा का कार्य एवं पिच रोड स्तर तक के कार्य को व्यय किये जा रहे धनराशि एवं निर्धारित मानक के अनुसार कार्यों का स्थलीय जांच मुख्य विकास अधिकारी के साथ अधिशासी अभियंता सा0 निर्माण विभाग, इलाहाबाद द्वारा कब-कब किया गया है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

तत्कालीन विधायक श्री बैजनाथ कुशवाहा का पत्र दिनांक 26 जून, 1984 एवं श्री हरि मोहन सिंह, सदस्य विधान परिषद् का पत्र दिनांक 24 जनवरी, 1985 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय इलाहाबाद में प्राप्त हुये हैं। जनपद इलाहाबाद के सैदाबाद सिरसा घाट से बनपुकरा सम्पर्क मार्ग में मिट्टी, सोलिंग, रपटा एवं पिच रोड स्तर तक के कार्यों में व्यय की गई धनराशि की जांच मुख्य विकास अधिकारी के साथ अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं की गई क्योंकि ऐसा कोई आग्रह न तो इन पत्रों में किया गया था और न ही अन्य किसी स्तर से ऐसे आदेश प्राप्त हुये।

96—चौधरी महाराज सिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जांच के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गयी हैं तथा क्या उन कमियों को अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा इलाहाबाद से पूरा करा दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

उक्त सम्पर्क मार्ग पर कराये जा रहे कार्यों का समय-समय पर अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, इलाहाबाद द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मार्ग की ऊपरी सतह की चौडाई कम पाई गयी तथा पत्थर की सोलिंग में उपयुक्त ढाल (कैम्बर) नहीं पाया गया। इन कमियों का अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा इलाहाबाद द्वारा पूरा करा दिया गया है।

बांदा जनपद की नरैनी निर्वाचन क्षेत्र के पंद्रह सौ से अधिक आबादी वाले गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने की मांग

97—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में कितने ऐसे पन्द्रह सौ की आबादी से अधिक के गांव हैं जहां अभी तक पक्की लिंक रोड्स का निर्माण नहीं हुआ है? क्या शासन अपनी नीति के अनुसार अविलम्ब पक्की लिंक रोड्स का निर्माण करायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद-बांदा के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 46 ऐसे गांव हैं, जिनकी आबादी पन्द्रह सौ से अधिक है। सभी ग्राम सम्पर्क मार्ग से सम्बद्ध हैं। इनमें से 31 ग्रामों में अभी तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। शासन की नीति के अनुसार धन की उपलब्धता के आधार पर इन सम्पर्क मार्गों को पक्का किया जायेगा।

बस्ती जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद के सेवा निवृत्त अध्यापकों को ग्रेच्युटी तथा पेंशन का भुगतान

98—श्री धनराज यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के कितने अध्यापक जून, 83 में सेवा निवृत्त हुये और उन सेवा निवृत्त अध्यापकों में किन-किन अध्यापकों को पेंशन

तथा भविष्य निधि प्राप्त हो गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन्हीं सेवा निवृत्त अध्यापकों में श्री राम कृपाल त्रिपाठी प्रधानाध्यापक, रा0 प्रा0 पा0 भीमापार विकास खंड, नौगढ़ को पेंशन एवं भविष्य निधि मिल गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

वर्ष 1983 में 48 अध्यापक सेवा निवृत्त हुए। इनमें से 44 अध्यापकों को उनके भविष्य निधि एवं 35 अध्यापकों के पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। 6 अध्यापकों की पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम कृपाल त्रिपाठी प्रधानाध्यापक को उनके भविष्य निधि का भुगतान कर दिया गया है पेंशन की स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

बस्ती जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चलने वाले विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु प्राप्त धन का उपयोग

99–श्री धनराज यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 83-84 के वित्तीय वर्ष में बस्ती जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चलने वाले विद्यालय भवनों के मरम्मत हेतु शासन ने कुछ धन दिया था? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों पर कितना-कितना धन का उपयोग किया गया? क्या यह भी सही है कि दिये गये धन का कोई सदुपयोग नहीं हुआ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच करा के धन के पुनः सदुपयोग की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जूनियर बेसिक पाठशाला कोलवा रुदौली बाराबंकी के अध्यापक श्री हरि प्रसाद त्रिपाठी द्वारा फर्जी टी0 सी0 देने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही

100–श्री गजराज सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 188 के उत्तर के संदर्भ में क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कथित टी0 सी0, छात्र अथवा संरक्षक को न देकर अन्य व्यक्ति श्री लालता प्रसाद को दिया गया है और उस आधार पर श्री हरि प्रसाद त्रिपाठी को निलम्बित किया गया था? उस कथित टी0 सी को श्री लालता प्रसाद ने श्री राम बरन के विरुद्ध मुकदमें में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है जिसकी लिखित शिकायत श्री राम बरन ने की थी? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मात्र ग्राम प्रधान के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर श्री लालता प्रसाद को श्री राम बरन का संरक्षण बनाकर अनुचित ढंग से श्री हरि प्रसाद त्रिपाठी का निलम्बन वापस लेने का क्या औचित्य है?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

जी हां, शिकायत की थी।

प्रश्नगत अध्यापक को कतिपय शिकायतों के आधार पर निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप चेतावनी देकर बहाल किया गया।

101–श्री गजराज सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 188 के उत्तर के सन्दर्भ में जैसा कि मा0 मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि श्री हरि प्रसाद त्रिपाठी द्वारा टी0 सी0 निर्गत की गई है, क्या मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि

प्रश्नगत मामले में अध्यापक द्वारा पाठशाला के अभिलेखों में किसी अन्य छात्र का नाम हटाकर शिकायतकर्ता का नाम अंकित करने के उपरान्त फर्जी टी0सी0 निर्गत की गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त धोखाधड़ी के मामले की रिपोर्ट पुलिस में अंकित कराकर कठोर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व विधायक फर्रुखाबाद श्री गिरीश चन्द्र तिवारी के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

102–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें श्री गिरीश चन्द्र तिवारी भू0 पू0 विधायक, फर्रुखाबाद का एक शिकायती पत्र दिनांक 2-11-85 को भेजा हुआ मिला है ? यदि हां, तो उसकी जांच किसके द्वारा करवाई गई और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डा0 संजय सिंह–

जी हां ।

उक्त शिकायती पत्र की जांच क्षेत्रीय प्रबन्धक कानपुर से कराई गई, जिससे विदित हुआ कि कथित बस के परिचालक द्वारा संबंधित भूतपूर्व विधायक से रु0 1.35 यात्री कर के रूप में वसूल किया गया है, जो कि नहीं वसूल करना चाहिए था । उक्त अनियमित कार्य के लिए संबंधित परिचालक को अनुशासनिक दृष्टि से कठोर चेतावनी दे दी गई है ।

103–श्री राम आसरे वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

लखनऊ विश्वविद्यालय की विधि तृतीय वर्ष की परीक्षा में शिया कालेज में नकल करते पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

104–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 31-10-85 को लखनऊ विश्वविद्यालय की विधि तृतीय वर्ष की परीक्षा में शिया कालेज के कमरा नं0 17 में कोई प्रशासनिक अधिकारी, नकल करते हुए पकड़ा गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

लखनऊ विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि दिनांक 31-10-85 को शिया कालेज के कक्ष नं0 17 में दो छात्र अनुक्रमांक 15050, श्री पी0 एन0 सिन्हा और अनुक्रमांक 15085, श्री शिव कुमार श्रीवास्तव नकल के आरोप में पकड़े गए थे । विश्वविद्यालय द्वारा इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है । श्री सिन्हा की संबंधित प्रश्न-पत्र की परीक्षा निरस्त की गई और श्री श्रीवास्तव की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त की गई । श्री पी0 एन0 सिन्हा ने उक्त कार्यवाही के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी । माननीय उच्च न्यायालय ने 31-1-85 को श्री सिन्हा की याचिका को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय को निर्देश दिये हैं कि श्री पी0 एन0 सिन्हा की सम्बन्धित प्रश्न पत्र की पुस्तिका का मूल्यांकन करा कर तीन सप्ताह के अन्दर उनका परीक्षाफल घोषित करने की व्यवस्था करें । छात्र के प्रशासनिक अधिकारी होने की सूचना विश्वविद्यालय को नहीं है ।

प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में नए पदों का सृजन

105—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश की जू0 हा0 स्कूलों में नए पदों का सृजन बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं । अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन पर रोक नहीं है । जहां तक परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों का संबंध है, जब कोई विद्यालय खोला जाता है तो इसके साथ ही पद भी सृजित किए जाते हैं ।

106—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया।]

बस्ती जिले के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का अनिवार्य बचत योजनान्तर्गत जमा धनराशि की वापसी

107—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अनिवार्य बचत योजना में उनका जमा धन उन्हें वापस कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी —

बस्ती जिले के केवल ग्रामीण क्षेत्र के अवकाश प्राप्त एवं मृतक अध्यापकों को छोड़ कर शेष अध्यापकों को जमा धन वापस कर दिया गया है और सेवा निवृत तथा मृतक अध्यापक को भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

108—श्री सरदार सिंह—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

ललितपुर जनपद के महरौनी स्थित राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने की कार्यवाही

109—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के महरौनी तहसील केन्द्र पर रा0 क0 हाई स्कूल कब तक खोलने का विचार है और इस ओर शासन ने क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी —

महरौनी तहसील केन्द्र पर स्थित राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल को शिक्षा सत्र 1985-86 से हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण किए जाने के आदेश निर्गत किए जा चुके हैं ।

मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद के कार्यालय में अनुसूचित जाति के ज्येष्ठ लिपिक

110—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद के अधीनस्थ कितने लिपिक कार्यरत हैं तथा कितने पद हैं तथा उनमें से कितने ज्येष्ठ लिपिक अनुसूचित जाति के हैं तथा आरक्षण के आधार पर कितने ज्येष्ठ लिपिक होने चाहिए ? क्या अनुसूचित जाति का आरक्षण पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय —

मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद के अधीन 51 ज्येष्ठ लिपिक कार्यरत हैं तथा 51 ज्येष्ठ लिपिक के पद हैं । अनुसूचित जाति के 10 ज्येष्ठ लिपिक जनपद में कार्यरत हैं तथा आरक्षण के आधार पर 9 ज्येष्ठ लिपिक होने चाहिए ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश

111—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक एवं प्रदेश के सभी मण्डल के उप निदेशक शिक्षा को शासन की तरफ से आदेश दिया गया था कि उर्दू अध्यापकों की भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र एकत्रित कर लिए जायं क्योंकि प्रदेश में 5 हजार उर्दू अध्यापकों की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उर्दू अध्यापकों की भर्ती हेतु विचार कर रही है ?

श्री सिब्ते रजी —

उप शिक्षा निदेशक (उर्दू) शिविर कार्यालय लखनऊ को ऐसे निर्देश दिए गए थे ।

नियुक्तियां की जा रही हैं ।

फैजाबाद के विकास क्षेत्र सोहावल के ग्राम रामपुर ग्रण्ट की प्राइमरी पाठशाला

112—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में स्थित विकास क्षेत्र सोहावल के रामपुर ग्रण्ट गांव में प्रा0 पाठशाला का भवन आज से लगभग 5-6 वर्ष पूर्व बन चुका है, परन्तु न वहां पर कोई अध्यापक है और न बच्चे और इस सम्बन्ध में क्या प्रश्नकर्ता का कोई पत्र शिक्षा मंत्री जी को दिनांक 5 मई, 1985 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत गांव में एक विद्यालय भवन का निर्माण किया गया है किन्तु उस गांव में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा कोई प्रा0 पाठशाला संचालित नहीं है। अतः अध्यापकों की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मेन्द्र गुप्त, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) जनपद बरेली के वेतन का भुगतान, उनका स्थायीकरण एवं पदोन्नति

113—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ के आदेश दिनांक 13-3-84 के अनुपालन में श्री धर्मेन्द्र गुप्त, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत सह समाज शिक्षा) जनपद बरेली को दिनांक 1-9-81 से 26-8-84 तक की अवधि का वेतन भुगतान एवं स्थायीकरण एवं पदोन्नति की सुविधा प्रदान की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री धर्मेन्द्र गुप्त, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) जनपद बरेली को दिनांक 1-9-81 से 26-8-84 तक की अवधि के वेतन भुगतान हेतु जिलाधिकारी, बरेली को निदेशक, पंचायती राज द्वारा समुचित आदेश भेज दिये गये हैं। श्री गुप्त का स्थायीकरण उक्त पद पर दिनांक 1-4-62 से कर दिया गया है। कनिष्ठता के नाते श्री गुप्त की जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं हो सकी है।

जनपद बरेली में राजकीय बालक/बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

114—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में राजकीय बालक/बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह विद्यालय जनपद में कहां-कहां खोले जा रहे हैं? क्या सरकार आंवला क्षेत्र में भी कोई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नहीं।

धनाभाव के कारण बालकों के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की योजना स्थगित है।

बरेली के ग्राम अनिरूहपुर के विद्यालयों के भवनों की मरम्मत

115—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बरेली के ग्राम अनिरूहपुर के जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल व कन्या प्राइमरी स्कूल के भवन गिर चुके हैं तथा स्थानीय अधिकारियों का ध्यान स्कूल के भवनों की ओर कई बार दिलाया गया? यदि हां, तो क्या उक्त स्कूलों के भवनों को ठीक कराने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां, कुछ स्थानों से गिरे हैं। जिसके मरम्मत की आवश्यकता है। यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

गाजीपुर के ब्लाक मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा सिलाइच के बेसिक प्राइमरी पाठशाला में बन्द शिक्षण कार्य

116—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या शिक्षा मंत्री जी को ज्ञात है कि जनपद गाजीपुर के ब्लाक मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा सिलाइच के बेसिक प्राइमरी पाठशाला में शिक्षण कार्य कितने वर्षों से बन्द है, जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी के कागजात में चार अध्यापक शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त हैं? क्या उसी गांव के अध्यापक उस पाठशाला में शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त हैं? यदि हां, तो कितने समय से और उनका स्थानान्तरण कब-कब और कितने-कितने समय के लिए किया गया?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं।

शिक्षण कार्य कभी बन्द नहीं हुआ यहां दो अध्यापक नियुक्त हैं।

जी हां।

सहायक अध्यापक इसी गांव का है जो आठ वर्षों से कार्यरत है और प्रधान अध्यापक इस गांव से तीन किलो मीटर दूर रहता है।

स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

गाजीपुर के ग्राम शक्करपुर में बेसिक प्राइमरी पाठशाला का शिक्षण कार्य

117—श्री अफजाल अंसारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के ब्लाक मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा शक्करपुर में बेसिक प्राइमरी पाठशाला में शिक्षण कार्य कितने समय से बन्द है और कितने अध्यापक शिक्षण कार्य हेतु उस पाठशाला में नियुक्त हैं? कब तक उक्त पाठशाला में शिक्षण कार्य प्रारम्भ होगा?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं। शिक्षण कार्य बन्द नहीं है।

एक प्रधानाध्यापक तथा एक सहायक अध्यापिका।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर जनपद के सादात ब्लाक में कन्या महाविद्यालय खोले जाने की मांग

118–श्री राम नाथ मुंशी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के सादात ब्लाक में पुरुषों एवं स्त्रियों के साक्षरता का प्रतिशत क्या है तथा स्त्रियों की साक्षरता की कमी को देखते हुए मंत्री जी सादात में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने और सादात के राजकीय कन्या हाई स्कूल को इण्टरमीडिएट स्तर का बनाकर दोनों का एक ही कैम्पस में भवन निर्माण कराने का विचार शीघ्र करेंगे?

श्री सिब्ते रजी–

पुरुषों एवं महिलाओं के साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 19.1 तथा 4.8 है।

सादात में एक अशासकीय महाविद्यालय पहले से ही है जिसमें सह शिक्षा है। वहां कन्या इण्टर कालेज नहीं है, अतः राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने का औचित्य नहीं है। राजकीय कन्या हाई स्कूल को इण्टर स्तर का उच्चीकरण करने और इसके लिए भवन निर्माण कराये जाने का, बजट में कोई व्यवस्था न होने के कारण, प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

119–श्री राम नाथ मुंशी–

[5वें मंगलवार में अता0प्र0सं0–176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गाजीपुर जनपद के कतिपय मार्गों पर प्राइवेट बसों के परमिट

120–श्री रामनाथ मुंशी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर बहरियाबाद वाया जंगीपुर हंसराजपुर शादियाबाद सादात राजमार्ग पर शादियाबाद में बेसों नदी के पुल का निर्माण पूरा हुए बगैर ही उक्त मार्ग पर प्राइवेट बसों का परमिट दे दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उपर्युक्त पुल के पूर्ण हो जाने के पश्चात् उक्त राजमार्ग पर आवागमन सुलभ हो जाने पर परिवहन विभाग अपनी बस चलाने पर विचार करेगा?

डा0 संजय सिंह–

गाजीपुर से जंगीपुर मार्ग राष्ट्रीयकृत है। इस मार्ग पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें संचालित हैं। जंगीपुर से पश्चिम की ओर एक मार्ग जाता है जिस पर हंसराजपुर, मनीहारी, शादियाबाद स्थान पड़ते हैं। शादियाबाद से एक मार्ग सादात तथा एक मार्ग बहरियाबाद जाता है। ये मार्ग अराष्ट्रीयकृत हैं। यह मार्ग सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अभी वर्गीकृत नहीं है तथा इस कारण वर्तमान में किसी प्राइवेट बस को परमिट नहीं दिया गया है। चूंकि मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है इसलिये इस पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन सम्भव नहीं है।

गाजीपुर जनपद के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से शिक्षण शुल्क से प्राप्त आय

121–श्री रामनाथ मुंशी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जनपद के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से शिक्षण शुल्क के रूप में कितना धन (राजस्व) शिक्षण सत्र 1-7-84 से 30 जून, 85 तक प्राप्त हुआ तथा कितना प्राप्तव्य अवशेष है और वह किन विद्यालयों के नाम हैं? बकायेदारों पर

क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री सिब्ते रजी–

जनपद के सभी विद्यालयों से शिक्षण शुल्क के रूप में रुपये 28,09,552-97 पैसे प्राप्त हुआ। किसी विद्यालय पर कोई अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

122–श्री रामनाथ मुंशी–

[दिनांक 15-7-85 को अता0 प्र0 सं0 135 द्वारा उत्तरित।]

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के हाई स्कूल एवं इण्टर के वर्ष 1983-84 व 85 के अघोषित परीक्षाफल

123–श्री रामनाथ मुंशी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा 1983-84 एवं 85 के कितने परीक्षार्थियों के परीक्षाफल किस कारण से अभी घोषित नहीं हुए हैं? उन कारणों के निवारणार्थ एवं परीक्षाफलों के घोषणार्थ माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सिब्ते रजी–

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की वर्ष 1983, 1984 व 1985 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के 12382 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल अर्हता संबंधी प्रतिबंधों की पूर्ति न होने, न्यायालयीय विवाद होने एवं नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाने आदि के कारणों से अभी अनिर्णीत हैं। नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होते ही इन अनिर्णीत प्रकरणों पर भी निर्णय ले लिया जायेगा।

वाराणसी मण्डल के हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों को दिया गया अनावर्तक अनुदान

124–श्री रामनाथ मुंशी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 82-83, 83-84 एवं 84-85 में शासन स्तर से एवं शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद स्तर से वाराणसी मंडल के किन-किन हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज को कौन-कौन सा एवं कितनी धनराशि का अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया?

श्री सिब्ते रजी–

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी की आख्यानुसार वाराणसी मण्डल के जिन-जिन हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों को प्रश्नगत अवधि में अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया उनकी वर्षवार सूची संलग्न† है। शासन एवं निदेशालय स्तर का पृथक पृथक अंकन न होने से एतद विषयक सूचना एकत्र की जा रही है।

बुद्ध महाविद्यालय, कुशीनगर देवरिया के एम0 ए0 (राजनीति) के छात्र श्री दिनेश कुमार सिंह का अघोषित परीक्षाफल

125–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर के छात्र श्री दिनेश कुमार सिंह आदि के परीक्षा परिणाम वर्ष 82-83 राजनीति शास्त्र जो गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा अकारण घोषित करने से रोक दिया गया

† छापी नहीं गई।

था, के घोषित कराने के संदर्भ में प्रश्न-कर्ता द्वारा कोई पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय को दिनांक 5 अगस्त, 85 को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस संदर्भ में उन्होंने शासन को क्या निर्देश दिये थे और उनके निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही अब तक क्या हुई है?

श्री सिब्ते रजी–

महामहिम राज्यपाल को माननीय विधायक का जो पत्र प्राप्त हुआ था उसमें उनके कार्यालय द्वारा कुलसचिव, गोरखपुर को सीधे कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था और इसकी सूचना माननीय विधायक को भी दी गयी थी।

गोरखपुर विश्वविद्यालय का कहना है कि बुद्ध महाविद्यालय, कुशीनगर, देवरिया के छात्र श्री दिनेश सिंह एम0 ए0 (राजनीति शास्त्र) अंतिम वर्ष 1982-83 का परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क गोरखपुर विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं है। अतः परीक्षाफल घोषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

126–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री राज कुमार सिंह सहायक अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कटेरा (झांसी) का स्थानान्तरण

127–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक श्री मानवेन्द्र सिंह ने देवरिया जनपद के मझौली राज, राजकीय इन्टर कालेज के अध्यापक श्री राजकुमार सिंह का स्थानान्तरण देवरिया स्थित राजकीय इन्टर कालेज में किए जाने हेतु दिनांक 22-3-85 को उन्हें संबोधित करते हुए पत्र प्रेषित किया था? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

माननीय विधायक श्री मानवेन्द्र सिंह का पत्र दिनांक 22-3-85 श्री राज कुमार सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कटेरा (झांसी) के देवरिया को स्थानान्तरण के संबंध में प्राप्त हुआ था।

माननीय विधायक जी के पत्र पर विचार कर श्री राज कुमार सिंह, सहायक अध्यापक एल0 टी0 (सा0) को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटेरा (झांसी) से राजकीय दीक्षा विद्यालय, मझौली राज (देवरिया) स्थानान्तरित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निगम के बिल्थरा रोड स्टेशन पर, डिपो कार्यशाला खोले जाने की मांग

128–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन सेवा के महत्वपूर्ण स्थान बिल्थरा रोड में डिपो वर्कशाप बनाने के लिए कोई विचार शासन में चल रहा है? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह–

जी नहीं।

बेल्थरा रोड बस स्टेशन, बलिया डिपो (जनपद) का एक छोटा स्टेशन है। बस स्टेशन बेल्थरा में रात्रि में रुकने वाली गाड़ियों का रखरखाव बलिया डिपो वर्कशाप द्वारा किया जाता है। अलग से बेल्थरा में डिपो कार्यशाला का औचित्य नहीं पाया गया।

ग्राम उदनपुर, जिला जालौन के प्राइमरी **पाठशाला के भवन का पुनर्निर्माण तथा बालिका विद्यालय खोले जाने की मांग**

129—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम उदनपुर वि0 खं0 कदौरा (बावनी स्टेट) तह0 कालपी, जिला जालौन में प्राइमरी पाठशाला भवन जो कि पूर्ण रूप से जीर्ण-शीर्ण हो चुका है जिसमें छात्रों के बैठने की पर्याप्त जगह भी नहीं है, के पुनर्निर्माण के संबंध में शासन ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

विद्यालय भवन का निर्माण जिला बेसिक शिक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त ही किया जाना सम्भव होगा।

130—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कोई बालिका विद्यालय उपलब्ध नहीं है? क्या शासन बालिका विद्यालय को पृथक रूप से बनवायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री सिब्ते रजी—

बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रश्नगत ग्राम में मिश्रित विद्यालय (प्राइमरी) उपलब्ध है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला विकास कार्यालय फैजाबाद से सम्बद्ध अनुसूचित जाति के कनिष्ठ लिपिकों द्वारा प्रोन्नति हेतु प्रार्थना पत्र

131—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला विकास कार्यालय फैजाबाद से सम्बद्ध अनुसूचित जाति के कनिष्ठ लिपिकों का सामूहिक आवेदन पत्र दिनांक 11-1-82 एवं 15-2-82 जो कनिष्ठ लिपिक से ज्येष्ठ लिपिक के पद पर प्रोन्नति के संबंध में है सचिव ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ, मंत्री ग्राम्य विकास जिला अधिकारी, फैजाबाद एवं उप विकास आयुक्त फैजाबाद मंडल फैजाबाद एवं अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां। 15-2-82 का पत्र प्राप्त हुआ।

आरक्षण नीतियों के अनुसार उक्त आवेदन-पत्र में उल्लिखित समस्त पात्र कनिष्ठ लिपिकों को प्रोन्नत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य विकास अधिकारी, कार्यालय फैजाबाद के कनिष्ठ लिपिकों का स्थायीकरण

132—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा जिला विकास कार्यालय फैजाबाद में स्वीकृत कनिष्ठ लिपिक के स्थाई पदों पर मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद के कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों को स्थायी कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

133—श्री अवधेश प्रसाद—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर बजट का आवंटन

134—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत जनपद को आधार मानकर नहीं बल्कि जनसंख्या को आधार मानकर बजट का आवंटन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इससे भौगोलिक दृष्टिकोण से जटिल पर्वतीय जनपदों के सारे कार्य प्रभावित हो गये हैं तथा वहां के विकास में बाधा उत्पन्न हो गयी है ? क्या शासन पुनः पर्वतीय क्षेत्रों पर जनसंख्या को आधार न मान कर जनपद के हिसाब से बजट आवंटित करेगा ? यदि हां, तो कब से ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जिलों का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया जाता है जिसके लिए भारत सरकार ने निम्न मापदण्ड निर्धारित किये हैं:—

(क) जिले में ग्रामीण कृषि मजदूरों और सीमान्त किसानों की संख्या पर 75 प्रतिशत ।

(ख) जिले में ग्रामीण गरीबी के प्रभाव पर 25 प्रतिशत ।

(ग) जहां गरीबी के प्रभाव के बारे में जिलावार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां जिले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या पर 25 प्रतिशत बल दिया जायेगा ।

पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम्य विकास अभिकरण के अन्तर्गत बजट आवंटन का मापदण्ड

135—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम्य विकास अभिकरण के अन्तर्गत रुपया किस मापदण्ड से दिया जा रहा है? क्या पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए वहां के मापदण्ड में विशेष छूट देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

अभिकरणों के पास उपलब्ध धनराशि को विभिन्न स्वीकृत कार्यों के बीच बटवारा करते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है:—

1—विभिन्न कार्यों का वर्किंग सीजन ।

2—कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयबद्धता।

पर्वतीय क्षेत्रों को मापदण्ड के अलावा अतिरिक्त आवंटन को भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है । अतः किसी विशेष छूट दिये जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

श्री जीवन चन्द्र जोशी को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के भुगतान के सम्बन्ध में उनके पिता श्री एच0 बी0 जोशी द्वारा शिक्षा विभाग को लिखे पत्र पर कृत कार्यवाही

136—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एच0 बी0 जोशी, 634 तिवारी गार्डन, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के पत्र दिनांक 21-5-85, 27-5-85 एवं पंजीकृत पत्र सं0 4061 दि0 25-11-83 तथा 4227 दि0 19-2-85 जो कि उनके पुत्र श्री जीवन चन्द्र जोशी, वर्ष 83 के हाईस्कूल अनुक्रमांक 239058 की राष्ट्रीय छात्र वृत्ति दिलाने के बावत था, शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद को मिला है ? यदि हां, तो क्या उक्त छात्र को सम्पूर्ण छात्रवृत्ति दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी नहीं ।

आवेदन पत्रों के साथ प्राप्त अंक पत्र में अंक संख्या और अनुक्रमांक में भिन्नता होने के कारण ।

ग्राम्य विकास अधिकारियों को अपने गृह जनपद में तैनाती की सुविधा

137–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास अधिकारी अपने गृह जनपद में तैनात रह सकता है? यदि हां, तो कितने समय तक?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

29 सितम्बर, 1973 के पूर्व ग्राम विकास अधिकारियों को अपने गृह जनपद में तैनात रहने की सुविधा उपलब्ध थी। इस सुविधा के दुरुपयोग किये जाने की शिकायतों पर यह सुविधा 29 सितम्बर, 1973 से वापस लेते हुए यह निर्णय लिया गया कि उनकी तैनाती गृह जनपद से भिन्न, गृह जनपद के मंडलीय जिलों में की जाय। पर्वतीय क्षेत्र में इनकी तैनाती गृह जनपद में किन्तु गृह तहसील से बाहर करने के आदेश हैं।

138–श्री अवधेश प्रसाद–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

139–श्री अवधेश प्रसाद–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा पर श्री एम0 आर0 सिद्दीकी की नियुक्ति

140–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उ0 प्र0 के मुख्य अभियन्ता के पद पर जो अधिकारी पदासीन हैं विभाग में उनकी सेवा किस सन् से, उनका चयन मुख्य अभियंता के पद पर कब हुआ, चयन का आधार क्या रहा ? क्या यह भी सही है कि इस विभाग में इनसे सीनियर अधिकारी आज भी कार्यरत हैं जिन्हें इस पद का अवसर नहीं मिला? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्तमान में मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के पद पर कार्यरत अधिकारी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में दिसम्बर, 1973 से कार्यरत हैं । मुख्य अभियंता के पद पर नियुक्ति के लिए श्रेष्ठता के आधार पर रखा गया था । चूंकि चयन का आधार श्रेष्ठता है अतः पात्रता क्षेत्र में आने वाले उपयुक्त अधिकारियों के नाम पर चयन समिति द्वारा विचार किया गया तथा उसमें से श्री एम0 आर0 सिद्दीकी को श्रेष्ठ मानते हुए शासनादेश संख्या-5048/84-38-1-83 दिनांक 8-6-84 द्वारा मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के पद पर नियुक्त किया गया ।

कानपुर देहात के कस्बा बिल्हौर में कन्या बेसिक स्कूल को उच्चीकृत किये जाने की मांग

141–श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर देहात जनपद के बिल्हौर कस्बे के बेसिक शिक्षा परिषदीय कन्या सीनियर बेसिक स्कूल को माध्यमिक स्तर तक उच्चीकृत किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?यदि हां, तो किस स्तर तक प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्या इस महत्वपूर्ण तह0 मुख्यालय वाले स्थान पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राजकीय कन्या

इंटर कालेज बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इस योजना का क्रियान्वयन संभव होगा ?

श्री सिब्ते रजी –

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर की प्राइमरी पाठशाला सठिगवां के सहायक अध्यापक श्री राम कुमार पाण्डेय की सेवामुक्ति

142–श्री अचल सिंह –

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की प्राइमरी पाठशाला सठिगवां के सहायक अध्यापक श्री राम कुमार पाण्डेय को धारा 395, 397, 436 आई0पी0सी0 में सजा हुई है और उक्त अध्यापक को सेवा मुक्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र श्री सत्य प्रकाश सिंह भदौरिया की तरफ से बेसिक शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त सहायक अध्यापक को सेवा मुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी –

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

न्यायालय के निर्णयानुसार।

चारबाग डिपो की बस संख्या यू0आर0ए0 5894 के परिचालक के विरुद्ध श्री हरमोहन सिंह सदस्य विधान परिषद् द्वारा दिए गए शिकायती पत्र पर कार्यवाही

143–श्री अचल सिंह –

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरमोहन सिंह, सदस्य, विधान परिषद् उ0 प्र0 का 1-7-85 को चारबाग डिपो की बस सं0 यू0आर0यू0 5894 के परिचालक के खिलाफ शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह–

जी हां ।

माननीय सदस्य महोदय के परिवाद की विभागीय जांच कराई गयी । दिनांक 1-7-85 को कानपुर से लखनऊ के लिए संचालित बस सं0-यू0आर0यू0-5894 के मार्ग-पत्र में मान0 सदस्य महोदय के यात्रारत होने की प्रविष्टि नहीं पायी गयी है । सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, चारबाग द्वारा उपरोक्त बस के परिचालक को चेतावनी दी जा चुकी है ।

चूंकि परिचालक द्वारा माननीय सदस्य महोदय के सहवर्ती को टिकट जारी किया गया है तथा माननीय सदस्य के यात्रा की प्रविष्टि वे-बिल में नहीं की गई है, अतः परिचालक को प्रतिकूल प्रविष्ट दिये जाने के आदेश भी क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ को दे दिये गये हैं ।

144–श्री शारदा नन्द अंचल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुइथा कलां के ग्राम मिसिरपुर में कथित निःशुल्क बोरिंग

145–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर तह0 शाहगंज में सुइथा ब्लाक के ग्राम मिसिरपुर में सन् 76 में जो निजी बोरिंग हुई थी, उसकी ए0 डी0 ओ0 एम0 आई0 द्वारा सन् 85 में निःशुल्क बोरिंग के तहत भुगतान करा लिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

शाहगंज तहसील के विकास खण्ड सुइथाकला के ग्राम मिसिरपुर में किसी भी कृषक की वर्ष 1976 की निजी

बोरिंग को अवर अभियन्ता (ल0 सि0) द्वारा वर्ष 1985 में निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत कार्य दिखा कर भुगतान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में अवर अभियन्ताओं के चयन में जौनपुर का प्रतिनिधित्व

146—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई माह में आर0 ई0 एस0 विभाग में लखनऊ में जो अवर अभियन्ता के साक्षात्कार हुए हैं उनमें जौनपुर जनपद का एक भी अभ्यर्थी अवर अभियन्ता के पद पर चयन नहीं किया गया है जबकि अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा इनके प्राप्तांक अधिक रहे हैं ? चयन की क्या प्रक्रिया रही है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

यह कहना सही नहीं है कि जौनपुर जनपद का एक भी अभ्यर्थी अवर अभियन्ता के पद पर चयनित नहीं किया गया है। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के अन्तर्गत जनपद-जौनपुर के 36 अभ्यर्थियों के विरुद्ध श्रेष्ठता के आधार पर शासन द्वारा गठित चयन समिति की संस्तुति पर 3 अभ्यर्थियों का चयन तदर्थ रूप से अवर अभियन्ता के पद पर किया गया है। चयन प्रक्रिया का आधार अभ्यर्थियों के डिप्लोमा में प्राप्तांक प्रतिशत, साक्षात्कार में प्राप्तांक एवं कार्य का पूर्व अनुभव था।

147—श्री बालेश्वर—

[दि0 10-2-86 को अता0 प्र0 सं0 98 द्वारा उत्तरित].

148—श्री सुग्रीव सिंह—

[दि0 10-2-86 को अता0 प्र0 सं0 98 द्वारा उत्तरित]

सरदार बल्लभ भाई पटेल इण्टर कालेज भदांव, हलधरपुर, बलिया की सी0 डी0 एस0 की धनराशि का अध्यापकों में आवंटन

149—श्री इकबाल अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरदार बल्लभ भाई पटेल इन्टर कालेज भदांव, हलधरपुर जनपद बलिया की सी0 डी0 एस0 के खाते की जमा धनराशि को निकाल लिया गया है? यदि हां, तो कितनी धनराशि निकाली गयी है? क्या उक्त धनराशि अध्यापकों में बांट दी गयी है? यदि नहीं बांटी गयी, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

रुपया 9768.00।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता

सरदार बल्लभ भाई पटेल इण्टर कालेज भदांव जनपद बलिया के प्रधानाचार्य द्वारा हरिजन छात्रवृत्ति का गबन

150—श्री इकबाल अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री लाल बहादुर सिंह प्रधानाचार्य सरदार बल्लभ भाई इन्टर कालेज भदांव हलधरपुर जनपद बलिया के विरुद्ध विभागीय हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के आख्या दि0 17-8-85 के अनुसार छात्रवृत्ति का तेरह हजार रुपये का गबन का आरोप है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कर रही है?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी बलिया द्वारा थाना हलधरपुर में धारा 408/409 भा0 द0 वि0 के

अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा तफतीश करके प्रधानाचार्य के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा कायम किया गया है जो न्यायालय के विचाराधीन है।

राजकीय इण्टर कालेज बाराबंकी में कमरों की संख्या तथा बैठने की व्यवस्था

151—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के राजकीय इन्टर कालेज में इस वर्ष कितने विद्यार्थी हैं कालेज में कितनी शिफ्टें चलती हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने कमरे पढ़ाई हेतु उपलब्ध हैं तथा बैठने के लिए कुल कितनी कुर्सियां हैं?

श्री सिब्ते रजी—

इस वर्ष कुल 2434 छात्र पंजीकृत हैं और विद्यालय दो शिफ्टों में चलता है।

पढ़ाई हेतु 17 कमरे तथा बैठने हेतु 69 कुर्सियां, 200 स्टूल व 150 डेस्क उपलब्ध हैं।

विकास खण्ड राजेपुर (फर्रुखाबाद) में उसी विकास खण्ड के निवासी कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों की तैनाती

152—श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के वि0 खं0 राजेपुर में अनेक ऐसे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं जो नियमों के विपरीत उसी वि0 ख0 के निवासी होते हुए भी राजेपुर वि0 ख0 में नियुक्त हैं? यदि हां, तो इनको अन्य विकास खण्डों में स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है इनको अवैध रूप से इस वि0 खं0 में नियुक्त करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खंड राजेपुर में चार ग्राम पंचायत अधिकारियों की तैनाती, जो उसी विकास खण्ड के निवासी हैं, तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की गई थी, जिनमें से तीन का स्थानान्तरण अन्य विकास खण्डों में तथा एक को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर पदोन्नति पर जनपद इलाहाबाद के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है।

तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग का गठन एवं पूर्ण क्षमता के साथ कार्य

153—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग का गठन कब और किस उद्देश्य से किया गया था?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उ0 प्र0 का सृजन 1970 में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत एक भूगर्भ जल कोष्ठ के रूप में हुआ था जिसे बाद में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के रूप में स्थापित किया गया और फरवरी, 1975 में यह सिंचाई विभाग से अलग होकर कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वतंत्र विभाग बना।

इस विभाग का गठन मुख्यतः भूगर्भ जल की क्षमता, सिंचाई साधनों के लिये उसकी उपयुक्तता व उसके उपयोग की

सीमायें ज्ञात करना और नलकूपों, कुओं आदि के मध्य दूरी निर्धारित करना, उपयुक्त उपचारिक और सतर्कता के उपायों को ज्ञात करना, इस बात की जांच करना कि नलकूपों के द्वारा खारे-पन और जल अनुवेधन /वाटरलागिंग की समस्या को कहां तक नियंत्रित किया जा सकता है तथा भूगर्भ जल भण्डारों की उपस्थिति एवं विस्तार का पता लगाना, इत्यादि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हुआ था।

154—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य भू-गर्भ जल सर्वेक्षण विभाग अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रहा है? यदि हां, तो क्या प्रदेश में सूखे से प्रभावित जनपदों में वृद्धि हो रही है, इसके क्या कारण हैं? इसे रोकने हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

प्रदेश में सूखे से प्रभावित जनपदों में वृद्धि व उसके कारणों से भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन संबंधित नहीं है अतः इसे रोकने हेतु उक्त विभाग द्वारा कदम उठाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। उक्त विभाग द्वारा सूखोन्मुख क्षेत्रों में लघु सिंचाई साधनों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी जैसे हाइ-ड्रोजियोलोजिकल फोटोजियोलोजिकल, जियोफिजिकल एवं अन्वेषणात्मक छिद्रण इत्यादि पर आधारित सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

प्रदेश के कतिपय विकास खण्डों में जलस्तर को गिरने से रोकने हेतु उपाय

155—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के 144 विकास खण्डों में जल स्तर गिरता जा रहा है और क्या बुन्देलखण्ड में अल्प सिंचाई कार्य असफल हो रहे हैं? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में किसी विकास खण्ड में भूगर्भ जल का स्तर लगातार नहीं गिर रहा है यद्यपि विभिन्न वर्षों में वर्षा अथवा सूखे के अनुसार जल स्तर में अस्थायी परिवर्तन होते रहते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल स्तर गिरने के कारण लघु सिंचाई कार्य असफल नहीं हो रहे हैं।

निजी नलकूपों के स्थल चयन हेतु भूवैज्ञानिकों एवं भू-भौतिक विदों की राय

156—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि निजी नलकूपों के स्थल चयन में भूवैज्ञानिकों एवं भू-भौतिक विदों की राय ली जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

निजी नलकूपों के स्थल चयन में सामान्य रूप से भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन से कोई राय नहीं ली जाती है किन्तु समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सम्बन्धित विभागों द्वारा उक्त संगठन के भूवैज्ञानिकों एवं भू-भौतिकविदों की राय ली जाती है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषकों द्वारा निजी नलकूपों की ऋण अदायगी में भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की राय

157—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषकों द्वारा निजी नलकूपों की ऋण अदायगी प्रारम्भ करने

के पूर्व राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों का प्रमाण पत्र बैंकों द्वारा लिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

वर्तमान प्रक्रिया में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

राज्य में भूमिगत जल प्रदूषण की समस्या तथा उसके निराकरण हेतु उपाय

158–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के कितने जिले पूर्ण और कितने आंशिक रूप से भूमिगत जल प्रदूषण की समस्या से प्रभावित हैं एवं शासन खारे पानी (प्रदूषित भूमिगत जल) को रोकने हेतु क्या कदम उठा रहा है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूमिगत जल प्रदूषण और खारे भूजल की समस्या अलग-अलग है। भूमिगत जल प्रदूषण भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उ0 प्र0 के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है और न ही इस समस्या को रोकने का कोई प्रस्ताव इस विभाग के विचाराधीन है।

जनपद बाराबंकी की निगोहा-देवरा रोड के मरम्मत की मांग

159–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड निन्दूरा की निगोहा-देवरा रोड सितम्बर, 85 की बाढ़ के कारण पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है? यदि हां, तो उसकी मरम्मत कराकर खड़ंजा कब तक लगा दिया जायगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, यह मार्ग सितम्बर, 85 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त मार्ग के मरम्मत एवं सोलिंग हेतु 4.76 लाख रुपये का प्राक्कलन ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को प्रेषित किया गया है। ग्राम्य विकास अभिकरण समिति के निर्णय के उपरान्त धन आवंटित होने पर मरम्मत एवं सोलिंग का कार्य पूरा कर दिया जायेगा।

डी0 पी0 ए0 पी0 योजनान्तर्गत गठित नव सृजित इकाइयों के नवसृजित पदों पर गण्डक समादेश के अतिरिक्त स्टाफ को समायोजित किये जाने का आदेश तथा उनकी सूची

160–श्री काशी सिंह एरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासनादेश संख्या-344/54-2-85-58/85, दिनांक 11 फरवरी, 1985 द्वारा डी0 पी0 ए0 पी0 योजना के अन्तर्गत नव सृजित इकाईयों के नव सृजित पदों पर गंडक समादेश के अतिरिक्त स्टाफ को समायोजित करने के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो उपरोक्त के तहत क्या सभी अतिरिक्त सदस्यों का समायोजन कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां। शासनादेश संख्या-344/54-2-85-58/84, दिनांक 11 फरवरी, 1985 के अन्तर्गत 132 नये पद सृजित किये गये थे, जिन पर गण्डक समादेश के अतिरिक्त कर्मचारियों को कृषि विभाग द्वारा समायोजित करने के आदेश दिये गये थे। अतिरिक्त कर्मचारियों में से केवल उन्हीं कर्मचारियों को समायोजित किया जाना था, जो कृषि विभाग द्वारा नियुक्त किये गये मूल कर्मचारी

थे। चार पदों के लिए गण्डक समादेश से कृषि विभाग के मूल कर्मचारी न आने तथा एक अन्य पद के लिए सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध जांच की कार्यवाही चल रही होने के कारण कुल 5 पदों पर समायोजन अभी नहीं हुआ है।

161—श्री काशी सिंह एरी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त के अधीन कितने सदस्यों का समायोजन हो गया है और अभी कितने सदस्यों को होना बाकी है? क्या इनकी सूची अलग-अलग तैयार कराई गई है? यदि नहीं, तो यह सूची कब तक तैयार होकर बाकी सदस्यों का समायोजन हो सकेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

उपरोक्त के अधीन 132 नव सृजित पदों के विपरीत गण्डक समादेश के अतिरिक्त स्टाफ में से 127 कर्मचारियों का समायोजन कृषि विभाग द्वारा हो गया है और केवल पांच पदों पर अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन शेष है। इनकी अलग-अलग सूची तैयार है। इनमें से भूमि संरक्षण निरीक्षक वर्ग-2 के विरुद्ध चल रही जांच पूरी होने पर एक पद पर समायोजन हेतु विचार किया जायेगा। अवशेष अधिदर्शक के चार पदों हेतु गण्डक समादेश से कृषि विभाग द्वारा नियुक्त मूल कर्मचारी मांगे गये हैं। इनके आने पर कृषि विभाग द्वारा अधिदर्शक के शेष चार पदों पर समायोजन किया जायेगा।

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षा विभाग के अधिकारियों का स्थाईकरण एवं पदोन्नति

162—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1975 में चयनित तथा वर्ष 1978 में शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त प्रदेशीय शिक्षा सेवा के अधिकारियों की सेवाओं का स्थाईकरण किन कारणों से अब तक नहीं किया गया है? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उप शिक्षा निदेशकों के पदों पर पदोन्नति के पूर्व क्या सम्मिलित वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया था? यदि नहीं, तो बिना वरिष्ठता सूची के पदोन्नति का आधार क्या है?

श्री सिब्ते रजी—

वर्ष 1975 की परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती में चयनित तथा वर्ष 1978-79 के दरम्यान शिक्षा विभाग उ0 प्र0 शैक्षिक सेवा (कनिष्ठ वेतनक्रम) में नियुक्त अधिकारियों के स्थाईकरण के प्रश्न पर विचार किया जा चुका है। विज्ञप्ति दिनांक 28-12-85 द्वारा 25 अधिकारी स्थाई किये गये।

जी नहीं।

नोशनल ज्येष्ठता के आधार पर तदर्थ रूप से पदोन्नतियां की गई।

फैजाबाद जनपद में ड्रिल, व्यायाम तथा पी0 टी0 मास्टरों को सहायक अध्यापक के पदों पर स्थापित किये जाने संबंधी शासनादेश का अनुपालन

163—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी राजाज्ञा 8831×15-(5)-77-449/76, दिनांक 16 जून, 1978 के अनुलग्नक 'ख' में ड्रिल मास्टरों, व्यायाम शिक्षकों, पी0 टी0 मास्टरों के पदों को समाप्त करके उन्हें योग्यतानुसार प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर स्थापित करने का जो आदेश निर्गत किया था और जिसके अनुपालन में शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद ने अपने पत्रांक 8073/15

(5)-77-2-78 दिनांक 28 जुलाई, 1978 द्वारा उक्त पदों को समाप्त करके उक्त राजाज्ञा के अनुसार सम्बन्धित सभी अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करने का आदेश निर्गत किया था, का अनुपालन जनपद फैजाबाद में आज तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों को दण्डित करने और उक्त राजाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन कराने में सरकार को क्या कठिनाई है और राजाज्ञा के अनुपालन न होने से विभाग पर जो अधिक व्यय भार पड़ा है उसे किससे वसूल किया जायेगा?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

फैजाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी को उक्त राजाज्ञाएं प्राप्त न होने के कारण व आवश्यक कार्यवाही नहीं कर सके। अब प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

इसका प्रश्न नहीं है।

श्री छोटे लाल, भूतपूर्व सहायक अध्यापक, जिला शाहजहांपुर को पुनः सेवा में रखे जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

164–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जनवरी, 85 में श्री छोटे लाल भू0 पू0 सहायक अध्यापक, जिला शाहजहांपुर ने प्रश्नकर्ता विधायक की संस्तुति के साथ कोई आवेदन पत्र शिक्षा निदेशक, कैम्प कार्यालय, लखनऊ को इस आशय का दिया था कि उन्हें भी राजाज्ञा के अनुसार पुनः सेवा में लिया जावे? यदि हां, तो इस आवेदन पत्र में तथ्य क्या थे ? उपरोक्त हरिजन भू0 पू0 सहायक अध्यापक को कब तक सेवा में ले लिया जायगा और इस शिथिलता के लिये कौन अधिकारी दोषी है?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कोई दोषी नहीं है।

श्री जब्बाद अली सहायक अध्यापक, बस्ती के अवशेष वेतन का भुगतान

165–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 संख्या 174 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भुगतान कब और किस माध्यम से किया गया तथा सितम्बर, 81 एवं जुलाई, 82 का वेतन अब तक न भुगतान करने पर किसी को दोषी न पाये जाने का आधार क्या है?

श्री सिब्ते रजी–

भुगतान चेक संख्या 3375/50 दिनांक 22-2-84 द्वारा किया गया था ।

भुगतान में विलम्ब के लिये कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है क्योंकि औपचारिकताओं में विलम्ब स्वयं सम्बन्धित अध्यापक श्री जब्बाद अली द्वारा किया गया था ।

पर्वतीय क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में बी0 टी0 सी0 वेतनमान में कार्यरत अध्यापकों की पदोन्नति

166–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1967, 1968 और 1969 से जो अध्यापक और अध्यापिकायें पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में बी0 टी0 सी0 वेतनमान में

कार्यरत हैं, उन्हें अभी तक किन कारणों से स्थायी एवं पदोन्नत नहीं किया गया है?

श्री सिब्ते रजी–

बालकों के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बी0 टी0 सी0 वेतनक्रम के पद नहीं होते हैं। राजकीय बालिका विद्यालयों में जहां प्राथमिक कक्षायें सम्बद्ध हैं उनमें कार्यरत बी0 टी0 सी0 वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापिकाओं को उन पदों पर स्थाई किया जाता है जिनके लियन रिक्त होते हैं। इसी प्रकार बी0 टी0 सी0 वेतनक्रम में जो अध्यापिकायें सी0 टी0 वेतनक्रम की अर्हता रखती हैं उन्हें प्रोन्नति भी दी जाती है। 1967, 1968 तथा 1969 के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के वे अध्यापक जिन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के बाद राजकीय सेवा में रहने का विकल्प दिया है, उन्हें उनके लिये सृजित सुपरनियुमरेरी पदों पर स्थायी किया गया है तथा जो सी0 टी0 वेतनक्रम में प्रोन्नति की अर्हता रखते हैं उन्हें सी0 टी0 वेतनक्रम के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर प्रोन्नति भी दी गई है। सी0 टी0 वेतनक्रम की अर्हता वाले जो अध्यापक अभी प्रोन्नति नहीं पा सके हैं उन्हें समय-समय पर उपलब्ध रिक्त पदों पर प्रोन्नति दी जाती है।

इसी के अनुसार ऐसी अध्यापिकायें जो स्थायी नहीं हैं अथवा सी0 टी0 वेतनक्रम में प्रोन्नति नहीं प्राप्त कर सकी हैं, उपलब्ध लियन रहित पदों पर स्थायी करने की कार्यवाही यथा समय की जाती है तथा अर्हतानुसार सी0 टी0 वेतनक्रम के रिक्त पदों पर प्रोन्नति दी जाती है।

प्रदेश में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

167–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त कितने शिक्षक 31 मार्च, 85 तक बेरोजगार थे?

श्री सिब्ते रजी–

प्राप्त सूचना के अनुसार शिक्षा विभाग में अब तक लगभग 45539 बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति 31-3-85 तक बेरोजगार थे।

प्रदेश में उर्दू टीचर्स के रिक्त स्थान

168–श्री फजलुल बारी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 के प्राइमरी व जूनियर स्कूल में उर्दू टीचर्स की जगहें रिक्त हैं? यदि हां, तो वह कितने स्थान हैं और उसे अब तक क्यों नहीं भरा गया?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्न में सम्पूर्ण प्रदेश की सूचना चाही गई है जिसे एकत्र किया जा रहा है।

प्रदेश के मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों के कर्मचारियों को राहत का भुगतान

169–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज के अवकाश प्राप्त शिक्षकों को श्री गोविन्द नारायण मिश्र, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 17-11-83 संख्या 2132 क/पन्द्रह-8-3004(8)/82 शासनादेश के अनुसार उ0 प्र0 के कितने जिलों में राहत (डी0ए0) दी जा रही है? क्या यह शासनादेश सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां पहुंच गया? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

श्री सिब्ते रजी–

37 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत शासनादेश वहां पहुंच गया है तथा भुगतान भी हो रहा है। शिक्षा निदेशक द्वारा सभी जिलों में प्रश्नगत शासनादेश भेजा गया है। शेष जिलों में भुगतान की स्थिति ज्ञात की जा रही है।

आगरा मण्डल के उप विद्यालय निरीक्षकों के अवशेष यात्रा भत्ते का भुगतान

170–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा मण्डल के जनपदों में कार्यरत प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों का वित्तीय वर्ष 83-84 व 84-85 का यात्रा भत्ता नहीं दिया गया और इसके भुगतान न करने के क्या कारण हैं?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

धनाभाव के कारण आंशिक भुगतान किया गया है।

पिथौरागढ़ में राजकीय हाई स्कूलों के सहायक अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के वेतन विसंगति सम्बन्धी आदेश का अनुपालन तथा प्रभाव

171–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश सं0 ख-1/532/65/15 दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के अनुसार राजकीय हाई स्कूलों के सहायक अध्यापक/प्रधानाचार्यों का वेतनमान रु0 100-180 के स्थान पर रु0 80-125 हो गया था? इस विसंगति से जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के कितने अध्यापक/प्रधानाचार्य अभी भी प्रभावित हैं? कितने व्यक्ति इसी परिवर्तित वेतनमान के अन्तर्गत सेवा निवृत्त हो गये? सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

सूचना अभी भी एकत्र नहीं हो सकी है। सूचना उपलब्ध न कराने के दोषी व उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पिथौरागढ़, चमोली एवं उत्तरकाशी के सेवा निवृत्त अध्यापक व प्रधानाध्यापक

172–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों की अवधि में सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ चमोली, उत्तरकाशी में वर्षवार क्रमशः ऐसे कितने अध्यापक व प्रधानाध्यापक थे, जिन्होंने उपरोक्त जनपद में विगत पांच वर्षों की अवधि में सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में सेवा निवृत्ति प्राप्त की? इनमें सबसे कम अवधि में सेवा निवृत्त होने वाले कौन-कौन थे? वे कहां से स्थानातरित होकर वहां पहुंचे थे और कितने दिनों में स्थानान्तरित हो गये?

श्री सिब्ते रजी–

संलग्न सूची† में सूचना उपलब्ध कराई गई है।

पर्वतीय जनपदों के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा पर्वतीय व मैदानी संवर्ग का चुनाव एवं रिक्त पद

173–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजाज्ञा संख्या 9299/15-2-80-27(37)/79, दिनांक 25 नवम्बर, 1980 द्वारा माध्यमिक शिक्षा के कतिपय शिक्षण एवं निरीक्षक शाखा के पदों के संवर्गों का विकेन्द्रीकरण तथा अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) तक के पदों के पर्वतीय क्षेत्र के अलग संवर्ग बनाने के आदेश पारित किये हैं? इस सन्दर्भ में उत्तराखण्ड (पर्वतीय

†छापी नहीं गई।

आठ जनपदों) में जनपदवार कुल किस-किस कर्मचारी श्रेणी ने क्रमशः पर्वतीय व मैदानी संवर्ग का चुनाव किया? इस प्रकार जनपदवार कितने पद रिक्त रहे? उन्हें क्रमशः कब तक भरा जायेगा?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां।

सूचना अभी भी एकत्र नहीं हो सकी है। सूचना उपलब्ध न कराने के दोषी व उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू अध्यापकों के रिक्त स्थान

174–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के कितने स्थान हैं? इस समय कितने स्थानों पर नियुक्तियां हैं और कितने स्थान रिक्त हैं? यदि रिक्त हैं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

सम्पूर्ण प्रदेश के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है जिसे शीघ्रातिशीघ्र एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों से सम्बद्ध भूमि से आय एवं उसका व्यय

175–श्री विजय सिंह राणा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन पत्रांक 3200 ग/33-3-147 दिनांक 5 जून, 1976 के संदर्भ में प्रदेश में जो प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के साथ जो भूमि सम्बद्ध है उससे होने वाली आय जो जिला परिषद् के खाते में जमा है के सम्बन्ध में निर्णय लिया था कि विद्यालय भवन एवं भूमि से होने वाली आय को जिला परिषदों के लेखा में अलग से विधिवत् जमा किया जाय ताकि यह धनराशि सम्बन्धित विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुरक्षित रहे? यदि हां, तो इस संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या जिला परिषद् इस आय को सम्बन्धित विद्यालयों की आवश्यकताओं पर व्यय कर रही है अथवा नहीं? यदि हां, तो यह कार्य कब से चल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्न अत्यन्त व्यापक है। इसमें सम्पूर्ण प्रदेश की सूचना चाही गई है जिसे एकत्र करने में समय लगेगा।

बेसिक शिक्षा परिषद् लखीमपुर खीरी की अध्यापिकाओं की पदोन्नति में अनियमितता

176–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत नगर क्षेत्र लखीमपुर में प्राइमरी की अध्यापिकाओं की पदोन्नति संस्कृत अध्यापिका के पद पर करने में वरिष्ठ अध्यापिका की पदोन्नति करके नियुक्ति पत्र 29-1-85 को निर्गत किया गया? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कार्यभार ग्रहण के पूर्व नियुक्ति 31-1-85 को निरस्त करके कनिष्ठ की पदोन्नति की गयी? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराई जाएगी।

177–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

(नेता विरोधी दल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि फिर उठा लीजिएगा।

विधान सभा सदस्य डा0 रजनी कान्त दत्त की पुलिस द्वारा पिटाई की घटना की जांच बोर्ड आफ रेवेन्यू के चेयरमैन से कराये जाने की मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा

(12 बजकर 20 मिनट)

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, दो दिन सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी । यह अच्छा नहीं था । लेकिन मान्यवर, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, यदि मेरी बात सुन ली जाती तो शायद सदन की कार्यवाही चलती । मान्यवर, आपके हर आदेश का पालन हम लोग करेंगे । लेकिन आपने भी हमारे साथ न्याय नहीं किया और अगर हमारी पूरी बात सुन ली गई होती तो सदन चलता रहता । दूसरी बात यह है कि जो सदन नहीं चला उसके सम्बन्ध में विपक्ष की कोई गलती नहीं । . . . (व्यवधान) इसी से साबित हो रहा है । जब मैं खड़ा हूं तो वह बात अपने आप प्रमाणित हो रही है । मैं जब बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो अभी भी सत्ता पक्ष की तरफ से शोर हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की और अपना काम निकालने के लिए सरकार ही सदन को बुलाती है । इस सरकार के कुछ सदस्य और मान्यवर, कुछ मंत्रि-परिषद् के सदस्य यह तय करके आये थे कि 21 फरवरी को सदन नहीं चलने देना है और नहीं चलने दिया । इसीलिए दो दिन सदन नहीं चला और वह सत्ता पक्ष के कुछ मा0 सदस्यों के कारण नहीं चला है । विपक्ष की इसमें कोई गलती नहीं है । जो एक अभूतपूर्व घटना हुई. . . . (व्यवधान) ठीक है, फिर आप लोग बात कर लें ।

(नेता विरोधी दल अपने स्थान पर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष–

कृपया खामोश रहें । बैठ जायें । अब सुन लीजिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय नेता सदन का अपने सदस्यों पर कोई अनुशासन नहीं है, न कोई इनकी बात मानता है ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)– वे स्वयं अनुशासित हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं । यह अभूतपूर्व घटना भी किस तरह से हुई कि एक मंत्रि-परिषद् के सदस्य दोनों माइकों को लेकर इतना चिल्लाते थे. . . (व्यवधान) । अब यह सवाल उठता है कि यहां पर मंत्रि-परिषद् के सदस्यों का क्या स्तर है, और क्या ऐसे मंत्री मंत्रि-परिषद् में रहने लायक हैं ? इसलिए मान्यवर, सारी जिम्मेदारी सत्तापक्ष की थी जो उस दिन सदन नहीं चला । अब मान्यवर, मैं खड़ा हुआ और आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए टेलीग्राम को पढ़ता रहा उसमें विपक्ष का कोई सवाल अकेले नहीं था जो 425 माननीय सदस्य प्रदेश की 12 करोड़ जनता द्वारा चुन कर आए हैं उनके सम्मान का सवाल था । मान्यवर, मैं तो यही मानूंगा कि उधर के कुछ बंधुवा मजदूर हैं जो अपने सम्मान का अपमान होते हुए सदन में अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं रखते (व्यवधान) मान्यवर, यह सवाल विपक्ष का नहीं था यह तो 425 विधायकों के सम्मान का प्रश्न था और यह पहली घटना नहीं थी इस प्रकार की घटनाएं लगातार इस प्रदेश में चल रही हैं । हमारे दल के सम्मानित सदस्य बदन सिंह के शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा जिस पर पुलिस ने न मारा हो, विजय सिंह राणा साहब को विधान सभा चुनाव में हराने के लिए उन पर लाठी चार्ज किया और उनकी पिटाई की । इसी तरह

से पिछले वर्ष बनारस में पुलिस ने हमारे सम्मानित विधायक यदुनाथ सिंह जी को गंगा में डुबोने का प्रयत्न किया । इसी तरह से माता प्रसाद पाण्डेय जी को भी पुलिस ने अपमानित किया, माननीय कमलेश कुमार जी को और औसान सिंह जी को तथा डा0 रजनीकान्त दत्त जी को भी पुलिस ने अपमानित किया । यहां तक कि कांग्रेस महिला विधायकों को भी अपमानित किया। सत्तापक्ष के लोग भी अब पिटते जा रहे हैं । आगरा के कांग्रेसी विधायक को रेलवे के डिब्बे में पीट-पीट कर बाहर लाकर प्लेटफार्म पर अपमानित किया (व्यवधान) वीरेन्द्र सोनकर को और इसी तरह से अमीर आलम, धनराज यादव साहब को पुलिस ने अपमानित किया। भूतपूर्व विधायक तो दर्जनों की संख्या में हैं जो पुलिस द्वारा पीटे जा रहे हैं । इतने विधायक पीटे गए लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की इसलिए मजबूर होकर मुझे यहां खड़ा होना पड़ा क्योंकि यह 425 विधायकों के सम्मान का सवाल था, सारे सदन का सवाल था। आज सवाल इस बात का नहीं है कि सम्मानित सदस्य इधर के हैं या उधर के हैं सवाल सभी सम्मानित सदस्यों का है । तो जब हम इस बात की शिकायत करते हैं तो सरकार सदन की कमेटी बनाने के लिए तैयार नहीं है । जब हम लोग अपमानित किए जाते हैं तो पुलिस से ही जांच कराते हैं । जब जनता पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपमानित की जाती है तो हमारे पास आती है । अब हम लोग ही पिटने लगे तो हम कहां जायं ? अभी तक तो हम अदालत का सहारा लेते थे और वकील से कहते थे कि इस्तगासा दायर कर दो तो अब तो अदालत में वकील भी पिटने लगे हैं तो हम कहां जायं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहिये, आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जब वकील भी पिटने लगे, और विधायक भी पिटने लगे तो फिर सड़कों पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जायेगा जब प्रदेश की जनता यह रास्ता अपना लेगी तो इसका क्या परिणाम होगा इसका अन्दाजा सदन में आप लगा सकते हैं । जब कचहरियों में वकील पिटने लगे वह इस्तगासा दायर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा ? इसलिए मेरा सुझाव है कि एक कमेटी सदन की गठित कर दी जाय और जो जनप्रतिनिधियों और विधायकों के साथ अपमान होता है उसको वह कमेटी देखे । मेरी आपसे प्रार्थना है कि सम्मानित नेता सदन को समझदारी से काम लेना चाहिए । अगर वह समझदारी से काम लेते तो आज इतने बड़े पैमाने पर माननीय सदस्यों का अपमान नहीं होता । इसलिए माननीय सदन का सम्मान बचाने के लिए मुझे भरोसा है कि आप इसमें दखल देंगे और माननीय सदस्यों के सम्मान के लिए आज कुछ घोषणा यहां होनी चाहिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है कि जिस परिप्रेक्ष्य में नेता विरोधी दल ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उसमें माननीय सदन के दो माननीय सदस्यों को आपने बनारस भेजा था–ग्राम्य विकास मंत्री, श्री श्याम सूरत उपाध्याय और श्री शतरुद्र प्रकाश को, दोनों लोग लौट आए हैं, उसके बाद उन माननीय सदस्यों के लिए यह उचित था कि श्री उपाध्याय जी सदन को अवगत कराते कि वहां क्या स्थिति थी ? यदि वह अवगत न कराते तो आपके चैम्बर में आपको बता देते और फिर जानकारी मिल जाती । इसलिए

आपने अपनी व्यवस्था के तहत जिनको वहां भेजा था उनकी तरफ से कोई जानकारी मिली कि नहीं उससे सदन का हर माननीय सदस्य जानकारी के लिए जिज्ञासा प्रकट करता है ।

श्री अध्यक्ष–

सदन को पूरी जानकारी है । इसलिए आपकी व्यवस्था के प्रश्न को मैं स्वीकार नहीं करता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस सदन में जो दो दिनों तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही, यह एक अभूतपूर्व घटना है और इससे हम सभी लोग इसके लिए दुखी हैं । इस सदन में जो माननीय सदस्य बैठते हैं, यह 12 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व इस सदन में करते हैं और यह दायित्व, विधायकों के सम्मान में, इसमें न केवल विरोधी पक्ष, न केवल सत्ता पक्ष बल्कि पूरे सदन की गरिमा इसमें निहित है और यह घटनाएं, जैसा नेता विरोधी दल ने बताया, एक नहीं अनेक घटनाएं रोज होती जा रही हैं । मान्यवर, इसमें सत्ता पक्ष का दायित्व कहीं ज्यादा है चूंकि शासन में वह लोग हैं, इसलिए इन घटनाओं पर कहीं न कहीं रोक और अंकुश लगना चाहिए । यदि यह घटनाएं होती रहीं तो यह सदन जिसका अपना एक इतिहास रहा है, जिसकी एक मर्यादा रही है वह सब नष्ट हो जायेगी । इसलिए मैं चाहूंगा कि आज शासन में जो लोग हैं उनका दायित्व ज्यादा है और उनको अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो घटनाएं हो रही हैं वह भविष्य में न घटित हों।

मान्यवर, इसके साथ ही आज जो कुछ भी हर क्षेत्र में हो रहा है इस परिप्रेक्ष्य में चाहे पुलिस का शासन हो या प्रशासन का इन सब का कैसे शासन का संचालन ठीक से चले, इसका दायित्व भी सरकार के ऊपर हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सदन में शांतिपूर्ण कार्यवाही चले और सदन में कोई ऐसी बात न हो, इस पूरी घटना के लिये हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस मामले में आप स्वयं जांच करके जो उचित हो इस सरकार को निर्देशित करें कि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें घटित न हों।

*श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, दो दिनों तक यह सदन नहीं चल सका, मैं इसके पूरे विवरण में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों की इच्छा है कि सदन चले लेकिन यह भी इच्छा है कि सदन सम्मान से चले और सदन के प्रत्येक सदस्य का सम्मान सुरक्षित रहे। आज मान्यवर, प्रदेश की हालत ऐसी हो गई है, जैसे कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की हैसियत दरोगा से भी छोटी पड़ रही है। कानून के राज के बजाए आज खाकी वर्दीधारी दरोगा का राज कायम हो गया है। दत्ता जी का जो प्रकरण है, इसको आइसोलेशन में देखा जाय तो कोई कह देगा कि कोई छोटी मोटी घटना हो गई होगी, लेकिन आज तो स्थिति लोकतन्त्र बनाम निरंकुश प्रशासन की हो गई है और यह स्थिति पूरे देश की हो रही है। उत्तर प्रदेश इसमें बाजी मार ले गया है। आज उत्तर प्रदेश में जहां आपकी सरकार है, जिसको हमें सरकार कहते शर्म आती है, आपको आती है या नहीं, यह आप जानें, लेकिन मुझे तो आती है, उत्तर प्रदेश इसमें बाजी मार ले गया है। एक दर्जन घटनाएं प्रदेश में जन प्रतिनिधियों के साथ मारपीट की और अन्य दुर्व्यवहार की हुई हैं, जिनके चलते आज प्रदेश में कोई भी जनप्रतिनिधि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने सम्मान को सुरक्षित नहीं पा रहा है। यह प्रश्न इस पक्ष या उस पक्ष का नहीं है। मैं सत्तापक्ष के भी अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि यह ऐसा प्रश्न है जिसे दलगत भावना से ऊपर उठकर सोचना होगा। सदस्य किसी पक्ष का हो, किन्तु यदि उसका सम्मान सुरक्षित नहीं है तो इस सदन में उसके आने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

प्रशासन निरंकुश होता चला जा रहा है, प्रशासन पर सरकार की जो पकड़ है वह ढीली होती जा रही है। हम कल्पना करें, जब जनप्रतिनिधियों के सम्मान के साथ इतना खुला खिलवाड़ हो रहा है तो सर्वसामान्य जनता की हालत क्या होगी ? आज वक्त आ गया है कि सरकार को कड़ा जी करके कुछ फैसले लेने चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें यह भ्रम पैदा हो गया हो कि उन्हें हमेशा-हमेशा के लिए मुख्य मंत्री रहना है तो उनको यह भ्रम जितनी जल्दी हो सके निकाल देना चाहिए। मुख्य मंत्री आते हैं, मुख्य मंत्री चले जाते हैं और यहां तो बहुत जल्दी जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो मुख्य मंत्री आते हैं और जल्दी जाते हैं, लेकिन कभी-कभी किसी को ऐसा मौका मिलता है कि वह इतिहास बना सकता है, अपने को इतिहास में एक अच्छा स्थान दे सकता है। हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री के लिए भी वह समय आ गया है, आज मुख्य मंत्री जी सदन में इस बात की घोषणा करें कि जो घटनाएं घटी हैं, इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं-छोटे से लेकर बड़े तक, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और भविष्य के लिए आश्वस्त करें कि किसी भी जन-प्रतिनिधि के साथ या जनता के किसी भी सदस्य के साथ दरोगा से लेकर एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 तक यदि कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसके साथ सख्त कार्यवाही की जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, आज प्रदेश के अन्दर स्थिति, सरकार के कथनानुसार अच्छी नहीं है। सरकार दो-दो बातें कहती है- अच्छी भी है, खराब भी है। दोनों बातें एक साथ सही हैं यह बात, दोहरी बात, यही सरकार कह सकती है। क्या यह सरकार की स्थिति बहुत अच्छी है कि जब सार्वजनिक सभाओं को सम्बोधित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता जाते हैं तो उनकी सभाओं पर रोक लगाई जाएगी ? रविदास जयन्ती समारोह के अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा नहीं निकलने दी जाएगी ? भारतीय जनता पार्टी के नेता और अध्यक्ष श्री अटल बिहारी बाजपेयी सरीखे नेताओं की सभाएं जो पहले से आयोजित हैं, वह नहीं होने दी जाएंगी ? एक तरफ कहते हैं कि स्थिति ठीक है, किन्तु पोलेटिकल मीटिंगों के बारे में भी वह कहेंगे . . . (व्यवधान) बहुत सच कहा है, विषय पर ही मैं बोल रहा हूं, श्रीमन्, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इन्हें समझने की ताकत नहीं दे सकता हूं। मान्यवर, मैं इनको समझा नहीं सकता आप समझा सकते हो तो समझा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

कृपया शांति रखिये।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, अगर स्थिति नियंत्रण के बाहर है तो सरकार को बता देना चाहिए और विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिये। इतने बड़े सूबे के अंदर नियंत्रण का काम, चाहे कितना ही बहुमत किसी पोलीटिकल पार्टी के पास हो ? चाहे उसके कितने ही विधायक हों ? वह पोलीटिकल पार्टी शांति और व्यवस्था अकेले

स्थापित नहीं कर सकती। शांति और व्यवस्था का जहां प्रश्न हो, जन जीवन की सुरक्षा का प्रश्न हो तो शासन को विपक्ष को विश्वास में लेकर स्थिति पर नियंत्रण लाने की कोशिश करनी चाहिये।

एक सदस्य—

विपक्ष अव्यवस्था पैदा करता है।

श्री कल्यान सिंह—

हमारी व्यवस्था आपको अव्यवस्था लग रही है। मान्यवर, माननीय विधायक पिटे तो व्यवस्था, बलात्कार हो जाय तो व्यवस्था, डकैती हो जाय तो व्यवस्था, लूट-पाट हो जाये तो व्यवस्था, अराजकता हो जाय तो व्यवस्था, तानाशाही आ जाय तो व्यवस्था, दरोगा जो चाहे करे, विपक्ष के लोगों को मार दे या सत्ता पक्ष के एम0 एल0 ए0 को मार दे तो व्यवस्था, तो जो यह आपकी व्यवस्था चल रही है यह आप ही पैदा कर रहे हैं इसमें हमारा कसूर नहीं है। मान्यवर, आज माननीय मुख्य मंत्री को एक घोषणा और करनी चाहिये और घोषणा यह करनी चाहिए कि प्रदेश के किसी भी जनपद के अंदर कोई दंगा होता है तो मात्र दरोगा या मात्र कांस्टेबिल या मात्र दीवान को बलि का बकरा बनाकर इतिश्री न मानें। एस0 पी0 और डी0 एम0 को भी जिम्मेदार ठहरायें। अगर ऐसी घोषणा सदन में करेंगे तो सारे प्रदेश पर इसका असर पड़ेगा।

दूसरी बात और इस विषय की अन्तिम बात कहना चाहता हूं। यह जो प्रकरण हाउस में चला है, आप भी यकीन करते हैं और आपने भी सारी चीजें देखी और समझी हैं। इसमें अभी कोई न कोई इक्जेम्पलरी, सख्त स्टेप्स उठाये जाने चाहिये ताकि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा, मात्र शब्दों की घोषणा न लगे, प्रदेश की जनता उनकी इस बात पर विश्वास कर सके कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो कुछ कहते हैं उसके पीछे करने का संकल्प भी छिपा रहता है। अतः पूरी तरह से इसमें कार्यवाही करने की आवश्यकता है। एक विधायक का अपमान किया गया है। इस सारे प्रकरण की जांच होनी चाहिये। जिला प्रशासन की कहां-कहां गलती है। इसमें डी0 एम0 और एस0 पी0 को सम्मिलित करते हुये कि उनका आचरण कैसा रहा है और कहां तक उनकी जिम्मेदारी ठहरती है यह टर्म्स आफ रिफरेंस देकर एक उच्च स्तरीय जांच की घोषणा सदन में करनी चाहिये और आगे के लिये सदन को आश्वस्त करना चाहिये कि किसी भी माननीय सदस्य के साथ अगर कोई भी अधिकारी, चाहे वह कितना बड़ा क्यों न हो, अपमानजनक व्यवहार करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जायगा। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हस्तक्षेप करें, आप सदन के सर्वोपरि हैं, अगर इनको दिखायी नहीं देता है तो आप तो देखते हैं, यह नहीं सुन सकते हैं तो आप तो सुन रहे हैं, इसमें आप को बीच में पड़ना पड़ेगा तभी सदन का सम्मान बचा रह सकता है और सदन शांति से चल पायेगा। भगवान इनको सद्बुद्धि दे।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, जो बातें इस घटना के सम्बन्ध में सदन में आयी हैं उससे एक बात साफ तौर पर उभर कर आयी है कि इस प्रदेश में शांति और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो गयी है और यह सरकार पुलिस के ऊपर अंकुश नहीं लगा रही है। जब माननीय सदस्यों के साथ पुलिस का यह व्यवहार है तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि जन साधारण के साथ पुलिस क्या कर रही होगी। माननीय

सदस्यों के साथ पुलिस मारपीट कर रही है, फर्जी मुकदमें चला रही है ऐसी दर्जनों घटनायें सदन के संज्ञान में आ चुकी हैं। बनारस में जो घटना हुयी वह सत्ता पक्ष के माननीय विधायक के साथ हुई। यह सत्ता पक्ष या विपक्ष का प्रश्न नहीं है यह हम सबका प्रश्न है। जब पुलिस विधायक के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालती है, अधिकारीगण उनको मारते हैं और अपमानित करते हैं तो यह बहुत शर्म की बात है इस सरकार के लिये। माननीय मुख्य मंत्री जी यह घोषणा करें कि जन प्रतिनिधियों के अधिकारों की सुरक्षा की जायगी और उनके कर्तव्यों के निर्वहन में यदि कोई अधिकारी बाधा उत्पन्न करेगा या उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा तो उसके ऊपर जरूर कार्यवाही होगी और इस शरारतपूर्ण घटना के ऊपर मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप यह घोषणा करेंगे कि उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, 20 और 21 तारीख को सदन की कार्यवाही जो निर्धारित थी वह नहीं हो पायी, मान्यवर, हम लोग विशेष तौर से जो विरोध पक्ष के लोग हैं, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना चाहते थे। हमारी पहले से ही यह इच्छा थी क्योंकि यह सदन जनता की आकांक्षाओं का दर्पण है। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग पहले से इस कोशिश में थे। लेकिन उस स्थिति में सत्ता पक्ष के लोग अगर अपने कर्तव्य को समझ पाते तो यह दुखभरी घटना न होती। मान्यवर, बनारस में जो हालात हुये हैं शासन ने क्या किया और किस प्रकार से वहां एक व्यक्ति के गायब हो जाने के बाद प्रशासन ने किन अफवाहों को फैलने दिया। इन सारी बातों की जानकारी हुयी है पत्रकारों से, अखबारों से और बनारस के विधायक के द्वारा यहां पर दिये गये वक्तव्यों से। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि इस पूरे प्रकरण में किन परिस्थितियों के कारण वहां की स्थिति अशान्त बनी और आज भी वहां शांति नहीं है, तो प्रशासन ने इस ओर क्या-क्या कदम उठाए और क्या-क्या उनकी शिकायतें रहीं। मान्यवर, इस समस्त मामले में मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह निष्पक्ष जांच करायें और डा0 दत्ता का जो मामला है, वह पूरा सदन का मामला है, हमारा भी मामला है और मान्यवर, आपका भी मामला है। इसलिए निवेदन करूंगा कि डा0 दत्ता के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसमें कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार थे और उन अधिकारियों की कौन-कौन सी गलतियां सामने आयीं, तो मान्यवर, आप स्वयं इस मामले को देखें और सरकार को निर्देशित करें कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और हम लोगों की, आपकी और पूरे सदन की मर्यादा भी बनी रहे। अन्त में मैं इन शब्दों के साथ फिर विश्वास करता हूं कि सरकार हम लोगों के सुझावों पर विचार करेगी और मान्यवर, जो मर्यादा हम सब लोगों ने आपको सौंपी है, उसके तहत आप भी पूरी कार्यवाही करेंगे।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, दो दिन तक जो सदन की कार्यवाही स्थगित रही और सच-मुच इस अनहोनी घटना को लेकर पूरे प्रदेश में जो तरह-तरह की चर्चा होती रही, मान्यवर, बनारस शहर के कांग्रेसी विधायक के साथ जो अत्याचार, दुर्व्यवहार हुआ उससे पूरा सदन प्रभावित हुआ है और मान्यवर, जिस दिन डाक्टर दत्ता अपना बयान यहां दे रहे थे, सचमुच पूरे सदन की आंखें डबडबा गयीं थी। अगर पुलिस

ऐसा दुर्व्यवहार कर सकती है तो प्रश्न यहां पर यह नहीं है कि सत्ता-पक्ष का विधायक है या विपक्ष का विधायक, विधायक है। हम लोग भले ही यहां पर अलग-अलग बैठते हैं, लेकिन बाहर हम सब एक हैं। इसलिए अगर पुलिस हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है तो हम सब लोगों को मिलकर इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। इससे पुलिस के मनोबल गिरने का कोई प्रश्न नहीं उठता है और न ही सरकार में कोई अव्यवस्था होने का प्रश्न उठता है। पुलिस के व्यवहार को, पुलिस के आचार को, पुलिस के तौर तरीके को ठीक करने का भी हमारा फर्ज होता है और उसमें सरकार का योगदान होना बहुत ही आवश्यक है। मान्यवर, यह सब सारी घटनायें जो हो रही हैं, बनारस जिले में जो साम्प्रदायिक भावना को बल मिल रहा है, इसमें डी0एम0, एस0एस0पी0 के आदेशों पर दरोगा और सिपाही आंखें मूंद कर चलते हैं, इसलिए जो कुछ स्थिति वहां पर पैदा हुई है, उसके मुख्य जिम्मेदार वहां के डी0एम0, एस0 एस0पी0 हैं।

अगर वहां पर दूरदर्शिता से काम लिया गया होता, तो वहां पर यह स्थिति न पैदा होती। वहां पर पुलिस ने जो ताण्डव नृत्य किया है, उसको आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। वहां पर पुलिस ने निरीह लोगों के घर में घुस कर मारा-पीटा है, लूट-पाट की है। यह ऐसी घटना है, जिसके प्रति हम आंख नहीं मूंद सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और आप निर्देश दें कि मुख्य मंत्री इस पर बयान दें। बनारस के अन्दर जो घटना हुई है, उसमें चाहे डी0एम0 या एस0एस0पी0 या किसी भी थाने का थानेदार जिम्मेदार हो, उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो, उसे दण्डित किया जाय। बगैर आपके हस्तक्षेप के यह काम नहीं हो सकता है और माननीय मुख्य मंत्री आश्वासन दें कि तमाम जो विधायक हैं, उनकी सुरक्षा होगी और किसी प्रकार का पुलिस का अत्याचार उनके साथ नहीं होगा।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के पुकारे जाने तथा श्री राम नरेश के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

देखिये जो कुछ तय हुआ है, उसी के मुताबिक मैं चल रहा हूं। माननीय रामनरेश यादव जी आप बैठें, मैंने माननीय शतरुद्र प्रकाश को बुलाया है।

(व्यवधान)

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने और माननीय नेता जनता पार्टी ने और माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी ने और अन्य नेताओं ने जो विचार रखे हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, चर्चा करा रहे हैं, तो हम लोगों को भी सुन लें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, दो-तीन बातें मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, जो घटना बनारस शहर में घटी है, उससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि अब जनप्रतिनिधियों की कोई सुरक्षा नहीं रह गयी है और सरकार का कार्यपालिका पर अंकुश नहीं रह गया है। इस समय बनारस में 600 लोग जेल में बन्द हैं, उसमें दुर्भावना जनता पार्टी और तमाम विपक्षी दल के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग हैं। मान्यवर, वहां पर जितने निरपराध लोगों को बन्द किया गया है, उनको तुरन्त रिहा किया जाय। मान्यवर, जिन निरपराध लोगों को लूटा गया है, और जिन निरपराध लोगों की हत्या की गयी है, उसका उनको मुआवजा देने की घोषणा करें। मान्यवर, बनारस शहर में आज जो स्थिति है, अगर उस पर सरकार ने तुरन्त नियंत्रण नहीं किया, तो वहां पर स्थिति और भी खराब हो सकती है। मान्यवर, केवल पुलिस और अफसरों के बल पर वहां की स्थिति सामान्य नहीं हो सकती है। मान्यवर, वहां के जनप्रतिनिधियों को मिलाकर वहां की स्थिति को सुधारने का काम किया जाय और बनारस में स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जाकर वहां की स्थिति को देखें और व्यापक रूप से कोई कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाय।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

नेता सदन बोलेंगे, अब इस मामले को खत्म कीजिए।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने एक मसले पर कई माननीय नेताओं को सुना और मान्यवर, जब राम नरेश यादव जी खड़े हुए थे, तो उस समय आपने एक बात कही कि जो कुछ तय हुआ है, उसके हिसाब से कर रहा हूं, तो नेताओं की बैठक में क्या यह भी तय होगा कि कौन बोलेगा? कौन नहीं बोलेगा? मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं सदन आपकी व्यवस्थाओं से बंधा हुआ है। सदन परम्पराओं से बंधा हुआ है, सदन नियमावलियों से बंधा है या सदन चाहे नेताओं की बैठक हो, चाहे बाहर कोई बैठक हो, उससे बंधा हुआ है मान्यवर, रोज ये बात आती है कि नेताओं की बैठक में तय हुआ है, तो मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह सदन नेताओं के निर्णय से बंधा हुआ है या आपकी व्यवस्था और नियमों से बंधा हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

मैं जो निर्णय करूंगा वह चलेगा, या आपकी व्यवस्था चलेगी?

*श्री राम नरेश–

मान्यवर, इस प्रश्न को लेकर दो दिन सदन की कार्यवाही नहीं चली, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। सदा न चलने की सारी जिम्मेदारी, उस पक्ष के लोगों पर है। विशेष रूप से नेता सदन और मंत्रि परिषद् के तमाम सहयोगी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और यह अपने तमाम सहयोगियों के साथ सदन में अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ऐसा लगता है कि उधर के लोग अपनी सूझ-बूझ और विवेक पूरी तरह से खो बैठे हैं, जो उधर के विधायक के सम्मान की भी रक्षा नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, आज प्रदेश की यह हालत है, जबकि इस सदन का गौरवशाली इतिहास रहा है। अन्य प्रदेश इस सदन की परम्पराओं का अनुकरण करते रहे हैं, लेकिन अब इस प्रदेश की सरकार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, यह अपनी पार्टी में बैठने वाले विधायक के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती है। पुलिस के काले कारनामों ने इन्हें निरंकुश बना दिया है। मैं चाहता हूं कि जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थिति है, उसमें आप हस्तक्षेप करें और नेता सदन इस बात की घोषणा करें कि इसकी वह जांच करके दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा के पुन: खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने नेता सदन को बुला लिया है, आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

(तत्पश्चात् श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

अभी आपने दो दिन से देखा, या इससे पहले भी हाउस को जिस तरह से चलना चाहिये नहीं चला। हाउस की जो नियमावली बनी है, उसके अनुसार सदन को चलना चाहिये। जो माननीय सदस्य कोई बात कहना चाहते हैं, या किसी को कोई शिकायत है, कोई अन्याय कहीं हो रहा है तो उसको कहने के लिये नियम बने हैं। मैं कहना चाहता हूं जब तक नियमावली का पालन नहीं होता, हाउस की प्रक्रिया ठीक से नहीं चलाई जाती, यह कहने से कोई फायदा नहीं है कि हम नहीं चलने देना चाहते हैं या वो नहीं चलने देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो नियमावली है, उसका पूरा-पूरा पालन हो।

दूसरी बात यह है कि अभी कहा गया कि शासन तो हाउस चलाना ही नहीं चाहता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि शासन बिल्कुल हाउस को चलाना चाहता है। मैं चाहता हूं कि हाउस ठीक से चले। कोई व्यवधान न हो। लेकिन मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो, पिछले दिनों बात शुरू हुई, उससे मुझे बड़ा क्लेश पहुंचा। जो बात बातचीत से तय की जा सकती थी, आपके द्वारा तय की जा सकती थी उसको इतना लम्बा चलाया गया और इतना समय का नुकसान हुआ। यह सरकार का निश्चय है कि ऐसे अन्याय करने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हर माननीय सदस्यों को जितना सम्मान मैं दे सकता हूं, देना चाहता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी किसी माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, अच्छा सलूक नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। सरकार कार्यवाही करने के लिये तैयार है, तो इस बात को बढ़ाना नहीं चाहिये। कोई कार्यवाही रोकी जा रही हो, जानबूझकर न की जा रही हो, आपने खुद कहा कि यह शिकायत माननीय सदस्यों को हुई है। मैं कहना चाहता हूं कोई कर्मचारी या अधिकारी अगर जान-बूझकर गलती करता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, उसको रोका नहीं जा सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं नेता विरोधी दल और नेता भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य नेताओं ने जो बात कही है और कुछ आक्षेप शासन पर लगाया है, वह आक्षेप सही नहीं है।

यह सरकार तो बिल्कुल इस बात के लिये तैयार है कि कानून व्यवस्था जितनी अच्छी हो सकती है, उसको अच्छा करने का प्रयास होगा। इसमें कोई कोर कसर नहीं रहेगी। मैं यह चाहता हूं, नेता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोधी दल ने कहा कि कुछ विधायकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मैं इसको देखूंगा, कौन-कौन विधायक हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है? देखने के बाद जिन लोगों की गलती पाई जायेगी, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। यह प्रकरण वाराणसी का जो दो रोज से चला इसमें मेरी बात सभी लोगों से हुई है, तथा दत्ता जी जिनके साथ यह घटना घटी है उनसे भी हुई। मैंने इसके लिये निश्चय किया है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के चेयरमैन इसकी जांच करेंगे और पूरे प्रकरण की जांच के बाद इसमें छोटे से बड़ा जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी होगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी। मान्यवर, और भी जो बातें हुई हों, मा0 नेताओं, विरोधी दल के नेताओं या अन्य किसी माननीय सदस्य को कहना हो तो मैं चाहूंगा कि आपके साथ बैठकर उसको देख लें और कहीं किसी के साथ अन्याय हुआ हो और कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो तो सरकार हर तरह से चाहती है कि सही काम हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून व्यवस्था को ठीक करने का जितना काम इस सरकार ने किया है, प्रदेश दिखा देगा कि ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के चेयरमैन के द्वारा यह इन्क्वायरी कराएंगे। मान्यवर, मैं यह और चाहूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री यह भी घोषणा कर दें कि इस इन्क्वारी की रिपोर्ट इस सदन के इस बजट सत्र के खत्म होने के पहले ही इस सदन में आ जाय और दूसरा आग्रह मान्यवर, यह है कि चूंकि सामान्य चर्चा के चार दिनों का समय निकल गया है और बहुत से मा0 सदस्य, इधर के हों या उधर के, बोल नहीं पाए हैं। तो मान्यवर, चाहे सदन का एक दिन और बढ़ा दिया जाय, या एक शनिवार और ले लें, आप इस पर चर्चा करा दें जिससे कि अधिक से अधिक मा0 सदस्य बोल सकें।

श्री अध्यक्ष –

आपका दूसरा मुद्दा आज की कार्य मंत्रणा समिति में तय होगा।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, डा0 दत्ता के मामले में मेरा सुझाव था कि इस सम्बन्ध में आप स्वयं निर्णय देकर शासन को निर्देश दे दें। मा0 मुख्यमंत्री इसको मान लें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष –

इस विषय को अब मैं समाप्त करता हूं।

मंझनपुर, इलाहाबाद को बुन्देलखण्ड क्षेत्र घोषित किये जाने के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7 स्वीकार हुई हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। (1) श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी (2) श्री यदुनाथ सिंह, (3) श्री रघुवर दयाल वर्मा, (4) श्री मित्रसेन यादव, (5) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, (6) श्री सरदार सिंह और (7) श्री गया प्रसाद वर्मा।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद में मैं अपने क्षेत्र के अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर सबसे पिछड़ा हुआ है। नगर से 90 कि0मी0 की दूरी पर बांदा तथा फतेहपुर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से लगा हुआ है। बीच से यमुना नदी जाती है जहां इलाहाबाद जनपद में कई साधारण क्षेत्र बुन्देलखण्ड घोषित किये गये हैं उनमें से मेरा क्षेत्र सर्वप्रथम सरकार की सूची में आना चाहिए था। (इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र पुनः पीठासीन हुए।) मेरे क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं है। यमुना की इतनी ऊंचाई पर है कि कई गांवों में पीने के पानी के लिए कुएं खोदना मुश्किल है। अनुसूचित जाति क्षेत्र के कारण इस क्षेत्र की उपेक्षा न की जाय। अतः सरकार से मांग करता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र को भी बुन्देलखण्ड घोषित करने की कृपा करें।

मिर्जापुर जनपद के चुनार, मिर्जापुर सदर में शुद्ध पेय जल की भीषण समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है कि मिर्जापुर जनपद के चुनार, मिर्जापुर सदर में शुद्ध पेयजल की भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी है। कुछ जगहों पर तो ऐसी स्थिति आ गयी है कि अगर शासन द्वारा 15 दिनों के अंदर कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया जाता है तो वहां के पशुओं तक को भी पानी के लिए गर्मी आते ही एक-एक बूंद पानी के लिए तरस जाना पड़ेगा। गर्मियों में तो 2 रुपया प्रति लीटर तक पानी खरीद कर लोगों को पीना पड़ता है। वहां के निवासी अभी भी पहाड़ों को छोड़ कर गंगा नदी के किनारे पानी की तलाश में भाग रहे हैं। यह शासन के लिए एकदम शर्मनाक स्थिति पैदा हो गयी है।

अतः मैं सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित कराकर आवश्यक प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी निदेशालय में करोड़ों रुपये के घपले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रघुवर दयाल वर्मा--

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उ0 प्र0 राजकीय लाटरी निदेशालय में की जा रही अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं - दिनांक 22-7-1985 को उ0प्र0 राजकीय लाटरी गंगा कावेरी के ड्रा में जी0 वाई0 नं0 385555 पर 500/- रुपये का इनाम निकला था परन्तु निदेशालय द्वारा 7 माह बाद उसे टैम्पर्ड टिकट कह कर वापस किया गया। मान्यवर, इस प्रकार जाली टिकटों का धंधा आजकल जोरों पर है और संभवतः इसमें निदेशालय का काफी हाथ है। कुछ समाचार पत्रों में भी आपने पढ़ा होगा। उपरोक्त टिकट सही होने के बाद भी इसे लौटाया गया। निदेशालय की जिम्मेदारी है कि यदि टिकट जाली था तो एफ0आई0आर0 कराते, जहां से कैश हुआ है उनके खिलाफ कार्यवाही करते परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

मान्यवर, लाखों रुपये की रोज हेरा फेरी हो रही है। इसकी जांच कराने पर करोड़ों का गोलमाल मिल सकता है कृपया इस गंभीर मसले पर सरकार से वास्तविक तथ्यों सहित वक्तव्य जारी करने को कहें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकारी एजेन्सियों द्वारा जूट की खरीद न किये जाने से जूट उत्पादकों में असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

महोदय, जूट का समर्थन मूल्य 200 रुपया 50 पैसे प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। परन्तु सरकारी एजेन्सियों द्वारा जूट की खरीद अभी तक प्रारम्भ न किये जाने से जूट उत्पादक किसानों को 100 से 125 रुपया प्रति क्विंटल में मजबूर होकर बेचना पड़ रहा है और उसका भी कोई खरीददार नहीं। मण्डियों में जूट नवम्बर-दिसम्बर से ही आना प्रारम्भ हो गया। लखीमपुर में सर्वाधिक जूट बिकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां 5,000 क्विंटल से अधिक जूट कृषि मंडी में पड़ा है। वर्षा होने से वह सड़ रहा है। परन्तु सहकारी जूट संघ ने एक किलो भी नहीं खरीदा।

किसानों के शोषण के अविलम्बनीय लोक महत्व को मान्यवर आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाकर सरकारी एजेन्सियों से जूट की खरीद तत्काल प्रारम्भ कराने की मांग करता हूं।

विकास खण्ड हरिंगटन गंज, मिल्कीपुर तथा अमानीगंज, फैजाबाद के लघु एवं सीमान्त कृषकों को आवंटित रियायती उर्वरक के वितरण में गड़बड़ी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन –

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना आपकी अनुमति से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड हरिंगन्टा गंज मिल्कीपुर तथा अमानीगंज में लघु एवं सीमान्त कृषकों को आवंटित की जाने वाली छूट उर्वरक में भारी घोटाला किया गया है। रियायती खाद के पात्र कृषकों के फर्जी अंगूठे और हस्ताक्षर बनाकर रातों रात भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारी लखपती बन गये हैं। पात्र कृषकों की सूची गोदामों पर जानबूझकर उपलब्ध न कराकर प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से कर्मचारियों ने भारी लूट की है और लघु एवं सीमान्त कृषक इस लाभ से पूर्ण रूप से वंचित रहे और उनके नाम की खाद खुले बाजार में सरे आम बेंची गयी और कागजात में हेराफेरी करके वितरित दिखाई गई है। विकास खण्ड मिल्कीपुर के ग्राम मुगीसपुर, सरियावां मवई, मंजनाई, कुरांवन तथा वि0 क्षेत्र हरिंगटन के ग्राम भिटारी, कल्याण हुसेपुर खडवडिया, कदमपुर और वि0 क्षे0 अमानीगंज के ग्राम मेवापुर, भुआपुर, छोडवल, इमामगंज बरवां, चरमूपुर, सतनापुर श्रवनपुर अटेसर विशेष रूप से उल्लिखित हैं। जिससे किसानों में गहरा असंतोष एवं आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल प्रभावी जांच कार्यवाही की मांग करता हूं।

गोकुल, जिला मथुरा में पेयजल व्यवस्था की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोकुल, जनपद मथुरा में पेयजल का भारी अभाव है। न्याय पंचायत सोनई की सभी ग्राम सभाओं में खारी पानी है। इस कारण बिना टंकी के जनता को भारी परेशानी हो रही है। ग्राम सोनई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेलवे स्टेशन, बस स्टैन्ड व कई बालक बालिकाओं के विद्यालय होने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बावजूद भी पेयजल की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। इसी प्रकार बल्देव ब्लाक के गांव तुलाकबुर्ज, चौरबम्बा, घड़ी आशा, नगलाबेर, नगलाबढ़ना, घड़ीमस्ता, नगला हजारी, घड़ीमंगली, नगला आकोस, अकोस क्षेड़ा, लहरौली-घाट, नगजाटीका, ईसापुर डहरुआ, तईयापुर, माऊली, पानीका गांव, सिंरिया की नगरिया, नगला बिजई, ऊधर आदि गांवों में इस समय पेयजल का भारी संकट चल रहा है।

शासन के संज्ञान में समस्या बार-बार लाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। जनता बूंद-बूंद पानी के लिए तड़प रही है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सम्मानित सदन व सरकार के संज्ञान में लाते हुए अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।

लखना, जिला इटावा में सिंचाई व्यवस्था की कमी के कारण फसलों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गया प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र लखना में सिंचाई के अभाव में हजारों एकड़ जमीन बंजर रह जाती है। यह क्षेत्र कुआरी और चम्बल नदी के बीच का है जो बिन्डवा कला से लेकर पिपरौली गड़िया सहसो से लेकर सिण्डोल तक के बीच हजारों एकड़ जमीन का हिस्सा है। इस बीच में न कोई नहर है और न कोई ट्यूब-वेल है। थोड़ी बहुत फसल उग भी जाती है उसे वहां पर हजारों की संख्या में मौजूद जंगली जानवरों द्वारा नष्ट कर दी जाती है। अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस असिंचित इलाके में कम से कम 50 ट्यूब-वेल निर्माण कराने का कष्ट करें। जिससे किसान भूखों न मर सकें।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे नियम-300 के अन्तर्गत 3 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री शारदा प्रताप की है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी देहरादून गये थे तो उनका अपमान किया गया था। इसमें न कहीं संविधान का उल्लंघन हुआ है और न ही सदन की नियमावली का कहीं उल्लंघन हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं सक्षम हैं। अपना इन्तजाम वह स्वयं कर सकते हैं। मैं इस प्रश्न को अस्वीकार करता हूं। दूसरी सूचना श्री यदुनाथ सिंह जी की है।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, आप मुझे ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

जब आपका सवाल ग्राह्यता के अन्दर आता ही नहीं है तो मैं कैसे सुन लूं? मैंने प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है।

दूसरी सूचना यदुनाथ सिंह जी की थी, उसे भी मैं अस्वीकार करता हूं। तीसरी सूचना जो राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है, उस पर पहले ही निर्णय दिया जा चुका है, इसे भी मैं अस्वीकार करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

जनपद मेरठ के कस्बा खेकड़ा को नगर-पालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मेरठ के कस्बा खेकड़ा को नगरपालिका बनाये जाने विषयक श्री कवल सिंह तथा अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(मद संख्या-7 पुकारे जाने पर)

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की लम्बित सूचनाओं पर कार्यवाही न होने पर आपत्ति

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मद संख्या-5 को लें, जो विशेषाधिकार की सूचना से सम्बन्धित है। एक विशेषाधिकार की सूचना आपके समक्ष मैंने प्रेषित किया है। आप एक मिनट उस पर मुझे सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है आपने सूचना दी होगी। अभी मेरे पास नहीं आयी है। जब मेरे पास आयेगी तो मैं उसे पहले देखूंगा।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, अगर मैंने सचिवालय के माननीय सचिव को या किसी पदाधिकारी को सूचना प्रेषित कर दी है तो मान लिया जायेगा कि आप तक पहुंच गई है। यदि नहीं पहुंची है तो विशेषाधिकार भंग हुआ है। आपके कार्यालय में ही विशेषाधिकार भंग किया गया है। 4 दिन पहले, शुक्रवार को माननीय हुकुम सिंह जी के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना दी थी।

(1 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, सदन की परम्परा देख लें और जो वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको भी जानकारी है, मैं खुद 1974 से 80 तक सदस्य रहा हूं, आप स्वयं भी अनुभवी हैं, जब आप मद संख्या-5 को पुकारें, तो अगर कोई सूचना है तो सदन को सूचित किया जायगा, अगर मैंने सूचना दे दी है तो आप उसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें, लेकिन सदन को सूचित तो करें ही कि सूचना आ गयी है। उसकी ग्राह्यता है या नहीं है, यह आपके विवेक पर है। मैंने जो शुक्रवार को एक विशेषाधिकार की सूचना दी है, वह सदन में आनी चाहिये, अगर नहीं आयी तो विशेषाधिकार का हनन तो हो ही गया।

श्री उपाध्यक्ष–

कल उस पर निर्णय होगा, लेकिन परीक्षण या किसी और वजह से मेरे पास नहीं आ पायी है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरी सहन शक्ति की भी एक सीमा है, मैं अगर नियम के विरुद्ध कोई बात कहूं तो आप कहें, लेकिन जब मैं सूचना दे चुका हूं, उसके बाद अगर मैं अपनी बात न कहूं तो मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाऊंगा। मैं पांच बार आपसे आग्रह कर चुका हूं और आप कह रहे हैं कि देख लेंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप भी नियम से चलें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापी नहीं गयी।

श्री उपाध्यक्ष–

सबको ही नियम से चलना है, सूचनाएं और भी आयी हैं....

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जितनी सूचनाएं आती हैं, सबकी सूचना सदन में आनी चाहिये। किसी भी सदस्य के साथ उपेक्षा का बर्ताव नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष–

पिछले दिनों से ऐसा हुआ है कि जो सूचनायें आयी हैं, उन पर विचार होता रहा है, सदन में नहीं आयी है। अब इसे कल देख लेंगे, आप बैठें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

लेकिन कल का परसों नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं होगा, आप बैठें।

आज दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं– मनोहर लाल जी की है और बुनियाद हुसैन अन्सारी जी की है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा नाम आपने नहीं लिया, मेरी भी तो सूचना है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी पुरानी सूचना है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

तो सदन को सूचित तो कर दीजिये। जिनके हस्ताक्षर हैं, उनके नाम पढ़ दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

नाम इस समय मेरे सामने नहीं हैं, आप बैठें।

(श्री मनोहर लाल के खड़े होने पर)

अब आप कल ही बोलियेगा। आप बैठें।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष–

विशेषाधिकार का मामला गम्भीर ही होता है।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, सुबह 10 से 11 बजे तक हमें थाना बन्थरा रोक लिया गया..

श्री उपाध्यक्ष–

अब तो आप आ गये हैं।

श्री मनोहर लाल–

आप देखिये, कितना जुल्म हो रहा है...

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि नियमावली से विशेषाधिकार का जो "राइट" है, इसे निकलवा दीजिये, आइटम न0-5 पर रोज आता है, तीसरा सेशन है, पिछले साल भी दो सेशन हुए थे। दो मुख्य मंत्री आ चुके हैं इस सदन में लेकिन विशेषाधिकार के प्रश्नों का शायद ही कोई आईटम यहां लिया गया हो। बेमतलब हमें खुश करने के लिये नियमावली में आपने नियम बढ़वा रखा है, इसे आप डीलिट करा दीजिये। मंत्री जिस डंडे से फिर जिसको जैसा चाहें, हांकते रहें।

श्री उपाध्यक्ष–

विशेषाधिकार नियमावली से निकाला नहीं जा सकता है और न इसके निकालने का सवाल ही है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैंने अपर हाउस में मंत्रियों के खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न उठाये हैं चेयरमैन की रूलिंग हुई है उन पर, लेकिन अब तो लगता है कि मंत्री को तो आप छोड़ दीजिए, हम यहां किसी चिड़िया के भी खिलाफ कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हैं ? तो बेकार में नियमावली में इस नियम को रख कर आप क्यों इसका मखौल उड़वा रहे हैं ?

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिए, मैं सब समझ गया ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप कोई त्रिकालदर्शी तो हैं नहीं कि मैं कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ और आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं । यहां जो विशेषाधिकार की सूचनाएं माननीय सदस्यों के द्वारा दी जाती हैं उसके लिए आपको कोई समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए, नहीं तो वे इसका अनन्तकाल तक स्पष्टीकरण नहीं देंगे और आप यह मान जायेंगे ? इसके लिए आपकी ओर से कोई समय-सीमा निर्धारित की जानी आवश्यक है, इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं?

श्री उपाध्यक्ष–

अभी काफी पुरानी विशेषाधिकार की सूचनाएं पड़ी हुई हैं । इस विषय का आप मुझे अध्ययन कर लेने दीजिए, फिर कल मैं आपसे इस पर बात करूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

शासन से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए शासन की ओर से इसका कोई महत्व नहीं दिया जाता है । जब उसके लिए आप कोई समय-सीमा निर्धारित करेंगे, तभी कुछ स्पष्टीकरण की बात हो पायेगी नहीं तो हमारी ये सूचनाएं रद्दी की टोकरी में चली जायेंगी । शासन हमारी और आपकी कमजोरी का लाभ उठा रहा है कि दीर्घ काल तक विशेषाधिकार की सूचनाओं पर स्पष्टीकरण न दिया जाय । तो इस तरह से हमें नियमावली के अन्तर्गत इन सूचनाओं को देना व्यर्थ हो जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष–

नियम के सम्बन्ध में आपकी बात ठीक है कि शासन को अपना स्पष्टीकरण समय के अन्दर ही देना चाहिए ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है, जब से यह सदन गठित हुआ है, पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी, जो भी विशेषाधिकार के अवहेलना की सूचनाएं आपको प्राप्त हुई हैं, उन पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है । नियमावली के विरुद्ध यह अग्रेयता प्राप्त सूचना जिन पर शासन का स्पष्टीकरण नहीं आता है, केवल कार्यसूची में रख दी जाती हैं लेकिन यहां पर किसी भी विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार नहीं हो पाया । परम्परा यह रही है, आप चाहे पुरानी कार्यवाहियों को उठा कर देख लें कि विशेषाधिकार की जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उन पर शासन को स्पष्टीकरण देना होता है । इस प्रकार से यहां शासन पक्ष को प्रोत्साहन मिल रहा है अपनी कमियों को दबाने के लिए । यह हमारे अधिकारों का हनन है । आप यहां पर नियमावली के मुताबिक कार्यवाही कराइये ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, अभी विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने कहा है । मैंने सन् 1984 के सत्र में तीन विशेषाधिकार के प्रश्न दिए थे । खेद है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि उन पर कोई भी निर्णय इस सदन में नहीं सुनाए गए कि मेरी सूचना को स्वीकृत किया गया या नहीं किया गया । मैंने स्पष्ट रूप से सदन की कार्यवाही का उद्धरण देते हुए अपना विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था, उसमें कोई पत्र या पत्रिका का मामला नहीं था, न उसमें मैंने कोई बाजार की बात का ही उद्धरण दिया था, उसमें मैंने इसी सदन की कार्यवाही का उद्धरण देते हुए विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था । लेकिन देख रहा हूं कि आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ । आप स्वयं बताएं कि फिर इसका औचित्य क्या रह जाता है ?

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अभी वर्मा जी, आप बैठिए । आपके प्रश्न से मैं सहमत हूं कि इसे फौरन निबट जाना चाहिए था । इसको मुझे कल तक देख लेने दीजिए ।

श्री किरनपाल सिंह–

विशेषाधिकार का प्रश्न तभी कोई सदस्य देता है जब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मंत्रियों को कोई असत्य जानकारी या प्रश्न का उत्तर दिया जाता है । लेकिन इन पर स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण इसकी महत्ता को कम किया जा रहा है । मेरा निवेदन है कि आप नियमावली के अनुसार गम्भीरता से इस पर विचार करें और सदन की कार्यवाही को चलाएं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं गम्भीरता से इस पर विचार करूंगा।

(मद संख्या 7 के पुकारे जाने पर)

श्री मनोहर लाल द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना को लिए जाने की मांग

*श्री मनोहर लाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदन की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि आज मैं कानपुर से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए यहां आ रहा था तो थाना बन्थरा में कानपुर से आने वाले सभी लोगों को रोक लिया गया । मुझे आधे घण्टे तक वहां रोके रखा गया, मैं बराबर कहता रहा कि मैं माननीय सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मुझे वहां रोके रखा गया। करीब 11 बजे के लगभग कोई दूसरा बड़ा अधिकारी आया उससे भी मैंने यही बात कही कि मैं मेम्बर हूं तो फिर उसने 11.5 पर मुझे आने दिया । यह मैं नहीं जानता कि सरकार के ऊपर कोई आफत आने वाली है या व्यापारी क्या कर रहे हैं लेकिन कानपुर से आने वाली बसें थाना बन्थरा में रोक दी गई हैं । मुझे सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के समय आते वक्त रोक लिया गया इससे बढ़कर और विशेषाधिकार के हनन की क्या बात होगी?

श्री उपाध्यक्ष–

आप सूचना आने दीजिए, जानकारी करने दीजिए । प्रासेस यही है कि पहले जानकारी आ जाये ।

श्री मनोहर लाल–

जानकारी कब आयेगी ?

श्री उपाध्यक्ष–

इसका कोई समय तो निश्चित है नहीं । यह सरकार को भेजा जायेगा उसके बाद इस पर स्पष्टीकरण आयेगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिनांक 29 जुलाई, 1985 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0 2 के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

ग्राम विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, . . .

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

[अध्यक्ष महोदय. दिनांक 29 जुलाई, 1985 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य विधान सभा ने अनुपूरक में पूछा था कि ". . .ट्राइसेम योजना रोजगार नहीं देती, अपितु रोजगार प्राप्त करने के लिये अवसर प्रदान करने की भूमिका प्रदत्त करती है। . . ."

2. उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि, ". . .जो प्रशिक्षार्थी है, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो हमारी एकीकृत ग्राम्य विकास योजनायें हैं उसमें कुल प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में से 40 प्रतिशत लोगों को एकीकृत ग्राम्य विकास योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराकर, छूट देकर रोजगार कराया जाता है और बाकी जो हैं प्रशिक्षार्थी वे बैंक आदि से ऋण लेकर अपनी गरीबी मिटाने के लिये कार्यक्रम चला सकते हैं। . . ."

3. उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है—

"सभी प्रशिक्षार्थियों को स्वतः रोजगार में स्थापित करने के लिये बैंको एवं शासन से ऋण/अनुदान की सुविधायें अनुमन्य हैं।"]

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये (देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 152 पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत आज 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की बिक्रीकर समाप्ति की मांग को लेकर हड़ताल के सम्बन्ध में है। दूसरी और तीसरी सूचना डा0 दिनेश जौहरी तथा श्री सत्य प्रकाश विकल की भी उपरोक्त विषय पर है। चौथी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी और श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की खांडसारी मालिक द्वारा श्रमिकों पर अत्याचार के बारे में है, पांचवीं सूचना श्री किरनपाल सिंह की दिल्ली बोट क्लब में अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज के बारे में है, छठी सूचना श्री यदुनाथ सिंह की राम जन्म भूमि मुक्ति विवाद से उत्पन्न स्थिति के बारे में है, सातवीं सूचना श्री राम चन्द्र बख्श सिंह और श्री मित्रसेन यादव की असहायता प्राप्त शिक्षक संघ द्वारा धरना के बारे में है, आठवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय और श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ की बस्ती जनपद के जनसभा में लाठी चार्ज के बारे में है, नवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की आगरा में चने की फसल में रोग के बारे में है, दसवीं सूचना श्री सुखपाल पाण्डे, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री मलिक

नोट—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मो0 कमाल यूसुफ और श्री कामेश्वर उपाध्याय की गोविन्दराम सकसरिया शुगर मिल बभनान गोण्डा पर किसानों तथा मजदूरों का पैसा बकाया के बारे में है। ग्यारहवीं सूचना श्री शफीकुर्रहमान बर्क की सम्भल मुरादाबाद में तेजाब को पकड़े जाने के बारे में है और बारहवीं सूचना श्री सरदार सिंह की 26.2.1986 को राज्य कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन के बारे में है। तो इस तरह से 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अब बिक्री कर समाप्ति की मांग को लेकर हड़ताल का जो सवाल है, जो प्रदर्शन हो ही रहा है, तो इस पर गुप्त जी आप क्या कहना चाहेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप मान्यवर ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रदर्शन तो हो ही रहा है, आप इसकी ग्राह्यता पर बोल दें। लेकिन सभी लोग न बोलें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप सुन लें और अगर आप मेरी बात से सहमत हो जायें तो इस पर दो घंटे की चर्चा करा दें। मान्यवर, यह घटना अविलम्बनीय लोक महत्व की है, उत्तर प्रदेश के छोटे दुकानदार और व्यापारी यह मांग बहुत दिनों से करते रहे हैं कि बिक्रीकर की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर राजस्व प्राप्ति की कोई दूसरी चीज निकाली जाये। उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर की जो वर्तमान दरें हैं, वह दिल्ली से कम हैं, इस कारण मान्यवर उत्तर प्रदेश का व्यापार और उद्योग ठप हो गया है और वह दिल्ली में सिमटता जा रहा है और तीसरी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने आन्दोलन किया कि मन्डी शुल्क घटाया जाय और बिक्री कर के अधिभार को समाप्त करने के लिये सरकार ने उसे मान कर उसके अन्दर कमी कर दी और पुनः जो रिबेट दी थी, उसको बन्द कर दिया। मान्यवर, इसका परिणाम क्या हुआ, सरकार ने आश्वासन तो दिया कि विचार करेंगे। सभी व्यापारी उत्तर प्रदेश के निराश हो गये हैं और उनकी मांगे अगर नहीं मानी गयी तो वह आन्दोलन के कगार पर हैं और जो उनकी यह हड़ताल होगी वह अभूतपूर्व होगी। मान्यवर, सरकार ने उनके जनतंत्रीय अधिकार को समाप्त कर दिया है। जो बसें लखनऊ आ रही थीं उनके परमिट रद्द कर दिये गये हैं, जो लोग लखनऊ आ रहे थे, उनको रोक दिया गया है, इसकी चर्चा अभी मनोहर लाल जी कर रहे थे। मान्यवर, "विनाश काले विपरीत बुद्धि" हो जाती है। सरकार ने आदेश कर दिया है कि कोई भी बस नहीं आयेगी, इससे बरातें रुक जायेंगी, जो बीमार लखनऊ आना चाहता है, वह नहीं आ सकेगा और इस तरह से हाहाकार मच गया है। व्यापारियों ने यह कहा है कि बिक्रीकर वसूल करने का जो उनका दायित्व है उसको वह समाप्त कर देंगे और सरकार अपनी एजेन्सी बना ले और वसूल करे। तो इस घोषणा के बाद प्रदेश में एक विषम स्थिति पैदा हो गयी है इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आप इस पर 2 घंटे की चर्चा करायें। हम भी उसमें सुझाव देंगे। हो सकता है कि हम कोई ऐसा सुझाव देने में सफल हो जांय जिससे राजस्व बढ़े और जो भ्रष्टाचार की जननी बिक्रीकर है वह समाप्त हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर दो घंटे की चर्चा करायें।

(डा0 दिनेश जौहरी एवं श्री सत्य प्रकाश विकल के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

जौहरी साहब, इसमें गुप्ता जी ने अपना मत रख दिया, विकल जी आप एक मिनट में कह लीजिए।

*श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव के बारे में कहना चाहता हूं, मेरा आरोप है कि सरकार अघोषित आपातकाल की ओर चली जा रही है। शान्तिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से और लोकतांत्रिक परम्पराओं के अंतर्गत जो व्यापारी हड़ताल करके यहां आना चाहते थे उन्हें रोका जा रहा है। दमनात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं। मुझे निश्चित जानकारी है कि आगरा मंडल से ही 200 से अधिक बसें जो यहां आना चाहती थी सरकार के आदेश से उनके परमिट रद्द कर दिये गये हैं। आज स्थिति यह हो गयी है कि सेल्सटैक्स की दुगनी चौगुनी दरों के कारण प्रदेश का उद्योग व्यापार चौपट होता जा रहा है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को व्यापार अधिक राजस्व प्राप्ति के चक्कर में, करोड़ों रुपया अरबों रुपया का व्यापार दिल्ली की ओर जा रहा है। जब व्यापारियों ने इसके विरुद्ध आन्दोलन करना चाहा, अपनी मांगें शांति-पूर्ण ढंग से हड़ताल प्रदर्शन करके करनी चाहीं तो उनको रौंदने का कुचक्र किया जा रहा है। इसलिए मान्यवर, इस पर दो घंटे की चर्चा कराने का कष्ट करें।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

बात वही है जो आपने कह ली।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

सबको नहीं बुलाया जायेगा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्यों ने व्यापारी आन्दोलन का जिक्र किया और कहा कि तमाम व्यापारी वर्ग आन्दोलित है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं और मुझे आशा है कि इससे आप सब सहमत होंगे और जो हमने जनहित में इस प्रदेश के विकास में कदम उठाये हैं उनका भी स्वागत करेंगे। जिस बात को लेकर इस आन्दोलन का आह्वान किया गया है इसमें 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत अधिभार कर दिया गया है जिसे आप लोगों ने 1985 में पास किया था। उत्तर प्रदेश से पहले महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और बिहार में था और अभी तामिलनाडु और मध्य प्रदेश में भी यही दर निर्धारित की गयी है, मान्यवर इसको आप देखें। अगर आपको इस प्रदेश का चौमुखी विकास करना है तो उसमें विकास के लिए संसाधन जुटाने पड़ेंगे और उसमें कोई शार्टकट नहीं मारा जा सकता है। यह प्रदेश के विकास के लिए यह थोड़ा बहुत भार बढ़ाया गया है और इसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह हमारा सहयोग कर रहे हैं, पत्र-पत्रिकाओं में भी आया है। मान्यवर, इस बात का राजनीतिक शोषण न किया जाय, ऐसा हमारा आग्रह है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो मैंने तर्क रखा था दिल्ली वाला, उसके बारे में मंत्री जीने कुछ भी नहीं कहा। दिल्ली के बराबर न करने का परिणाम यह हो रहा है कि हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दिल्ली के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बराबर हमारा कर दिया जाय इससे हानि नहीं होगी। हम सरकार की मदद करना चाहते हैं लेकिन सरकार अपनी हठवादिता पर ऐसे कदम उठा रही है। इस लिए मैं चाहूंगा कि इस पर आप दो घंटे की चर्चा करा दें।

(श्री राम गोविन्द चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)।

मान्यवर, इसमें आपने क्या व्यवस्था दी?

श्री उपाध्यक्ष–

बाद में निर्णय दूंगा।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। सरकार की तमाम घोषणाओं के बावजूद प्रदेश में लगातार कम आयु के बच्चों से काम करवाया जा रहा है और बंधुवा मजदूर के रूप में इस प्रदेश के सामन्तवादी एवं पूंजीपतियों द्वारा उनसे काम करवाया जा रहा है। मैं इसी के संदर्भ में एक ज्वलन्त उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मान्यवर, अभी पिछले 16-2-86 को सीतापुर में एक खांडसारी उद्योगपति ने एक छोटे लड़के को जो कड़ाहे में आग झोंकने का काम कर रहा था, उसे मार कर खौलते हुए कड़ाह में फेंक दिया और जब वह तड़फड़ाने लगा तो हेड मिस्त्री ने उसे देखा और उसको बाहर निकाला, उस समय उस लड़के की थोड़ी बहुत सांस चल रही थी। मान्यवर, एक गरीब घर का लड़का, असहाय बच्चा जो मजदूरी करने आया था उसके लिये लोगों ने दवा वगैरह के लिये उस उद्योगपति से रुपये की मांग की तो उद्योगपति ने कहा कि मैं तनख्वाह पर काम कराता हूं मुफ्त में काम नहीं कराता हूं। इस तरह से वह लड़का दवा के अभाव में तड़प-तड़प कर मर गया।

इस घटना से जनपद सीतापुर में रोष व्याप्त है। पूरे प्रदेश में गरीब लोगों में एक दहशत फैल गई है। वे कहते हैं कि हम पेट के लिए, रोजी करने के लिये जाते हैं, श्रम करने के लिये जाते हैं और श्रम की मजदूरी मिले या न मिले, हमारी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन इस प्रशासन ने आजतक उस उद्योगपति के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की है। वह पैसे के बल पर घूम रहा है और उसी के बल पर हर अधिकारी को संतुष्ट कर लिया है। इस जघन्य अपराध करने वाले उद्योगपति के खिलाफ पुलिस ने आजतक कोई कार्यवाही नहीं की है। मान्यवर, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि इससे बढ़कर और कोई लोक महत्व का प्रश्न हो नहीं सकता है। बिलकुल कम उम्र के बच्चे को कड़ाह में फेंककर मार दिया गया। इसलिए मान्यवर, आप सदन की शेष कार्यवाही को रोककर इस विषय पर चर्चा करा दें। यही मेरा अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मित्र सेन जी, आपने जो प्रश्न दिया है कि शिक्षक धरने पर बैठे हुये हैं। तो यह नियम 56 में नहीं आता ...

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, इसकी ग्राह्यता पर आप सुन लें।

मान्यवर, निवेदन यह है कि आज पूरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में हजारों अध्यापक ऐसे हैं जो असहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं । पिछले साल सरकार ने यह निर्णय किया था कि 250 विद्यालय प्रतिवर्ष स्थापित किए जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष –

यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है ।

श्री मित्रसेन –

मान्यवर, दो अध्यापक आमरण अनशन पर हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब हो रही है । गेट पर पड़े हुए हैं । हजारों अध्यापक ऐसे हैं जो असहायता प्राप्त स्कूलों में बंधुवा मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं । पिछले सत्र में सरकार ने कहा था कि प्रतिवर्ष ऐसे स्कूलों को सहायता प्रदान करेंगे और उन्हें अनुदान की सूची में ले आयेंगे । लेकिन इस वर्ष किसी को अनुदान सूची में शामिल नहीं किया जिसका नतीजा यह हुआ कि लगभग 50 विद्यालय ऐसे हैं जो सहायता प्राप्त नहीं हैं उन्हें जिला स्तर की सूची पर भी नहीं लाया गया । जो 500 मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वे अनुदान सूची पर न आने के कारण 10 (दस) हजार अध्यापक प्रभावित हैं ।

श्री उपाध्यक्ष –

आपने ध्यान आकृष्ट करा दिया । अब आप बैठें । यह तो सरकार का काम है । वह अपना काम करेगी । आपने अपना काम कर लिया । वह इसको देखेगी ।

माननीय किरन पाल सिंह जी, आपका मामला ऐसा है ।

श्री किरन पाल सिंह –

मान्यवर, मामला गम्भीर है ।

श्री उपाध्यक्ष–

गम्भीर तो है ।

श्री किरन पाल सिंह –

फिर इसकी ग्राह्यता पर सुन लें । इस महीने की 20 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता 5 हजार की संख्या में केन्द्रीय सरकार के पास इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच किसी जगह स्थापित करने की मांग को लेकर वहां गये थे ।

वे शांतिपूर्ण तरीके से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे क्योंकि यह उनकी बहुत पुरानी मांग थी यह मांग सन् 52 से चली आ रही है । अधिवक्ता लोग जब बोट क्लब पर पहुंचे तो उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया, अनेकों वकील घायल हो गए उनको एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया । इसका नतीजा आज यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद हैं । सन् 52 से जो मांग उठती आई है उस पर 1976 में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने भी उसकी इम्पार्टेंस को स्वीकार किया था और केन्द्र सरकार से संस्तुति की थी उसके बाद 79 में बाबू बनारसी दास ने भी मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच खोलने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था ।

श्री उपाध्यक्ष –

प्रस्ताव भेजने की बात नहीं है, यह घटना दिल्ली से संबंधित है (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह –

आप एक मिनट सुन लीजिए। उसके बाद तीसरे मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी इसकी संस्तुति की थी और जशवंत सिंह आयोग . . .

श्री उपाध्यक्ष –

उस पर चर्चा छोड़ दीजिए । (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह –

मान्यवर, इनकी मनोदशा ढुलमुल न होती तो यह नौबत न आती । यशवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मद्रास में मदुरई में बेंच स्थापित हो चुकी है ।

श्री उपाध्यक्ष –

यह मामला दिल्ली का है इस नियम में यह नहीं आता है। (व्यवधान) अब

दूसरे नियम में लाइये । इस वक्त नियम 56 में इसके आने का कोई सवाल नहीं है

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह –

आप मान्यवर, इस तरह न करें ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह –

मान्यवर, माननीय किरन पाल सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है वह दिल्ली में घटी घटना है वह ठीक है लेकिन उसके आफ-शुट्स यहां आये हैं और उससे आज पश्चिमी उ0 प्र0 के वकीलों ने हड़ताल की है ।

श्री उपाध्यक्ष –

नेता जी आप की बात सही है लेकिन नियम 56 में जो नोटिस दी गयी है वह दिल्ली की घटना को लेकर दी है (व्यवधान) यह दूसरे किसी नियम में आ जाय तो कोई दिक्कत थोड़े है, कभी आ सकती है । जशवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट की मांग कर सकते हैं । इसमें चूंकि दिल्ली की घटना का जिक्र है इसलिए नहीं आ सकता है । (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह –

मैं ग्राह्यता पर बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष –

ग्राह्यता का सवाल नहीं होता है । जब नियम 56 में नहीं आता है तो कैसे स्वीकार की जाय ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय किरन पाल सिंह जी ने जो सवाल उठाया है वह बहुत महत्व-पूर्ण है आज सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद हैं कोई काम नहीं हो रहा है बहुत से लोग जेल में बंद हैं, बिना मतलब के जेलों में उनको रहना पड़ रहा है । आप भी इस मांग से सहमत हैं।

श्री उपाध्यक्ष –

मैं जब बोलूंगा तब बताऊंगा । इसमें सहमति या असहमति का सवाल नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं आप सहमत हैं, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री बैठे हैं वह खड़े होकर कह दें, मैं सहमत नहीं हूं । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी ग्राह्यता पर दो तीन माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनकी सुन लें । मेरी प्रार्थना है कि इस मामले को अब ज्यादा टालना ठीक नहीं है । इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के विभाजन की भी मांग उठेगी ।

इसलिये हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास में उत्तर प्रदेश का बड़ा होना एक बाधक है । अतः इस पर एक दिन की चर्चा करायें । यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकीलों का ही नहीं मामला है बल्कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे का भी मामला है ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन–

मान्यवर, जो मुद्दा श्री किरन पाल ने उठाया है वह मखौल का मुद्दा नहीं है । परसों मेरी सहारनपुर में बड़ी दुर्दशा हुई क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं प्रतिनिधि हूं । दिल्ली में वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ है और उसके समर्थन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वकील जुलूस लेकर जाते हैं तो उन पर लाठी चार्ज हो रहा है और पुलिस वकीलों को पीटती है, इसलिये यह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला है। जैसा नेता विरोधी दल ने कहा है और मैं तो कहने वाला हूं कि या तो हाई कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुलवायें नहीं तो मेरे जैसा आदमी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

उत्तर प्रदेश के बंटवारे का झंडा लेकर निकल पड़ेगा, हम इस तरह से दूसरों के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। एक एम0 पी0 जो इलाहाबाद से चुना गया है, अमिताभ बच्चन, उसके प्रभाव में सेन्ट्रल गवर्नमेंट आकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच नहीं खुलवाने जा रही है। वकीलों की पिटाई हो रही है और इलाहाबाद में हमारे आदमी लूटे जाते रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें और यदि संसदीय कार्य राज्य मंत्री आप सरकार की वकालत करेंगे तो आपका बिस्तरा बंध जायेगा। इसलिये सरकार इस पर तुरन्त निर्णय ले वरन्त हमें उत्तर प्रदेश के बंटवारे का झंडा उठाना पड़ेगा।

(श्री किरन पाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री भोपाल सिंह आदि के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें। ग्राह्यता पर कितने लोग बोलेंगे। नियम के अनुसार जिस आदमी का नोटिस था उसको केवल बुलवाना चाहिए था लेकिन उदारतापूर्वक इस विषय की गंभीरता को समझकर कई को सुन लिया, इसलिये अब संसदीय कार्य राज्य मंत्री उत्तर देंगे। बैठ जायें।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच का मामला बहुत लम्बे समय तक आन्दोलन का विषय बना रहा और वर्षों से उस क्षेत्र के वकील कभी हड़ताल करके, आन्दोलन करके और कभी भूख हड़ताल कर इस मांग को रखते रहे। इसलिये इन बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सारा प्रकरण केन्द्र सरकार को भेजा जिसमें जांच हुई और उसके बाद उनकी जांच रिपोर्ट तैयार हो गयी है जो केन्द्र सरकार के विचाराधीन है और प्रदेश स्तर पर कोई बात विचाराधीन नहीं है।

मान्यवर, श्री किरन पाल सिंह ने लाठी चार्ज के संबंध में कहा तो यह दुख की बात है कि वकील जो बुद्धिजीवी वर्ग से संबंध रखते हैं उन पर लाठीचार्ज हो। मान्यवर, कल मैं मेरठ गया था तो वहां के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, अधिवक्ता संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने हमको एक ज्ञापन दिया और अवगत कराया, वह भी दुखी थे लेकिन यह बात जिस संदर्भ में यहां उठाई जा रही है उसमें नहीं थी। उनका ज्ञापन जो संबंधित अधिकारी हैं उनको हम भेज भी रहे हैं।

यह सारी घटना दिल्ली में हुई, लाठीचार्ज हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसकी जानकारी हमें है, लेकिन जो जानकारी हमें दी गई है, उसके आधार पर हम एक ज्ञापन दिल्ली की टेरिटोरियल स्टेट सरकार को भेज रहे हैं, और आशा करता हूं कि उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मुझे सुन लें, मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं . . . .

(व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह–

आप या तो इस पर चर्चा कराइये या हमें भी बोलने का मौका दीजिए।

श्री किरनपाल सिंह–

दिल्ली की यह घटना है, यह सही है, लेकिन जो असली विषय है, इससे वह विषयान्तर कर रहे हैं। इसको लेकर तीन-तीन मुख्यमंत्री इससे सहमत हो चुके हैं . . . .

श्री हुकुम सिंह–

आप सूचना को पढ़ दीजिए ।

श्री किरनपाल सिंह–

उसमें यही है कि सरकार की अस्पष्ट नीति और भ्रामक दृष्टिकोण के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है । इसमें सारी घटना आ जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं-नहीं, यह उसमें नहीं आता है ।

श्री किरनपाल सिंह–

कैसे नहीं आता है ? . . . . . (व्यवधान) केन्द्र सरकार ने इसमें चौथी बार आपसे प्रत्यावेदन मांगा है कि बेंच वहां खोली जाए या न खोली जाए । मान्यवर, जशवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तामिलनाडू प्रदेश के मदुराई नगर में वहां के हाईकोर्ट की बेंच खुल चुकी है यह बहुत गम्भीर विषय है । इसी पर उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात चल रही है, अदालतें बन्द हैं, तो आप इस पर चर्चा करायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 में आपने दिया है और वोट क्लब की घटना पर दिया है, जो इसमें आपकी लैंग्वेज है । उसके बाद जो जिलों में बीत रहा है, उसके आधार पर देना चाहिए था, उसके आधार पर नहीं दिया है, मैं पढ़े देता हूं–गत 20 फरवरी को जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में . . .

श्री मुलायम सिंह यादव–

इसकी क्या जरूरत है, बोल तो दिया है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मुझे सुन रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कोई रूकावट तो है नहीं, जो आपको लाना है लाइये । इसमें कहीं कोई रूकावट नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अगर शब्दों में कोई हेरफेर हो गया है तो वह अलग चीज है . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

सब शब्दों का हेरफेर तो है ही ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप माननीय सदस्यों की भावनाओं को तो समझ ही गये होंगे, इसलिए आप इस पर चर्चा सीधे स्वीकार कीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

शब्दों के हेरफेर में यह गाड़ी तो अब गई । वरना यह विषय तो बहुत अच्छा था । अब अगला लेता हूं ।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

मैं आपकी इस बात के खिलाफ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री किरनपाल सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री हरेन्द्र सिंह भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं इसके खिलाफ अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(नेता विरोधी दल, श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के कुछ सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

इसके बाद बस्ती जनपद में लाठीचार्ज का जो माता प्रसाद जी ने दिया है, उस पर श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के

भी दस्तखत हैं और उसके बाद श्री सुखपाल व अन्य वाली सूचना पर भी श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के दस्तखत हैं, इसलिए मैं इन दोनों सूचनाओं को खारिज करता हूं ।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय, विरोध में सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये ।)

देखिये नियम नियम रहेगा । यह आपको शोभा नहीं देता है । मैंने कल भी कहा था कि अगर दोनों पर दस्तखत होंगे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, दो नोटिस पर एक विधायक के दस्तखत होंगे तो उसको नहीं स्वीकार करूंगा । उसी पर मैं आज भी हूं । नियम का पालन होना चाहिए ।

(श्री सुखपाल पाण्डे भी सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

यह तरीका ठीक नहीं है आप अपने स्थान पर जायं ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी कोई बात नहीं लिखी जायगी। नियमों का आपको पालन करना चाहिये।

श्री सुखपाल पाण्डे–

[x x x]

(तत्पश्चात् श्री सुखपाल पाण्डे और श्री माता प्रसाद पाण्डेय अपने-अपने आसन पर आ गये ।)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय माता प्रसाद पांडेय और माननीय सुखपाल पाण्डेय की वेदना को समझिये। इतनी तात्कालिक घटना और क्या हो सकती है । वहां गोली चली है और लाठी चली है । यह हाल की घटना है । इसको सुन तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

एक प्रेक्टिकल डिफीकल्टी है। मैं इसी ग्राउन्ड पर और लोगों की सूचनाओं को खारिज कर चुका हूं कि अगर एक से ज्यादा सूचनाओं पर माननीय सदस्य के दस्तखत होंगे तो उस सूचना को स्वीकार नहीं करूंगा ग्राह्यता के लिये भी। आज कमाल यूसुफ साहब के दोनों सूचनाओं पर दस्तखत हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, सुन लें। वहां पर एक सम्मेलन की घोषणा कर दी गयी थी। कमाल साहब तो कल गये थे। उस सम्मेलन के बारे में पर्चा भी बंटा था । मैंने उसको 18 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री को दिया था कि एक सम्मेलन हो रहा है वहां कोई ऐसी बात न हो, स्थिति तनाव पूर्ण न हो जाय । मैं वहां पर गया था। कलेक्टर की तरफ से या सरकार की तरफ से डुमरियागंज में दफा 144 लगायी जायगी यह घोषित नहीं हुआ था। मान्यवर, यह बताया गया कि बड़े-बड़े साधू, महात्मा सम्मेलन में आयेंगे। गांव के लोग पूड़ी-सब्जी लेकर आयें और महत्माओं के दर्शन करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने एक बात कह दी, आप कितना सुनायेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, जहां से नियम खंडित, विखंडित और तैयार होते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

लेकिन मैं नियमों को खंडित करने के लिये तैयार नहीं हूं ।

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, कमाल साहब यहां पर हैं नहीं। यह कैसे पता चले कि किस पर उन्होंने दस्तखत किया । उन्होंने इस पर दस्तखत करके दिया था। यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। मैं आपके सदन का एक अनुशासित सदस्य हूं किन्तु आप मुझे अपनी बात नहीं कहने दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

जो नियम बना दिया है उसका पालन होना चाहिये । ऐसा नहीं है कि मैं इसकी गंभीरता को नकार रहा हूं। आपकी सूचना की गंभीरता को मैं नकार नहीं रहा हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, इसके पूर्व दृष्टान्त हैं आप उठाकर देख लें। तमाम बार ऐसी बहस हुयी है । एक मिनट मुझे अपनी बात कह लेने दें सदन का समय जा रहा है। मैं वहां गया था । मैंने कलेक्टर से कहा कि आपने रोक तो नहीं लगायी तो उन्होंने कहा कि अभी मैं निर्णय नहीं ले पाया । 22 फरवरी को घोषित किया गया कि 144 लगा दी गयी है और डुमरियागंज को जाने वाली सारी बसें बंद की गयीं । कल सबेरे इटवा जहां से मैं चुनकर आया हूं वहां पचासों हजार आदमी, साधू, महात्मा आ गये । लोग मेरे पास आये कि बसें क्यों बंद हैं आप चलवायें। मैंने कहा मुझे पता नहीं है और मैं दूसरी जगह चला गया। 1 लाख की भीड़ डुमरियागंज गयी । वहां पर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं बताया कि कहां पर सभा होगी? या जो साधू, महात्मा आने वाले हैं वह कहां आयेंगे ? पूरी भीड़ सड़क पर चौराहे पर घूमती रही ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं नहीं सुनना चाहता। आप नियम का पालन कीजिये ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

उसके बाद जब चौराहे पर भीड़ नियंत्रित होकर बढ़ी तो पुलिस ने लाठी चलायी और सैकड़ों आदमी घायल हुये। गोली चली और रामवृक्ष नाम का एक आदमी मान्यवर, मर गया और पुलिस के लोगों में किसी के भी कोई चोट नहीं आयी। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं आज सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा आप कराएं ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, नियमों के तहत इनका मामला यद्यपि नहीं आता फिर भी मान्यवर, मामले की इम्पार्टेन्स को देखिए और थोड़ी देर के लिए सदन की कार्यवाही को निलंबित कर इस पर चर्चा करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं तो मैं इसको नहीं सुनूंगा ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, नियम 56 के अंतर्गत आपके माध्यम से यह सूचना देना चाहता हूं कि चने की खड़ी फसल में घोघरा में भयानक गिडार नामक कीड़े के लग जाने से उसके नतीजे में आगरा जिला में अधिक संख्या में खेत बंजर हो गये हैं झांसी मंडल और प्रदेश में चना की फसल पर रोग है। वहां के जिला कृषि अधिकारी ने, कीटनाशक दवाओं पर जो छूट काश्तकारों को मिलती थी, उस पर रोक लगा दी है । ऐसी स्थिति में मान्यवर पूरे आगरे के कुछ स्थानों को छोड़कर हर जगह की चने की फसल को इतना जबर्दस्त और भयानक रोग लगा है फिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी इस ओर शासन का कोई ध्यान नहीं है । जबकि मान्यवर, आज वहां के किसानों के खेतों में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव की बहुत आवश्यकता है, लेकिन शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और आगरे के कृषि रक्षाधिकारी ने इस छिड़काव पर रोक लगा दी है और मान्यवर, इसी प्रकार का मामला मैंने पिछले वर्ष भी दवाओं में 8 लाख रुपये के घपले का यहां उठाया था। इसलिए मेरा इस बार भी आपसे निवेदन है कि किसानों की चने की खेती को बरबाद होने से बचाने के लिए आप सरकार को निर्देशित करें कि दवाओं में पहले जो छूट मिलती थी वह छूट दी जाए और किसानों के चने के खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी युद्धस्तर पर किया जाए ताकि वहां के किसान होने वाले नुकसान से बच सकें अथवा अब तक जिन किसानों को क्षति पहुंच चुकी है, उनकी क्षति पूर्ति करें इसलिए मेरा निवेदन है कि इस अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर अवश्य चर्चा कराएं और साथ ही सरकार को भी निर्देशित करें ताकि किसान इस नुकसान से बच सकें। दवाओं का छिड़काव युद्ध स्तर पर शुरू करावें और किसानों की क्षति पूर्ति करें ।

(श्री यदुनाथ सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आपका भी कोई मामला है ?

श्री यदुनाथ सिंह–

जी हां, जैसा कि आप कह चुके हैं कि मैं नियमों के तहत अपना -------

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपना आसन ग्रहण करें । बकर साहब कुछ कहना चाहते हैं ।

*श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, मैं एक बात अर्ज करूंगा कि जहां आजकल देश और प्रदेश की स्थिति जैसा कि आपके सामने है, खराब चल रही है और जैसा कि सरकार कहती भी है कि हालात बहुत खराब हैं। कल मान्यवर, मैं सम्भल में स्वयं मौजूद था। करीब 8.00 बजे रात में एक मैटाडोर जिसका नम्बर 3524 यू0टी0यू0 है उसमें तेजाब के 32 केन रखे हुए थे, जब लोगों ने उसमें तेजाब देखी तो उसे पकड़ लिया । इस तरह वहां पर एक अच्छी तादाद हजारों की इकट्ठा हो गयी। मैं वहां पर मौजूद था, एस0डी0एम0 और सी0ओ0 को फोन हुआ । जब यह लोग आए तो हम सब लोगों की कोशिशों से वहां की कुछ हालत संभली और वह मैटाडोर कब्जे में ले ली गयी । तो मालूम यह हुआ कि वहां के कुछ सर परस्त लोगों ने, फिरका परस्त लोगों ने यह तेजाब इसलिए इकट्ठा किया था कि संभल के अंदर जो मस्जिद है, उसमें आग लगा दी जाए और इस तरह आग लगाकर वहां के हालात खराब करना चाहते थे ।तो इन हालत में सम्भल की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। वहां की हालत अच्छी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि उन्होंने जितनी तेजाब की ट्रकें इकट्ठा करके आग लगाने की कोशिश की और हालात को बदलने की कोशिश की, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय। यह माननीय मंत्री जी आश्वासन दें।

[x x x]

(घोर व्यवधान)

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायगा। अब इजाजत नहीं ।

(घोर व्यवधान)

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, जिस पीठ पर आप बैठे हैं, आप संविधान के प्रहरी हैं, यह संविधान डा0 अम्बेदकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानियों से बना है, जिसके आप प्रहरी हैं, और यह 12 करोड़ का प्रदेश है, राम जानकी रथ और बाबर की मस्जिद को तो मैं नहीं जानता, लेकिन कितने निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, सुल्तानपुर का मुसाफिरखाना आदि ये उत्तेजक स्थान हो गये हैं, जहां साम्प्रदायिक उत्तेजना है, वहां पर समय-समय पर कर्फ्यू की स्थिति है, धर्मान्ध लोगों के कारण अमन-चमन में खतरा है । ऐसी स्थिति में हम लोग केवल सदन में बैठें और लोगों के जीवन और जिन्दगी के कल्याण के बारे में न सोचें, आज कल्याणकारी का मतलब होता है, लोकतांत्रिक राज्य का मतलब होता है, "फार दि पुवरर, आफ दि पुवरर, बाई दि पुवरर।" ऐसी स्थिति में हम निवेदन करते हैं कि आप निर्देश दें कि विधान सभा के सभी सदस्य अपने क्षेत्रों में जायं और साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना पैदा करें, जिससे सन् 47 की स्थिति प्रदेश में कायम न हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी सामान्य बजट पर चर्चा होने वाली है, आप उस समय बोल लीजियेगा आपको कौन मना करता है। माननीय यदुनाथ सिंह जी, आप आसन ग्रहण करें ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, हर गली, हर मोहल्ले, हर नगर में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई कहते हैं कि उनके में भाई चारा है, अपने संबंध हैं। लेकिन कुछ अवांछनीय तत्व, कुछ गुंडागर्दी के लोग ऐसा माहौल फैला रहे हैं, जिससे हम लोगों के सदन में बैठ कर, चर्चा करने एवं सरकार के निर्देश के बावजूद भी अमन-चयन नहीं कायम हो पा रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप निर्देश दें कि ऐसी परिस्थिति में सदन के माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में 7 दिन के लिए जायं और आप 7 दिन के लिए सदन स्थगित कर दें, माननीय सदस्य 7 दिन के लिए अपने-अपने क्षेत्र में जाकर काम करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री कनक सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय विधायक तारांकित प्रश्न के संबंध में या अन्य मद के संबंध में जब बोलते हैं, तो उन्हें समय कम मिलता है और मान्यवर, आप ज्यादा बोलते हैं और आप अपने बोलने में ज्यादा समय ले लेते हैं। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा तो समय ज्यादा रहेगा ही, जब समय कम दिया जाता है और वे ज्यादा बोलते हैं, तो मुझे तो ज्यादा बोलना ही पड़ता है ।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह एवं श्री सुखपाल पाण्डे के खड़े होने पर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी और माननीय सुखपाल पाण्डे जी, अगर आप जबरदस्ती बोलना चाहें, तो जबरदस्ती बोल लें, जिस प्रकार से माननीय माता प्रसाद पाण्डेय बोल गये। अगर आप भी उसी प्रकार से जबरदस्ती करना चाहें तो जबरदस्ती बोल लें। मैंने तो उनको सुना नहीं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आपने हमें सुना ही नहीं, मैंने तो आपको सारी स्थिति बता दी थी।

श्री उपाध्यक्ष–

अच्छा सुन लिया था मैंने आपको।

(2 बजकर 20 मिनट)

दिवाकर विक्रम सिंह जी, आप बैठें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, एक आदमी को आपने पूरा का पूरा सुन लिया। दो चीनी मिल बन्द हो गईं और तीसरी बन्द होने जा रही है उस पर सुनने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

उस पर चर्चा हुई थी।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, तब तो वाल्टरगंज और खलीलाबाद की चीनी मिल पर चर्चा हुई थी, यह तो दूसरा मामला है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इसको मैं नहीं सुन रहा हूं इस पर दो माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं इसलिए मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है। आप इसको और नियम में ले आइए मैं मना नहीं करता।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, जिलाधिकारियों द्वारा व्यापारी मंडल को जो पत्र लिखा गया है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

व्यापारी मंडल का दो आदमियों ने प्रतिनिधित्व कर दिया आप भी पत्र पढ़ना चाहते हैं। आप इस पत्र को मंत्री जी के पास भेज दीजिए, वह इसको देख लेंगे, इसको यहां पढ़ने की क्या जरूरत है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, दो लाइन का पत्र है सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

पत्र को मैं नहीं सुन रहा हूं। पत्र की कापी आप मेरे पास भेज देते, तो मैं उसको देख लेता, अब आप पत्र को मत पढ़िए।

डा0 दिनेश जौहरी –

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जा रहा है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, डा0 दिनेश जौहरी, तथा श्री सत्य प्रकाश विकल का जो मामला है, इस पर एक वक्तव्य सरकार का आ जाए।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा का तो आपको पूरा समय मिलेगा, बजट अधिवेशन है बिक्रीकर पंजीकरण आएगा इस मामले पर वक्तव्य आ जाएगा।

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वक्तव्य से क्या होगा। वक्तव्य तो यह रोज देते हैं। हम सरकार की नीति के खिलाफ दृष्टिकोण रखना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

राम गोविन्द चौधरी जी का जो मामला खांडसारी मालिक द्वारा श्रमिकों पर अत्याचार, का है, इस पर सरकार जांच करा लें। बर्क साहब के मामले को भी सरकार दिखवा ले। मैं कार्य-स्थगन के रूप में सबको अस्वीकृत करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

18 तारीख को मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि मेरे यहां गम्भीर घटना हो जायेगी, इसके बावजूद भी सरकार उस घटना को नहीं रोक सकी, इसलिए मैं आज पूरे दिन के लिए सदन का त्याग करता हूं।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मेरे वाले में क्या हुआ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने जांच के निर्देश दे दिये हैं। आपने कहा कि घटना की जांच नहीं हो रही है। मैंने जांच के निर्देश दे दिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जांच का क्या मतलब है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जो निर्णय मैंने दे दिया वह अंतिम है।

श्री राम सरन–

मुख्य मंत्री जी यहां हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हाईकोर्ट के सिलसिले में चल रहा है, उसमें आप बतायें कि क्या करने जा रहे हैं, कुछ कहलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करना चाहें, तो कर दें।

श्री राम सरन–

मुख्य मंत्री जी की स्थिति अच्छी है, इनसे निर्णय करा दें।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

वक्तव्य दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष–

जांच हो जायेगी, जो आप चाहते हैं वह नहीं होगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं आपके निर्णय के विरोध में दिन भर के लिए सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी सदन त्याग कर चले गये)।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरे निर्णय पर आप आपत्ति नहीं कर सकते हैं, यह अशोभनीय है।

अधिवक्ताओं के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

श्री राम सरन–

हाई कोर्ट के मामले पर मुख्यमंत्री जी से कुछ कहलवा दें। यह पश्चिमी क्षेत्र का मसला है, इस पर आप सरकार से कुछ न कुछ अवश्य कहलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

यह सदन नियमों से चलेगा। आप सब बैठिये। आप यहां पर किसी बात के लिये बाध्य नहीं कर सकते।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, उस समय मा0 मुख्य मंत्री जी नहीं थे। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा मसला है। वकीलों ने हड़ताल कर रखी है, मुख्य मंत्री जी को इस पर कुछ न कुछ कहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कहा तो कि मुख्य मंत्री जी स्पष्टीकरण देना चाहें तो दे सकते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी इस पर बोल चुके हैं और कोई नयी बात बतानी नहीं है। जो रिपोर्ट कमीशन की आयी थी, उस पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है। यह बात आपको बतायी जा चुकी है और कोई नयी बात नहीं बतानी है।

1986–87 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 1986-87 का जो बजट रखा है, उसके सम्बन्ध में मैं आदरणीय सदन को अवगत करा रहा था कि यह बजट जो मा0 मुख्यमंत्री ने रखा है, यह निराशा का बजट है। यह बजट किसान विरोधी, गांव विरोधी और जन विरोधी बजट तो है ही, साथ ही साथ प्रदेश की जनता के साथ धोखे का बजट है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं विभागों की खामियों के बारे में शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मान्यवर, बता रहा था, उदाहरण दे रहा था कि किस तरह से यह प्रदेश की जनता के साथ धोखे का बजट है, या किस तरह से फिजूलखर्ची का बजट है। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा टेलीविजन सेट लगाने के लिये। तो एक तरफ हमारे प्रदेश में तीन हजार प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जहां गर्मी, बरसात और जाड़े में बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, उनके बैठने की जगह नहीं है और मा0 मुख्यमंत्री जी 900 टेलीविजन सेट्स की व्यवस्था कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिये कि जो 900 टेलीविजन सेट्स पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाये जा रहे हैं।

(इस समय 2 बज कर 32 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

उनके रखने के लिए इमारत भी है या नहीं। लेकिन यह कार्य केवल अपने नेता का चेहरा दिखाने के लिए किया गया है और प्रदेश के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। विद्युत के बारे में मैं बताना चाहता हूं। इसमें बजट में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन प्रदेश में एक दर्जन विद्युतगृह ऐसे हैं जो दो वर्ष से बिगड़े हैं और आप उनको चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सोहावल में एक विद्युतगृह है जहां 265 कर्मचारी काम करते हैं और 2.80 लाख रुपया वेतन पाते हैं। मेरी जानकारी है कि इस प्रदेश में करोड़ों रुपया प्रतिमाह बिजलीघरों पर बिना किसी मतलब के सरकार की ओर से खर्च हो रहा है बिजलीघर बन्द पड़ा है। यह सरकार बिजलीघरों को चलाने में असमर्थ है और प्राइवेट सेक्टर में बेचना चाहती है। मान्यवर, आज शासन में बैठे हुए लोगों में सामंजस्य नहीं है। मान्यवर, एक तरफ माया पत्रिका में ग्लीसरीन काण्ड उजागर हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जब हमारा ध्यान प्रदेश के उन अस्पतालों की तरफ गया, जहां पर मासूम

† दि0 19 फरवरी 1986 की कार्यवाही से।

बच्चे मर रहे हैं, कुत्ता काटने के संबंध में कोई भी सुई किसी भी अस्पताल में नहीं है, तमाम लोग पागल हो रहे हैं, ऐसे प्रदेश में 19 रुपये की ग्लीसरीन 79 रुपये में खरीदने के लिए आदेश दिये गये हैं। इसमें लगभग 80 लाख का सीधे सीधे घोटाला हुआ है। मान्यवर, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री हेगड़े किसी घपले को लेकर इस्तीफा दे सकते हैं तो मैं कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बजट भाषण में यह व्यवस्था करनी चाहिये थी कि ग्लीसरीन काण्ड के सम्बन्ध में जांच बिठायी जायेगी।

मान्यवर, मैंने कहा था कि यह बजट जो है किसान विरोधी है। मान्यवर, आज कोई भी उद्यमी ऐसा नहीं मिलेगा, जो घाटे का सौदा करता हो लेकिन हमारा किसान इतना दुर्भाग्यशाली है कि वह घाटे का सौदा कर रहा है। मान्यवर, आप देखें गेहूं पैदा करने में लागत आती है 237 रु0 प्रति क्विंटल और सरकार ने मूल्य निश्चित किया है 162 रुपये। इसलिए यह सरकार किसान विरोधी है। मान्यवर, मैंने कहा था कि यह सरकार जन विरोधी, गांव विरोधी है। आज चाहे डाक्टर हो, वकील हो, शिक्षक हो, किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, या यहां का माननीय विधायक इस सरकार के चलते आज किसी की इज्जत नहीं बची है। मान्यवर, सत्तापक्ष के विधायक माननीय दत्ता साहब का प्रकरण इसी सदन में उठा था, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मान्यवर, एक तरफ सरकार कहती है कि हम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए यह लानत की बात है कि आज सदन में बैठे हुए अपने दल के विधायक और हम लोगों की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो प्रदेश की जनता जो गरीब है, झोपड़ी में रहती है, जिसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी रक्षा यह कैसे कर सकते हैं? मान्यवर, यह सरकार दावा करती है कि हम पुलिस प्रशासन को चुस्त करेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप इसे चुस्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप पुलिस के गुलाम हो गये हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 अधिकारियों के हाथ की कठपुतली हो गयी है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस लच्छेदार बातों का प्रयोग करते हुए यह बजट रखा है, यह बिल्कुल रस्म अदायगी है। मान्यवर, अब मैं सार्वजनिक विभाग की धांधलियों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मान्यवर, हमारे फैजाबाद जनपद में 13 मार्च को 5 लाख रुपये की सीमेंट और लोहे की चोरी हुई, इस बात को मैं नहीं बल्कि इनका सरकारी इंजीनियर कह रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के लिये लानत की बात है कि उनका विभाग होते हुए भी आज तक न उसमें किसी का सस्पेंशन हुआ है और न ट्रांसफर हुआ। मान्यवर, यह सरकार दावे के साथ कहती है कि हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ी है, हमने विकास किया है। लेकिन, मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आप देखें सारे नलकूप बन्द पड़े हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। ज्यादातर माइनर सूखे पड़े

हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। मान्यवर, यह सरकार दावे के साथ कहती है कि अन्य सूबों की तुलना में हमने हर क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाये हैं और हम आगे बढ़े हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आप शिक्षा के क्षेत्र को ही देख लें, हिन्दुस्तान की शिक्षा 36.23 प्रतिशत है, जिसमें केरल की शिक्षा 70.42 प्रतिशत, महाराष्ट्र की 47.18 प्रतिशत, तमिलनाडु की 46.76 प्रतिशत और हिमांचल प्रदेश की 42.48 प्रतिशत और मणिपुर की 41.35 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा 27.16 है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अवधेश जी अब आपका समय समाप्त हुआ। मैंने त्रियुगी नारायण मिश्र जी को बुलवा लिया है। अब आप बैठ जायं।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यदि आप इजाजत नहीं दे रहे हैं तो इन्हीं शब्दों के साथ माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों, तो उनके बोलने में गतिरोध न किया जाय अन्यथा मुझे माननीय सदस्य का समय घटाने के बजाय बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए माननीय सदस्य शान्ति पूर्वक बात सुनें।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे 1986-87 के आय-व्ययक पर बोलने का अवसर दिया। प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री बीर बहादुर सिंह जी ने अपने अल्प सेवा काल में एक दृढ़, योग्य प्रशासक होने का परिचय दिया है। उन्होंने गिरोहबन्द विरोधी कानून पास करके शस्त्रों का सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों में ले जाने पर रोक तथा जिन अधिकारियों द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्यवाही कर प्रदेश में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने का भरसक प्रयास किया है। यही कारण है कि कई भ्रष्ट अधिकारी सेवा से मुक्त कर दिये गये हैं और बहुत से अधिकारी अपने दिन गिनने लग गये हैं और जनता इसकी प्रशंसा भी कर रही है। प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ही साथ आर्थिक विकास एवं वित्तीय अनुशासन को भी मजबूत करने के लिए जो कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाये हैं, वह बहुत ही सराहनीय हैं। 100 करोड़ रुपए के बिक्री-कर रजिस्ट्री स्टाम्प आदि शुल्कों से वसूल कर पिछले बजट के घाटे को पूरा किया गया है। इस साल के बजट में जो 88.84 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है, उसे भी बिना नये कर लगाकर, आय-व्यय के मदों में खर्च कम करके तथा अन्य शुल्कों की वसूली द्वारा पूरा करने का प्रयास किया है। तथा वर्तमान करों की वसूली में दृढ़ता लाकर के पूरा करने जा रहे हैं।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने योजना आयोग के सम्मुख प्रदेश के लिए बड़ी योजना देने के लिए कड़े शब्दों में संस्तुति की है, जिसके कारण 1986-87 के लिए 2150 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना स्वीकृत हुई है, जो पिछले वर्ष की वार्षिक योजना से 24 प्रतिशत बड़ी है। राष्ट्रीय विकास परिषद् में भी उन्होंने मजबूती से प्रदेश के पक्ष को रखा और कहा कि पिछड़े-

पन और जनसंख्या की दृष्टि से धन का आवंटन किया जाय। यद्यपि इस फार-मूले को केन्द्र सरकार ने नहीं माना है लेकिन पिछले वर्ष के धन आवंटन में इस वर्ष काफी वृद्धि की है। बजट साहित्य से पता चल रहा है कि संघ उत्पादन शुल्क में राज्य सरकार के अंश में 87.48 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। सामाजिक सुरक्षा तथा सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए 41.65 करोड़ रुपए की वृद्धि केन्द्रीय अनुदान में की गई है। मुख्य मंत्री जी के इन प्रयासों से ही बजट में आयोजनागत पक्ष में 276.77 करोड़ की वृद्धि तथा आयोजनेत्तर पक्ष में 317.74 करोड़ रुपए की वृद्धि सम्भव हो सकी है।

मुख्य मंत्री जी प्रदेश के पूर्वी जनपदों की गरीबी, बेरोजगारी, गिरती हुई कृषि और उद्योग विहीनता से परिचित हैं। उत्तर भारत के मुख्य मंत्रियों के पटना सम्मेलन में उन्होंने पूर्वी जिलों के विकास के लिए 45 सौ करोड़ रुपए की एक योजना प्रस्तुत की थी। पिछले वर्ष विश्व बैंक के अध्यक्ष काल्जन ने पूर्वी जनपदों के दौरे के बाद अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि वह पश्चिमी प्रदेश के विकास से संतुष्ट हैं लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की दशा शोचनीय है। यदि भारत सरकार चाहे तो पूर्वी प्रदेशों के विकास के लिए विश्व बैंक से और अधिक धन की व्यवस्था करने के लिए कह सकती है। हमारे मुख्य-मंत्री जी ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा वाराणसी में की थी, जो एक मजबूत कदम का परिचायक है।

पर्वतीय विकास परिषद् की तरह पूर्वा-चल विकास निगम को भी अधिक धन देना चाहिए। पूर्वांचल विकास निगम के पास न तो धन है और न कोई अधिकार प्राप्त है, अब तो बुन्देलखण्ड विकास निगम का भी दर्जा बढ़ा दिया गया है, लेकिन पूर्वांचल विकास निगम वैसे ही पड़ा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास सामान्य बजट और सामान्य योजना से होना सम्भव नहीं है इसके लिये विशेष निधि और विशेष योजना आवश्यक है।

शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं। गोरखपुर मण्डल के प्राइमरी स्कूलों में टेलीविजन द्वारा शिक्षा, मुख्यालय के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में पत्राचार तथा सम्पर्क द्वारा शिक्षा तथा विश्व-विद्यालय की शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा, शिक्षा जगत में एक सराहनीय प्रयोग सिद्ध होंगे।

इसके साथ ही कतिपय विभागों की ओर इंगित करना चाहता हूं, जिन्हें माननीय मुख्य मंत्री जी को विशेष ध्यान देकर कुछ विभागों को कसना चाहिये। इसमें से एक विद्युत विभाग है। प्रदेश में मोटे तौर पर मांग के अनुसार 12 प्रतिशत बिजली की कमी आती है। इसी प्रदेश में स्थापित क्षमता की केवल 32 से 36 प्रतिशत विद्युत उत्पादित की जाती है, यह राज्य के साथ अपराध है। देश का औसत विद्युत उत्पादन क्षमता का 60 प्रतिशत है। यदि केवल विद्युत उत्पादन क्षमता को 50 प्रति-शत कर दिया जाय तो प्रदेश में विद्युत की कमी नहीं रह जायगी। आज विद्युत परिषद्, चीनी निगम, सीमेन्ट निगम तथा 50 प्रतिशत निगम सफेद हाथी बन गये हैं, इनमें करोड़ों रुपये का घाटा चल रहा है, निगमों के भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर अगर इन्हें अनुभवी, योग्य तथा ईमानदार राजनैतिक व्यक्तियों के हाथ में दिया जाय, तो इनमें लाभ निकल सकता है तथा प्रदेश का विकास सम्भव है।

मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान स्वास्थ्य विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं स्वास्थ्य विभाग में सरकारी कर्मचारियों और डाक्टरों को

परिवार नियोजन के लिए कोटा दिया जा रहा है और कोटा न देने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। भारत सरकार की नीति परिवार नियोजन स्वेच्छा के आधार पर चलाने की है, किन्तु यहां पर जबरन नसबन्दी की जा रही है। मेरी मांग है कि इसमें कोटा न फिक्स किया जाय।

गोरखपुर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। यह सीमा पर स्थित है, मेरी मांग है कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाय तथा गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बहराइच, गोंडा को विशेष धन देकर बार्डर को मजबूत किया जाय।

इसके साथ ही मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र गोरखपुर की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में डोहरिया नामक एक स्थान है, जहां पर सन् 1942 में 9 लोग शहीद हुए थे। मा0 मुख्यमंत्री जी ने वहां शहीद स्मारक बनाने की घोषणा कर दी थी प्रसन्नता की बात है। आमी नदी पर तटबन्ध बनाना, तिलौरा-चड़रांव, मार्ग, सीहापार-तड़वां खुर्द, घघसरा मार्ग, सीहापार-जिगना मार्ग, सिसही-पीपरीगंज मार्ग पर स्थित गोवरहिया नाले पर पक्का पुल बनवाना परम आवश्यक है क्योंकि क्षेत्रीय आवागमन के अभाव के कारण क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्रीय संतुलन बनाने की घोषणा की है। इस दिशा में यह एक सराहनीय कदम होगा।

श्रीमती सरोज वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि जो आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने के लिए अवसर दिया। उसके बाद मुख्य मंत्री जी जो बजट लाये हैं 12 करोड़ जनता के लिये, इससे आम जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं है। सिर्फ बजट पर भाषण देने से, गरीबों की गरीबी दूर करने की बात कहने से गरीबों का या किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। केवल किसान का और गरीब का नाम ले लेने से उनका कोई हित नहीं हो जाता है।

आज देखिये कि पेट्रोलियम के जो दाम बढ़े हैं, आप दुनिया के किसी भी बाजार में चले जाइये, कहीं भी आपको पेट्रोलियम इतने ज्यादा दामों में नहीं देखने को मिलेगा जितने कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस गरीब देश में पेट्रोलिय के दाम बढ़ा दिये हैं। आप देखें कि आम आदमी के काम आने वाली जरूरत की हर चीज के दाम बढ़ गये हैं जिससे कि गरीबों की कमर टूट रही है। चाहे डीजल हो, चाहे खाद हो, चाहे पेट्रोल हो या पेट्रोलियम से संबंधित कोई भी काम आने वाली चीज हो, आज आप अगर बाजार में जाइये तो आप पायेंगे कि इन चीजों के अलावा भी व्यापारियों ने सभी आवश्यक वस्तुओं के दामों को बढ़ा दिया है। आज आम आदमी यह सोच नहीं पा रहा है चाहे वह गांव का आदमी हो या चाहे शहर का आदमी हो कि वह किस तरह से इस महंगाई का सामना करे। महंगाई ने उसकी कमर को तोड़ दिया है। उस पर हमारी सरकार कहती है कि हम किसानों के और गरीबों के रक्षक हैं। अभी मैं लखनऊ में ही एक कवि सम्मेलन में गयी थी, वहां पर एक कवि ने महंगाई के संबंध में चार लाईनें सुनायी थीं, जो कि मुझे बहुत ही मुनासिब लगीं। उसने कहा था कि–

"हमने गरीबी मिटाने का वायदा किया था,
हम अपने वायदे को पूरा कर रहे हैं।
सस्ती चीजें गरीब ही खरीदते हैं,
इसलिये हम चीजों के दाम बढ़ा रहे हैं।।"

क्या ख्याल है गरीबी मिटाने का, क्या रास्ता है गरीबी हटाने को हटाने का ? सभी चीजों के दाम आप बढ़ा रहे हैं जिसके कारण आम आदमी का जीवन-यापन करना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी जो कि अपनी झोपड़ी में मिट्टी का तेल जला कर रोशनी करता है और जिसकी रोशनी में उसके बच्चे पढ़ते हैं उसके भी दाम आपने बढ़ा दिये। जरूरत की सभी वस्तुओं के दाम इस सरकार ने बढ़ा दिये हैं। आप किसानों के हितैषी अपने को बतलाते हैं लेकिन आपने गन्ने के दामों को नहीं बढ़ाया है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फसल गन्ने की ही होती है और इससे करोड़ों रुपए की आपको प्राप्ति होती है। लेकिन आज गन्ना किसान कहां है? इस ओर आपने ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। जब गन्ना किसानों ने हड़ताल की निजी क्षेत्र की चीनी मिलें जब 30 से 32 रु0 दे रही थीं। लेकिन सरकार ने नहीं देने दिया इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि यह सरकार किसानों का भला सोचती है?

इस प्रदेश की सरकार ने 6 फरवरी को जो निजी क्षेत्र की चीनी मिलें थीं, उनका गन्ने का आरक्षित एरिया हटा दिया और चार दिन के बाद 10 फरवरी को फिर उसी क्षेत्र को उन्हें वापस कर दिया। उन्होंने भी गन्ना किसानों को वही दाम देने शुरू कर दिये जो कि यह सरकार चाहती थी। सरकार और चीनी मिल मालिकों के बीच क्या समझौता हुआ, क्या सौदा हुआ? यह तो स्वयं सरकार ही जानें? लेकिन हम तो यह जानते हैं कि यह सरकार किसानों की नहीं है। यदि यह सरकार किसानों का हित चाहती तो वह पूंजीपतियों को कभी संरक्षण न देती।

मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि 23 प्रतिशत बजट को बढ़ा हुआ रुपया मिला है लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस तरह से आपके बजट का घाटा दुगुना और चौगुना हो जायेगा क्योंकि महंगाई ने आम आदमी की कमर को तोड़ दिया है। पेट्रोलियम के दामों में वृद्धि की गयी और हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसे उचित बताया है। उन्होंने कहा कि इससे खुशहाली आयेगी। खुशहाली को बढ़ाने का क्या उचित रास्ता उन्होंने ढूढ़ा है? यदि यह सरकार गरीबों का हित करने वाली सरकार होती तो आम जरूरत की चीजों के दाम यह कभी न बढ़ने देती बल्कि अपने घाटे को अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ा कर जैसे टेलीविजन पर दाम बढ़ाये जा सकते थे, सामान्य जनता के जीवन से सम्बन्धित वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ाने चाहिये थे, यदि ऐसा किया गया होता तो फिर जनता को आपसे कोई शिकायत न होती। प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने अपने शिक्षा मंत्रालय की मीटिंग में कहा कि देश के प्राथमिक स्कूलों में कम्प्यूटर लगाये जायं। उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहती हूं कि क्या खूब आपके नेता को प्राथमिक स्कूलों के बारे में जानकारी है? कितना वे जानते हैं प्रदेश के बारे में?

श्री नरेन्द्र देव–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी का नाम लेकर एक आधारहीन बात कही है कि किसी मीटिंग में उन्होंने कुछ कहा है। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि यह बात रेकार्ड से बाहर कर दी जाय, यह एकदम गलत आरोप है।

श्रीमती सरोज वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को उनके प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को अपने देश के बारे में कितनी जानकारी वे रखते हैं, यह बतला रही थी।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपने भाषण में किसी को संदर्भित कर सकती हैं लेकिन उस पर कोई आरोप नहीं लगा सकती हैं।

श्री मूल चन्द–

जब बजट के बारे में बात होगी तो आरोप तो लगेंगे ही।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, आप बैठिये, आरोप की बात नहीं होनी चाहिये।

श्रीमती सरोज वर्मा–

मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि आप लोग यह समझ लें कि हमारे प्रधान मंत्री जी को अपने देश के बारे में और देश की समस्याओं के बारे में कितनी नजदीकी जानकारी है कि वे यहां के प्राथमिक स्कूल को दून का स्कूल समझ रहे हैं। यहां के गांव के स्कूल कैसे होते हैं, उसकी इमारत कैसी होती है? लगता है कि इसका उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। हमारे देश के भावी कर्णधार कैसे शिक्षा पाते हैं? बिना इमारत के, जाड़ों में धूप में बैठकर, गर्मियों में पेड़ के नीचे तो ऐसे में कहां कम्प्यूटर वे लगवायेंगे? गांव के लोगों को जिन्हें बिजली की रोशनी नसीब ही नहीं होती है, वहां वे कम्प्यूटर लगाने की बात कह रहे हैं।

हमारे यहां एक बावली नाम का गांव है जहां राजकीय कन्या विद्यालय में कोई सामान्य ज्ञान की अध्यापिका नहीं है। सामान्य ज्ञान जो कि एक आवश्यक विषय है। इसके बारे में मैंने डिप्टी डाइरेक्टर शिक्षा विभाग, मेरठ को 8 अक्तूबर, 1985 को पत्र लिखा था जिसका आज तक कोई जवाब मेरे पास नहीं आया। इसी तरह से गन्ना आयुक्त को गन्ना क्रय केन्द्र के परिवर्तन के बारे में मैंने अक्तूबर में ही पत्र लिखा था इसका भी कोई जवाब आज तक नहीं आया है, यह है इस सरकार की कार्यकुशलता और कार्य की अक्षमता।

मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि घाटे को पूरा करने के लिये हम मितव्ययिता से काम लेंगे। यदि आप ऐसा कर पायें तो आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन ऐसा आप कर नहीं पायेंगे क्योंकि डीजल और पेट्रोल के जो दाम आपने बढ़ाये हैं उसका सबसे ज्यादा खर्चा कहां होता है? इसका सबसे ज्यादा खर्चा कैबिनेट के मंत्रियों पर होता है, मुख्य मंत्री के यहां होता है, इसकी खपत सबसे ज्यादा सरकारी गाड़ियों में होती है। मंत्रियों की बीबियां जो चार कदम पैदल नहीं चल पाती हैं, जिनके घर की सब्जी भी गाड़ियों पर ही आती है, सभी जानते हैं कि आफिसों में सबसे ज्यादा इसका दुरुपयोग होता है, यह किसी से छिपा नहीं है।

कर्जों की वसूली के लिये प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं लेकिन कोई वसूली नहीं हुई है। सारे निगम और कारखाने आपके घाटे में चल रहे हैं। आपकी कोई योजना पूरी नहीं हो पा रही है। रोज यहां पर भ्रष्टाचार के मामले उठाये जाते हैं लेकिन आपकी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। अगर कुछ करती भी है तो सिवाय लीपा-पोती के कुछ नहीं कर पाती है। छोटे-छोटे कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में मुवत्तल कर दिया जाता है और जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वह बेदाग छूट जाते हैं। तो इससे भ्रष्टाचार नहीं हट सकता है और न मितव्ययिता ही आप कर सकते हैं। मैं अपना भाषण एक बात कहकर समाप्त करती हूं। आपकी योजनायें हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं। अलीगढ़ में इगलास क्षेत्र है, वहां पर सुरजा करौली

एक ड्रेन बननी थी । 40 हजार रुपये का पेमेंट कर दिया गया और वह ड्रेन बनी नहीं। इस पर एक जांच कमेटी बैठायी गयी और उस कमेटी ने भी कहा कि कोई ड्रेन नहीं बनायी गयी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो आपकी इस तरह की योजनायें चलती हैं। इस अवसर पर मुझे एक कवि की पंक्तियां याद आ गयी हैं, जिनको मैं कहना चाहती हूं:—

"उद्घाटन की कैंची काटते हुए, मुख्य अतिथि यह कहकर मुस्कराया।

वह नदी कहां है जिस पर आपने यह पुल बनाया।

अधिकारियों ने उत्तर दिया, अभी विचाराधीन है, आप उद्घाटन कर दें अगली योजना में नदी को भी ले आवेंगे।"

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, श्री वीर बहादुर सिंह जी ऐसी ही भाषा बोलने लगे हैं मुख्य मंत्री बनने के बाद लेकिन आपकी सरकार कुछ कर सकने वाली नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्रीमती कुदसिया बेगम—

जो बजट इस सदन में पेश किया गया है, उस पर मैं अपने खयालात का इजहार करती हूं और आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने टाइम दिया। जो निर्धारित समय दिया गया था बजट पर विचार करने के लिये उसमें हमारे विरोधी दल की कारगुजारियों के कारण 2-3 दिन की कमी हो गयी है और कोई काम नहीं हो सका। मैं समझती हूं कि सदन की मर्यादा और सम्मान करना हमारा फर्ज है। मेरे ख्याल में मेरा सबसे लम्बा तजुर्बा पार्लियामेंटरी लाइफ का है और मैंने कभी ऐसा काम नहीं देखा जैसा कि इन पिछले दिनों में विरोधी दल की ओर से होता रहा, शोर मचाया जाता रहा और काम नहीं हुआ और इस वजह से काम बन्द रहा। जनाबेआला, हम सब पब्लिक की तरफ से चुनकर आये हैं और हमें जनता ने चुनकर भेजा है। हमें अपने विचार रखने का मौका मिलता है और अगर सदन की कार्यवाही नहीं होगी तो हम उससे वंचित रह जायेंगे। बहरहाल मुझे खुशी है कि मुझे कुछ मौका मिला अपनी बात रखने का।

मैं जिले के डिसेन्ट्रलायजेशन के सिलसिले में कहना चाहती हूं, संसद सदस्य और विधायकों के मशविरे से जिले की योजनायें बनती हैं, जितना रुपया निर्धारित है, उस पर स्कीम बनायी जाती है। पिछले वर्ष हमारे जिले को 8 करोड़ 95 लाख 70 हजार रुपया निर्धारित किया गया था और उसी की बिना पर विकास की योजनायें बनी, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहती हूं कि उस रकम में कमी कर दी गयी। एक करोड़ 25 लाख और 33 हजार रुपये की कमी कर दी गयी। जब स्कीम बनायी गयी, तो उसमें और कटौती हो गयी और जिले की विकास स्कीमें 6 करोड़ 10 लाख और 20 हजार की निर्धारित की गयी है। जनाबेआला, मैंने पहले भी कई दफा अर्ज किया है और मैं इजहार करूंगी कि हमारा जो रुपया बजट में मंजूर होता है, तो उसके लिये जब सदन ने एक बार मंजूर कर लिया तो वह रुपया तुरन्त मिल जाना चाहिये, डिपार्टमेंट् और विभागों को मिल जाना चाहिये, जिले को मिल जाना चाहिये, लेकन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जिले में 11 विभागों को रुपया दिसम्बर और जनवरी में मिला है। अब आप समझ सकते कर सकते हैं ? अभी कोई ऐसी विभाग हैं मार्च में साल खत्म हो जाता है और पूरे साल रुपया नहीं मिलता है, तो जो स्कीमें बनायी जाती हैं? उनको कैसे पूरा

हैं जिनको कि रुपया मिला ही नहीं है तो मैं अर्ज करना चाहती हूं कि इस देर ताखीर की वजह से कोई काम ठीक से नहीं हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूं कि सरकार इसके ऊपर विचार करेगी। जब बजट से रुपया मंजूर हो जाता है तो उसे अपनी जगह पहुंच जाना चाहिए। आप देखें पूरे साल काम पड़ा रहता है और 2-3 महीने जब रह जाते हैं तो उससे जल्दी-जल्दी काम होता है, ऐसा होने से न तो ठीक से काम हो पाता है और न वह रुपया ही ठीक से लग पाता है।

मैं संडीला के बारे में अर्ज करना चाहती हूं। हमारे मंत्री जी वहां गये थे और उन्होंने वायदा किया था कि संडीला में लड़कियों के लिए एक पाली-टेक्निक खोला जायेगा लेकिन 2 साल हो गये हैं अभी तक पालीटेक्निक की कोई स्कीम नहीं बनी और न अभी उसका सैंक्शन हुआ। तो मैं कहना चाहती हूं सरकार से कि जब एक दफा एक मंत्री ने एक एलान कर दिया है तो उसको पूरा करने का फर्ज सरकार का हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूं कि जल्द से जल्द संडीले में पालीटेक्निक मंजूर हो जायेगा।

जनाबेआला संडीले के पानी की जो समस्या है वह बहुत खराब है और आये दिन वहां पर जुलूस निकलते रहते हैं और पब्लिक की तरफ से एतराज होता रहता है, बहुत ज्यादा पब्लिक को तकलीफ है। वहीं पर जो टंकियां लगी थीं, वाटरवर्क्स जब शुरू हुआ 56 में, उसके बाद 30 साल हो गये हैं। मैंने 5-6 साल पहले से लिखना शुरू किया सरकार को कि यह टंकियां अब अपनी जिन्दगी खत्म कर चुकी हैं और पानी का इन्तजाम होना जरूरी है, जल्दी से जल्दी नये ट्यूबवेल का इंतजाम होना चाहिए और वहां पर टंकियां लगनी चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि उसके लिये 90 लाख रुपये की मंजूरी हुई है, उसको जल्द से जल्द किस्तों के स्वरुप में देना शुरू कर दिया जाय जिससे वहां पर नयी टंकियां लगना शुरू हो जाय।

लड़कियों का हमारे यहां गवर्नमेन्ट इण्टर कालेज है संडीला में और मैं अर्ज करना चाहती हूं कि 10 साल से स्कीमें चल रही हैं, उस कालेज का भवन नहीं है। उसके लिए बराबर मांग होती रही है, मैं बराबर कहती रही हूं। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी जब संडीला गये थे तो मैंने उनसे कहा था और उन्होंने वायदा किया था लेकिन अभी तक कोई भवन नहीं है। मैंने कई बातें बताई थी कि लड़कों का जो कालेज है वह दे दिया जाय लड़कियों को और लड़कों के भवन के लिए हमने अलग तजवीज दी थी। लड़कियों के भवन के लिए मैं उम्मीद करती हूं कि 8 लाख की जरूरत है इसके लिए जल्द से जल्द मंजूरी हो जाय तो बहुत अच्छा होगा।

जनाबेआला मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमारी तहसील में एक बेहता नाला है उसके ऊपर पुल की जबरदस्त जरूरत है और उसकी बराबर मांग चली आ रही है। वह बेहता नाला बरसात के दिनों में भर जाता है जिससे कोई निकल नहीं सकता है। इसके उपर जेसू खेड़ा के करीब पुल बनाने से जनता को इतना फायदा हो जायेगा कि 5-6 मील का फर्क पड़ जायेगा संडीला पहुंचने में। चूंकि संडीले में अस्पताल भी है और तमाम जरूरियात संडीले में पूरी होती है इसलिए भी उसकी बहुत जरुरत है उनको यह सुविधा जल्द से जल्द मुहैया किया जाय। मैं बराबर पत्र लिख रही हूं और पी0

डब्लू0डी0 से मांग की जा रही है। इसका इस्टीमेट 30 लाख का है पहले 15 लाख का था। ज्यों ज्यों कीमतें बढ़ती गयीं, उसका इस्टीमेट बढ़ता गया। बैहदर ब्लाक में वाटर लांगिग बहुत होती है इसलिये मैं उम्मीद करती हूं कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जायेगा और नालियां बनायी जायेंगी ताकि उनमें जो पानी जमा है उसकी निकासी हो सके। जनाबेआला, मैंने पहले भी अर्ज किया था हमारे यहां सरकारी ट्यूबवेल जल्दी से जल्दी लगा दिये जांय और कम से कम एक-एक ब्लाक में दो-दो, तीन-तीन ट्यूबवेल लगा दिये जायं। मांग तो बहुत ज्यादा है किन्तु फिर भी इतने ट्यूबवेल की तो सख्त जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस तरफ जरूर खयाल करेगी और जल्द से जल्द इन जरूरियात को पूरी करेगी। शुक्रिया।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, 5-5 मिनट की जगह 2-2 मिनट का समय दे दें। इस तरह सबको समय मिल जायेगा (कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है यह उस सरकार का बजट है जिसको प्रधान मंत्री जी और उनकी पार्टी बराबर इस बात की घोषणा करते हुये थक नहीं रही हैं कि वह देश को तेजी के साथ 21वीं सदी में ले जाने का प्रयास कर रही है। इस बजट के जरिये मैं पहले उनकी मंशा आपको दिखाना चाहूंगा और उसे आपकी अनुमति से सारे सदन के सामने रखना चाहूंगा कि कितने ईमानदार हैं वे अपनी इस घोषणा के प्रति जरा देखें। पिछले वर्ष आयोजनागत व्यय था 1799.94 करोड़ रुपया और इस वर्ष का आयोजनागत् व्यय है 1993.01 करोड़ रुपया। दोनों में अन्तर है 193.07 करोड़ रुपये का पिछले वर्ष का आयोजनेत्तर व्यय था 3583.98 करोड़ और इस वर्ष का व्यय आयोजनेत्तर है 4352.01 करोड़ रुपये। दोनों में अन्तर है 768.03 करोड़ रुपये का। आयोजनेत्तर व्यय अधिक बढ़ाने वाली यह सरकार, आयोजनागत व्यय के मुकाबले में किस तरह से इस बात का दावा कर सकती है कि वह इस देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात सोच रही है। यह कोई आज की बात नहीं है। मैं जनता सरकार के जमाने से आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। उस समय आयोजनेत्तर और आयोजनागत व्यय में कितना औसत अन्तर था। वह 218.94 करोड़ रुपये का था। लेकिन उसके बाद इनके शासनकाल में आज यह औसत अंतर बढ़कर 1323.05 करोड रुपया हो गया है यानी शुद्ध 6 गुनी वृद्धि आयोजनागत और आयोजनेत्तर व्यय के अंतर के औसत में हुई है। यह इस बात का सबूत है कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। जनता को भुलावा देने के लिये, लुभावने नारे जरूर देते हैं लेकिन सही करनी को देखें तो किसी तरह से भी यह मुल्क को विकास की तरफ ले जाने के लिये प्रयत्नशील नहीं है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है। घाटे का बजट प्रस्तुत करना तो एक फैशन हो गया है और घाटे का बजट पेश करके बजट के समय किसी तरह के टैक्स न लगाना और यह कहना कि जो घाटा है

उसकी पूर्ति हम मितव्ययिता से और जो बकाया टैक्स है उसकी वसूली से करेंगे, यह तो एक फैशन हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं लेकिन मंत्रिपरिषद् के जो भी सदस्य हैं क्या वे मेरी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे कि बिरला और हिन्डालको के ऊपर जितना बकाया है क्या यह सरकार उसकी वसूली उसी सख्ती से कर सकेगी जिस तरह से किसानों से देयों की वसूली के लिए करती है। जिस दिन बिरला के खिलाफ सख्ती से इनकी कलम चलेगी उसी दिन इनकी गद्दी खतरे में पड़ जायेगी। क्योंकि इनकी गद्दी बिरला और टाटा के पैसों पर बनी है, उसी से इनका बहुमत बनता है, चुनाव में इनकी सारी बेइमानियां सारे खर्चे उन्हीं के बूते पर होते हैं। इसलिए मेरी चुनौती है कि इनकी कलम में ताकत नहीं है कि यह कानून को हरकत में ला सकें और बिड़ला और टाटा के खिलाफ सख्ती से कानून को बरत सकें। ये थोथी बात करते हैं। आज अधिकतम बकाया उन पर है जिनके बूते पर इनकी सरकार चलती है।

दूसरी बात इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की कही है कि हमने मंडलायुक्त को तमाम अधिकार दे दिये हैं। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी पहले खुद डिसेंट्रलाईजेशन करिये अपने स्तर पर और जो 65 विभाग लिये पड़े हैं जिन के लिए तमाम लोगों की आंखें तरस रही हैं अपनी पार्टी के लोगों को, उनको संतुष्ट करिये। चैरिटी बिगिन्स फ्रम होम। 65 विभागों की फाइलों को समेटे पड़े हों जिसकी वजह से सारा काम अवरूद्ध हो गया है उसे डिसेंट्रलाइज करिये।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है उसे आप भी जानते हैं और इधर तथा उधर के बैठे हुए माननीय सदस्य भी जानते हैं। आपके प्रदेश में 59 कारपोरेसंस काम कर रहे हैं उनमें से मान्यवर, 19 निगम बराबर घाटे में चल रहे हैं केवल 1984-85 तक सारे निगमों का संचित घाटा 11 अरब 50 करोड़ का है उनमें से अकेले विद्युत परिषद् का घाटा 8 अरब 56 करोड़ रुपये का है तो इस प्रकार केवल इन निगमों का प्रतिदिन का घाटा 11 करोड़ 67 लाख रुपया है। मेरा निवेदन है कि अगर आप इमानदार हैं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं और वाकई में मुल्क को 21वीं सदी में ले जाने का प्रयत्न करना चाहते हैं तो जो भ्रष्टाचार के कारण इन निगमों में घाटा हो रहा है 11 करोड़ 67 लाख रु0 प्रति दिन का उस पर अंकुश लगाइये लेकिन आप वह नहीं कर पायेंगे यह हम जानते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में जब इनको अपनी पार्टी के लिए जीपें चाहिये थी तो सारे कारपोरेशन से मांग की गयी कि कितनी गाड़ियां उन्हें चाहिए और जितनी जीपें चाहिए थी उन सब का आर्डर महेन्द्रा कम्पनी को दे दिया गया जीपें मंगा ली गयीं और उनके मी0 बांध दिये गये तथा उन्हें कांग्रेस (आई0) के उम्मीदवारों को दे दिया गया और जब चुनाव खतम हुए तो वह इन निगमों को दे दिये गये जिसका नतीजा यह है कि निगमों को घाटा हो रहा है। आज कांग्रेस के खुद डी0 सी0 सी0 हैं, उनके पास जीप नजर नहीं आती है। इसलिए कि चुनाव में दी गई जीपें इन्हीं निगमों की थीं। तो इन कारपोरेसंस के माध्यम से भ्रष्टाचार कराते हो। अभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मेलन हुआ इलाहाबाद में तो इन सारे कारपोरेसंस को आर्डर गया कि अपनी जीपें दुरुस्त कराकर 5 हजार रु0 प्रति जीप ड्राइवर को देकर भेज दो तो वह खर्च कहां जायेगा। (व्यवधान) इस तरह की जो बातें हो रही

हैं उसमें मेरा निवेदन है कि आप केवल एक बात करिये कि जिस तरह से सेंटर में मेन बजट से पहले रेलवे का बजट पेश होता है उसी तरह से आप इन कार-पोरेसंस का बजट अलग से पहले पेश कर दीजिये तो उससे सारी बात सामने उभर कर आ जायेगी और आपका चरित्र भी सबको मालूम हो जायेगा कि इन निगमों के माध्यम से कितना भ्रष्टाचार आप करते हैं आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आपकी तस्वीर मिल जायेगी, आपकी तस्वीर सदस्यों के सामने सदन के माध्यम से सारी जनता के सामने साफ हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

आपका केवल एक मिनट रह गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं कोई बात रिपीट नहीं कर रहा हूं, और कोई ऐसी बात भी नहीं कर रहा हूं कि जो इररेलिवेंट हो और मैं अपने क्षेत्र की बात भी नहीं कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि जो सही बात है वह आपके सामने रख सकूं लेकिन आपने रोक दिया मैं एक मिनट के अन्दर आपके आदेशों का पालन करूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप योजनाओं के आवंटन में भेदभाव मत करिये। अभी कुछ दिन पहले जब मेरा एक संकल्प आया था तो उस पर माननीय रिछारिया जी ने कहा कि हम इससे सिद्धांततः और अक्षरशः स्वीकार करते हैं लेकिन इस बात को बार-बार कहने से नहीं माना जा सकता है। मान्यवर,

(3 बजकर 20 मिनट)

मैं चाहूंगा उधर के माननीय सदस्यों से कि वह बजट की कापियां उनको मिल गयी होंगी, जिसको पढ़ लें आयोजनागत में नई मदों को देखें उसके अन्तर्गत गोरखपुर को 2,58,85,000 रुपये आवंटित किया गया है जबकि फैजाबाद जिले को 22 लाख रुपये। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह भेदभाव नहीं है। तो कहीं भी आपका स्वाभिमान होना चाहिये, यह असत्य भाषण करने में आपको क्या शर्म भी नहीं आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी मंत्री इसका जवाब दे तो मेरी बात का अवश्य जवाब दें कि इसमें क्या जस्टिफिकेशन है। मान्यवर, गोरखपुर से मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। गोरखपुर और अमेठी को मानक मानकर धन लायें तो आपका गुण-गान मैं करूंगा लेकिन बदकिस्मती से आपको जहां से मांगना चाहिए वहां से आपकी मांगने की हिम्मत नहीं है और जो भी वहां से मिल जाता है आबादी और पिछड़ेपन के नाम पर उसका यहां बंदरबाट करते हैं और वही इस बजट में भी हुआ है। इसलिए निवेदन है कि ईमानदारी से देश और प्रदेश को यदि 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं और पिछड़े एवं उपेक्षित क्षेत्रों को संवारना और बनाना चाहते हैं तो कम से कम योजनाओं में धन आवंटन में भेदभाव न करें। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि बजट के नाम पर जिस तरह का मखौल उड़ाया गया है, इस स्थिति में जो शासन की मंशा है उसका मैं विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसमें सुधार करें।

श्री अधिष्ठाता–

श्री बद्री सिंह। (कई सदस्यों द्वारा दो-दो मिनट बोलने की मांग करने पर) आप लोग शांत रहें। बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिये अनुरोध है कि क्या बोलने का समय 5 मिनट कर दिया जाये ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, समय कम न करें। शायद तय हो जाये कि अभी एक दिन और इस पर चर्चा होगी, संभवतः यह घोषणा हो जाये। इसलिये समय कम न करें और माननीय सदस्य अपनी पूरी बात कह सकें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों के अनुरोध पर मैंने यह कहा है। लेकिन सामान्य चर्चा है और सभी अपने क्षेत्र और सिद्धान्तों पर अपनी-अपनी बात कहेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इसमें भाग ले सकें, इसलिए यह कहा था।

*श्री बद्री सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य चर्चा में बोलने का समय दिया। मान्यवर, यह बजट देश और प्रदेश को विकास की ओर ले जाने वाला बजट है, इसलिये इसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिये आवश्यक है कि वहां शांन्ति व्यवस्था कायम रहे, तभी देश और प्रदेश की प्रगति हो सकती है। लेकिन हमारे उस पक्ष के लोग यह नहीं चाहते हैं और इसलिए वह ऐसा कार्य करते हैं जिससे प्रदेश के विकास में रोड़ा अटके और जिससे उन्होंने रास्ता रोको आन्दोलन छेड़ा। मैं समझता हूं कि इससे देश और प्रदेश की प्रगति का वह रास्ता रोक रहे हैं जिससे वह सफल नहीं हुआ। मान्यवर, मेरे जालौन जनपद में काल्पी में जमुना पुल पर 4-4 आड़े ट्रैक्टर खड़े करके उन्होंने रास्ता रोका और जब पुलिस ने हटाया तो पुलिस पर पत्थर बरसाये जिससे 30-40 सिपाही घायल हुए और 3 सब-इन्सपेक्टर घायल हो जायं और झोपड़ियों में आग लगा दें और गोलियों से लोगों को घायल करें तो फिर पुलिस का क्या कर्तव्य है? मैं आप लोगों से इसका जबाब चाहता हूं। ऐसी हालत में पुलिस क्या करे? यहां कहा जाता है कि हमारे नेताओं के साथ बड़ी ज्यादती की गई है। मैं विरोध पक्ष के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वह प्रदेश की शान्ति व्यवस्था स्थापित करने में सरकार को अपना सहयोग दें।

कृषि की दृष्टि से, कृषि क्षेत्र में हमारा यह बजट बड़ा प्रगतिशील है। उसके अन्तर्गत हमारी जो योजनाएं हैं, उससे हमारा उत्पादन बढ़ा है और निश्चित रूप से बढ़ रहा है। अनेक दैवी आपदाओं के होते हुए भी इस क्षेत्र में हमने अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। प्रदेश के 24 जनपदों के 102 विकास खंडों में चावल उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, जिससे 80 लाख टन अधिक चावल का उत्पादन हुआ है। साथ ही रबी के लिए 112 लाख टन खाद्यान्न का लक्ष्य निर्धारित है, जिसे हमारी सरकार पूरी तरह से सफल बनाकर देश और प्रदेश को खाद्यान्न के मामले में पूर्ण आत्मनिर्भर बना देगी। इसी तरह से राज्य ने देश के कुल उत्पादन का 45 परसेंट आलू उत्पादन करके भारत में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। विपणन के मामले में हमारे प्रदेश ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। विपणन में, देश के अन्दर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर हमारे प्रदेश को शील्ड (विजयश्री) प्रदान की गई है, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इसके लिए अधिकाधिक किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने और उनकी उपज का अधिकाधिक मूल्य दिलाने का प्रयास किया गया

(* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।)

है । साथ ही नई फसल बीमा योजना चलाई जा रही है । लघु और सीमान्त किसानों के लिए 50 प्रतिशत का खाद पर अनुदान दिया गया है, जिससे वह अपनी उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे । औद्योगिक क्षेत्र में एक लाख लघु उद्योगों की स्थापना का हमारी सरकार का लक्ष्य है और उसके साथ ही 20 हजार उद्यमियों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है । हथकरघा उद्योग को बढ़ाने के लिए और बुनकरों के कल्याण के लिए सामूहिक बीमा योजना और बचत-योजना प्रारम्भ की गई है । प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की नीति के क्षेत्र में हमारी सरकार की ओर से बड़े प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। उसके अन्तर्गत मंडलायुक्तों को अधिक अधिकार दिए गए हैं । इससे अब यह जानकारी हो सकेगी कि कहां प्रगति रुकी हुई है और क्यों रुकी हुई है, योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो कितना कम मिल रहा है और क्यों पूरा लाभ उन्हें नहीं पहुंच पा रहा है । इसकी जानकारी होने पर मण्डलायुक्त अपने स्तर पर अन्तिम निर्णय लेकर बाधाओं को दूर करके विकास की गति को बढ़ाने में सक्षम होंगे । वितरण की जो बात है, 2600 नई दुकानें खोलने का प्राविधान किया गया है । राज्य में डीजल, मिट्टी का तेल, सीमेन्ट और चीनी आदि की उपलब्धता सन्तोषजनक है। जमाखोरी की बुराई को दूर करने के लिए, कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों पर नियंत्रण रखने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है । ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वतोन्मुखी विकास हो सके, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है और इसके लिए पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से तमाम अच्छे-अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं और योजनाएं चलाई जा रही हैं । एक लाख रुपए तक के अधिकार गांव सभाओं को गरीबी निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए हैं, उससे इस कार्यक्रम के द्वारा गरीबों को लाभ पहुंचेगा । कृषि के साथ-साथ सिंचाई कार्यों में गंगा बैराज योजना को पूरा कर लिया गया है । विश्व बैंक योजना द्वारा गांवों में ट्यूब वेल लगाए जा रहे हैं । अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भी यह सरकार प्रयत्नशील है । हमारे प्रदेश में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान जो तैयार किया गया है, उसमें तीन लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । एक लाख 22 हजार विधवाओं को आर्थिक सहायता देने का कार्य किया गया है । 24 हजार विकलांगों के भरण-पोषण की व्यवस्था की गई है । दसों वर्षों तक जो मुकदमें अदालतों में रुके पड़े रहते थे, उनको अब लोक अदालतों द्वारा जल्दी-जल्दी निपटाया जा रहा है और यह लोक अदालतों की स्थापना हमारी सरकार का ही सराहनीय कार्य है । यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि पूरे देश में लोक अदालत के क्षेत्र में हमारे प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है । गांव सभाओं में किसानों को वृक्ष लगाने का कार्य दिया गया है, इससे उन्हें काफी लाभ पहुंचेगा। 1 हजार से 15 सौ तक के गांवों को सड़कों से जोड़ने की बात कही गई है।

अब मैं अपने जनपद के बारे में कहना चाहता हूं। हमारा जनपद उद्योग-शून्य जनपद है । हमारे जनपद में कोई बड़ा उद्योग अवश्य लगाया जाए। सिंचाई के लिए विश्वबैंक की योजना के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा ट्यूब वेल लगाए जाएं। लिफ्ट सिंचाई की योजना वहां लागू की जाए । वृहद् सिंचाई की योजनाएं लागू की जायें। इसके साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री लक्ष्मी नारायण–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, स्वच्छ प्रशासन की बात हमारे मुख्य मंत्री जी ने कही है । "एशियन ड्रामा" नाम की किताब के लेखक गुन्नार मिड्राल हैं, उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट शासक और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ अधिक से अधिक स्वविवेक पर निर्णय लेने का अधिकार अपने पास रखना पसन्द करते हैं क्योंकि इससे उन्हें खुद को सम्पन्न बनाने का अवसर प्राप्त होता है । यह उदाहरण उनकी स्वच्छता का है । जिस तरह से हमारे मुख्य मंत्री जी ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि माननीय सहकारिता मंत्री किसी भी प्रशासक को नहीं बदल सकते या अन्य मंत्रियों को उन्होंने अपने विभाग के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी है इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्य मंत्री जी स्वच्छ प्रशासन के बजाय खुद की स्वच्छता में संलग्न हैं । इसी तरह से मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विधायकों का काम कानून निर्माण करना है लेकिन आजकल सत्तापक्ष के विधायकों का काम कमीशन की एवज में स्थानान्तरण, पद स्थापन एवं नियुक्ति करवाना है । मान्यवर, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय साथियों को अच्छा कानून बनाने में सहयोग देना चाहिए न कि ट्रांसफर और पोस्टिंग की वजह से अपनी आत्मा की आवाज, जो उनकी नेता श्रीमती गांधी ने कही थी, अपनी आत्मा की आवाज को न दबाएं । यहां के निर्णय से साफ जाहिर है कि मुख्य मंत्री की धमकी से वे पार्टी की मीटिंग में भी अपनी बात नहीं कह पाते हैं। मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक प्रोग्राम चलाया फैमिली प्लानिंग का । मान्यवर, 38 सालों से देश और प्रदेश पर यह लोग शासन करते चले आ रहे हैं। यदि इनको जनसंख्या का भय था तो इनको प्रारम्भ से ही इस मामले को लेना चाहिए था । यदि प्रारम्भ से जनसंख्या पर कंट्रोल करते तो मुख्य मंत्री जी के स्वयं आज 6 बच्चे हैं, इस तरह की जनसंख्या की प्राब्लम नहीं आ सकती थी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इसी तरह के जो इनके मूर्खतापूर्ण कार्य हैं उनकी विवेचना करना चाहता हूं । इन्होंने एक विभाग स्थापित कर रखा है आई0 सी0 डी0 । मथुरा में आई0 सी0 डी0 विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन और भत्तों का खर्च 1985 में 12 लाख आया है लेकिन इस विभाग को काम करने के लिए केवल 5 लाख रुपए दिए गए हैं।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । एक जानकारी चाहता हूं कि यह आई0 सी0 डी0 विभाग क्या है ? बतला दें ।

श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, हमारे ग्राम्य विकास मंत्री जी बैठे हैं ।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

पहले बता तो दें ।

श्री लक्ष्मी नारायण–

कपिल साहब, मेरी योग्यता आपसे ज्यादा है ।

श्री अधिष्ठाता–

जरा शांति बनाए रखें । योग्यता की परीक्षा नहीं हो रही है, बतायें कि आई0 सी0 डी0 का क्या मतलब है ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लक्ष्मी नारायण–

आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं ग्राम्य विकास मंत्री जी बैठे हैं। रूरल इंजीनियरिंग सर्विस एक विभाग है उसका एक विभाग मथुरा में है जिसके कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का खर्च 14 लाख रुपया है लेकिन माननीय मंत्री जी ने 2 लाख रुपये प्रदान किये हैं। यह इनकी योग्यता का प्रमाण है। तो यह भ्रष्टाचारियों और अपने कुछ रिश्तेदारों और सम्बन्धियों को रोजगार देने के लिये विभाग खुलवाते हैं न कि कोई काम कराने के लिए। इसी तरह से मुख्य मंत्री जी की सत्यता के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूं 14 जुलाई को आगरा मण्डल की बैठक में माननीय मुख्य मंत्री जी ने छाता क्षेत्र के नाले की सफाई व बाढ़ समस्या आदि के लिये 10 लाख रु0 दिये जाने की घोषणा की। लेकिन मान्यवर, बड़े दुख की बात है कि आज तक वह 10 लाख रु0 वहां नहीं दिए गये। जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं मेरे सामने अपने सचिव से कहा था कि मैं वहां पर वायदा करके आया हूं। यह रुपया वहां भिजवा दो तब भी इसके लिये कोई कार्यवाही नहीं हुई, यह है आपकी सरकार के कार्य-कलाप या तो माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशों का पालन नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारे कृषि मंत्री जी जो यहां बैठे हैं, उनसे हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि वह किसान के बेटे हैं, कुछ करेंगे, लेकिन वह तो परिवहन मंत्री जी की तरह राजे-महराजे निकले। उन्होंने गेहूं को पानी तब दिया जब छोटे किसान अपना पहला पानी लगा चुके थे। लगभग 22 दिसम्बर को। यह उनकी योग्यता का मान्यवर, प्रमाण है। इसी तरह से एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जब कभी भी ओला या बाढ़ की स्थिति आती है तो उसमें बड़े किसानों का नुकसान होता है, परन्तु कभी भी इन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। दूसरे मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी सन्तुलन और समता की बात बहुत करते हैं, लेकिन हमारे पश्चिमी कांग्रेसी विधायकों को शर्म आनी चाहिए कि मुख्य मंत्री जी ने आपके प्रदेश की सरकार को पश्चिम का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं दिया और न ही आज तक पश्चिमी जिलों में बाढ़ आदि के लिए कोई सहायता दी। इसलिए मा0 मुख्य मंत्री जी जो सन्तुलन और समता की बात करते हैं, उन्हें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

श्री नरेन्द्र देव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता–

लेकिन समय देखकर, समय बहुत सीमित है।

*श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, अभी हमारे कुछ भाई बोल रहे थे। जो कहीं और कोई आलोचना नहीं निकाल पाये तो उन्हें हमारे मंत्रिमण्डल की फिक्र लग गयी और कुछ लोगों को जब यहां पर भी कुछ नहीं मिला तो केन्द्र चले जाते हैं और कुछ लोग अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर बोलने लगते हैं। लेकिन उनका ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब उनके शासन को स्वर्णिम अवसर मिले थे सन् 1979-80 में। हमारी एक बहन भी बोल रहीं थीं उन्होंने भी बड़े जोर-शोर से हमारे प्रधान मंत्री जी का नाम लिया तो मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि 1979-80 में जबकि वह किसानों के बेटों के रूप में शासन में थे तो उन्होंने केवल 164 मीट्रिक टन के खाद्यान्न का कुल उत्पादन किया था और आज जबकि हमारी सरकार जैसा कि इनके कहने के अनुसार ठीक नहीं चल रही है तो सन् 1984-85 में 292 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया था। जबकि मान्यवर, यह अपने को किसान का बड़ा हितैषी कहते हैं चावल का उत्पादन इन्होंने सन् 1979-80 में केवल 5.06 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किया था और हमने सन् 1985-86 में 14.74 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन दिया है। मान्यवर, मैं और अधिक आंकड़े नहीं दिखाना चाहता। अभी हमारे विपक्ष के नेता बोल रहे थे, उन्होंने बिजली के बारे में कुछ कहा तभी मान्यवर, हमने इनके शासन काल की बिजली उत्पादन की जानकारी की तो मालूम हुआ कि सन् 1979-80 में विद्युत उत्पादन क्षमता 3524 मेगावाट थी। जबकि 1984-85 में हमने इसे बढ़ाकर 4,294 मेगावाट उत्पादन किया। मान्यवर, आज हमारा विद्युत उत्पादन है 12,829 मिलियन यूनिट और इनके समय में 79-80 में 10,124 मिलियन यूनिट था। इन्होंने परकैपिटा इन्कम की बातें की थीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि विश्व में ही नहीं, यह विश्व में उदाहरण है कि किसी शासन में परकैपिटा इन्कम एक वर्ष में इतनी गिर जाय। 78-79 में 514 रु0 पर कैपिटा इन्कम उत्तर प्रदेश की थी और 79-80 में इन्होंने जो वृद्धि की, उसका नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की औसत आय 432 रु0 हो गयी। इतनी गिरावट आज तक किसी शासन में एक वर्ष में देखने को नहीं आयी और आज मान्यवर, हमने परकैपिटा इन्कम पहुंचाई है 570 रु0। हमने कुछ आंकड़े जरूर रखे, हमारी कुछ परेशानियां थीं। आज 85-86 में हमारे प्रदेश में 54 जिलों में बाढ़ का सामना करना पड़ा, 34 जिलों में सूखे का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद हमने जगह-जगह लगान स्थगित किये, राजस्व वसूलियां स्थगित किये और उसके बाद जब आज हमारे मुख्य मंत्री जी ने ललकार कर कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जायगा, तो न जाने कौन सा रहस्य है कि विपक्ष आक्रामक हो गया है।

यह कौन सा षड्यन्त्र है कि आज उस मुख्य मंत्री के खिलाफ जिसने प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लिया है, उसके ऊपर अधिक से अधिक आक्रमण किये जा रहे हैं कि सदन को न चलने दिया जाय, चरित्र हत्या की जाय। मान्यवर, मैं एक दो बातें और रखना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग भी भ्रष्टाचार के बढ़ने की बात कहते हैं कि भ्रष्टाचार एक समस्या है। आज मैं विपक्ष के सभी सदस्यों से एक छोटा सदस्य होने के नाते निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मन में इच्छा है भ्रष्टाचार मिटाने की, यदि मन में इच्छा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को रिलीफ देने की, उत्तर प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाने की, तो आइये हम आप सम्मिलित प्रयास करें, सम्मिलित प्रयास से ही हम कुछ कर सकते हैं।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पिछले दो दिनों में 4 हजार रु0 प्रति मिनट का जनता के पैसे का विपक्ष ने जो दुरुपयोग किया है, इसके बारे में भी मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मान्यवर, हमारे ऊपर बीसों मुसीबतें आ सकती हैं, हम उन समस्याओं का समाधान सदन के बाहर कर सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे नये सदस्य की समझ में यह नहीं आता है कि मैं जनता की बातों को कहने के लिए इस सदन में आया हूं, मैं जनता की समस्याओं को रखने के लिए आया हूं या केवल इनके सदन स्थगित करा देने से, यहां के नियमों के उल्लंघन करने से, अपने अधिकारों को रोके जाने का नाटक हम कब तक देखते रहेंगे और प्रदेश की जनता कब तक बरदास्त करती रहेगी? धन्यवाद ।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट की इस सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने सरकार की उपलब्धियों का बहुत जोरशोर से समर्थन किया, लेकिन मैं उधर बैठे दोस्तों का, बुनियादी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है इस देश और प्रदेश की कोई अर्थनीति नहीं है, मूल्य नीति नहीं है कोई शिक्षा नीति नहीं है। मान्यवर, हम अनुग्रहीत हैं स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के, जिन्होंने विदेश नीति तय कर दी थी। केन्द्र ने विदेश नीति पर अन्तर्राष्ट्रीय जगत पर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, लेकिन आज हमारे देश में मूल्य नीति नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत बड़े संकट में फंस गये हैं। मान्यवर, एक तरफ यह सरकार किसानों से वायदा करती है कि चीजों का सही मूल्य दिलवायेंगे और दूसरी तरफ, मैं बताना चाहता हूं कि धान की फसल आयी थी और गेहूं की फसल आने वाली है, धान की फसल के बारे में कहा गया कि 140 रुपये 145 रुपये और 150 रुपये समर्थन मूल्य दिलाया जायेगा, लेकिन कहीं भी इस कीमत पर किसान को धान का मूल्य नहीं मिला।

मान्यवर, बांदा में, बुन्देलखण्ड में किसान 95 रुपये और 105 रुपये कुन्तल धान देने पर मजबूर हो गया। धान की फसल गुजर चुकी है अब गेहूं की फसल आने वाली है, मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से आग्रह करना चाहता हूं कि इस फसल में आप किसानों की फसल का सही मूल्य दिलायें, तो किसान अनुग्रहीत होंगे । यह 21वीं सदी की बात करते हैं। अमरीका से सुपर कम्प्यूटर्स खरीदने जा रहे हैं। एक लाख और डेढ़ लाख कम्प्यूटर यह लगायेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि 21वीं सदी में मिट्टी के तेल का दाम क्या होगा? दाल किस भाव खरीदेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

21वीं सदी का अभी से भाव बताया जायेगा?

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, उस तरह से तो लोगों का दाल चावल खरीदना मुश्किल हो जाएगा । मान्यवर, वक्त नहीं मिलेगा। मैं अपनी समस्याओं के बारे में सरकार से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूछना चाहता हूं। मैं झांसी बुन्देलखंड के बारे में कहना चाहता हूं रानी झांसी और नवाब बांदा ने जहां अपनी कुर्बानी दी, पंडित परमानन्द, डा0 भगवान दास परमौर जैसे क्रान्तिकारियों ने शहादत देकर आजादी में योगदान दिया आज मैं उस बुन्देलखंड के बारे में कहना चाहता हूं। वहां आज पीने के लिए पानी नहीं है। माननीय मंत्री जी, जो आज नगर विकास मंत्री हैं, बुन्देलखंड के लिए 2 करोड़ रुपया जल संस्थान के लिए मांगा गया था, लेकिन इस सरकार ने केवल 56 लाख रुपया दिया। मुझे डाक से पत्र मिला कि जल संस्थान के सामान्य प्रबन्धक ने जो सामान्य टंकियां पानी पीने की थीं, उनको कटवा दिया, जब उनसे पूछा गया तो वह कहते हैं कि पैसा नहीं था इसलिए कटवा दिया। वहां के नागरिक खारा और गन्दा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी जब सिंचाई मंत्री थे तो हमारे बांदा जनपद में बहुत धान पैदा होता था, केन के पानी से। लेकिन सन् 72 से लेकर आज तक मध्य प्रदेश से जल विवाद चल रहा है जिसके कारण उत्तरोत्तर धान की फसल बरबाद हो रही है। सिंचाई मंत्री ने उस समय कहा था कि हम इस विवाद को जल्दी समाप्त करायेंगे लेकिन अभी तक वह विवाद समाप्त नहीं हो पाया। अभी हाल में 10 फरवरी को झांसी और ललितपुर में ओलावृष्टि हुई। 20-21 की रात में बांदा जनपद में ओला वृष्टि हुई, आधा किलो का ओला गिरा जिससे सारी फसल नष्ट हो गई। वहां के जिलाधिकारी के दफ्तर में हजारों किसान ओला लिये बैठे हुए थे। वहां पर बड़ी निराशा है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बुन्देलखंड की इन समस्याओं की ओर ध्यान दे। सरकार को शिक्षा नीति बनानी चाहिये। मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

कुमारी अलमेलू अम्माल–

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। निराशा में आशा का संचार करने वाला, बेकारों को काम देने वाला यह बजट बहुत ही जनप्रिय है। इस बजट से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह हर क्षेत्र, उद्योग के क्षेत्र में और अन्य दिशाओं में प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने बजट में काफी महत्वाकांक्षी उद्योग विकास का ऐसा कार्यक्रम रखा है, जिससे हर दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसका एक उदाहरण मैं देना चाहती हूं। औद्योगिक विकास कार्यक्रम ऐसा रखा है जिसमें 20 हजार नये उद्यमियों को प्रशिक्षण देने हैं, लघु उद्योगों की 18 हजार नई इकाइयां स्थापित करना तथा वृहत उद्योगों पर 6 हजार करोड़ की पूंजी लगाना। प्रत्येक विकास खण्ड में 40 उद्यमियों को औद्योगिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित करना तथा खादी एवं ग्रामोद्योग के अन्तर्गत 16 करोड़ की पूंजी लगाना इत्यादि।

इस बजट के माध्यम से मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छे-अच्छे कार्यक्रम हमारे सामने पेश किये हैं। मैं इस बजट का समर्थन कर रही हूं। इस बजट से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा तथा औद्योगिक उत्पादन में अपार वृद्धि होगी। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक कुछ निवेदन करना चाहती हूं। हमारे बस्ती के बारे में कुछ दिन पहले एक महान व्यक्ति ने

कहा था "बस्ती को बस्ती कहें तो काको कहें उजाड़" माननीय मुख्य मंत्री जी बस्ती को बस्ती बनाना चाहेंगे तो कम से कम 4-5 बड़े उद्योग हमको देना चाहिये। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हमारे यहां कोई उद्योग नहीं है। सिर्फ 2-3 चीनी मिलें हैं वह भी दुर्दशा के रास्ते पर पहुंच चुकी हैं। मेरे क्षेत्र में आप देखें एक चीनी मिल बन्द पड़ी है। इसी बजट में हमारे प्रदेश में ज्यादा नयी चीनी मिलें स्थापित हो रही हैं। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से यह कहूंगी कि हमारे बस्ती जिले के लिये, वैसे तो सभी पिछड़े जिलों के लिये कहना चाहिये, लेकिन मैं अपने जिले के लिये मांग कर रही हूं, हमारे यहां एक चीनी मिल बन्द पड़ी है, एक प्लास्टिक काम्प्लेक्स है, लेकिन बिजली की कमी से करीब-करीब नहीं चल रहा है। पिछली बार मेरे विधायक काल में एक लेदर काम्प्लेक्स का हमारे बस्ती जिले के लिये प्रस्ताव था। वह भी विस्मरण में चला गया है। शुगर काम्प्लेक्स बनाना हो तो, मेरे बस्ती जिले में कच्चा माल काफी है। शीरा, मैली खोई आदि है जिससे कोई भी अच्छा शुगर काम्प्लेक्स, या पेपर मिल या कपड़ा काम्प्लेक्स बन सकता है। शासन इस पर ध्यान दे। मैं यह चाहती हूं कि हमारे बस्ती के लिये अवस्थापना प्रोजेक्ट मिले। छः जिलों के लिये दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा क्षेत्र उद्योग विहीन क्षेत्र है, उसमें हमको एक अवस्थापना प्रोजेक्ट मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से किसी प्रोजेक्ट में हमारे जिले का नाम नहीं है। मैं उम्मीद करती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे और अपने बजट भाषण के जवाब में 4-5 उद्योग नहीं तो 2 उद्योग निश्चित रूप से बड़े पैमाने वाले बस्ती जिले को देंगे। मुख्य मंत्री जी यह भी घोषणा करेंगे कि बस्ती जिले की वाल्टरगंज चीनी मिल को सरकार टेक अप करेगी। इसके बाद टेलीविजन की बात है। इसी बजट में टेलीविजन के बारे में बस्ती जिले का भी जिक्र किया। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहां बिजली की आंख मिचौनी की बात सब लोग जानते हैं।

मेरा क्षेत्र बस्ती सदर में है। वहां पर बिजली नहीं है। कोई भी काम बिजली के सामने रखकर नहीं कर सकते। जब मेरे क्षेत्र में बिजली नहीं है तो फिर देहातों में टेलीविजन द्वारा प्राथमिक पाठशालाओं पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करना कैसे सम्भव है ? शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत पीछे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगी कि हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिये सुविधाएं होनी चाहिये। श्रम के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी और श्रम राज्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि वे लोग द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय सम्मेलनों के माध्यम से औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने तथा समस्याओं को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। कानपुर की कपड़ा मिलों के मजदूरों के वेतन में 60/- रुपया अन्तरिम वेतन बढ़ाया गया है। नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया है। वैसे भी हमारे यहां तालाबन्दी और हड़ताल में काफी गिरावट आयी है। फिर असंगठित मजदूरों के बारे में मुझे बोलना है। उनको संगठित करने के लिये कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें एक बात है, उसमें चाहे कानून की नरमी से हो या विस्तृत फैलाव के कारण, उन

मजदूरों को उनके श्रम का वेतन कायदे से आज भी नहीं मिल रहा है। मैं आखिरी बात कह रही हूं कि मिनिमम वेजेज एक्ट की सुविधा उनको भी मिलनी चाहिये। असंगठित मजदूरों को संगठित करने के लिये हर ब्लाक में जो कार्यकर्ता लगाये गये हैं, उन लोगों को ग्रामीण मजदूर यूनियन से सम्बद्ध करके काम करना चाहिये।

*श्री विजय सिंह राणा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे प्रस्तुत बजट के सम्बन्ध में बोलने के लिये बुलाया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, यह जो बजट पेश किया गया, वह घाटे का बजट ही रहा। पहले भी जो मैंने 5 बजट देखे, वे भी सभी के सब घाटे के थे। घाटे के बजट के संबंध में मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया के किसी भी अर्थ-शास्त्री ने कहा कि घाटे का बजट किसी देश या प्रदेश के हित में हो सकता है। अर्थशास्त्रियों ने यह माना है कि किसी प्रजातांत्रिक या समाजवादी देश के अंदर केवल मात्र बजट ही ऐसा माध्यम है. जिसके माध्यम से सरकार जनता के उस वर्ग के ऊपर जिसकी आमदनी दिन रात बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर अंकुश लागाने का उसमें अवसर मिलता है। बजट के द्वारा सरकार नियंत्रित करती है किसी देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था को। मान्यवर, जिस वर्ग की आमदनी बढ़ती चली जा रही है, यदि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगायेंगे, तो उसकी आमदनी बढ़ती चली जायेगी। उसके पास पूंजी का जमाव होता चला जायेगा अगर पूरा देश या प्रदेश विध्वंस हो जायेगा। मेरा मत है कि हमेशा ऐसे वर्ग के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। टैक्स लगाने के समय मंत्रिमंडल, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री की विद्वता इस बात पर निर्भर करती है कि टैक्स ऐसे लगाये जायं, जिस वर्ग की आमदनी बढ़ रही है, उस पर उसका प्रभाव पड़े और उसकी आमदनी घटकर नीचे आये और सामान्य जनता को टैक्सों के माध्यम से उसका लाभ मिले और संसाधन बढ़े। लेकिन, मान्यवर स्थिति बिल्कुल इसके उल्टी हो रही है।

मान्यवर, जो प्रभाव सामने आ रहा है, उसमें स्थिति यह है कि उद्योग जो हैं, एकोनुमुखी होते जा रहे हैं। उनका सारा ध्यान सुखोभोग की ओर है और वे सारे के सारे सुखोभोग की सामग्री के निर्माण में लगे हुए हैं। मान्यवर, सीमेंट बनाने का तरीका वही है, जो तरीका पाउडर बनाने का है। पहाड़ के पत्थर को निकालना, तोड़ना, भुनना उससे पाउडर बनायें या सीमेंट निकालें। पाउडर का डिब्बा 35 रु0 का मिलता है और सीमेंट का गत्ता भी 35 रु0 मिलता है। तो, कोई उद्योगपति यह क्यों चाहेगा कि इतना लम्बा चौड़ा उद्योग स्थापित करे, फैक्ट्री लगाये, आफिस खोले, तब जाकर मुनाफा कमा सकता है, वहीं दूसरी ओर पोउडर निर्माता छोटे उद्योग के रूप में विकसित करके उतना ही मुनाफा कमा लेता है। इसलिए मान्यवर, यह हुआ कि सारे के सारे उद्योग धंधे इस सामग्रियों के उत्पादन में लग गये, जोकि सुखोभोग की है या सौन्दर्य की चीज है। मान्यवर, अब इस तरह के उत्पादन करने वालों का एक बड़ा वर्ग जमा होता जा रहा है।

मान्यवर, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का प्रभाव यह हुआ कि एक विशेष वर्ग की क्रय शक्ति दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। मान्यवर,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में एक बार अपने 5-7 साथियों के साथ हजरतगंज, लखनऊ स्थित जनपद मार्केट घूम रहा था। जब सब लोग पूरा मार्केट घूम लिये, तो मैंने बाद में अपने साथियों से पूछा कि इस मार्केट में आपको कोई भी ऐसी दुकान दिखी जहां पर किसानों से सम्बन्धित कोई सामान बिक रहा हो, मजदूरों की चीजें बिक रही हों, छोटे उपभोक्ताओं की चीजें बिक रही हों। सबने यही कहा कि कोई ऐसी दुकान नहीं दिखी। मान्यवर, जनपद मार्केट ही नहीं आप किसी भी बड़े बाजार में चले जाइये कहीं भी सामान्य जनता के उपभोग की कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। देश का सम्पूर्ण उत्पादन व्यापार केवल मात्र जिन लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है इस बीच में, केवल उन्हीं तक सीमित दिखाई पड़ता है।

मान्यवर, इनके प्रधानमंत्री जी का बड़ा भारी दावा है कि हम 21 वीं सदी को लक्ष्य मानकर आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर, आप देखें पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, कुकिंग गैस आदि सब के दाम कितने बेहताशा बढ़ गये हैं। जब आज यह हालत है तो 21 वीं सदी में हम मोटर में बैठकर जा नहीं पायेंगे, रेल में बैठकर जा नहीं पायेंगे, हवाई जहाज में जा नहीं पायेंगे, तेल पेट्रोल आदि मिलेगा नहीं-तो क्या भैंस की पूछ पकड़कर ले जाया जायेगा? मान्यवर, तेल मिलेगा नहीं, डीजल मिलेगा नहीं, कोयला मिलेगा नहीं हम किस वैतरणी से 21 वीं सदी में जायेंगे। 21वीं शताब्दी में क्या राजीव गांधी हमें भैंस की पूंछ पकड़कर ले जायेंगे। हम आज तक 21वीं शताब्दी का अर्थ ही नहीं समझ पाये हैं। मान्यवर, 21 वीं शताब्दी का मतलब है कि विकसित देश की जो स्थिति है, वहां तक हम पहुंच जायें। हर व्यक्ति के लिए हम आवास उपलब्ध करा दें, उसके लिए यातायात की सुविधा हो जाय और उसके अध्ययन और अध्यापन के लिए हम सुविधा जुटा दें।

मान्यवर, घाटे के बजट के अंदर भी यदि इस सरकार की नीयत सही होती तो कुछ उसमें ऐसा प्राविधान करती, जिससे हमको यह विश्वास हो जाता कि यह सरकार घाटे की आपूर्ति करके प्रदेश के विकास के लिए और योजनाओं को चलाकर नये संसाधनों को बढ़ायेगी। लेकिन वही घिसी-पिटी बातें कही गई हैं कि हम मितव्ययता करेंगे, अपने खर्चों में कमी करेंगे और जो वसूली करनी है, उसको हम सख्ती से वसूल करेंगे। आयोजनागत मद के बजाय आयोजनेत्तर मद में 1600 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है।

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने जनता पार्टी की बात कही और आज तक के आंकड़े प्रस्तुत किए। जनता पार्टी की जो उपलब्धि रही है, उसकी तुलना आप आज 6 साल के बाद वाले वर्ष से क्यों कर रहे हैं। उसकी तुलना आप जनता पार्टी के शासन से एक साल पहले से कीजिए, तो आपको सत्यता नजर आ जायेगी। जनता पार्टी ने ढाई साल के शासन में जनता को कहां से कहां पहुंचा दिया था। आप तो उस पक्षी के समान हैं, एक आस्ट्रिच पक्षी होता है, जो रेगिस्तान में रहता है, जब आंधी आती है तो वह अपने चोंच को रेत के अंदर गाड़ देता है। समस्या का हल इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ दूसरों को गाली देना।

योजनाओं का ऐसा बीज बोया गया, जो जिस धरती पर बोया गया, वहीं गल गया और झुलस गया। किसी भी योजना को पूरा करने का ये वायदा नहीं कर सकते, आज तक न कोई योजना

इन्होंने पूरी की है । न मालूम योजनाओं को कब तक पूरा करेंगे । मान्यवर, मैं आपको टिहरी योजना के बारे में बताना चाहता हूं, जिस पर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्भर है । कब से यह योजना शुरू की गई है, लेकिन आज तक पूरा ये नहीं कर पाये । न ही उसे पूरा करने का ये वायदा कर सकते हैं। यदि कोई योजना 6 साल के बाद पूरी होती है तो उसका असर कितना बुरा पड़ता है, इसे मैं आपको बताना चाहता हूं । यदि योजनायें समय से पूरी नहीं होंगी तो एक रुपए से घटकर वह केवल 4 आने पहुंच जायेगा । इसका मतलब यह हुआ कि उस योजना पर 75 आने कीमत और बढ़ जायेगी ।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। नई शिक्षा नीति के बारे में यह सरकार कह रही है । हमको मालूम पड़ा है कि प्रधान मंत्री के पूरे परिवार में हाईस्कूल तक कोई पास नहीं है । इसलिये वह चाहते नहीं हैं कि हिन्दुस्तान में कोई हाईस्कूल से ज्यादा पढ़े । जहां तक प्रधान मंत्री पढ़े हुए हैं, वहीं तक शिक्षा रह जायगी। इसलिये शिक्षा पर खर्च करना ही बेकार है। वही इनका मापदण्ड है, वही आधार है। इसके साथ ही, प्रस्तुत बजट का मैं घोरतम शब्दों में विरोध करता हूं और माननीय नेता, विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री शिवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि वर्ष 1986-87 के लिये रखे गये बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे अवसर दिया ।

दैवी आपदाओं से प्रभावित यह प्रदेश जब इसकी चपेट में था तब श्री वीर बहादुर सिंह जी को मुख्य मंत्री बनाया गया था । विपक्ष की निराशाजनक भूमिका के बाद भी इस अल्पकाल में प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में जो बजट रखा गया है माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा, इसके लिये वे सराहना के पात्र हैं । यह वर्ष इस प्रदेश के लिये दैवी आपदाओं का वर्ष रहा । 34 जिले सूखे की चपेट में थे और 54 जिले बाढ़ से प्रभावित थे । केन्द्र की 142 करोड़ रु0 की सहायता से यहां का राहत कार्य हो सका । हमारे नये मुख्यमंत्री ने आर्थिक और प्रशासनिक मामलों में सुधार का नया कदम उठाया, जो सबके सामने है। इसी के साथ विकेन्द्रीकरण की नीति के अंतर्गत मंडलायुक्तों को भी अधिकार दिये जिससे निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी । 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष देश में छठां स्थान रखने वाले हमारे प्रदेश ने चावल का भी रिकार्ड उत्पादन 80·73 मीट्रिक टन किया । इसी के साथ प्रदेश की अन्य योजनायें जैसे–ट्रेनिंग एण्ड विजिट स्कीम, जिसके अंतर्गत 8 जिले लिये गये थे, पिछले वर्ष और इस वर्ष भी 8 जिले लिये जाने का प्रस्ताव है ।

परिवहन के मामले में प्रदेश के अन्दर दौड़ती हुई बसों को देखकर प्रदेश के विकास का अन्दाजा लगाया जा सकता है। विद्युत के मामले में हरिजन बस्तियों में ग्रामीण विद्युतीकरण की जो योजना है, वह एक कीर्तिमान थी। शिक्षा के क्षेत्र में नई नीति के अनुसार टेलीविजन के द्वारा शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने की जो योजना थी, वह लागू की गयी है, काफी तेजी से लगाये जा रहे हैं। हमारा प्रदेश गन्ने का मुख्य उत्पादक क्षेत्र रहा है। यहां पर गन्ना किसानों के मनोबल को बढ़ाने के लिये चालू पेराई सत्र में 2/- रु0

प्रति क्वि0 गन्ना मूल्य बढ़ाकर उनके मनोबल को बढ़ाया गया है।

कानून और व्यवस्था के विषय में इस सदन में प्रस्तुत किया गया है गिरोह-बन्द और समाज विरोधी अध्यादेश, जो लागू किया गया है, इसके अन्तर्गत प्रदेश के जिन निरीह और गरीब लोग थे, वे मुख्य मंत्री के आभारी हैं और इस सदन के आभारी हैं। सातवीं योजना-काल का यह दूसरा वर्ष आज चल रहा है। इसी के साथ गंगा प्रदूषण नियंत्रण हमारे प्रधान मंत्री जी के विशेष प्रयास से पिछले दिनों में दो जगहें– हरिद्वार और ऋषिकेश में प्रदूषण नियंत्रण किया जा चुका है।

इसी के साथ आपका ध्यान अपने क्षेत्र सुदूर पूर्वांचल के सीमावर्ती जिले के सिसवा विधान सभा क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहता हूं। हमारे यहां गन्ना मुख्य नगदी फसल है। हमारे यहां इतना अधिक गन्ने का उत्पादन होता है कि स्थानीय सिसवा बाजार चीनी मिल पेर पाने में सक्षम नहीं है मैं मांग करूंगा कि 7वीं योजना में प्रस्तावित चीनी मिलों में से एक चीनी मिल हमारे क्षेत्र में लगायी जाये। मान्यवर, सिसवा चीनी मिल पर गन्ना किसानों का एक वर्ष 1982-83 में 21 लाख रुपया बाकी था और खलीलाबाद चीनी मिल पर बकाया 1984-85 में 4 लाख रुपया था। यह रुपया उनको दिलाया जाये। राजस्व विभाग के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में चकबन्दी चल रही है, 40 गांवों में चकबन्दी चल रही है, उसकी गति बहुत ही धीमी है, उसमें तेजी लायी जाये, जिससे लोगों को राहत मिल सके। मान्यवर, हमारे यहां पर जल भराव की समस्या है, बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी उठनी पड़ती है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे यहां पर ड्रेन और बन्धों का निर्माण कराया जाये। बरसात के दिनों में सोहगी बरवा क्षेत्र एक टापू बन जाता है, इसलिये इस क्षेत्र के जो गांव हैं उनकी पटाई करायी जाये। एक चीज मान्यवर, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में मानसिक चिकित्सालयों की बहुत कमी है, केवल बरेली और आगरा में हैं। विरोधी पक्ष के सदस्यों की मानसिक समस्याओं को देखते हुए और मानसिक चिकित्सालय यहां पर खोले जायें। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज जनता, प्रशासन और शासन की इस प्रकार की स्थिति हो गयी है, जिसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, तीन मेढक थे और वह एक के ऊपर एक बैठे हुए थे। ऊपर वाले मेढक से प्रश्न किया गया कि तुम कैसे हो तो उसने कहा "खुश हम, खुश हम", बीच वाले से जब प्रश्न किया गया तो उसने कहा–"खुश हम, खुश हम", और जब नीचे वाले से प्रश्न किया गया तो उसने कहा "मरे हम, मरे हम"। तो मान्यवर, आज शासन प्रशासन और

*वक्ता ने अपना भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता इन तीनों की यही स्थिति है। शासन कह रहा है कि हम खुश, प्रशासन कह रहा है कि कुछ कम और जनता कह रही है कि मरे हम। तो आज यह पूरे प्रदेश की स्थिति है। मान्यवर, अब मैं पुलिस की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले तीन महीनों से गाजीपुर, अतरौली, ललितपुर और झांसी, इन जगहों पर पुलिस के भ्रष्टाचार की कहानी इस सदन में बराबर आयी है। जिस प्रकार से निरीह व्यक्तियों को मारा गया है, गोली से भून दिया गया है, इनके बारे में चर्चायें यहां पर आ चुकी हैं, फिर भी हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि गिरोहबन्द, राजनीतिज्ञों पर यह कानून नहीं लगाया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के माफिया गिरोह में माननीय मुख्य मंत्री जी का पहला नाम था तो क्या आप शासन को निर्दिष्ट करेंगे, वह और उनके सहयोगी जो हैं, उन पर यह अध्यादेश लागू करायेंगे ? मान्यवर, फर्जी लोगों को मारा जाना और न्यायालय में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पकड़ कर घसीटा जाता है।

एक सदस्य–

आप बजट पर बोलें।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

मैं बजट पर बोल रहा हूं। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें। आज प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति क्या हो गयी है, वहां पर अध्यापक पढ़ाने के लिये नहीं जाता है, विद्यालयों में भवन नहीं हैं और जो पैसा यहां से स्वीकृत होकर जाता है, वह न जाने कहां पर चला जाता है।

श्री हरदेव–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने कहा है माननीय मुख्य मंत्री जी गिरोह बन्द हैं, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये। यह खुद गिरोह बन्द हैं और मुख्य मंत्री जी पर आरोप लगाते हैं।

(4 बजकर 20 मिनट)

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

मान्यवर, प्रत्येक जनपद की प्रत्येक ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल खोलने का शासन ने वायदा किया था। मान्यवर, , आज तक हमारे ललितपुर जनपद में एक प्राइमरी स्कूल प्रत्येक ग्राम सभा में नहीं है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जो कि विद्यालय के अभाव में शिक्षा विहीन हैं। मान्यवर, ललितपुर जनपद में एक इंटर कालेज और 2 हाई स्कूल हैं, यह शासन के द्वारा शिक्षा की ललितपुर में स्थिति है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे ललितपुर जनपद में इस बजट में एक डिग्री कालेज का भी प्राविधान करें। इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में 20-20 कि0 मी0 तक कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। और दवाई के अभाव में मरीज मर जाते हैं। कृषि में, कीटनाशक दवाई जो मिल रही है उसमें इल्लियां अगर कीटनाशक दवाई में डाल दें तो भी मरती नहीं हैं। अभी पिछले महीने जिलाधिकारी ललितपुर ने शासन को लिखा है कि इस प्रकार की कीट नाशक दवाई भेजी जाती है। खाद और बीज ऐसा मिलता है कि बीज का जमाव पूरी तरह से नहीं हो पाता है। खाद से पूरा उत्पादन नहीं मिल पाता है। ग्राम्य विकास के नाम पर आज भी गांवों में सड़कें, बिजली और खड़न्जा नहीं है। मैं एक बात और कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पूरे बजट में वन के नाम पर कोई भी बजट नहीं दिया हुआ

है । आप स्वयं देख सकते हैं कि आज वनों की अंधाधुन्ध कटान, बीड़ी पत्ती की चोरी इन सबसे वनों का विनाश हो रहा है । यहां प्रदेश में जितने वृक्षारोपण हो रहे हैं उसकी रक्षा के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि मैं बैठकर बोलूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने प्रस्तुत बजट की परिचर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं ।

एक सदस्य –

मान्यवर, यह बैठकर बोल रहे हैं ।

श्री श्रीनाथ सिंह–

मैंने पहले ही अनुमति ले ली है ।

श्री अधिष्ठाता –

सदन में यह रस्म है, आप बोलें ।

श्री श्रीनाथ सिंह –

मान्यवर, प्रस्तुत बजट सर्वथा सुविचारित, सुगठित, एवं सुव्यवस्थित है । इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पुराने अनुभवों के आधार पर जो बजट की कल्पना की है वह सर्वथा मुल्क के सर्वांगीण विकास के लिए काफी है । यह बात सही है और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सुझाव में दी जा रही हैं वह चाहे विरोधी पक्ष की हों । इसमें बहुत सी बातें सही हैं । लेकिन उसमें बहुत सी बातें आलोचनाओं की तरह देखी जाती हैं लेकिन यह बात सही है कि वह ऐसी हैं नहीं । "दी सी द थिंग्स एज दी आर नाट एज द आर" किसी भी चीज को हम वैसे देखते हैं जैसे हम हैं, जैसा वह है वैसा नहीं देखते हैं । विरोधी पक्ष के लोगों ने बहुत से सुझाव दिये हैं, मैंने कहा कि वह अच्छे हैं । शिक्षा के बारे में मैकाले का बहुत प्रयोग किया गया है । मैकाले की शिक्षा पद्धति में सुधार की बात माननीय प्रधान मंत्री ने उठायी, शिक्षा की दिशा में एक कदम उठाया है, क्या वे लोग चाहते हैं कि शिक्षा उसी स्तर पर रहे जो मैकाले की थी, वही रहे और उसी को पढ़े ।

21वीं सदी की जो कल्पना उन्होंने की है वह प्रशंसनीय है । मान्यवर, मैं आपका ध्यान ऊर्जा की ओर ले जाना चाहता हूं । स्वर्गीय भाभा जिन दिनों टाटा में काम करते थे उन्होंने जवाहर लाल जी को एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि किसी देश की उन्नति उसकी ऊर्जा शक्ति पर निर्भर करती है । हमारे देश में जितनी बिजली कंज्यूम होती है उतनी बिजली जापान के एक शहर अकेले टोकियो में होती है । अगर इस देश की उन्नति करनी है तो ऊर्जा के सम्बन्ध में देश जितनी उन्नति करेगा देश उतना ही प्रगतिशील होगा। विद्युत् का सम्बन्ध सिंचाई से है और सिंचाई का सम्बन्ध कृषि से है । अगर कृषि और सिंचाई इस देश में समन्वित होगा जिसका सम्बन्ध विद्युत् से है तो देश अवश्य उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा । विद्युत् का सारी चीजों से समन्वय होना चाहिए । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े घाटे पर हमारा यह विद्युत् विभाग जो कि एक सफेद हाथी के रूप में खड़ा हुआ है जिस पर हर साल बहस होती है, चल रहा है । इस विभाग के ऊपर जनता पार्टी के राज में भी बहस हुई थी लेकिन पता नहीं क्यों इसकी ओर दृष्टि नहीं जा रही है।

इस विभाग का गठन एक बोर्ड के रूप में है । इसको सरकारी होना चाहिए। इनके अभियन्ताओं की तन्ख्वाह ज्यादा है, फिर भी ये लोग काम नहीं करते । खुशी की बात है कि दिसम्बर से थोड़ी बिजली

उत्पादन में उन्नति हुई है। लेकिन मैं एक बात की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। ओबरा थर्मल पावर हमारे जिले के समीप है। वहां सफाई के नाम पर 36 लाख रुपये का प्रति वर्ष कान्ट्रैक्ट होता है। कैसे सफाई होती है, यह देखने की बात है। जब कि वहां की यूनियन ने यह आफर दिया था कि उसकी सफाई का काम हम दो लाख रुपये में करेंगे। पता नहीं शासन की क्या दृष्टि है क्यों नहीं शासन इस ओर ध्यान दे रहा है। इसी तरह से पनकी विद्युत् गृह की सफाई की बात है। वे लोग किसी प्राइवेट फर्म से इसकी सफाई कराते हैं और 5 हजार रुपया केवल राय लेने के लिये उस फर्म को देते हैं। जब कि हमारे विद्युत विभाग में भी कई एक्सपर्ट्स हैं जो इसके बारे में बता सकते हैं। इस तरह से हमारे विद्युत् विभाग की स्थिति हो रही है। इसलिये इसको तोड़कर उसे सरकारी विभाग बना दिया जाय तो शायद इसकी प्रोन्नति हो सकेगी।

मान्यवर, अभी मैं इलाज के सिलसिले में महाराष्ट्र में था। वहां पर यह देखने में नहीं आया कि एक सेकिन्ड के लिये भी वहां पर बिजली गई हो। वहां पर बिजली दोनों क्षेत्रों में है। टाटा की भी है और सरकारी भी है। दोनों में प्रतिस्पर्धा होती है। यदि एक मिनट के लिये भी बिजली जाती है तो एक सप्ताह पहले अखबारों में यह प्रकाशित हो जाता है अमुक दिन अमुक समय में बिजली जायेगी। लेकिन यहां की क्या स्थिति है। पता नहीं महाराष्ट्र से ही हमारे यहां बोर्ड के चेयरमैन आये थे लेकिन उत्तर प्रदेश में वे असफल रहे। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि विद्युत् विभाग यहां पर जितना समुन्नत होगा उतना ही हमारे यहां सिंचाई के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में एवं उद्योग के क्षेत्र में उन्नति होगी। सिंचाई के क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक के जितने भी ट्यूबवेल हैं वे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और उनके अलावा जितने दूसरे ट्यूबवेल हैं, वे प्रायः खराब रहते हैं। इसलिये मेरी गुजारिश है कि यहां पर सारे वर्ल्ड बैंक के ट्यूबवेल बनवा दिये जायं, तो बड़ी कृपा होगी।

मैं वाराणसी के सम्बन्ध में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वाराणसी दुनियां का सबसे पुराना नगर है। वहां एक बहुत पुराना उद्योग है . . . (व्यवधान) हंसिये नहीं . . . वाराणसी के बारे में इसलिये कहता हूं कि वहां पर रेशम उद्योग है जिसमें आपकी शादी के दिन भी उसकी जरूरत पड़ती है। लाखों आदमी उसमें काम करते हैं। रेशम का कुछ साल पहले वहां पर बहुत बड़ा संकट आया था और रेशम चीन से मंगाना पड़ा था। वहां के लिये एक सिल्क परियोजना तीन साल से बनी है वह आज भी कार्य नहीं कर रही है। हमारे शतरुद्र प्रकाश जी बैठे हैं लकड़ी के खिलौने बनाने वाले लोग लकड़ी के अभाव में भुखमरी के कगार पर हैं। उन्हें कोरैया लकड़ी चाहिए। इसी तरह से तांबे एवं पीतल का वहां पर सबसे बड़ा उद्योग था लेकिन कारपोरेशन मुरादाबाद में दिया गया है। यह उद्योग वहां पर भी होना चाहिए। चौथी बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने वहां पर 500 शैय्याओं के एक अस्पताल की कल्पना की थी।

वह चार साल से बन रहा है एक टर्म बीत गया और दूसरा टर्म भी बीत जायेगा तो वह बन पायेगा या नहीं मैं नहीं कह सकता। अगर वह अस्पताल बन जाय तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री श्रीनाथ सिंह–

बनारस में चकिया ऐसा क्षेत्र है जो धान के उत्पादन के लिए हिन्दुस्तान में अपना स्थान रखता है लेकिन वहां पर धान का पुआल जला दिया जाता है। तो अगर उसका उपयोग कागज बनाने के लिये किया जाय और वहां एक कागज का कारखाना खोल दिया जाय तो उससे बहुत लाभ होगा लोगों को काम मिलेगा। इन शब्दों के साथ जो आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*डा0 बंगाली सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं (कई सदस्यों द्वारा कुछ कहने पर)।

श्री अधिष्ठाता–

मैं नये और पुराने सभी सदस्यों को बोलने का मौका दे रहा हूं।

डा0 बंगाली सिंह–

मान्यवर, इस बजट में शिक्षा में सुधार के विषय में तथा ला-एण्ड आर्डर के विषय में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। हममें से अधिकतर लोग आज देहात से आये हैं तो वहां पर चाहे प्राईमरी शिक्षा हो या जूनियर हाई-स्कूल शिक्षा हो वहां पर स्कूलों का बुरा हाल है सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया है और बजट में कोई विशेष ध्यान उसके लिए नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि स्कूलों में टांटपट्टी की व्यवस्था की जाय और जो नये स्कूल खुलें उसमें अध्यापकों की व्यवस्था कराई जाय।

अब मैं सुरक्षा के संबंध में आता हूं आज देहात का आदमी शहरों की तरफ भाग रहा है वहां पर किसी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। हमारे अलीगढ़ में गांव उगरी थाना चंदौसा है हमारे गृह मंत्री की चाची हैं। गृह मंत्री जी मौजूद नहीं हैं। तो मैं कह रहा था सरकार में बैठे लोग आज क्या कर रहे हैं? एक आदमी का जसोदा देवी के साथ अवैध संबंध थे तो उस आदमी को मरवा दिया जिसका नाम हरप्रसाद शर्मा है। तो आज बहन बेटी की या किसी आदमी की सुरक्षा नहीं है। आये दिन पुलिस के अत्याचार हो रहे हैं, आये दिन लोगों को परेशान किया जा रहा है यह उनकी उपलब्धि है।

खेती के विषय में हमारे साथी सरकार की काफी तारीफ कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन में बीज और खाद पर जो छूट दी थी वह वास्तव में किसानों को समय पर मिलती थी लेकिन आज समय से वह नहीं मिल पाती है और उस छूट को अधिकारी खा जाते हैं।

मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में चेतावनी देना चाहता हूं उनके द्वारा जो काम हो रहा है उसमें घटिया किस्म की ईंटें और दूसरे सामान प्रयोग हो रहे हैं जिसके कारण वह सड़कें ज्यादा समय नहीं चलेंगी जनता शासन के समय जो सड़कें बनी थी उनका रख-रखाव यह सरकार नहीं कर पा रही है। मेरे क्षेत्र में एक सांसनी नांनऊ सड़क है जो 20 कि0 मी0 लम्बी है उसमें आज तक मरम्मत का काम नहीं हुआ है ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जिन पर सरकार का करोड़ों रुपया लग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुका है लेकिन वह बेकार हो चुकी है उनकी मरम्मत नहीं की जाती है ।

मान्यवर, स्वास्थ्य के विषय में मैं कहना चाहता हूं हमारे चिकित्सालय की हालत बड़ी खराब है । दवाओं के नाम पर लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं । डाक्टर केवल 224, 324 के केस ही बताते रहते हैं । जनता दवाओं के लिए परेशान है जो लोग अस्पताल में जाते हैं उनको वार्ड बाय और कम्पाउन्डर की फटकार खानी पड़ती है । इसलिए मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के बारे में अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय जिससे जनता को सुविधा प्राप्त हो सके । आपका ध्यान स्वास्थ्य के संबंध में कितना जाता है यह इस बात से साफ हो जाता है कि देहातों में बहू बेटियों को खुले में पाखाने के लिए बैठना पड़ता है जब बात करते हैं कि 21 वीं सदी में जाते हैं तो मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार सुलभ शौचालयों की पहले व्यवस्था करे ।

मान्यवर, देहातों में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के माध्यम से सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है, तो मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विकास खंड अधिकारी को इसमें जरूर रखें ताकि उसके माध्यम से काम होगा तो अच्छा होगा चूंकि उसको उस क्षेत्र की पूरी जानकारी होती है, इसलिये बी0 डी0 ओ0 का सहयोगदान लेने से सही काम होगा ।

मान्यवर, अब मैं परिवहन व्यवस्था के संबंध में कहना चाहता हूं कि जब यह सरकार टिकट नहीं दे सकती है तो सुविधायें क्या देगी, जैसे आप लखनऊ से कानपुर जायं तो टिकट मिलेगा आगरे से अलीगढ़ का, तो जब परिवहन अधिकारी सही टिकट नहीं दे सकते हैं तो अच्छी बसों की सुविधायें कैसे दे सकते हैं ।

मान्यवर, सिंचाई के संबंध में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां हाथरस बांच, गंगा नहर, के किनारे-किनारे सीपेज नाले बनवायें चूंकि सीपेज के कारण हमारे यहां काफी क्षेत्र बेकार हो गया है इसलिये इस तरफ सरकार ध्यान दे ।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सलेमपुर योजना चालू करने के संबंध में कहा गया है किन्तु मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस योजना के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिये सरकार इस योजना को चालू करे।

श्री हाफिज मो0 उमर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिया । मान्यवर, हमारे नेता सदन, मुख्य मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह ने जो यह बजट 1986-87 का रखा है वह एक संतुलित, प्रगतिशील और उदारवादी बजट है। यह बजट बिल्कुल समय पर रखा गया है और समय से पास कराकर हमारे शासन की यह मंशा है कि साल भर का उसको खर्च करने का समय मिले जिससे इस प्रदेश के विकास कार्य समय पर हो सकें । मान्यवर, घाटे का बजट होते हुए भी कोई नया टैक्स हमारे मुख्य मंत्री जी ने जनता पर नहीं लगाया है । इससे साबित होता है कि इस प्रदेश की जनता पर कोई नया भार हमारे मुख्य मंत्री जी नहीं रखना चाहते हैं। मान्यवर, जब मुख्य मंत्री जी ने शपथ ली थी तो उस समय इस प्रदेश की हालत सूखे और बाढ़ से खराब थी लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं इस प्रदेश को चुस्त प्रशासन दूंगा जिसको प्रदेश की जनता लगातार देख

रही है कि इस दिशा में हमारे मुख्य मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं और जहां-जहां भी भ्रष्टाचार और कमी के नाम पर कोई चीज सामने आई है तो उसको दूर करने में वह लगे हैं ।

मान्यवर, मैं एक नया सदस्य हूं और विरोध पक्ष के बड़े भाईयों की तरफ से बराबर देख रहा हूं कि उनका आलोचना का एक खास अंदाज है और आलोचना का एक ऐसा आधार बना रखा है कि उनका कोई एक चश्मा है जिससे वह सूरज जैसे चमकने वाले बजट और तमाम उपलब्धियों को उस खास चश्मे से देखते हैं जिससे उनको कुछ नजर ही नहीं आता है । अभी सामने से एक साथी ने एक किस्सा सुनाया था जो कि मेढकों का किस्सा था, लेकिन मैं उनको सुनाना चाहता हूं कि कुछ महिलायें एक जगह इकट्ठी होकर नया चांद देख रहीं थीं। उस समय एक महिला के हाथ में गंदगी लगी थी और उसने हाथ अपने मुंह पर रखकर चांद देखना शुरू किया, तो मान्यवर, चांद समय से निकला, अच्छा निकला लेकिन उसने कहा कि चांद से कुछ बदबू आ रही है। मान्यवर, यहां यही रवैया है, उसी निगाह से यहां देखा जाता है, चांद की रोशनी को देखकर भी उसमें बदबू बताई जाती है। किन्तु हमारा अंदाजा तामीरी रहा है और इस प्रदेश और देश का बनाने का रहा है । आपका इरादा और उद्देश्य तंगदिली का है । हम देश को आगे, और आगे ले जाना चाहते हैं, जैसा हमारे नेता प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने कहा है कि यह देश 21वीं सदी में जाएगा, वह निश्चित रूप से जाएगा और हौसले के साथ जाएगा नये उत्साह के साथ जाएगा। आप हमारे काम को देखें । चाहे सस्ते दाम की हजारों दुकानें खोलने का काम हो चाहे 18 हजार लोगों को उद्योगों में प्रशिक्षण देने का काम हो और चाहे एक लाख नये लघु उद्योगों की स्थापना का कार्य हो, हमने सही निशाना बनाया है। हमें विपणन कार्य में जो इनाम मिला है, धान की पैदावार में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, उसको देख लिया जाए । इन सभी चीजों से विकास और तरक्की की खुशबू मिलती है, उसमें कोई कमी नहीं है, जिससे इस तरह की आलोचना का हमारी सरकार को निशाना बनाया जाए । उद्योग क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, अवस्थापना प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं । जो इस प्रदेश में पहले हैं।

किसी भी प्रदेश में जब तक कानून व्यवस्था सही रूप से नहीं चलेगी, जनता का अमन चयन सुश्चित नहीं होगा तब तक उस देश की तरक्की में रुकावट आती रहेगी । मैं आपके माध्यम से आप लोगों और जनता से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने चाहे जिस भी तरीके से हो, चाहे नये विधेयक के द्वारा हो, प्रदेश में सर्वसाधारण जनता का पूर्ण शान्ति एवं सुरक्षा प्रदान करने का वायदा किया है । हम इसके लिए हर तरफ से प्रयत्नशील हैं और हम यह कार्य करके दिखायेंगे ।

मान्यवर, अल्पसंख्यकों के लिए एक आयोग बनाया गया है, उसके बारे में एक सेन्टेंस में यह कहना चाहता हूं कि उसने मार्जिन मनी देने का कार्य शुरू किया है, किन्तु इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि जब तक उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन के तरीके से डायरेक्ट तौर से कर्ज देने का कार्य नहीं करेगी, वास्तव में अल्पसंख्यकों की मदद नहीं हो सकेगी। इसलिए उसी सारी व्यवस्था को इसमें भी लागू किया जाए। पढ़ने वाले लड़के-लड़कियों को भी उसके

द्वारा पूरी इमदाद मिलनी चाहिए जिससे वह अपने भविष्य को बना सके ।

मैं कानपुर महानगर का सदस्य हूं और उसके बारे में दो-चार बातें कहना चाहता हूं । कानपुर में पानी का जो मसला है, और उसे विरोध पक्ष के भाइयों ने भी उठाया था । उस महानगर की आबादी के मुकाबले में पानी वहां बहुत कम है । इसलिए चार साल से बराबर मांग की जा रही है कि वहां पर "गंगा बांध" बनाया जाना चाहिए। मैं इस ओर शासन का पुनः ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह बांध वहां पर शीघ्र बने । वहां पर स्टेशन के चारों ओर विकास योजनाएं बार-बार मास्टर प्लान में रुक जाती हैं। जब कभी स्टेशन पर उतरिये, तो मालूम पड़ता है कि यह एक महानगर नहीं एक कस्बा है । इस संबंध में सरकार के पास जो योजना है, उसे जल्दी लागू किया जाना चाहिए । इसके साथ इतने बड़े शहर में कोई बस का अड्डा न होना भी बहुत बड़ी कमी है, जिससे सड़कों पर रास्ता रोके बसें खड़ी रहती हैं। बहुत दिनों से सुना जाता है कि कानपुर में अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनेगा, किन्तु उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है । मैं इस पर पुनः आपका ध्यान दिलाता हूं । वहां पर सिंचाई विभाग की नहर की एक जमीन है, जो घंटाघर चौराहे से गंगा जी तक जाती है, उसको यदि विकास प्राधिकरण को दे दिया जाए तो बहुत अच्छा कार्य हो सकता है । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री कुशल पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं..

श्री अधिष्ठाता–

आप जरा रुक जायें ।

आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा दि0 25-2-85 को भी करने के संबंध में प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के संगत नियम 187 (1) को निलंबित करते हुये तथा अपने पूर्व के विनिश्चय को संशोधित करते हुये यह सदन निदेश देता है कि वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा दिनांक 25 फरवरी, 1986 को भी की जाय और आय-व्ययक की मांगों पर मतदान के कार्यक्रम को तदनुसार पुनरीक्षित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के संगत नियम 187 (1) को निलंबित करते हुये तथा अपने पूर्व के विनिश्चय को संशोधित करते हुये यह सदन निदेश देता है कि वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा दिनांक 25 फरवरी, 1986 को भी की जाय और आय-व्ययक की मांगों पर मतदान के कार्यक्रम को तद्नुसार पुनरीक्षित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

1986-87 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

प्रधान प्रभु दयाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

श्री अधिष्ठाता–

एक समय में दो माननीय सदस्य नहीं बोल सकते । प्रभु दयाल जी आप विराजिये।

श्री कुशल पाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है वह ऐसा सुन्दर कारटून बनाकर रखा है कि हमारे सत्ता पक्ष के लोग उसके चेहरे को देखकर बड़ी आरती उतारते हैं लेकिन जब पेट और पैरों की तरफ देखते हैं तो वह भी हमारी तरह से कहने लग जाते हैं कि इसमें यह कमी है, इसमें यह नहीं सम्मिलित किया है। मान्यवर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो बनाया गया है तो उम्मीद थी कि इससे शायद हमारे देश और प्रदेश का कुछ भला होगा, विकास होगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा प्रदेश छठवें नम्बर पर है। यह छठवें नम्बर पर कागज पर जरूर है। कहीं पर देखिये 20 सूत्रीय प्रोग्राम सिर्फ कागज पर चल रहा है और सिर्फ लूटो खाओ प्रोग्राम बनकर रह गया है। आप देखिये जो हरिजनों के लिये आवास योजना चलायी जा रही है वह केवल कागज पर चलायी जा रही है। कागज पर ही मकान एलाट हो गये हैं और पैसा भी मिल गया है लेकिन असल में कुछ नहीं हुआ है। हमारे माठ क्षेत्र में मकान नहीं बने हैं लेकिन कर्ज जरूर चढ़ गया है। इसी तरह से डी0आर0डी0 की जो योजना है इसके जरिये कोसी कलां कोआपरेटिव बैंक, द्वारा लालपुर में 14 किसानों को जो हरिजन तथा मजदूर थे कर्जे दिये गये। मार्च के महीने के आखिर में 14 किसानों को 54 हजार 600 सौ रुपया एलाट किया गया लेकिन किसी आदमी को कर्ज असलियत में नहीं दिया गया और न किसी को बुग्गी या भैंस, भेंड़ ही मिली। कांग्रेस पार्टी के एक भूतपूर्व विधायक के पुत्र जो उस ब्रांच के मैनेजर हैं अन्य लोगों से मिलकर 54 हजार 600 सौ रुपया खा गये। इसकी शिकायत की गयी। प्रधान मंत्री के तीन बार लिखने के बाद 6-2-86 को क्राइम नं0 23 पर थाना कोसीकलां, मथुरा में रिपोर्ट दर्ज की गयी। मान्यवर, यह हमारी प्रगति है।

इसी तरह से आंगनबाड़ी योजना और बालाहार योजना हमारे मथुरा जिले में जो चलायी जा रही है वह केवल कागज पर चलायी जा रही है। कहीं पर असल में कोई योजना नहीं है न बच्चों को आहार दिया गया है न कहीं कुछ है। लोग पैसे को खा जाते हैं। जब इसके सत्यापन का प्रयास किया गया और सांख्यिकीय विभाग से इसका सत्यापन कराया गया और 3-4 ब्लाकों का सत्यापन किया गया तो शतप्रतिशत फर्जी पाया गया। यह बीस सूत्रीय के गुणगान हैं जो कागजों पर चल रहे हैं। मान्यवर, किसानों के लिए जो पम्पिंग सेट लगाने की योजना थी, तो बोरिंग करने की योजना तो मान्यवर कहीं-कहीं पर दिखाई पड़ जाती है, लेकिन जहां-जहां बोरिंग कर दी गयी है, वहां पर पम्पिंग सेट अभी नहीं लगाये गये हैं, लेकिन कागज पर सब लगे हुए दिखाए जा रहे हैं। मान्यवर इससे किसानों को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है।

मान्यवर, बिजली किसानों को नहीं मिलती है, लेकिन उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं और बिजली के ही नहीं हर चीज के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं चाहे वह खाद हो, चाहे मिट्टी का तेल हो चाहे कोई और जरूरत की चीज हो हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। परन्तु इसके दूसरी ओर मा0 मुख्य मंत्री

जी ने जो अपना बजट पेश किया है उसमें तो टैक्स नहीं लगाया है परन्तु हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। मान्यवर, हमारा मथुरा बहुत ही पवित्र है। वहां पर हर कोई आशीर्वाद लेने के लिए प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री बनने के लिए जाता है अभी हमारे मुख्य मंत्री जी बिहारी जी के मंदिर गये जो वृन्दावन में है। मुख्य मंत्री बनने के लिए और वे वन भी गये परन्तु उन्होंने वहां जो वायदे किये थे वृन्दावन और शेरगढ़ पर जमुना के पुल बनाने के लिए वह अभी तक नहीं बनवाए गये हैं।

जहां तक बेसिक शिक्षा का सवाल है आप वहां पर किसी भी स्कूल में चले जाईए तो आप वहां की हालत को देखेंगे दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि हम टी0 वी0 से शिक्षा देने जा रहे हैं परन्तु हमारे यहां मान्यवर, स्कूलों का यह हाल है कि मास्टरों के बैठने के लिए न तो कुर्सियां हैं और न ही बच्चों के लिए बेंच और डेस्क कौन कहे टाट और दरी तक नहीं हैं और बहुत से स्कूलों में तो जहां छात्र हैं वहां टीचर नहीं हैं और जहां टीचर हैं वहां छात्र पढ़ने के लिए नहीं हैं। यह बेसिक शिक्षा का हमारे यहां हाल है और जहां तक मान्यवर, चीनी मिलों का सवाल है। हमारा क्षेत्र गन्ने का केन्द्र है गन्ना फैक्ट्री नहीं है। इसलिए शासन का ध्यान मैं उस ओर ले जाना चाहता हूं कि वहां पर जो गन्ना क्रय केन्द्र हैं वह दो माह से बन्द पड़े हुये हैं और किसानों का गन्ना पड़ा सूख रहा है, लेकिन उसे कोई लेने वाला नहीं है, किसानों के हितों का दावा करने वाली सरकार इस ओर कृपया ध्यान दें। दूसरे मान्यवर, हरियाणा में 5 रु0 के स्टैम्प पर एक ट्रैक्टर के खरीदने का एग्रीमेन्ट हो जाता है, परन्तु हमारे यहां तो पहले इसके एग्रीमेन्ट के लिए रु0 42·50 प्रति हजार स्टाम्प लगता था जिसे अब बढ़ाकर साढ़े 47 रु0 कर दिया है तो ऐसा करने से खाद्यान्न का उत्पादन कहां से बढ़ेगा? जब खेतों को पानी की आवश्यकता होती है, तब उन्हें पानी ही नहीं मिलता है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

*श्री बंशीधर राज–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत चतुर्मुखी विकास के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जब माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो मैंने उनके भाषण को पूरी तरह से सुना। हो सकता है कि हमारी योजनाएं, कार्यक्रम और उनके क्रियान्वयन में कहीं कोई त्रुटि हो, तो मैं समझता हूं कि मा0 नेता विरोधी दल को उन त्रुटियों को उजागर करना चाहिए था और उन योजनाओं, कार्यक्रमों और उनके क्रियान्वयन के लिए उचित एवं ठोस सुझाव देने चाहिए थे, परन्तु वह अधिकतर भ्रष्टाचार, बलात्कार व व्यभिचार आदि की ही बात करते रहे और मान्यवर, यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि जब तक इस देश में कांग्रेस शासन रहेगा, तब तक देश की स्थिति यही बनी रहेगी, मान्यवर, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस ने ही हर ओर और हर क्षेत्र में, चाहे वह खाद्यान्न योजना हो, शिक्षा हो, विज्ञान और टेक्नोलाजी के क्षेत्र में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुनियां के देशों में भारत का छठा स्थान है, और भारत ने हर क्षेत्र में चतुर्मुखी विकास किया है तथा आज दुनिया में इस देश को जो सम्मान मिल रहा है वह कांग्रेस की ही नीतियों की वजह से मिल रहा है। दूसरे कृषि के क्षेत्र में, खाद्यान्न के उत्पादन में और हर योजना को सक्रिय बनाने और देश के हर नागरिक को आत्म-निर्भर बनाने में कांग्रेस का ही हाथ रहा है। इसी के साथ में कहना चाहता हूं कि मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में खरीफ 85-86 में चावल 80.73 लाख मी0 टन का उत्पादन हुआ, यही नहीं वर्ष 84-85 में 12.97 क्विंटल प्रति हेक्टे0 पैदावार हुई थी जो इस साल बढ़ कर 14.74 क्विंटल प्रति हेक्टे0 हो गया, जो अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। तो यह हमारी योजनाएं ही हैं, हमने कृषि के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा दे करके, खाद की सुविधा दे करके और नये-नये तरीके जो बताये हैं उनके द्वारा यह उत्पादन बढ़ा हुआ है। वर्ष 1986-87 में खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य 334 लाख मीट्रिक टन रखा गया है, जिसके लिए विभिन्न कृषि निवेशों जैसे सिंचाई, उन्नतिशील बीज, कुशल प्रबन्ध की व्यवस्था की जा रही है। यही कारण है कि खाद्यान्न उत्पादन में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। खाद्यान्न के क्षेत्र में वर्ष 1983-84 में कुल उत्पादन 292-00 लाख मीट्रिक टन था, जो 1984-85 में बढ़ कर 302.92 लाख मीट्रिक टन हो गया। इस प्रकार 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि 1985-86 में खाद्यान्न का उत्पादन 318 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था, जिसमें 106 लाख मीट्रिक टन खरीफ और 212 लाख मीट्रिक टन रबी के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विपरीत खरीफ में 111.17 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो चुका है और रबी में लक्ष्य का अधिकाधिक उत्पादन होने की आशा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने आलोचना और प्रत्यालोचना के अलावा और कुछ नहीं कहा है। मान्यवर, कृषि के ही क्षेत्र में बीमा योजना चलाई जा रही है। खरीफ में 1985-86 से नई फसल की बीमा योजना चलाई जा रही है। फसल बीमा में वे सभी कृषक लाभान्वित होंगे जो अपनी फसलों के लिए सहकारी बैंकों व्यावसायिक बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों से से फसली ऋण प्राप्त करेंगे।

यही नहीं मान्यवर, कृषि विपणन एवं विकास क्षेत्र में वर्ष 1984-85 में किये गये कार्य-कलापों के लिए भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। विभिन्न आपदाओं जैसे बाढ़, ओला, आगजनी आदि होती रहती है, तो उसमें यह बीमा योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी होगी। इसी तरह सिंचाई की बहु-उद्देशीय, वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में 30,000 हेक्टेयर के सिंचन की क्षमता का अनुमान है और वर्ष 1986-87 में 58,000 हेक्टेयर क्षमता का प्राविधान किया गया है। जो हमारे असफल नलकूप पड़े थे, जिनसे सिंचाई नहीं होती थी, उनका पुनः-निर्माण करा कर सिंचाई बढ़ाने की व्यवस्था की गयी है। विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त नलकूप लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लघु सीमान्त कृषकों को सिंचाई करने हेतु मुफ्त बोरिंग योजना चलाई गयी है तथा भूमि विकास बैंक द्वारा भी सिंचन

क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लघु उद्योग के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि 7वीं योजना काल में प्रदेश में लगभग 1 लाख लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कम से कम 7 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। मान्यवर, इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु वर्ष 1986-87 में लगभग 20 हजार नये उद्यमियों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम रखा गया है। मान्यवर, वर्ष 1986-87 में 122,4 करोड़ रु0 की पूंजी निवेश से लघु उद्योगों की लगभग 18 हजार नई इकाइयों के स्थापित किये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसमें 1.40 लाख नये रोजगार सृजित होंगे। वर्ष 1986-87 में ही 51 विकास खण्डों में लघु औद्योगिक आस्थान स्थापित करने व क्षेत्रीय कच्चा माल व मांग को देखते हुए उद्योगों का चयन करने का, प्रति विकास खण्ड 40 उद्यमियों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम, उद्यमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

मान्यवर, खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत लगभग 16 हजार नई इकाइयों की स्थापना 16 करोड़ रु0 की पूंजी निवेश से किये जाने का प्रस्ताव है, जिससे लगभग 56 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। मान्यवर, मैं दो शब्द अपने क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूं। जनपद लखीमपुर खीरी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, परन्तु फारेस्ट की आय सम्मिलित हो जाने के कारण पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं घोषित हो रहा है। फारेस्ट अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो चुका है। इस कारण से उसकी आय निकाल कर जनपद लखीमपुर खीरी को पिछड़ा हुआ जिला घोषित करके, उसे पिछड़े हुए जिले की सुविधायें देने की मांग आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से करना चाहता हूं। मान्यवर, इसी के साथ तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत पसिगवां विकास खण्ड आता है, जो मेरे क्षेत्र में है, लगभग 124 गांव सभायें वहां पर हैं। इसमें एक अलग से दूसरे विकास खण्ड की स्थापना मैगलगंज-औरंगाबाद में पिछले काफी दिनों से मैं करता चला आ रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि एक नया विकास खण्ड मैगलगंज-औरंगाबाद में खोलने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय मुख्य मंत्री ने जो बजट रखा है, उस पर उस पक्ष के लोग कहते हैं, विरोधी पक्ष के लोग सिर्फ आलोचना की बात कहते हैं। जिस तरह से अन्धे को अन्धा नहीं कहा जाता है . . उसी तरह से लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहा जाता है। उसी प्रकार से भ्रष्ट सरकार को भ्रष्ट नहीं कहना चाहता हूं। यह मैं समझता हूं कि जहां तक अपने बजट में मुख्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा में विकास करने के लिए सिर्फ 3 जिले आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर में टेलीविजन के द्वारा बच्चों की पढ़ाई का काम किया जायगा। सारे लोग देख रहे हैं प्रति जिले में नौ विद्यालय खुलते हैं। प्राइमरी स्कूल किसी तहसील में नहीं खुलता है। आप कहते हैं हर बड़े शहर में एक पब्लिक स्कूल खोला जाएगा। मान्यवर, बजट में कहा गया है कि तमाम ऐसी जगह पर

जहां बेरोजगार लोग हैं, रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायेंगे। सैकड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको कि नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन्होंने कहा कि जिन जिलों में उद्योग की शून्यता है, वहां उद्योग लगाये जायेंगे।

मान्यवर, मैं हंडिया तहसील से आता हूं वहां न तो 100 और न ही 1000 रुपये तक का कोई उद्योग लगा है। वहां बगल से एक मंत्री हुआ करते हैं, लेकिन वहां कोई उद्योग नहीं लगा है। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उद्योग लगाने का काम उन्होंने किया है, विकास का काम किया है, उन्होंने हर जिले में हर तहसील में बम का कारखाना खुलवा दिया है, तमंचा बनाने का कारखाना खुलवा दिया है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि साफ छवि को ले करके देश की हुकूमत कर रहे हैं। पिछले दिनों वह सिंचाई मंत्री थे तब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, जब से वह मुख्य मंत्री हुए हैं तब से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अगर इनकी छवि स्वच्छ है, तो कर्नाटक के मुख्य मंत्री राम कृष्ण हेगड़े की तरह इस्तीफा दे दें। और जांच किसी जज के सुपुर्द कर दें, जो सही बात है वह सामने आ जाएगी।

मान्यवर, एक बात कही गई कि पुलिस हमारे कन्ट्रोल में है पुलिस को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए काम किया जाएगा। मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। पुलिस विभाग का एक उदाहरण दे रहा हूं, गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, बेरोजगार लोग पहले जब पुलिस विभाग में सिपाही या दीवान के लिए एप्लाई करते थे, तो मुफ्त में फार्म भरा जाता था, लेकिन जब से वीर बहादुर सिंह मुख्य मंत्री हुए, तो पांच रुपये का वह फार्म कर दिया है, पहले कोई फीस नहीं पड़ती थी अब पांच रुपये फार्म की फीस पड़ती है। लाखों लोगों को बेरोजगार करने का काम यह कर रहे हैं। एक बात कही गई प्रदेश की व्यवस्था में, अक्टूबर के सम्मेलन में मुख्य मंत्री जी ने कहा था उन्होंने सब प्रधानों से कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य प्राप्त कर लें, दिसम्बर में कहा लक्ष्य प्राप्त कर लें, पहले नौ महीने छोड़ दिए।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

वह नौ महीने में लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें। आपका समय समाप्त हो गया है।

(श्री किशन सिंह तड़ागी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

तड़ागी जी आपका भाषण कल होगा आज मैंने आपका नाम पुकार लिया है। आज आप बैठें।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सीतापुर में एक युवक की हत्या के बारे में प्राप्त हुई थी जिसे अस्वीकार किया गया।

सचिव, साधन सहकारी समिति, पिपरा, मनैतापुर द्वारा की गई अनियमितता के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत सहकारिता मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 11 के सम्बन्ध में स्वयं दिवाकर विक्रम सिंह ने अनुरोध किया है कि इस वक्तव्य को आज स्थगित कर दिया जाय, चूंकि उन्हीं को स्पष्टीकरण के लिए खड़ा होना था और उन्होंने अनुरोध किया है इसलिए आज इसे स्थगित किया जाता है।

अब हम कल 11 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
24 फरवरी, 1986

संसदीय प्रलेख सेवा

नत्थी 'क'

(देखिए ता0प्र0सं0–3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर।)

संलग्नक–1

श्री सुरेश चन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, परतावल, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों का विवरण

1––खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा वर्ष 1984–85 में ब्लाक को एन0आर0ई0पी0 मद से आवंटित 3 लाख रुपया मनमाने तौर पर व्यय किया जाना तथा कुछ सहयोगियों के साथ मिल बांट कर हड़प लिया जाना।

2––प्राइमरी पाठशाला रुद्रपुर के निर्माण कार्य में अनियमितता बरता जाना।

3––मुक्त बोरिंग योजना के अन्तर्गत घटिया पाइप देने तथा प्राइवेट एजेंसियों से बोरिंग कराया जाना।

4––फर्जी मस्टररोल बनाकर गेहूं बाजार में बेचकर सरकारी धन का अपहरण कर लिया जाना।

5––फर्जी मस्टर रोल बनाए जाने की गुन्जाइश न होने के कारण सुमवल सड़क के निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया जाना।

6––खण्ड विकास अधिकारी का गोरखपुर शहर में आलीशान मकान होना तथा जीप मालिक होना।

7––राजपत्रित अधिकारी की आचार संहिता के विरुद्ध खण्ड विकास अधिकारी का शराब पीने के व्यसन का आदी होना।

8––विकास खण्ड मुख्यालय (परतावल) पर निवास न कर 32 किलोमीटर दूर गोरखपुर में निवास करना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

'नत्थी 'ख'

(देखिए ता0प्र0सं0-6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 144पर)

आयोग में नामांकित सदस्यों की सूची

1--श्री सन्त बख्श सिंह शास्त्री	सदस्य	प्रगतिशील प्रधान
2--शिवराज सिंह यादव	..	प्रमुख
3--श्री नसीम जैदी	..	अध्यक्ष, जिला परिषद्
4--श्री रामचन्द्र मिश्र	..	पंचायत राज सचिव द्वारा नामित
5--श्री प्रेम कृष्ण मिश्र	..	वित्त सचिव द्वारा नामित
6--श्री ब्रज मोहन जोशी	..	नियोजन सचिव द्वारा नामित
7--श्री नारायण दास	..	न्याय विभाग के प्रतिनिधि
8--मुख्य लेखाधिकारी जिला परिषदें पदेन सदस्य ।	..	हरदेव तिवारी सदस्य
9--निदेशक, पंचायतराज पदेन सदस्य सचिव ।		सचिव, श्री निरोती लाल गुप्त
10--श्री चन्दन गोपाल		राजस्व विभाग के प्रतिनिधि
11--श्री मनमोहन सिंह	..	तदैव
12--श्री कृष्ण चन्द्र मिश्र	..	अवकाश प्राप्त वित्त एवं सांख्यिकी अधिकारी ।

आयोग में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी--

1--श्री मोहन चन्द्र जोशी	..	संयुक्त सचिव
2--श्री शिव शंकर गर्ग	..	निजी सचिव
3--श्री ब्रज बिहारी लाल श्रीवास्तव	..	अनुभाग अधिकारी
4--श्री जगदीश प्रसाद समगाई	..	प्रवर वर्ग सहायक
5--श्री राम कृष्ण यादव	..	अवर वर्ग सहायक
6--श्री सै0 नसीम अहमद	..	कनिष्ठ लिपिक/टंकक
7--श्री सीताराम	..	चपरासी
8--श्री रज्जबअली	..	चपरासी
9--श्री राम गोपाल राठौर	..	चपरासी

उत्तर प्रदेश विधान मंडल

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0–36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

वर्ष	क्रम-सं0	नाम	नियुक्ति तिथि
1	2	3	4
1978–79	1	श्री चन्द्र भान सिंह	30–9–78
,,	2	श्री दयाशंकर लाल	19–10–78
,,	3	श्री मिठाई लाल	26–10–78
,,	4	श्री धनश्याम पति त्रिपाठी	23–10–78
,,	5	श्री जफरुल्लाह खां	दिसम्बर, 78
,,	6	श्री हनुमान प्रसाद	,,
1979–80	7	श्री मो0 लईक	12–5–79
,,	8	श्री ध्रुव चन्द्र गौड़	जनवरी, 79
,,	9	श्री विरेन्द्र बहादुर लाल श्रीवास्तव	26–4–79
,,	10	श्री मुमताज अहमद	5–9–79
,,	11	श्री उधव राव	25–5–79
,,	12	श्री अनरुद्ध प्रसाद	जून ,79
,,	13	श्री एसरार अहमद	,,
,,	14	श्री राधे श्याम	12–7–79
,,	15	श्री आद्या शरण मिश्रा	21–6–79
,,	16	श्री निजामुद्दीन	2–9–79
,,	17	श्री गोपाल जी लाल	अगस्त, 79
,,	18	श्री राम आसरे तिवारी	21–9–79
,,	19	श्री जय प्रकाश गुप्ता	14–1–80
,,	20	श्री भूपेन्द्र सिंह	29–3–80
,,	21	श्री रियाजुल्लाह	21–2–80
1980–81	22	श्री बाल सुधार	19–4–80
,,	23	श्री विजय कुमार सिंह	अप्रैल, 80
,,	24	श्री जय प्रकाश सिंह	19–6–80
,,	25	श्री विरेन्द्र राय	17–4–80
,,	26	श्री चन्द्र भान सिंह	23–4–80
,,	27	श्री त्रिलोकी नाथ	1–5–80
,,	28	श्री विरेन्द्र लाल	3–5–80
,,	29	श्री राकेश पति त्रिपाठी	10–5–80
,,	30	श्री विश्वनाथ सिंह	मई, 80
,,	31	श्री तेज बहादुर सिंह	19–6–80
,,	32	श्री विजय बहादुर शुक्ला	22–11–80
,,	33	श्री झिन्नू	16–10–80
,,	34	श्री नईमदीन	5–1–81
,,	35	श्री कन्हैया सिंह	13–1–81
,,	36	श्री राम अवध सिंह	3–2–81
,,	37	श्री देवेन्द्र मल	4–2–81

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
1980–81	38	श्री इन्द्रासन सिंह ..	6–2–81
,,	39	श्री कैलाश चन्द्र पण्डे ..	2–3–81
,,	40	श्री राम किशन ..	2–3–81
1982–83	41	श्री राम अधार ..	11–5–82
,,	42	श्री इन्द्रजीत यादव ..	1–7–82
,,	43	श्री राम ज्ञान ..	14–8–82
,,	44	श्री विद्या सागर ..	19–3–82
,,	45	श्री राम हर्ष ..	1–5–82
,,	46	श्री हीरा लाल ..	1–6–82
,,	47	श्री राम नरायन विश्वकर्मा ..	5–6–82
,,	48	श्री सूरत नरायन ..	16–6–82
,,	49	श्री चन्द्रिका प्रसाद ..	1–9–82
,,	50	श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह ..	1–5–82
,,	51	श्री राम धनी सिंह ..	16–4–82
,,	52	श्री राम सरन ..	1–5–82
,,	53	श्री शंकर लाल श्रीवास्तव ..	16–5–82
,,	54	श्री कमलेन्द्र प्रताप सिंह ..	1–6–82
,,	55	श्री छबी लाल ..	17–2–82
,,	56	श्री राम प्रसिद्ध यादव ..	1–11–82
,,	57	श्री राम आसरे ..	11–3–82
,,	58	श्री आज्ञा राम ..	16–11–82
,,	59	श्री जहौर अहमद ..	1–11–82
,,	60	श्री राम अधार दूबे ..	1–4–82

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर।)

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम।

महत्वपूर्ण

संख्या 3042 रो/85-282 रो/78 दिनांक लखनऊ, जून 23, 1985

1--समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम।

2--समस्त उप प्रधान प्रबन्धक जोन्स
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम।

विषय--निगम बसों एवं अनुबन्धित बसों में संसद सदस्य/विधायक/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सीट का आरक्षण।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पार्श्वांकित पत्रों के अनुक्रम में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि मुख्यालय के स्पष्ट एवं बार-बार निर्देशों के निर्गत किए जाने के बावजूद निगम की समनस्त बसों तथा अनुबन्धित बसों में अभी भी यह वाक्य नहीं लिखा गया है "यह संसद सदस्य/विधायक/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सीट है उनके आने पर खाली करना पड़ेगी" कृपया सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बस में यह चाहे निगम की हो अथवा अनुबन्धित हो, उपरोक्त वाक्य आरक्षित सीट पर जो कम से कम दो मीटर भी हो अथवा चालक के एक दम पीछे तथा दरवाजे के ठीक पास में न हो व पिछले पहिए के ऊपर न होकर सुविधाजनक स्थान पर हो लिखवा दिया जाय।

1--1093/रो/282 रो/74, दिनांक 20-5-1975
2--3142 रो/282 रो/74, दिनांक 6-8-1974
3--803 रो/282 रो/78, दिनांक 24-2-1976
4--427 रो/282 रो/78, दिनांक 31-1-1978
5--4525 रो/282 रो/76, दिनांक 2-9-1978
6--4394 रो/282 रो/76, दिनांक 25-9-1978
7--274 रो/282 रो/78, दिनांक 25-9-1978
8--2805 रो/282 रो/77, दिनांक 22-6-1981
9--3406 रो/282 रो/81 दिनांक 27-7-1981
10--4273 रो/282 रो/81, दिनांक 2-11-1981
11--1370 रो/282 रो/81, दिनांक 20-4-1982
12--2633 रो/84-282-रो/78, दि0 2-8-1984
13--3467 रो/84-282 रो/78, दिनांक 31-8-1984

इसके साथ ही निरीक्षण अधिकारी/कर्मचारी बसों की चेकिंग के समय इस बात को सुनिश्चित करें कि निरीक्षित बस में उपरोक्त वाक्य लिखा है अथवा नहीं।

समस्त परिचालकों को भी यह निर्देश दिए जायं कि वे माननीय संसद सदस्यों/विधायकों/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के साथ सम्मानजनक शिष्ट व नम्र व्यवहार करें तथा उन्हें आरक्षित सीट पर बैठाने में पूर्ण सहयोग करें। आरक्षित सीट पर बैठने वाले यात्रियों को स्पष्ट कर दें कि यह सीट माननीय सदस्यों के लिए आरक्षित है वे कृपया इसे उनके आने पर खाली कर दें।

इस मामले में यह उल्लेखनीय है कि माननीय संसद सदस्यों/विधायकों/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों से यह परिवादें प्राप्त हो रही हैं कि उन्हें आरक्षित सीट की सुविधा सुलभ नहीं कराई जा रही है तथा परिचालकों का व्यवहार उनके साथ बहुत ही अभद्रता एवं अपमानजनक रहता है। विधान सभा में तथा अन्य कमेटियों में भी उनके द्वारा बराबर उपरोक्त परिवादें की गयी हैं। अतः अपने अधीनस्थ सभी निरीक्षण अधिकारियों/कर्मचारियों सुपरवाइजरी स्टाफ तथा परिचालकों को कड़े निर्देश जारी करें और निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें। आदेशों की अवहेलना करने वाले परिचालकों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

आर0के0 दुबे
ह0 उप प्रधान प्रबन्धक (संचालन)

संख्या 3042(1)रो/85–282 रो/78, सम0

प्रतिलिपि उप प्रधान प्रबन्धक, के0 कार्यशाला तथा एलेन फारेस्ट कार्यशाला उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि वे कृपया उपरोक्त वाक्य प्रत्येक नई तथा जीर्णोद्धार बस में लिखवाना सुनिश्चित करें।

2—प्रतिलिपि समस्त सेवा प्रबन्धक/स0क्षे0प्र0/डिपो प्रबन्धकों को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

ह0 उप प्रधान प्रबन्धक (सं0)।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0 93 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

क्षेत्र समिति सैदाबाद, जनपद इलाहाबाद द्वारा गांव सभाओं को स्वीकृत धनराशि तथा स्वीकृत कार्यों की सूची

क्रम-सं0	गांव सभा का नाम जिन्हें धनराशि दी गयी	योजना का नाम जिसके लिए धन दिया गया	दी गई धनराशि
1	2	3	4
			रु0
1	मर्दापुर	खड़ञ्जा निर्माण	3,000
2	मकसूदना	,,	3,000
3	सुजौला	,,	3,000
4	सरायबंशी	,,	3,000
5	वल्दीहा	पुलिया निर्माण	3,000
6	पयागीपुर	,,	3,000
7	धन्शीपुर	,,	3,000
8	चाका	,,	3,000
9	डुढुवा	,,	3,000
10	उनराव	,,	3,000
11	पौढन	,,	3,000
12	समोधीपुर	प्राइमरी पाठलाशा निर्माण	3,000
13	आराकला	पुलिया निर्माण	3,000
14	चांदोवारा	विद्युतीकरण	3,000
15	चतुर्भजपुर	पुलिया निर्माण	3,000
16	जालापुर	प्राइमरी पाठशाला निर्माण	3,000
17	माकनपुर	पुलिया	3,000
18	महुआ कोठी	,,	3,000
19	भवानीपुर	खड़न्जा निर्माण	3,000
20	पट्टीसम	प्राइमरी पाठशाला निर्माण	3,000
21	साजबरौनी	,,	3,000
22	गुलचमा	हैन्ड पाइप	3,000
23	मिया पट्टी	पुलिया निर्माण	3,000
24	जलालपुर	खड़न्जा निर्माण	3,000
25	सराय इस्माइल	,,	3,000
26	हैबतपुर	,,	3,000
27	अजेहरा	पुलिया निर्माण	3,000
28	मलेमुअवा	खड़न्जा निर्माण	3,000
29	बड़ा गांव	खड़न्जा निर्माण	3,000
30	मीरापुर	हैन्ड पाइप	3,000
31	सौरा	पुलिया	3,000
32	सिठौली	,,	3,000
33	बरेठी	खड़न्जा निर्माण	3,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
34	सहवाजपुर	प्राइमरी पाठशाला निर्माण	3,000
35	पुरुषोत्तमपुर	खड़न्जा निर्माण	3,000
36	हसनपुर	,,	3,000
37	चक सिकन्दर	,,	3,000
38	मुखतजीपुर	,,	3,000
39	मुइउद्दीन	,,	3,000
40	टिकरी	,,	3,000
41	बरौना	,,	3,000
42	पकरी	,,	3,000
43	मोहिहा	,,	3,000
44	चकिया	,,	3,000
45	महुआडीह	,,	3,000
46	पहाड़पुर	पुलिया	3,000
47	दुसौती	हैण्ड पाइप	5,000
48	योगापुर	प्राइमरी पाठशाला निर्माण	3,000
49	जलालपुर	खड़न्जा निर्माण	3,000
50	अवरसा	नाली निर्माण	2,000
51	अमौरा	हैण्ड पाइप	3,000
52	मेस्की	खड़न्जा निर्माण	3,000
53	ढुडेहरी	,,	3,000
54	बेनीपुर	पुलिया हैण्ड पाइप	3,000
55	पुलमा	खड़न्जा निर्माण	3,000
56	बोंदा	,,	3,000
57	सिलपार	प्राइमरी पाठशाला निर्माण	3,000
58	जमशेदपुर	खड़न्जा निर्माण	3,000
59	धनकेसरा	,,	3,000
60	आरिफपुर	,,	3,000
61	हरीपुर	,,	3,000
62	वसमिद	,,	3,000
63	अतरौरा	,,	3,000
64	नागनाथपुर	,,	3,000
65	रनिया डीह	पुलिया	3,000
66	बलीपुर	,,	3,000
67	इनायत पट्टी	खड़न्जा निर्माण	3,000
68	महरीपुर	प्राइमरी पाठशाला निर्माण	3,000
69	महरूपुर	खड़न्जा निर्माण	3,000
70	करौहा	पुलिया	3,000
71	पूरेसूदी	खड़न्जा निर्माण	3,000
72	धराधनपुर	,,	3,000
73	गढ़वा	,,	3,000

विधान सभा प्रतिवेदन

1	2	3	4
74	ब्यूर	पेयजल व्यवस्था	3,000
75	खेरुवा	खड़न्जा	3,000
76	कनकपुर	,,	3,000
77	कहरा	,,	3,000
78	रसूलपुर	हैण्ड पाइप	3,000
79	फतूहा	खड़न्जा	3,000
80	प्यारेपुर	हैण्ड पाइप	3,000
81	बडनपुर	खड़न्जा निर्माण	3,000
82	मुगरसन	पुलिया	3,000
83	ढोली	हैण्ड पाइप	3,000
84	नवली	,,	3,000
85	सैदहा	खड़न्जा निर्माण	3,000
86	उसमापुर	,,	3,000
87	ढुमट्मा	,,	3,000
88	तेलिया तारा	,,	3,000
89	पहाड़पुर	,,	3,000
90	रसूलपुर	,,	3,000
91	मवया	पुलिया	3,000
92	हरिहरपुर	,,	3,000
93	बढौली	,,	3,000
94	सैदाबाद	,,	3,000
95	हकीम पट्टी	प्राइमरी पाठशाला निर्माण	3,000
96	खपटिहा	खड़न्जा	3,000
97	वजहा मिश्रान	पुलिया	3,000
98	भदवा	,,	3,000
99	निझवानिया	खड़न्जा निर्माण	3,000

नोट—गांव सभा अवरता को दिनांक 10—7—85 तथा गांव सभा दुसौती को दिनांक 10-12-85 को चेक द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

अन्य शेष ग्राम सभाओं को भुगतान हेतु जुलाई व सितम्बर, 1985 की अवधि में पोस्ट आफिस में चेक भेजे गए हैं जिनके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ 92 पर।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के लिए श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर :

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ट्राइसेम योजना नागर क्षेत्रीय निर्बल वर्ग के लिए प्रदेश में लागू न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार कृपा करेगी ?	ट्राइसेम अर्थात "स्वत: रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण की योजना भारत सरकार द्वारा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अत्यन्त निर्धन परिवारों के त्वरित उत्थान के दृष्टिकोण से बनाई गयी है। योजना का आधा व्यय भी भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अत: इस योजना को नगर क्षेत्रों में चलाए जाने का निर्णय राज्य स्तर पर नहीं लिया जा सकता है।
नागर क्षेत्रों में भी यह योजना लागू करने की	अभी कोई विचार नहीं है।

श्याम सूरत उपाध्याय,
मन्त्री,
ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज

पी०एस०यू०पी०—एल० 35 वि०सभा (53)—1986—8131